आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

₹

बेहतर भविष्य के लिए वित्तपोषण

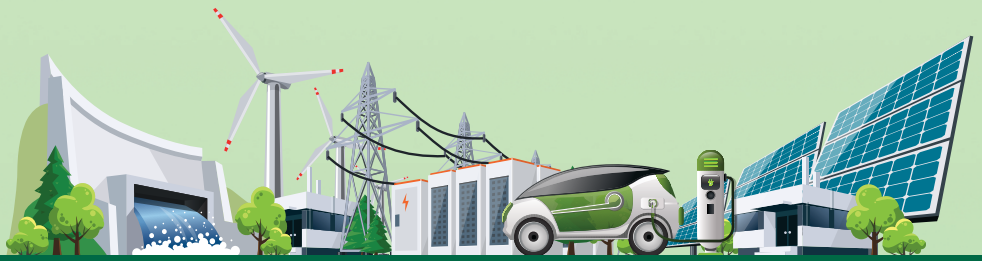

53वीं वार्षिक रिपोर्ट | 2021-22

विषय-सूची

1.	कंपनी का परिचय	2
2.	निदेशक मण्डल	3
3.	निदेशकों का परिचय	4
4.	मिशन/विजन तथा उद्देश्य	8
5.	वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	9
6.	पिछले पांच वर्षों का प्रदर्शन	10
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	13
8.	एजीएम की सूचना	17
9.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	28
10.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	54
11.	निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	64
12.	कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	96
13.	एकीकृत रिपोर्ट	123
14.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	126
15.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	129
16.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	130
17.	डिबेंचर न्यासियों का विवरण	148
18.	तुलन पत्र	156
19.	लाभ एवं हानि का विवरण	157
20.	नकदी प्रवाह का विवरण	158
21.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	160
22.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	164
23.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	263
24.	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	272
25.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	273
26.	समेकित वित्तीय विवरण	274
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	387
28.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	395
29.	आरईसी के कार्यालयों का विवरण	396

कंपनी का परिचय

निदेशक मंडल	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)
	श्री वी. के. सिंह निदेशक (तकनीकी)	श्री विशाल कपूर सरकार द्वारा नामित निदेशक
	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक
मुख्य सतर्कता अधिकारी	सुश्री सिम्मी आर नाकरा (अतिरिक्त प्रभार)	
कंपनी सचिव	श्री जे. एस. अमिताभ	
कार्पोरेट पहचान संख्या	L40101DL1969GOI005095	
पंजीकृत कार्यालय	कोर-4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत। दूरभाष: +91-11-4309 1500 / 1501	
कार्पोरेट कार्यालय	प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, भारत। दूरभाष: +91-124-444 1300	
कार्पोरेट वेबसाइट एवं ई-मेल	www.recindia.nic.in | contactus@recl.in	
जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड	
डिपॉजिटरी	नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	
सांविधिक लेखापरीक्षक	एस. के. मित्तल एवं कंपनी, सनदी लेखाकार ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी., सनदी लेखाकार	
सचिवीय लेखापरीक्षक	हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स, कंपनी सचिव	
बैंकर्स	एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी बैंक एचएसबीसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक	इंडसइंड बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक
रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट	**इक्विटी शेयर के लिए** केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलिनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 फोन: 1–800–309–4001 ई–मेल: complianceofficer@recl.in, einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com	
	बॉण्ड्स के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलिनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 फोन: 1-800-309-4001 ई–मेल: investorcell@recl.in, einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com	बीटल फाइनेंशियल एवं कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड बीटल हाऊस, तीसरा तल, 99 मदनगीर एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062 फोन: +91-11-2996 1281-83 ई–मेल: rcbonds3@gmail.com, spgupta123@gmail.com वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक

श्री विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)

श्री वी. के. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

नामित निदेशक

श्री विशाल कपूर
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. गंभीर सिंह
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. मनोज मनोहर पांडे
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दुर्गेश नंदिनी
स्वतंत्र निदेशक

निदेशकों का परिचय

श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन: 01377212)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री विवेक कुमार देवांगन 17 मई, 2022 से आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आप (मणिपुर कैडर, 1993 बैच) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तथा आपने एनआईटी, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. और आईआईटी, दिल्ली से ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में पी.जी. की उपाधि प्राप्त की है। आरईसी में नियुक्ति से पहले, आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे।

आपने आई.ए.एस. अधिकारी के अपने शानदार करियर के दौरान वित्त, विद्युत एवं ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चुनाव, विधि एवं न्याय, वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्री कार्यालय (कॉर्पोरेट कार्य, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) शिक्षा, मानव संसाधन विकास, रेशम उत्पादन, कृषि एवं सहयोग, आर्थिक मामले, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जिला प्रशासन (छत्तीसगढ़ में सरगुजा और रायपुर जिला और मणिपुर में सेनापति जिला) तथा राजस्व प्रशासन के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। सीएमडी के रूप में, आपने आरईसी को अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक दृष्टि और समग्र दिशा प्रदान की है।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के पदेन अध्यक्ष भी हैं।

श्री विवेक कुमार देवांगन के पास आरईसी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्री अजय चौधरी (डीआईएन: 06629871)

निदेशक (वित्त)

श्री अजय चौधरी 1 जून, 2020 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। आप, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में विविध कार्यों में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने 16 अप्रैल, 2007 को आरईसी में कार्य भार संभाला और विभिन्न पदों पर कार्य किया, इससे पहले आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड में कार्य किया था।

निदेशक (वित्त) के रूप में, आप आरईसी के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालन के संबंध में जरूरी निर्देश देते हैं जिसमें संगठनात्मक और वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीतियों के निर्माण, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, उधार प्रचालनों, नकदी और निधि प्रबंधन, कारपोरेट खाते, कर नियोजन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार की कंपनियों के साथ मिलकर संसाधन और संपर्क जुटाना शामिल है। आपने आरईसी में विभिन्न प्रणालीगत सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें ऋण वसूली दिशानिर्देश तैयार करना, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान, ग्राहकों के लिए संचार और सेवाओं में सुधार करना और समग्र संसाधनों और ट्रेजरी को एक कुशल तरीके से प्रबंधित करना शामिल है।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

श्री अजय चौधरी के पास कंपनी में प्रत्येक ₹10/– के 1200 इक्विटी शेयर (प्री–बोनस) हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्री वी. के. सिंह (डीआईएन: 02772733)

निदेशक (तकनीकी)

श्री वी. के. सिंह 15 जुलाई, 2022 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) हैं। अपनी पदोन्नति से पहले, आप कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। आप आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। आपने 29 मार्च, 2007 को आरईसी में कार्यभार संभाला, इससे पहले, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड में कार्य किया था।

निदेशक (तकनीकी) के रूप में, आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं की परियोजना और एंटिटी अप्रेजल एवं परियोजना के साथ संस्वीकृति, संवितरण और परियोजना निगरानी, कारोबार विकास, विविधीकरण सहित वित्तपोषण गतिविधियां और कंपनी द्वारा समग्र प्रभावी काम–काज के सभी तकनीकी और परिचालन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। आपको पारेषण परियोजना विकास और प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, ईएचवी सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण, बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र, ईसीबी आदि जुटाने जैसे वित्तीय पहलुओं का व्यापक अनुभव है।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

श्री वी.के. सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्री विशाल कपूर (डीआईएन: 08700132)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री विशाल कपूर 7 सितंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। आप वर्तमान में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) में संयुक्त सचिव (वितरण) हैं। आप द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, यूके के प्रैक्टिसिंग फेलो हैं। आपने, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री भी प्राप्त की है; और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से पब्लिक पॉलिसी में द एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है।

आपको, भारतीय रेलवे में पूर्व दायित्वों के अंतर्गत रेलवे ट्रैक्शन, फ्रेट कारों, डिज़ाइन एवं संचालन और रख–रखाव जैसे क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव है। आप विद्युत मंत्रालय में वितरण क्षेत्र, राजभाषा एवं सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं। आपने वितरण यूटिलिटिज के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके अनुभव का क्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा है, साथ ही आप एक बड़ी जनशक्ति का प्रबंधन करते हुए, आप विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार की नीतिगत प्रतिक्रियाओं में योगदान हेतु अपने प्रोफेशनल सह नीतिगत कार्यों के व्यापक अनुभव का उपयोग कर रहे हैं।

श्री विशाल कपूर के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएनः 08530587)

पीएफसी द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को 4 फरवरी, 2022 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वाणिज्य विषय में स्नातक तथा कॉस्ट एकाउंटेंट हैं तथा एमबीए हैं। आप वर्तमान में पीएफसी के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं।

आपको विद्युत क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है, आपने पीएफसी, एनएचपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे प्रमुख संस्थाओं में कार्य किया है। पीएफसी में आपने वर्ष 2005 में कार्यभार ग्रहण किया था और 1 जुलाई, 2020 को पीएफसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने घरेलू के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाने, बैंकिंग और ट्रेजरी, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन तथा दबावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन जैसे कई प्रमुख वित्तीय पोर्टफोलियो का दायित्व संभाला है।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएनः 02003319)

स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर डॉ. गंभीर सिंह को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल से एमबीबीएस और जी. आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर से मास्टर ऑफ सर्जरी हैं। आपके पास एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता भी है।

आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रायपुर आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन हैं। आपके पास 18 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है और आपने जी. आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर और पंडित जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर में सेवा प्रदान की। आप 2008 से 50 बेड वाले मल्टी–स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। यह अस्पताल चिकित्सा विशेषज्ञता के उच्चतम मानकों पर कार्य कर रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को समर्पित है।

आपने विभिन्न इंडेक्स जर्नल्स के 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र भी प्रकाशित किए हैं तथा आप पूर्व–स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परीक्षक भी रहे हैं।

डॉ. गंभीर सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

डॉ. मनोज मनोहर पांडे (डीआईएनः 09388430)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. मनोज मनोहर पांडे को 15 नवंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वर्तमान में यवतमाल, महाराष्ट्र, में एक पारिवारिक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। आपने अमरावती विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राकृतिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आप महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में उपेक्षित और खानाबदोश समुदाय तथा झुग्गीवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपने आत्महत्या प्रभावित अनेक कृषक परिवारों के पुनर्वास को बढ़ावा देने में मदद की है और वंचित समुदायों के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। आप पिछले 15 वर्षों से समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने वाले दो गैर–सरकारी संगठनों के संचालन में भी शामिल हैं।

आप *आयुष काढ़ा* के उत्पादन और वितरण की शुरुआत में अग्रणी रहे हैं, जो कोविड–19 वायरर्स, जिन्होंने महामारी के प्रकोप को रोकने में मदद की, के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। आप एक उत्साही जैविक कृषक और कृषिविज्ञ भी हैं, जिन्होंने नवीन कृषि तकनीकों का सहारा लिया है, जिससे कम लागत वाली कृषि पद्धतियों और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई है।

डॉ. मनोज मनोहर पांडे के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएनः 09398540)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दुर्गेश नंदिनी को 30 दिसंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।

पूर्व में आपने एक प्रतिष्ठित गर्ल्स इंटर–कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम किया था और हरियाणा सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के संपादन में सहयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको राष्ट्रीय स्तर के एक स्वयंसेवी संगठन *"जागृति"* के साथ प्रमुख सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में काम करने का समृद्ध एवं विविध अनुभव प्राप्त है।

आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही हैं। वर्तमान में, आप महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है और सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए *अपराजिता फाउंडेशन* के साथ सहयोग कर रही है।

डॉ. दुर्गेश नंदिनी के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

मिशन / विजन तथा उद्देश्य

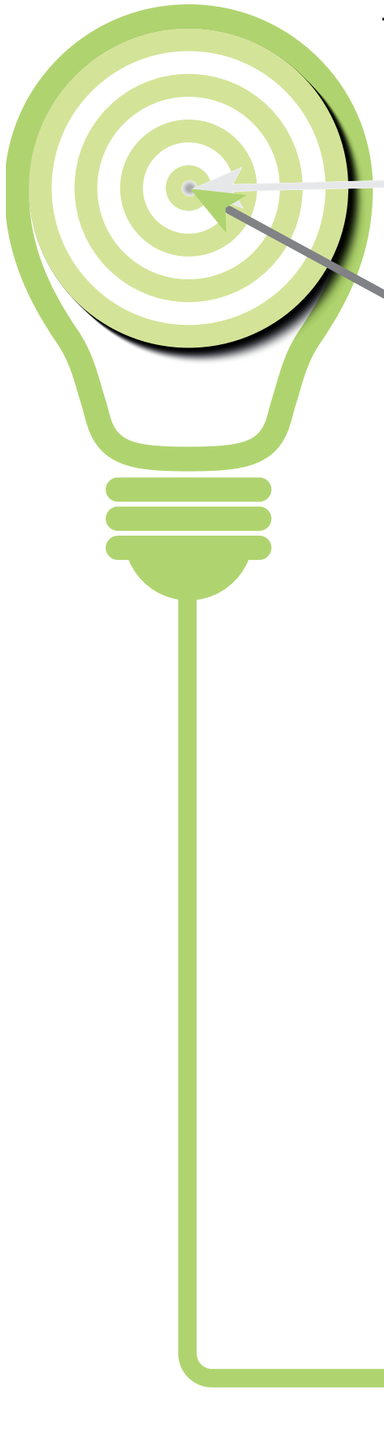

मिशन/विजन

1. ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।

2. देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक–अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में, निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर ध्यान देने के साथ–साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं को प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन।

2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन–जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली के लोड का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक–आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी

श्री आर. लक्ष्मणन
कार्यपालक निदेशक
(कार्यक्रम प्रबंधन)
एवं सीईओ आरईसीपीडीसीएल

श्री टी. एस. सी. बोष
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)
एवं संयुक्त सीईओ आरईसीपीडीसीएल

श्री जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक
(विधि) एवं कंपनी सचिव

श्री फुजैल अहमद
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)

श्री संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)

श्री आर. पी. वैष्णव
कार्यपालक निदेशक
(मानव संसाधन)

डॉ. काजल
कार्यपालक निदेशक
(सरकारी कार्यक्रम)

श्रीमती मालती सुंदरराजन
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)

श्री संजय कुलश्रेष्ठ
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)

श्रीमती वल्ली नटराजन
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)

श्री दलजीत सिंह खत्री
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)

श्री हर्ष बवेजा
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)

पिछले पांच वर्षों का प्रदर्शन

कुल आय और कर पश्चात लाभ
(₹ करोड़ में)

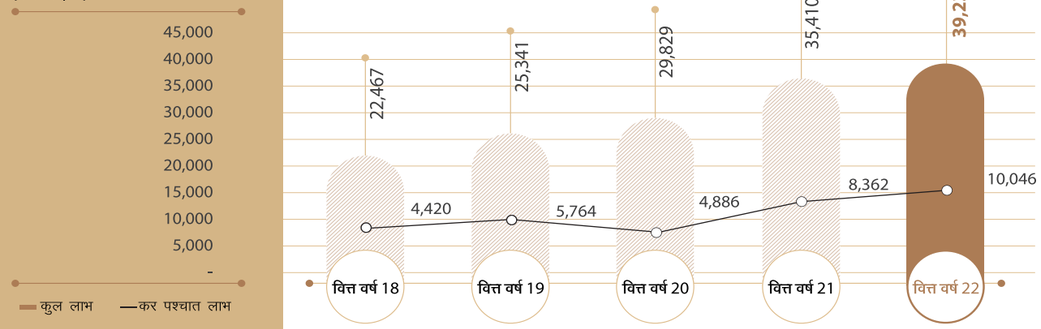

ऋण बही
(₹ करोड़ में)

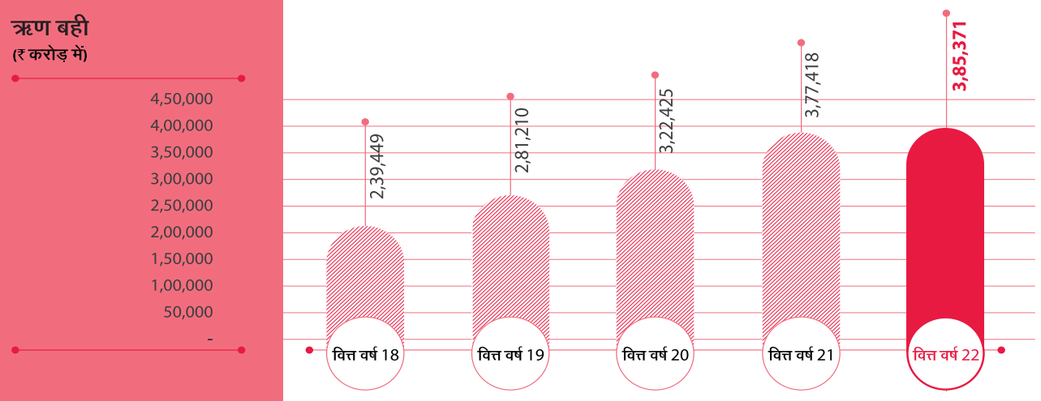

निवल मूल्य
(₹ करोड़ में)

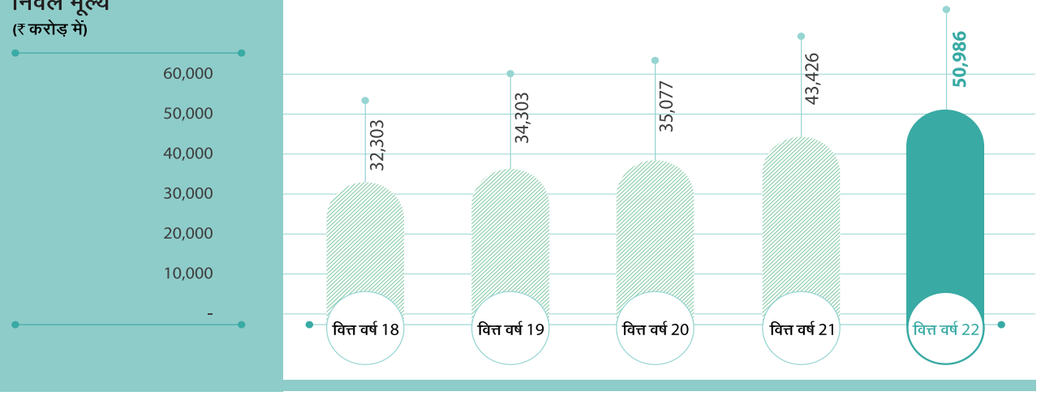

प्रति शेयर आय (₹)

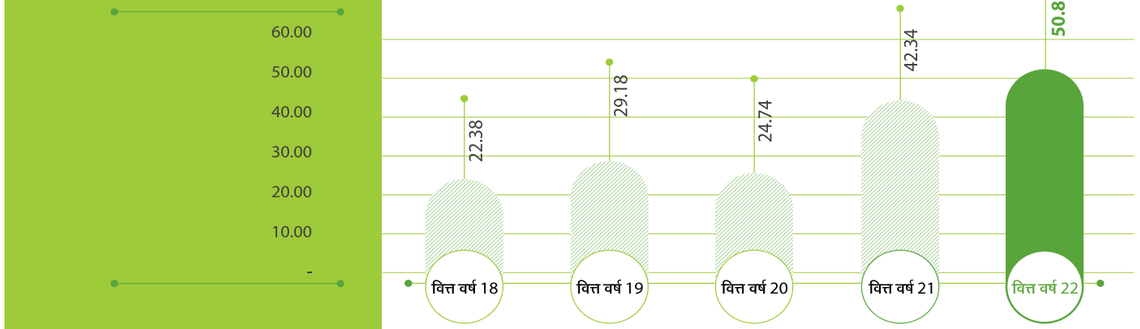

प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)

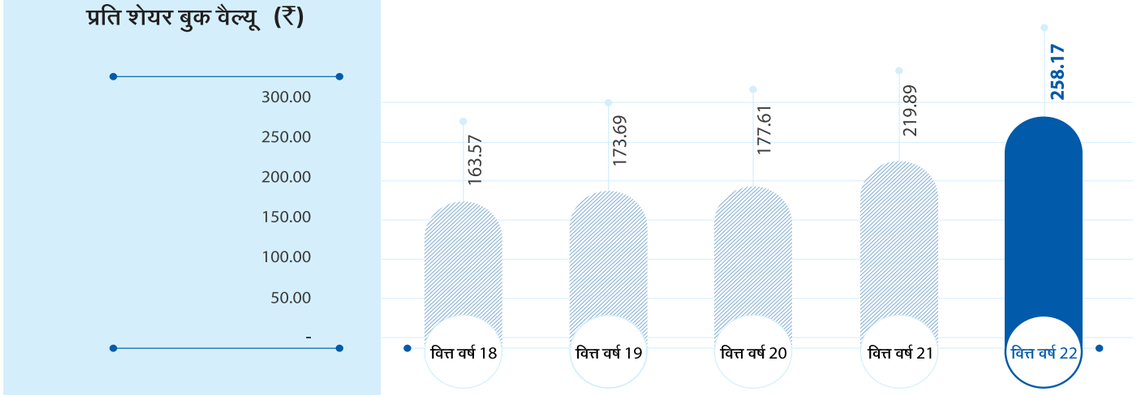

प्रति शेयर लाभांश (₹)

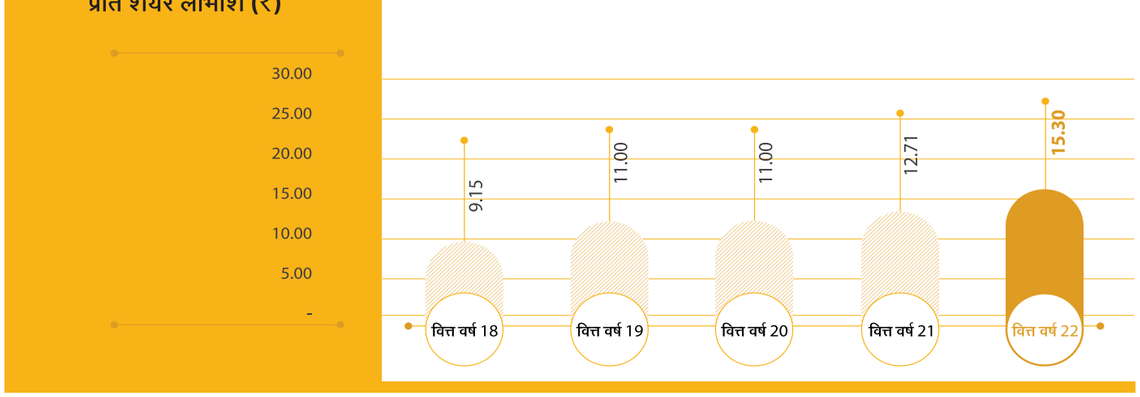

पिछले पांच वर्षों का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

विवरण (इंड-एएस के अनुसार)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
शेयरधारकों की निधि (वर्ष के अंत में)					
इक्विटी शेयर पूंजी	**1,974.92**	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92
जिन संपूर्ण लिखतों की प्रकृति इक्विटी है	**558.40**	558.40	-	-	-
अन्य इक्विटी / आरक्षित एवं अधिशेष	**48,452.28**	40,893.05	33,101.64	32,328.02	30,328.23
निवल मूल्य	**50,985.60**	43,426.37	35,076.56	34,302.94	32,303.15
उधारियां (वर्ष के अंत में)					
भारत सरकार / एनएसएसएफ से	**10,000.00**	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-
बॉण्ड / डिबेंचर्स	**1,83,291.97**	2,04,119.67	1,88,538.25	1,71,803.83	1,65,334.89
वित्तीय संस्थानों से	**6,800.00**	5,800.00	1,000.00	1,200.00	400.00
विदेशी मुद्रा उधारियां	**65,957.45**	47,486.43	44,378.49	31,368.12	27,530.08
बैंकों से आवधिक ऋण	**42,878.32**	29,938.58	18,899.78	18,550.00	-
वाणिज्यिक पेपर	**-**	-	2,925.00	7,975.00	3,250.00
अल्पावधि / मांग ऋण / अन्य	**17,916.55**	25,166.32	14,374.33	3,389.50	2,276.54
जोड़	**3,26,844.29**	3,22,511.00	2,80,115.85	2,39,286.45	1,98,791.51
निधि जुटाना (वर्ष के दौरान)	**73,962.93**	99,244.53	84,358.12	69,383.22	51,164.89
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान)					
अनुमोदित परियोजनाएं (संख्या में)	**370**	441	727	914	895
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**54,421.76**	1,54,820.87	1,10,907.99	1,15,957.35	1,07,534.05
संवितरण*	**69,467.87**	97,928.11	82,140.83	91,827.56	72,281.19
उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	**56,197.10**	37,994.03	34,454.15	30,405.09	24,191.82
वर्ष के अंत में बकाया	**3,85,371.26**	3,77,418.15	3,22,424.68	2,81,209.68	2,39,449.34
कार्य परिणाम (वर्ष के दौरान)					
कुल आय	**39,230.45**	35,410.44	29,829.13	25,341.16	22,467.35
निवल विनिमय हानि, प्रशुल्क एवं कमीशन खर्चों सहित वित्तीय लागत	**22,868.69**	21,829.29	21,380.39	16,197.11	13,381.06
वित्तीय लिखतों पर प्रावधान और आकस्मिकताएं / इम्पेयरमेंट	**3,473.31**	2,419.62	889.56	240.33	2,297.12
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	**-**	-	-	348.52	573.37
अन्य व्यय	**445.59**	395.87	565.89	447.53	326.00
मूल्यह्रास	**17.96**	9.53	10.00	7.17	5.65
कर–पूर्व लाभ	**12,424.90**	10,756.13	6,983.29	8,100.50	5,884.15
कराधान / कर संबंधी खर्चों हेतु प्रावधान	**2,378.98**	2,394.35	2,097.13	2,336.78	1,464.26
कर–पश्चात लाभ	**10,045.92**	8,361.78	4,886.16	5,763.72	4,419.89
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	**(59.07)**	456.52	(549.79)	(60.54)	4.24
अन्य व्यापक आय	**9,986.85**	8,818.30	4,336.37	5,703.18	4,424.13
इक्विटी पर लाभांश	**3,021.62**	2,510.12	2,172.41	2,172.41	1,807.05

**सरकारी योजनाओं के तहत सरकार से ऋणों के वितरण के साथ–साथ अनुदान / सब्सिडी का वितरण शामिल है*

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मैं, आपकी कंपनी की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जिसमें सफल उपलब्धियों से परिपूर्ण एक और वर्ष का निरूपण किया गया है। महामारी की दूसरी लहर के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 की शुरुआत हमारे साथ–साथ सभी के लिए कठिनाईयों से भरी थी। विद्युत क्षेत्र के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान के रूप में, हम उद्योग के सामने आने वाले प्रचालन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और अर्थव्यवस्था के समग्र सुधार की आशा करते हैं। अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन के साथ, अनिश्चितताओं से भरी इस अवधि के दौरान भी हमने अपने हितधारकों के हितों की रक्षा की है और प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है।

आपकी कंपनी ने अपने लागत प्रभावी संसाधन प्रबंधन और सुदृढ़ वित्तीय नीतियों के फलस्वरूप, अब तक का सबसे अधिक लाभ अर्थात् ₹10,046 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष से 20% अधिक था। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी का निवल मूल्य

₹50,986 करोड़ था, जो एक साल पूर्व के निवल मूल्य से 17% अधिक था, जो कंपनी द्वारा किए गए उल्लेखनीय मूल्यवर्धन को इंगित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में, आरईसी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार ₹3,85,371 करोड़ के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर थी। आपकी कंपनी ने अपने घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग और "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग बनाए रखी, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के बराबर है। इन सुदृढ़ मूलभूत सिद्धांतों को भावी–तत्परता दृष्टिकोण के साथ संयोजित किया गया है, जो हमें आने वाले समय के लिए सशक्त बनाता है।

अपने कारोबारिक लक्ष्यों के अतिरिक्त, आरईसी विद्युत क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार का एक विश्वसनीय भागीदार भी रही है और बनी रहेगी। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि देश के दूर–दराज के कोने–कोने में बिजली पहुंच गई है। दीनदयाल *उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)* और *प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)* जैसी प्रमुख स्कीमें, जिनके लिए आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय की नोडल एजेंसी थी, को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और वास्तव में एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भारत – *उज्जवल भारत* की नींव रखी। बिजली क्षेत्र अब आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन, उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में कमी और दक्षता और सेवा प्रदायगी के इष्टतमीकरण के लिए तैयार है। हमें सरकार की ₹3 लाख करोड़ की सुधार–आधारित और परिणाम–संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (*आरडीएसएस*) में अपनी भागीदारी पर गर्व है, जो इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2022 की शुरूआत में, महामारी के कारण पूरे विश्व में मुद्रास्फीति, खाद्य कीमतों में वृद्धि और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा कमजोर स्थिति में थी। भू–राजनीतिक संघर्ष और यूक्रेन में युद्ध के कारण अनिश्चितताएं और बढ़ गईं। हालांकि, पूरे विश्व में सामान्य कारोबार की धारणा में सुधार हो रहा है। यहां तक कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में महामारी के बाद अपरिहार्य दबाव का सामना करने के बावजूद भी, माल और सेवाओं के कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई और यह लगातार मजबूत होता जा रहा है। कारोबार और विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कारोबार का मूल्य वर्ष 2021 में 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि महामारी के प्रकोप से ठीक पहले अर्थात् वर्ष 2020 की तुलना में 25% और वर्ष 2019 की तुलना में 13% की वृद्धि है। सेवाओं में कारोबार भी काफी हद तक बढ़कर, लगभग इसके महामारी–पूर्व स्तर तक पहुंच गया।

हालांकि, पिछले पूर्वानुमानों की तुलना में मुद्रास्फीति लंबी अवधि के लिए उच्च स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। वर्ष 2022 के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 5.7% तथा उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7% होने का अनुमान है। जिन देशों की आर्थिक नीतियां कमजोर हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक निर्भर है, उनके इस परिदृश्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना है। यहीं पर हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र *आत्मनिर्भर भारत* के महत्त्व का एहसास होना चाहिए।

भारत का विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रभुत्व जारी है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% होगी, जबकि एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2022–23 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% और वर्ष 2023–24 में 8% रहेगी। हमने एक बेहद सफल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम का अनुभव किया, जो हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए महामारी से होने वाले नुकसान को रोकने में सहायक रहा। राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य पैकेजों सहित सरकार की व्यापक कोविड प्रतिक्रियाओं के कारण समय रहते विषम परिस्थितियों का शमन किया गया। विद्युत मांग, श्रम भागीदारी और रेलवे माल यातायात जैसे सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यह समय अभी भी उद्योग के साथ–साथ आम नागरिकों द्वारा असावधानी बरतने का समय नहीं है। हमें एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को मजबूत करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा, ताकि कोई भी बाह्य कारक प्रतिकूल प्रभाव न डाल पाए।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

वर्ष 2021 में वैश्विक विद्युत मांग में 6% की वृद्धि हुई, जो आर्थिक सुधार का एक मजबूत संकेत है। भारत में संस्थापित कुल उत्पादन क्षमता 400 गीगावाट के लक्ष्य को पार कर गई है। पारेषण लाइनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत–से सुधार कर रही है। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की सफलता के बाद सरकार की हाल ही में शुरू की गई आरडीएसएस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थायी और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है।

आरडीएसएस के उद्देश्यों में वर्ष 2024–25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को 12–15% तक कम करना और वर्ष 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को शून्य करना शामिल हैं, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि–चरण हैं। इस स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आपकी कंपनी ने 'डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग' के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसमें यथेष्ट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और कमजोर क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से डिस्कॉम को प्रचालन मानकों के आधार पर रेट किया गया है। आपकी कंपनी प्रमुख विनियामक प्राचलों पर आवधिक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रही है, जो संकलन, बेंचमार्किंग और विभिन्न यूटिलिटियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों को उजागर करती है।

राज्य विद्युत यूटिलिटियों की बढ़ते विद्युत खरीद बकाया को संबोधित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने और वित्तीय अनुशासन लाने के उद्देश्य से विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 या एलपीएस नियम जारी किए हैं। आरईसी एलपीएस नियमों के तहत डिस्कॉम को उनके बकाया के समय पर भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगा।

वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन

महामारी के बाद, श्रम मुद्दों आदि के कारण विद्युत परियोजनाओं के प्रारम्भिक उत्थान और कमीशनिंग में कुछ देरी देखी गई। एक स्पिलओवर के रूप में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा संस्वीकृत किए गए ऋण 54,422 करोड़ रुपये की कम सीमा में थे। ये ऋण विभिन्न पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, टी एंड डी परियोजनाओं, अल्पकालिक, मध्यम अवधि और अन्य ऋणों से संबंधित थे। वर्ष के दौरान संस्वीकृत कुल ऋणों में से 27% ऋण नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत किए गए थे। आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, निरंतर अपने हरित पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, टीएंडडी परियोजनाओं और अन्य ऋणों के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत प्रतिरूप वित्तपोषण सहित ₹64,150 करोड़ का संवितरण किया गया। संवितरण में *आत्मनिर्भर भारत* के तहत सरकार की चलनिधि निवेश स्कीम के तहत विभिन्न विद्युत यूटिलिटीज को ₹19,752 करोड़ का संवितरण शामिल था। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने विभिन्न सरकारी स्कीमों के तहत ₹5,318 करोड़ की सब्सिडी का संवितरण भी किया।

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी की प्रचालन आय, एकल आधार पर, ₹39,132 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल व्यापक आय ₹9,987 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹50.87 प्रति इक्विटी शेयर का उच्चतम ईपीएस दर्ज किया गया।

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 23.61% था, जो भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए एक सुदृढ़ क्षमता की ओर इंगित करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के आईबीसी मार्ग सहित उचित माध्यमों के जरिए समाधान के लिए एक समर्पित टीम मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में, आरईसी की सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां (चरण–III) और निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तिया (चरण–III) क्रमशः सकल ऋण परिसंपत्ति का 4.45% और 1.45% थीं।

पूंजी संरचना और अधिलाभांश निर्गम

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। निर्गत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,974.92 करोड़ थी, जिसमें ₹10 प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 52.63% का धारक है; और शेष 47.37% इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित है।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' के क्रेडिट में मौजूद ₹658.306 करोड़ की राशि का पूंजीकरण करके, 9 अगस्त, 2022 को डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से 1:3, अर्थात् ₹10/– प्रत्येक के 3 मौजूदा पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रत्येक का 1 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर के निर्गमन के लिए अपने शेयरधारकों अनुमोदन प्राप्त किया है। उक्त बोनस शेयरों के आबंटन के बाद, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर ₹2,633.22 करोड़ हो जाएगी, जिसमें ₹10 प्रत्येक के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल होंगे।

लाभांश

आपकी कंपनी अपने समकक्षों में से सबसे अधिक लाभांश देने वाली कंपनियों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी पहले ही तीन चरणों में ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹10.50/– प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश 53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए 15.30/– प्रति इक्विटी शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 153% है।

निगमित सुशासन

आरईसी कॉरपोरेट सुशासन में सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के तहत सभी लागू अपेक्षाओं और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों का पालन करती है।

आपकी कंपनी में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की कमी है। हालांकि, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के पास है। हमने विद्युत मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया है और मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

नीतिगत पहल

कारोबारिक मूल्य बढ़ाने और सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी के नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा, अद्यतनीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बाजार में प्रतिस्पर्धी दर्जे को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न कारोबार–उन्मुख नीतियों की शुरुआत की और साथ ही साथ इनकी समीक्षा की, जिनमें राज्य क्षेत्र की यूटिलिटीज को सावधि ऋण के लिए नीतियां, पीएम–कुसुम स्कीम के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण, निजी क्षेत्र में पारेषण परियोजनाओं का मूल्यांकन और वित्तपोषण, पूर्व–भुगतान नीति, साख–पत्र नीति और राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए जोखिम मानदंड आदि शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के समाधान के लिए व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं। कंपनी क्रेडिट–जोखिम को कम करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली के साथ एक संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। प्रचालन जोखिमों का प्रबंधन सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से किया जाता है। चलनिधि जोखिम को अग्रगामी संसाधन जुटाने सहित विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। एक व्यवस्थित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचे और सुपरिभाषित हेजिंग नीतियों के माध्यम से बाजार जोखिम का समाधान किया जाता है।

कंपनी की एक बोर्ड–स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है जो इस क्षेत्र में विकास की निगरानी करती है और समय–समय पर अपनी सिफारिशें करती है। कंपनी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत अपेक्षित है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुरूप जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी नीति और ढांचा अपनाया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी राष्ट्रीय सरोकार के विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंचने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पहलें करती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं का समर्थन किया है, और कुल ₹171.07 करोड़ खर्च किए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

मुझे यह उल्लेख करते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि समावेशी विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने ओडिशा में गजपति, मिजोरम में मामित, नागालैंड में किफिर, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिम सिक्किम सहित विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

समझौता-ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

समझौता–ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, आपकी कंपनी के प्रदर्शन को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिकतम प्राप्तांक 100 के परफेक्ट स्कोर के साथ "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है। आरईसी, पिछले वर्ष के समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन में 100 में से 100 अंक हासिल करने वाला देश का एकमात्र सीपीएसई है।

इतना ही नहीं, आपकी कंपनी को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा अपने बीएफएसआई और फिनटेक अवार्ड्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग श्रेणी में भारत की अग्रणी एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया है; और एक्सचेंज4मीडिया द्वारा अपने महिला अचीवर्स अवार्ड्स में 'महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन' के रूप में भी नामित किया गया है।

भावी पथ

'सभी के लिए 24x7 बिजली' जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ, हम निकट भविष्य में बिजली की विशाल मात्रा में मांग की उम्मीद करते हैं। बढ़ी हुई बिजली की मांग के लिए भी सुदृढ़ पारेषण और वितरण अवसंरचना की आवश्यकता होगी, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित होगा। आरईसी, संपूर्ण मूल्य–श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की विविध जरूरतों के वित्तपोषण के लिए अनेक उत्पादों की पेशकश करता है।

नवंबर 2021 में यूके के ग्लासगो में सीओपी26 सत्र में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूरदर्शी पंचामृत कार्यनीति का प्रस्ताव दिया है। इनमें वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत मांग को पूरा करना, वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी और वर्ष 2070 तक कुल उत्सर्जन–निरपेक्षता प्राप्त करना शामिल है। हम ऊर्जा क्षेत्र और साथ ही मानव–जाति के लिए इन अत्यंत प्रासंगिक लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।

इन लक्ष्यों के समर्थन के प्रयास में, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, ई–मोबिलिटी अवसंरचना, सौर सेल और मॉड्यूल के निर्माण, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा, पीएम–कुसुम परियोजनाओं, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, स्मार्ट–ग्रिड और स्मार्ट–मीटरिंग के लिए अपने वित्तपोषण में वृद्धि की है। आपकी कंपनी पीपीपी और फ्रैंचाइजी मॉडल के माध्यम से गैर–विद्युत अवसंरचना और वितरण कार्यों के वित्तपोषण के कार्य में कारोबार करने पर भी विचार कर रही है। आरईसी प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ अनुरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय विकास संगठनों के साथ घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण कर रही है। मुझे आशा है कि आपकी कंपनी आने वाले समय में विद्युत एवं अन्य क्षेत्रों में सबसे अग्रणी बनने वाली है।

आभार

अपने शब्दों को विराम देने से पहले, मैं माननीय कैबिनेट मंत्री, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, होल्डिंग कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के अधिकारियों का उनके समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूँ।

मैं, आरईसी के कॉरपोरेट सुशासन मानकों में लगातार सुधार करने के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को धन्यवाद देता हूँ।

आरईसी की सफलता मुख्य रूप से अपने हितधारकों के विश्वास और सद्भावना पर आधारित है और इसके लिए, मैं राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी शेयरधारकों, डिबेंचर–धारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को उनके कार्यनीतिक सुझावों और आरईसी के समस्त जनशक्ति को उनके अथक प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आरईसी को बड़ा और बेहतर बनाने के सफर की शुरूआत के लिए मैं आप सभी के बहुमूल्य योगदान की आशा करता हूँ।

धन्यवाद! जय हिंद!

शुभकामनाओं सहित,

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

20 अगस्त, 2022

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") (सीआईएनः L40101DL1969GOI005095) की तिरपनवीं (53वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए **दिनांक 16 सितंबर, 2022, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे** भारतीय समयानुसार (आईएसटी), वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडओलन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पहले, दूसरे और तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3: श्री अजय चौधरी (डीआईएनः 06629871) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: कंपनी की समग्र उधार सीमा में बढ़ोत्तरी करना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः–

"**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी द्वारा 25 सितंबर, 2020 को आयोजित 51वीं वार्षिक आम बैठक में पारित पूर्ववर्ती संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (तत्समय प्रवृत्त, किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित) तथा किसी भी अन्य लागू कानून और कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद के उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (ग) के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") को कंपनी के कारोबार के उद्देश्य से, समय–समय पर, अपने विवेक पर, प्रतिभूति के साथ या इसके बिना और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर ऐसी धनराशि या धनराशियां, जो बोर्ड उचित समझे, उधार लेने के लिए, कंपनी की सहमति इस बात के होते हुए भी प्रदान की जाती है कि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (कारोबार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) के साथ उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और उसके मुक्त आरक्षिती के योग से अधिक होते हुए भी, बशर्ते कि शेयरधारकों द्वारा पहले से यथा अनुमोदित भारतीय रुपये में ₹4,50,000 करोड़ (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) के अतिरिक्त, किसी भी समय किसी भी विदेशी मुद्रा में उधार ली गई और बकाया कुल राशि 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सोलह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

"**इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को अमल में लाने के लिए आवश्यक हो।"

मद संख्या 6: कंपनी की सभी या किसी चल और/या अचल परिसंपत्तियों पर गिरवी और/या उत्तरदायित्व का सृजन करना

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः–

"**संकल्प किया जाता है कि** 25 सितंबर, 2020 को आयोजित 51वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित पूर्व संकल्प का आंशिक संशोधन करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (तत्समय प्रवृत्त, किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित) तथा किसी भी अन्य लागू कानून और कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद के उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) और किसी अन्य लागू उपबंध, यदि कोई हो, के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के कारोबार के उद्देश्य के लिए समय–समय पर निधियां, जो भारतीय में ₹4,50,000 करोड़ (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपए मात्र) से और किसी भी विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सोलह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्रा) के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी, उधार लेने के लिए कंपनी की कहीं भी स्थित किसी भी चल और/या अचल परिसंपत्तियों, वर्तमान और भावी, दोनों पर और संपूर्ण कंपनी या मूल रूप से कंपनी के संपूर्ण उपक्रम या उपक्रमों पर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड कंपनी के लाभ के लिए उचित समझे, और जिन पर बोर्ड और ऋणदाता सहमत हों, किसी बैंक, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद/पट्टा कंपनियों, कॉरपोरेट निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में उत्तरदायित्व, उपप्राधीयन, गिरवी सृजित करने के लिए कंपनी की सहमति अनुमति दी जाती है।"

"**इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को अमल में लाने के लिए आवश्यक हो।"

मद संख्या 7: निदेशक (तकनीकी) के रूप में श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएनः 02772733) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उसके (उनके) बिना, **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 161, 196 और अन्य लागू उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों और/या किसी अन्य लागू कानून (तत्समय प्रवृत्ति किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों), आशोधन (आशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसरण में, श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएनः 02772733), जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मण्डल द्वारा 15 जुलाई, 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, ₹180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में, और/या उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश (आदेशों) के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक (तकनीकी)

(अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवानिवृत्त रोटेशन के अनुसार होगी।"

मद संख्या 8: कंपनी की समग्र उधार सीमा बढ़ाने के लिए।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (गैर– परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) विनियमावली, 2021 और उसके अन्य कोई संशोधन और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा/–निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा यथा लागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतदद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹75,000 करोड तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर–आवासी और/अथवा संस्थाएं/निगमित निकाय और/अथवा अलग–अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर–आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार ₹75,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथा लागू दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

"**संकल्प किया जाता है कि** प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतदद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बॉण्ड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बॉण्डों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बॉण्ड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

दिनांक : 20 अगस्त, 2022
स्थान : आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स
प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा - 122001

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद सं. 5 से 8 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 30 जून 2022 तथा 4 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में यह विचार किया था कि सूचना के क्रम सं. 5 से 8 पर विशेष कारोबार की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं जिन पर कंपनी की 53वीं वार्षिक आम सभा में कार्य किया जाएगा।

2. कोविड–19 महामारी के चलते तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 मई, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 13 मई, 2022 के परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 "सेबी (एलओडीआर) विनियम", के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक, वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है। 53वीं एजीएम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने, 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के द्वारा की जाएगी।

4. 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।

5. उपरोक्त एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार 53वीं एजीएम का नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को ई–मेल के जरिए भेजा जा रही है, जिनके ई–मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत थे। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

   कंपनी के शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने, वास्तविक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके ई–मेल पते दर्ज करने/अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था।

   ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई–मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई–मेल पते दर्ज कराने और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा:–

   - यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिट का डीपी आईडी + क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिट का लाभार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
   - यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण–पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@recl.in पर ई–मेल के माध्यम से भेजें।

6. कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में लेन – देन की जाने वाली मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति/जांचकर्ता को अधिकृत करने का पत्र scruitinizer.recl@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।

7. कंपनी ने 53वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध में वोट देने के लिए पात्रता के निर्धारण के लिए कट ऑफ **तिथि 09 सितंबर 2022, शुक्रवार** निर्धारित की है।

   कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

8. सीएस हेमंत सिंह (एफसीएस नंबर 6033), हेमंत सिंह और एसोसिएट्स की ओर से प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, को 53वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।

   एनएसडीएल ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 53वीं एजीएम में भागीदारी और 53वीं एमजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **13 सितंबर, मंगलवार (09:00 बजे) को शुरू होगी और दिनांक 15 सितंबर, 2022, गुरूवार (17:00 बजे) को समाप्त होगी।** एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

   सदस्य 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए 16 सितंबर, 2022 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10:45 बजे अर्थात शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तारीख को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए विंडो को बंद किया जाएगा।

कृपया ई–वोटिंग, 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी एसोसिएशन के अनुच्छेद 114 और उसके तहत बनाए गए नियम समय–समय पर संशोधित के रूप में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान तीन बार अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया: –

क्र. सं.	विवरण	प्रति इक्विटी शेयर राशि (₹)	घोषणा की तिथि	भुगतान की तिथि
1.	प्रथम अंतरिम लाभांश	2.00	5 अगस्त, 2021	2 सितंबर, 2021
2.	द्वितीय अंतरिम लाभांश	2.50	29 अक्टूबर, 2021	25 नवंबर, 2021
3.	तृतीय अंतरिम लाभांश	6.00	4 फरवरी, 2022	3 मार्च, 2022

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 13 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹4.80 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी और इस पर सदस्यों द्वारा उक्त लाभांश, यदि अनुमोदित हो, की सिफारिश की गई थी। वार्षिक आम बैठक में, सदस्यों या उनके जनादेशों को गुरुवार, 13 अक्टूबर, 2022 को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि अर्थात **बुधवार, 13 जुलाई, 2022** के रूप में दर्ज हैं।

लाभांश आय शेयरधारकों के पास अब कर योग्य है और कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस) अपेक्षित है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

11. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग के लिए निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक (एजीएम) में अथवा एक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा।

कंपनी की 52वीं एजीएम में, जो दिनांक 24 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मण्डल ने 58,00,000 रुपये (अट्ठावन लाख रुपए मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी., सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए यात्रा भत्ते और आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जानी है। इसके अलावा सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

13. सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। इस संबंध में, सेबी ने पहले निर्धारित किया था कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के तहत केवल निवेशक सेवा अनुरोधों जैसे – उपविभाजन/विखंडन/समेकन/पारेषण/हस्तांतरण और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के निर्गमन को – प्रोसेस करते समय डिमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तदनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी शेयरधारिता को यथाशीघ्र भौतिक रूप से मौजूदा डीमैट खाते या किसी भी निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में डीमैट रूप में परिवर्तित करें।

14. चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। वास्तविक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत** के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्यौरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।

15. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं/नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिख सकते हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक–वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात (www.recindia.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्टूबर, 2022 और मार्च, 2023 में आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।

17. कंपनी में अपनी शेयर धारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन था अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथा निर्धारित प्रपत्र एसएच–13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in. पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।

18. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के रजिस्टर तथा उनकी शेयर धारिता का रख–रखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। अनुबंधों का रजिस्टर और व्यवस्थाएं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उनका रख–रखाव किया जाता है और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 16 सितंबर, 2021 तक सदस्यों द्वारा बिना शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावोजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें।

19. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई–मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

20. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

21. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 53वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसरण में, कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी की सहमति से एक विशेष संकल्प पारित करके, कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षिती से अधिक धनराशियां उधार ले सकेगा।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 25 सितंबर, 2020 को आयोजित 51वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करके, कंपनी के निदेशक मण्डल को भारतीय रूपए में कुल ₹4,50,000 करोड़ तक और और किसी भी विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की धनराशि उधार लेने की शक्ति प्रदान की थी।

उपरोक्त में से, 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रुपए में उधार लेने की उपलब्ध सीमा ₹1,98,968 करोड़ थी जो कंपनी की कारोबारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, भारतीय रुपए में उधार सीमा में कोई भी वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए उपलब्ध शेष राशि 2.00 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। यह देखते हुए कि विदेशी मुद्रा में अनुमानित उधारों के साथ वर्तमान बकाया उधार, 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूर्व अनुमोदित सीमा से अधिक होने की संभावना है, कंपनी के कारोबार के उद्देश्य से किसी भी समतुल्य विदेशी मुद्रा में उधार लेने की सीमा को 12 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 16 अरब अमेरिकी डॉलर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत सदस्यों की सहमति मांगी गई है।

संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और सभी संबंधित दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 30 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार अथवा रूचि नहीं है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(क) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई कंपनी, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प के जरिए पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम या उपक्रमों की बिक्री नहीं कर सकती हैं, पट्टे पर नहीं दे सकती है या अन्यथा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से निपटान नहीं कर सकती है। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसार, पोस्टल बैलेट के माध्यम से सम्पादित किए जाने के लिए आवश्यक कारोबार की कोई भी मद, कंपनी द्वारा एक आम बैठक में सम्पादित की जा सकती है, जिसमें सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान की सुविधा प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आम बैठक में संकल्पों पर मतदान करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है। तदनुसार, कंपनी की सभी या किसी चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों पर रेहन और/या उत्तरदायित्व के सृजन के लिए विशेष संकल्प को इस वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने का प्रस्ताव है।

कंपनी के प्रचालन में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति के सृजन द्वारा अतिरिक्त निधियां जुटाने की आवश्यकता है। चूंकि उत्तरदायित्व/गिरवी का सृजन कंपनी के उपक्रमों के अन्यथा निपटान के समान है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत एक विशेष संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है ।

इसलिए, कंपनी के निदेशक मण्डल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क), उसके तहत बनाए गए नियमों और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार, कंपनी के कारोबार अथवा अन्यथा के उद्देश्य के लिए, भारतीय में ₹4,50,000 करोड़ (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपए मात्र) और किसी भी विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सोलह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्रा) के बराबर राशि का उधार लेने के लिए कंपनी की किसी भी चल और/या अचल परिसंपत्तियों, वर्तमान और भावी, दोनों उत्तरदायित्व/गिरवी सृजित करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 30 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार अथवा रूचि नहीं है।

मद संख्या 7

आरईसी, एक सरकारी कंपनी है और इसके अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ ही उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है। हालांकि, 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ग) के अनुसार, निदेशक मण्डल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्राप्त करना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2022 के अपने आदेश के तहत श्री वी. के. सिंह (डीआईएनः 02772733), जो पहले कंपनी में कार्यपलक निदेशक के रूप में आरईसी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत थे, को ₹180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। श्री वी. के. सिंह ने 15 जुलाई, 2022 को निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मण्डल ने, शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन, श्री वी. के. सिंह को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन दिया है।

श्री वी. के. सिंह, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री धारक हैं और उन्हें भारतीय विद्युत क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें पारेषण परियोजना विकास और प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, ईएचवी सब–स्टेशनों और पारेषण लाइनों के निर्माण, बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र, ईसीबी आदि जुटाने जैसे वित्तीय पहलुओं में समृद्ध अनुभव है। वह आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, के बोर्ड में निदेशक भी हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सचिव–विषयक मानक–2 के संदर्भ में श्री वी. के. सिंह का संक्षिप्त विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, श्री वी. के. सिंह रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, विद्युत मंत्रालय के 15 जुलाई, 2022 के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगे।

श्री वी. के. सिंह ने घोषणा की है कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है; और यह कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है। अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए कंपनी को एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री वी.के. सिंह को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करने के लिए इस नोटिस के मद संख्या 7 में निहित साधारण संकल्प को पारित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

श्री वी. के. सिंह को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त साधारण संकल्प को पारित करने में कोई सरोकार या रुचि, वित्तीय या अन्यथा, नहीं है। आरईसी के निदेशक मण्डल ने इस नोटिस के मद संख्या 7 में निर्दिष्ट साधारण संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

मद संख्या 8

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 18 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के उपबंधों के अनुसार, कोई कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिभूतियों की प्रस्तावित प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले ही प्रत्येक प्रस्थापना या निमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। हालांकि, "असंपरिवर्तनीय डिबेंचर" के लिए प्रस्थापना या निमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों की सभी प्रस्थापना (प्रस्थापनाओं) अथवा निमंत्रण (निमंत्रणों) के लिए किसी वर्ष में केवल एक बार पहले ही विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात् 15 सितंबर, 2023 तक, एक या अधिक बार में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जैसा कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, ₹75,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी को निधियां जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ₹75,000 करोड़ की उक्त सीमा इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण को निवेशकों, जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, के वर्ग, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गमन मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गमन की राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, निजी प्लेसमेंट के प्रस्थापना पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कोई घोषणा/शपथ आदि जारी करने सहित निर्गमन की शर्तों को निर्धारित करने और किसी भी अन्य विनियामक आवश्यकता के तहत ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और सभी संबंधित दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 4 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा सरोकार अथवा रूचि नहीं है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

दिनांक : 20 अगस्त, 2022
स्थान : आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स
प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा - 122001

सेबी एलओडीआर विनियमों और सचिवीय मानक -2 के संदर्भ में, इस नोटिस में निर्धारित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त परिचय।

निदेशक (कों) के नाम	श्री अजय चौधरी	श्री विजय कुमार सिंह
डीआईएन	06629871	02772733
जन्मतिथि	21 जनवरी, 1964	03 जून, 1965
उम्र	58 वर्ष	57 वर्ष
पहली नियुक्ति की तिथि	1 जून, 2020	15 जुलाई, 2022
योग्यता	दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम (ऑनर्स); और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य।	आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री,
कौशल और क्षमताओं सहित विस्तृत परिचय	श्री अजय चौधरी को भारतीय विद्युत क्षेत्र के विविध कार्यों में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 16 अप्रैल, 2007 को आरईसी में नियुक्त होने से पहले, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के साथ काम किया था। निदेशक (वित्त) के रूप में आप वित्तीय प्रबंधन एवं आरईसी के प्रचालन, संगठनात्मक और वित्तीय नीतियां तैयार करने, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, उधार प्रचालन, नकदी और निधि प्रबंधन, कारपोरेट लेखा, कर नियोजन, संसाधन जुटाव, कैपिटल मार्केट प्लेयर्स एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय का कार्य देखते हैं और इस बारे में जरूरी निर्देश देते हैं। उन्होंने आरईसी में विभिन्न प्रणालीगत सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें ऋण वसूली के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त संपत्तियों का समाधान, ग्राहकों के लिए संचार और सेवाओं में सुधार और समग्र संसाधनों और खजाने को एक कुशल तरीके से प्रबंधित करना शामिल है।	श्री वी.के. सिंह, 29 मार्च, 2007 को आरईसी में नियुक्त हुए थे जो पहले आरईसी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, इससे पहले, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ काम किया था। निदेशक (तकनीकी) के रूप में, आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं की परियोजना और एंटिटी अप्रेजल एवं परियोजना के साथ संस्वीकृति, संवितरण और परियोजना निगरानी, कारोबार विकास, विविधीकरण और कंपनी द्वारा समग्र प्रभावी काम – काज सहित सभी तकनीकी और परिचालन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। आपको पारेषण परियोजना विकास और प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, ईएचवी सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण, बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र, ईसीबी आदि जुटाने जैसे वित्तीय पहलुओं का व्यापक अनुभव है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री अजय चौधरी वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और शासन, कारोबार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।	श्री वी.के. सिंह वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और सुशासन, कारोबार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ है।
नियुक्ति के नियम और शर्तें और भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	श्री अजय चौधरी को 1 जून, 2020 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्थात 31 जनवरी, 2024 तक या अगले आदेश तक ₹180,000–340,000 के वेतनमान में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 21 अप्रैल, 2020 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित हैं।	श्री वी. के. सिंह को 180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जुलाई, 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 15 जुलाई, 2022 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश (आदेशों) आदि द्वारा शासित होंगी।
एक लाभकारी स्वामी के रूप में कंपनी में शेयरधारिता	₹10/– प्रति के 1200 इक्विटी शेयर (प्री–बोनस)	शून्य
बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 11 में से 11 बोर्ड की बैठकों में भाग लिया	15 जुलाई 2022 से शुरू हो रहे उनके कार्यकाल के दौरान 1 में से 1 बोर्ड की बैठक में भाग लिया
समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 22 में से 22 समिति की बैठकों में भाग लिया	15 जुलाई 2022 से शुरू हो रहे उनके कार्यकाल के दौरान 1 समिति की बैठक में से 1 में भाग लिया
अन्य कंपनियों / सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद	• आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	• आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड • नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड *(हड़ताल की प्रक्रिया के तहत)*
सूचीबद्ध संस्थाओं का विवरण जिसने पिछले तीन साल में इस्तीफा दे दिया है	शून्य	शून्य
सभी सार्वजनिक कंपनियों में समिति की सदस्यता/अध्यक्षता	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड • सीएसआर समिति (अध्यक्ष)	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड • सीएसआर समिति (सदस्य)
निदेशकों और केएमपी के आपस में संबंध	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सूचना का अनुबंध

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग, 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 53वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **13 सितंबर, 2022, मंगलवार (09:00 बजे) से शुरू होकर 15 सितंबर, 2022, गुरूवार (17:00 बजे) तक होगी ।** वोटिंग के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। सदस्य/लाभार्थी मालिक जिनके नाम अंतिम तारीख अर्थात 09 सितंबर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं और शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार उक्त अंतिम तारीख को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिकल रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति :-

सूचीबद्ध एंटिटियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा **आईडीईएएस** उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई–सर्विसेज वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर **"लॉगिन"** के तहत **"बेनिफिशियल ओनर"** आइकन पर क्लिक करें, जो **'आईडीईएएस'** सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई–वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें:https://www.evoting.nsdl.com ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। 4. निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक /सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" डाउनलोड कर सकते हैं। **एनएसडीएल मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है** App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरए https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। 2. ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई–वोटिंग मेन्यू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता https://www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन संख्या प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जो कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई–वोटिंग सेवा प्रदाता) अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, कृपया देखें कि क्या ई–वोटिंग का विकल्प उपलब्ध है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: *जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।*

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्यौरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन करने में कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो, वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन करने में कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो, वे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022–23058738 या 022–23058542–43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति।

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. जब ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉगिन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉगिन कर लेते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण–2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।
4. एनएसडीएल ई–वोटिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा। यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक अर्थात शेयर धारण करने का ढंग	यूजर आईडी
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए : यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए : यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12********** है।
ग) वास्तविक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए : यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

5. **व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**

   क. यदि आप पहले से ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉगिन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

   ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

   ग. "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है?

   (i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई–मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा वास्तविक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। पीडीएफ फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

   (ii) यदि आपका ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की बिन्दु संख्या 5 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।

   ख. यदि आप वास्तविक रूप में शेयर धारक हैं, तो "त्रुटि! हाइपरलिंक संदर्भ मान्य नहीं है। विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ. सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन–टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण-2 : अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।
2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उस कंपनी का "ईवीईएन" चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के तहत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई–वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमत अथवा असहमत का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा पूछे जाने पर "पुष्टि" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

   यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं.: 1800–222–990 पर कॉल करें अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400 013 को ई–मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पद पर भेजें। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई–मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी भेज सकते हैं।

ख. 53वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई–वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने की अनुमति होगी।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो संबंधी रुकावटों का अनुभव हो सकता है। अतः सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे ''वक्ता'' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं., ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. 53वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश

1. एक बार नोटिस की सभी मदों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने **"ई-वोटिंग"** टैब में लॉगिन के अंतर्गत प्रदर्शित **"अपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र"** पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/वकालतनामा/प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
2. एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होंगे, जिनका नाम रिमोट ई–वोटिंग के लिए उल्लिखित किया गया है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सेवा में,

प्रिय शेयरधारको,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1.1 कार्य-निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के कार्य–निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

(₹करोड़ में)

मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
संस्वीकृत ऋण	**54,421.76**	1,54,820.87
संवितरण	**64,150.21**	92,987.49
सरकार की डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और सौभाग्य योजनाओं के तहत सब्सिडी	**5,317.66**	4,940.62
वसूली (ब्याज सहित)	**91,681.72**	71,755.40
कुल प्रचालन आय	**39,132.49**	35,387.89
कर पूर्व लाभ	**12,424.90**	10,756.13
कर पश्चात लाभ	**10,045.92**	8,361.78
कुल व्यापक आय	**9,986.85**	8,818.30

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी की कुल परिचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ₹35,387.89 करोड़ की तुलना में ₹39,132.49 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹8,361.78 करोड़ और ₹8,818.30 करोड़ की तुलना में क्रमशः ₹10,045.92 करोड़ और ₹9,986.85 करोड़ थी।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के ₹42.34 प्रति शेयर के ईपीएस की तुलना में ₹10/– प्रति शेयर पर ₹50.87 थी। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर ₹50,985.60 करोड़ हो गया, अर्थात यह 31 मार्च, 2021 को ₹43,426.37 करोड़ के निवल मूल्य से 17.41% अधिक था।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2021 की ₹3,77,418.15 करोड़ की तुलना में ₹3,85,371.26 करोड़ थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 तक बकाया उधारियां ₹3,26,844.29 करोड़ थीं।

1.3 कोविड-19 का प्रभाव

कोविड–19 के प्रकोप के बाद से, भारत ने उत्परिवर्ती कोरोना वायरस वेरिएंट की पहचान किए जाने के बाद से महामारी की दो और लहरों का अनुभव किया है। इन लहरों के कारण स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन अस्थायी रूप से फिर से लागू हो गए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। टीकाकरण कार्यक्रम की व्याप्ति में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, भारत में मांग में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। कंपनी का सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल, तरलता अधिगम और आकस्मिक बफर की उपलब्धता से यह विश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं है कि मौजूदा संकट का इसके संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसमें चालू प्रतिष्ठान आकलन भी शामिल है। तथापि, यह प्रभाव अन्य बातों के साथ–साथ, आगे कोरोनो वायरस वेरिएंट की पहचान के बारे में अनिश्चित भावी घटनाक्रम और इसके प्रसार को रोकने के लिए उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर निर्भर रहेगा, चाहे वह सरकार द्वारा अधिदेशित हो या अन्यथा।

1.4 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने ₹10/– अंकित मूल्य के प्रत्येक पर ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (प्रदत्त शेयर पूंजी का 48%) की सिफारिश की है, जो आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। उपरोक्त लाभांश 2 सितंबर, 2021 को प्रदत्त ₹2.00/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 20%) के प्रथम अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, ₹2.50/– प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश (प्रदत्त शेयर पूंजी का 25%) का भुगतान 5 नवंबर, 2021 को किया गया और ₹6.00/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 60%) की दर से तीसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान 3 मार्च, 2022 को किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश, जिसमें प्रस्तावित अंतिम लाभांश भी शामिल है, ₹10/– प्रति के अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर ₹15.30 के सामान है, जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी का 153% है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, कंपनी ने ₹10/– प्रति के अंकित मूल्य के शेयर पर ₹12.71 प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया था, जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी का 127.10% था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित कुल लाभांश भुगतान ₹3,021.62 करोड़ होगा। लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो https://recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

1.5 शेयर पूंजी एवं अधिलाभांश निर्गम

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– प्रति के ₹500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे; तथा जारी और समादत्त शेयर पूंजी ₹1,974.92 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– प्रति के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी की समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63% धारण किया हुआ था, जिसमें ₹10/– प्रति रुपए प्रत्येक के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर शामिल थे। शेष 47.37% समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित थी।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीआईएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन पुनर्गठन पर व्यापक दिशा–निर्देशों के अनुसार और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात अपने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से ₹6,58,30,60,000 से अनाधिक की राशि का पूंजीकरण करते हुए प्रत्येक ₹10/– के पूर्णतः समादत्त प्रत्येक तीन (3) मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रति का पूर्णतः समादत्त एक (1) बोनस इक्विटी शेयर। शेयरधारकों ने 9 अगस्त, 2022 को डाक मतपत्र के माध्यम से उक्त बोनस निर्गम को मंजूरी दी है। उक्त बोनस शेयर कंपनी के पूर्णतः समादत्त इक्विटी शेयरों से निर्गम के समरूप होंगे।

डाक मतपत्र नोटिस और परिणाम को https://recindia.nic.in/postalballot पर देखा जा सकता है। बोनस शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी ₹2,633.22 करोड़ तक बढ़ जाएगी, जिसमें प्रत्येक ₹10/– 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल होंगे।

1.6 नीतिगत पहलें

कंपनी के नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है, उसे अद्यतन किया जाता है और सुदृढ़ बनाया जाता है, ताकि कारोबारिक मूल्य बढ़ाया जा सके और वैधानिक आवश्यकताओं और संशोधनों की पूर्ति की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने 'बोर्ड की विविधता और कौशल पर नीति, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक पर नीति', 'निदेशकों के उपयुक्त और उचित मानदंड पर नीति', 'संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को निपटाने की नीति' और 'निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशा–निर्देश' को अपनाने के साथ अपने कारपोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत बनाया।

बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को संवर्धित करने के लिए, कंपनी ने 'परिचालन आवश्यकताओं के लिए राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं को सावधि ऋण नीति', 'कुसुम योजना के तहत परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए दिशा–निर्देश','निजी क्षेत्र में पारेषण परियोजनाओं हेतु मूल्यांकन और वित्त–पोषण के लिए दिशा–निर्देश', "पूर्व भुगतान नीति", 'राज्य और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए ऋण नीति पत्र' और 'राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर मानदंड' सहित कारोबार–उन्मुख नीतियों की शुरुआत की।

कंपनी ने 'शक्तियों के प्रत्यायोजन', 'व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति', 'धन–शोधन निवारण और केवाईसी नीति' और 'कोविड –19 महामारी के कारण स्थगन अवधि के दौरान प्रभारित ब्याज के समायोजन के लिए नीति' को आशोधित करते हुए अपने प्रमुख कार्यों के लिए आंतरिक ढांचे को भी अद्यतन बनाया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी मानव संसाधन प्रथाओं को कर्मचारी अनुकूल बनाए रखने के लिए अपने भर्ती नियमों, पदोन्नति नीति, चिकित्सा कल्याण उपायों आदि को अद्यतन बनाया।

2. वित्तीय समीक्षा

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आरक्षित निधियों में अंतरण भी शामिल है, इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
प्रचालन से राजस्व	39,132.49	35,387.89	39,269.05	35,552.68
अन्य आय	97.96	22.55	70.15	22.72
कुल आय	**39,230.45**	**35,410.44**	**39,339.20**	**35,575.40**
वित्तीय लागत	22,052.91	21,489.08	22,050.96	21,489.05
निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि	799.05	330.26	799.05	330.26
शुल्क और कमीशन व्यय	16.73	9.95	16.73	9.95
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	-	-	-	-
वित्तीय लिखितों पर हानि	3,473.31	2,419.62	3,470.02	2,445.94
अन्य व्यय	463.55	405.40	560.10	518.64
कुल व्यय	**26,805.55**	**24,654.31**	**26,896.86**	**24,793.84**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का अंश	-	-	(11.81)	(1.97)
कर पूर्व लाभ	**12,424.90**	**10,756.13**	**12,430.53**	**10,779.59**
कर व्यय	(2,378.98)	(2,394.35)	(2,394.83)	(2,401.35)
कर पश्चात लाभ	**10,045.92**	**8,361.78**	**10,035.70**	**8,378.24**
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(59.07)	456.52	(57.90)	457.76
कुल व्यापक आय	**9,986.85**	**8,818.30**	**9,977.80**	**8,836.00**

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
जोड़ें: प्रतिधारित आय का प्रारंभिक शेष और अन्य व्यापक आय	4,225.00	3,085.17	4,504.73	3,347.20
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**14,211.85**	**11,903.47**	**14,482.53**	**12,183.20**
घटाएं : विनियोग				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित	(3,080.70)	(2,563.13)	(3,080.70)	(2,563.13)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	-	(288.13)	-	(288.13)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत आरक्षित निधि	(2,010.00)	(1,673.00)	(2,010.00)	(1,673.00)
डिबेंचर मोचन आरक्षित	-	-		-
सामान्य आरक्षित	-	(981.10)		(981.10)
क्षति आरक्षित	-	-		-
स्थायी ऋण लिखतों पर निर्गम व्यय (करों का निवल)	-	(0.70)		(0.70)
लिखतों पर कूपन भुगतान, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी (स्थायी ऋण लिखत) (करों का निवल)	(34.12)	-	(34.12)	
उप-जोड़ : विनियोग	**(5,124.82)**	**(5,506.06)**	**(5,124.82)**	**(5,506.06)**
घटाएं : स्वामियों को लाभांश भुगतान	(2,411.37)	(2,172.41)	(2,411.37)	(2,172.41)
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	**6,675.66**	**4,225.00**	**6,946.34**	**4,504.73**

2.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में ₹3,229.83 करोड़ की राशि का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए ₹3,080.60 करोड और जीएसटी के लिए ₹149.23 करोड़ शामिल थे। पिछले वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय राजकोष में कुल योगदान ₹2,721.64 करोड़ था।

2.3 अनुपात विश्लेषण :

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
प्रति शेयर आय (₹)	50.87	42.34
औसत निवल मूल्य पर लाभ (%)	21.28	21.30
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	258.17	219.89
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)*	6.41	7.40
मूल्य आय अनुपात (गुना)#	2.42	3.10
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.56	1.50

**निवल ऋण मूलधन बकाया, घटा उपलब्ध नकदी और नकदी समतुल्यता को दर्शाता है।*
#पीई अनुपात की गणना क्रमशः 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर के समापन मूल्य के आधार पर की जाती है।

2.4 संसाधन जुटाना

2.4.1 वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने बाजार से ₹73,962.93 करोड़ की राशि जुटाई। इसमें बाहरी वाणिज्यिक उधारों से विभिन्न मुद्राओं में ₹19,251.56 करोड़, 2,250.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 37,506.625 मिलियन जेपीवाई, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से क्रमशः ₹25,850 करोड़ और ₹1,250 करोड के दीर्घकालिक और अल्पावधि ऋण, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों से ₹7,316.11 करोड़ संस्थागत बॉण्डों से ₹9,370.20 करोड़ रुपए, एफसीएनआर (बी) ऋणों से 1,420.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ₹10,494.38 करोड़ और आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) से 59.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ₹430.68 करोड़ शामिल हैं।

2.4.2 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने ₹58,376.27 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बॉण्ड के लिए ₹36,667.20 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के लिए ₹7.11 करोड़, कर–मुक्त बॉण्ड्स के लिए ₹839.67 करोड़, यूएसडी बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए 330.00 मिलियन के बराबर ₹2,451.85 करोड़, 845.00 मिलियन यूएसडी के बराबर एफसीएनआर ऋणों के लिए ₹6,307.54 करोड़, 12.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 192.90 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण, यूरो 10.53 मिलियन और जेपीवाई 188.58 मिलियन का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने बैंकों को दीर्घावधि ऋण ₹11,910 करोड़ का पुनर्भुगतान भी किया।

2.4.3 उधारी लागत

31 मार्च, 2022 को बकाया उधारी के लिए कुल भारित औसत वार्षिक लागत 7.00% थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह 7.26% थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान फंड जुटाने में सूचीबद्ध बॉण्डों के माध्यम से जुटाए गए ₹9,080 करोड़ शामिल हैं, जिसके लिए जुटाने की लागत 5.85% प्रति वर्ष है। लागत अन्य सीपीएसई/संस्थाओं द्वारा जारी किए गए समान रेटिंग वाले लिखतों की दरों (रॉयटर्स पर मार्जिन) से 15 बीपीएस कम है।

2.4.4 नकद ऋण सुविधाएं

कंपनी के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹9,478 करोड़ की अनुमोदित नकद ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक ₹1,410 करोड़ प्राप्त किए गए थे।

2.4.5 शाश्वत ऋण लिखत

पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई) जारी करके ₹558.40 करोड़ की राशि जुटाई थी। आरईसी ने 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 5,584 पीडीआई (श्रृंखला 206) जारी किए थे, जिनका सकल मूल्य ₹558.40 करोड़ था, जिसमें 7.97% कूपन दर शामिल थी। पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और यह केवल 10 वर्षों के बाद ही कंपनी के विकल्प पर कॉल योग्य है।

उक्त लिखत कंपनी की टियर–I पूंजी का 1.16% अर्थात 31 मार्च, 2022 तक ₹48,052.65 करोड़ रुपए है। इन लिखतों का पहला ब्याज भुगतान 2021–22 में देय था और भुगतान विधिवत रूप से किया गया था। पीडीआई पर विस्तृत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 26 में प्रदर्शित किया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2.4.6 आरईसी द्वारा जारी हरित बॉण्ड

देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, आरईसी ने जुलाई 2017 में दस वर्षों के कार्यकाल के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित बॉण्ड जुटाया, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड में सूचीबद्ध हैं।

ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त प्रतिफलों का उपयोग: आय का उपयोग सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के वित्त–पोषण के लिए किया गया है, जिसमें आरईसी के हरित बॉण्ड ढांचे में परिभाषित योग्य परियोजनाओं के पुनर्वित्त, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। केपीएमजी इंडिया ने आरईसी के हरित बॉण्ड ढांचे के आधार पर अपनी पोस्ट–वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट प्रदान की है और इसे 17 जुलाई, 2018 को क्लाइमेट बॉण्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

हरित बॉण्ड ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक सुव्यवस्थित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित एक 'हरित पोर्टफोलियो' तैयार किया है, जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना की जा सके और और उन्हें हिसाब में लिया जा सके।

राजस्थान के बीकानेर में आरईसी द्वारा वित्तपोषित 350 मेगावाट अवाडा ऊर्जा की सौर पीवी परियोजना

ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त प्रतिफलों का प्रबंधन : 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए बॉण्डों से ₹2,894 करोड़ की राशि निवल आगम आवंटित किए गए थे:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता	ऋण संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृत ऋण	बकाया ऋण
क.	**सौर**				
1	करीमनगर, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.12
2	तेलंगाना	30 मेगावाट	21–सितंबर–2016	179.62	136.22
3	तेलंगाना	30 मेगावाट	21–सितंबर–2016	179.62	136.52
4	वारंगल, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.31
5	आंध्र प्रदेश	500 मेगावाट	24–फरवरी–2016	2,480.00	1,648.41
6	करीमनगर, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.10
7	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5 मेगावाट	27–जनवरी–2016	26.90	19.73
8	मेडक, तेलंगाना	7 मेगावाट	26–नवंबर–2015	39.90	28.59

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता	ऋण संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृत ऋण	बकाया ऋण
9	करीमनगर, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.11
10	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30 मेगावाट	17–अप्रैल–2017	150.39	116.67
11	मनसा और संगरूर, पंजाब	50 मेगावाट	21– मई–2016	169.69	123.43
12	कुडलीगी, कर्नाटक	20 मेगावाट	31–दिसंबर–2018	84.00	68.54
13	बेलगाम, कर्नाटक	15 मेगावाट	31–दिसंबर–2018	63.86	52.22
14	बागलकोट, कर्नाटक	15 मेगावाट	31–दिसंबर–2018	64.08	52.41
15	बागलकोट, कर्नाटक	15 मेगावाट	31–दिसंबर–2018	66.41	54.63
16	थूथुक्कुडी, तमिल नाडु	252 मेगावाट	29–दिसंबर–2017	520.00	488.48
	उप-जोड़ (क)			**4,383.83**	**3,186.49**
ख.	**पवन**				
1	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20 मेगावाट	28–जनवरी–2016	86.63	52.90
2	त्रिपुर, तमिलनाडु	6.8 मेगावाट	6–जून–2012	26.16	15.35
	उप-जोड़ (ख)			**112.79**	**68.25**
ग.	**नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व**				
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24–जनवरी–2017	500.00	62.50
	उप-जोड़ (ग)			**500.00**	**62.50**
	सकल जोड़ (क+ख+ग)			**4,996.62**	**3,317.24**

आरईसी अपने अनवरत दायित्वों के अनुसार अपने हरित बॉण्ड ढांचे की अपेक्षाओं के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि बॉण्ड की अवधि के दौरान हरित बॉण्ड ढांचे के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे।

2.4.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) क्रेडिट की पांच लाइनें हैं, उनमें से चार 31 मार्च, 2022 तक पूरी तरह से तैयार की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, आरईसी ने 169.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू के साथ पांचवां ऋण समझौता किया, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक आहरित धनराशि शून्य है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें हैं। उन दोनों का भी पूरी तरह से लाभ उठाया गया है।

2.5 घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों ने ''एएए'' रेटिंग का आनंद लेना जारी रखा, जो कि क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए–क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

इसके अलावा, आरईसी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः ''बीएए3'' और ''बीबीबी–'' की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए निवेश

आरबीआई ने 4 नवंबर, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से, एनबीएफसी के संभावित द्रव्यता व्यवधानों के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देने और किसी भी तीव्र द्रव्यता तनाव परिदृश्य से बचने के लिए 1 दिसंबर, 2020 से पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया था। उसी के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष के दौरान राज्य विकास ऋणों में निवेश किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने बाजार परिदृश्य को देखते हुए, स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से एनएचपीसी लिमिटेड में रखे गए 15,64,59,022 इक्विटी शेयर बेच दिए। शेयर की कीमत उसके खरीद मूल्य से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी बिक्री पर ₹89.86 करोड़ का संचयी लाभ हुआ।

कंपनी द्वारा किए गए निवेश के अन्य विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाए गए हैं।

2.7 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹410,412.61 करोड़ थे।

इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी ने ₹1,974.92 करोड़ का योगदान दिया, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी वाले लिखत ₹558.40 करोड़ थे, रिजर्व और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी ₹48,452.28 करोड़ थी, उधारियों और अन्य वित्तीय देयताओं सहित वित्तीय देयताओं का योगदान ₹3,59,230.61 करोड़ था और प्रावधानों सहित गैर–वित्तीय देनदारियां ₹196.40 करोड़ रुपए थीं।

इन निधियों को ₹4,06,417.32 करोड़ के दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में तैनात किया गया था तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर संपत्ति आदि सहित गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां, ₹3,994.43 करोड़ की थीं, इनके अलावा बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां ₹0.86 करोड़ की राशि की थीं।

3. ऋण संस्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने ₹54,421.76 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए। आपकी कंपनी द्वारा स्थापना से 31 मार्च, 2022 तक संस्वीकृत संचयी ऋण ₹13,08,992.08 करोड़ थे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्वीकृत ऋणों में ₹16,089.15 करोड़ उत्पादन परियोजनाओं के लिए, ₹14,733.52 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, 21,150.79 करोड़ टीएंडडी परियोजनाओं के लिए शामिल हैं, जिसमें *आत्मनिर्भर भारत* के अंतर्गत भारत सरकार की द्रव्यता अंतर्वेशन योजना के तहत अन्य ऋणों जैसे अल्पावधि, मध्यम अवधि के ऋण आदि के लिए ₹2,448.30 करोड़ शामिल हैं। वर्ष के दौरान स्वीकृत श्रेणी–वार स्वीकृतियों का विवरण बाद में दर्शाया गया है।

4. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹92,987.49 करोड़ में से कुल ₹64,150.21 करोड़ का संवितरण किया। आपकी कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 तक संवितरित संचयी राशि ₹7,54,259.57 करोड़ थी, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत संवितरित सब्सिडी शामिल नहीं थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत

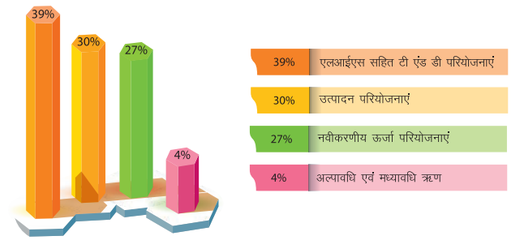

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संवितरण

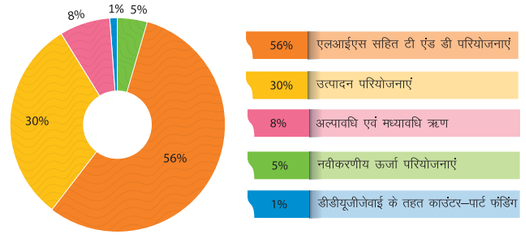

वित्तीय वर्ष 2021–22 के संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹19,406.90 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,823.51 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹16,554.23 करोड़, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की द्रव्यता समावेशन योजना के लिए ₹19,752.42 करोड़ तथा लघु अवधि और मध्यम अवधि के ऋण आदि सहित अन्य ऋणों के लिए ₹4,877.68 करोड़ शामिल हैं। संवितरण में डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और भारत सरकार की सौभाग्य योजनाओं के तहत सहयोगी वित्त–पोषण के ₹735.47 करोड़ भी शामिल थे।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹5,317.66 करोड़ की सब्सिडी भी वितरित की, जिसमें डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत ₹4,782.72 करोड़, डीडीयूजीजेवाई योजना के डीडीजी घटक के तहत ₹65.96 करोड़ और सौभाग्य योजनाओं के तहत ₹468.98 करोड़ भी शामिल हैं।

5. वसूलियां

5.1 वर्ष के दौरान वसूलियां

आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि से उत्पन्न होने वाली अपनी बकाया राशि की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹71,680.23 करोड़ की तुलना में ₹92,696.37 करोड़ थी। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹71,424.90 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल ₹91,681.72 करोड़ की वसूली की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 98.91% की वसूली दर हासिल की। 31 मार्च, 2022 तक मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित व्यतिक्रमी उधारकर्ताओं से मूल बकाया राशि ₹591.06 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण बाधित परिसंत्तियां (चरण III) ₹265.33 करोड़ की राशि की वसूली की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹330.50 करोड़ की वसूली की गई थी।

5.2 ऋण बाधित परिसंपत्तियां

आपकी कंपनी की क्रेडिट बाधित परिसंपत्तियां (चरण III) निरंतर निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। कंपनी ने अपने लाभ में से "हानि रिजर्व" बनाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

31 मार्च, 2022 तक सकल ऋण प्रभावित परिसंपत्तियां (चरण III) ₹17,159.89 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.45% है; और निवल ऋण प्रभावित परिसंपत्तियां (चरण III) ₹5,594.16 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 1.45% है।

5.3 दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आरईसी का समर्पित दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन (एसएएम) प्रभाग आरबीआई ढांचे तथा दिवाला और शोधन–अक्षमता संहिता (आईबीसी) आदि के तहत प्रस्तावों सहित विभिन्न ढांचे के माध्यम से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में काम करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर रखने में सक्षम है, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र में सहयोगी संगठनों में निम्नतम है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने 3 दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं का सफलतापूर्वक समाधान और उन्नयन किया:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता और परियोजना का नाम	आरईसी का एक्सपोजर	टिप्पणी
1	एस्सार पावर(एमपी) लिमिटेड (मध्य प्रदेश में 1200 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र)	1,345.00	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
2	अमृत जल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 1 मेगावाट सौर संयंत्र	4.35	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
3	वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान में 135 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र	54.00	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
	जोड़	**1,403.35**	

इसके अलावा, आरईसी अन्य लैंको समूह कंपनियों को दी गई वित्तीय सहायता के आधार पर लैंको थर्मल पावर लिमिटेड (एलटीपीएल) की कारपोरेट गारंटी धारण कर रहा था। एलटीपीटी का वित्तीय वर्ष 2021–22 में आईबीसी के तहत समाधान किया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में एलटीपीएल से आरईसी की कुल वसूली ₹5.79 करोड़ थी।

6. वित्त-पोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

6.1 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आपकी कंपनी के अपने दिशा–निर्देश हैं। प्रवर्तक/एंटिटी अप्रेजल वित्तीय कार्य–निष्पादन, ऋण–योग्यता, प्रबंधन दक्षता और प्रवर्तकों संस्थाओं के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन विभिन्न तकनीकी मानकों जैसे वैधानिक मंजूरी, पीपीए, अवसंरचना आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, परियोजना की 'एकीकृत रेटिंग' इकाई और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर निकाली जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेड या एकीकृत रेटिंग से जुड़ी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए इकाई मूल्यांकन दिशा–निर्देशों की समीक्षा की गई है और उनमें संशोधन किया गया है।

6.2 राज्य विद्युत उपयोगिताओं, संयुक्त उद्यमों, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी के पास राज्य बिजली उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक सुपरिभाषित नीति और दिशा–निर्देश हैं। राज्य बिजली उपयोगिताओं (उत्पादन, पारेषण, कारोबार, धारक कंपनी आदि) की ग्रेडिंग एक वर्ष के दौरान दो बार की जाती है, जो विशिष्ट मापदंडों, परिचालन और वित्तीय कार्य–निष्पादन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणाम आदि के लिए उपयोगिता के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताएं (एकीकृत संचालन के साथ एसईबी/यूटिलिटीज सहित) के संबंध में, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ढांचे और रेटिंग के अनुमोदन के बाद, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग के लिए रेटिंग ढांचे की समीक्षा की गई है और बाहरी सलाहकार द्वारा उसे संशोधित किया गया है।

वित्तीय पोषण के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने यूटिलिटिज/संस्थाओं को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 132 यूटिलिटिज (राज्य सरकार को छोड़कर) के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है, जिनमें से 16 यूटिलिटिज को ए++, 39 को ए+, 42 को ए, 25 को बी और 5 यूटिलिटिज को सी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, 5 यूटिलिटिज अनुत्तरदायी थीं।

7. वर्ष के दौरान वित्तीय क्रियाकलाप

आपकी कंपनी बिजली उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), गांवों के विद्युतीकरण सहित पारेषण और वितरण परियोजनाओं और *आत्मनिर्भर भारत* के तहत परिकल्पित भारत सरकार की द्रव्यता समावेशन योजना जैसी विशेष योजनाओं के लिए वित्त–पोषण सहायता प्रदान कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार था:

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए 53 ऋण स्वीकृत किए जिनमें जलविद्युत परियोजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का कार्यान्वयन, नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल थीं तथा जारी की गई कुल ऋण सहायता की राशि ₹16,089.15 करोड़ थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	**51**	**14,492.56**
• नए ऋण (ऋणों)	51	14,492.56
• अतिरिक्त ऋण (ऋणों)	0	-
निजी क्षेत्र	**2**	**1,596.59**
• नए ऋण	1	1,300.00
• अतिरिक्त ऋण	1	296.59
जोड़	**53**	**16,089.15**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹14,733.52 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ 15 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत कीं जिनकी कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 1,609 मेगावाट थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	**5**	**393.25**
• नए ऋण (ऋणों)	5	393.25
निजी क्षेत्र	**10**	**14,340.27**
• नए ऋण (ऋणों)	9	10,787.27
• टेकआउट वित्तणपोषण	1	3,553.00
जोड़	**15**	**14,733.52**

तेलंगाना में इंदिरामा फ्लड फ्लो कैनाल स्कीम में आरईसी द्वारा वित्तपोषित इलेक्ट्रो–मैकेनिकल और संबंधित सिविल कार्य

उपरोक्त ऋणों में 810 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 2 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 450 मेगावाट क्षमता की 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 300 मेगावाट क्षमता की 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, पवन टरबाइन निर्माण के 1 टेकआउट का वित्त–पोषण, 2000 एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष क्षमता की 1 सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण परियोजना, 22.5 मेगावाट क्षमता की 1 छोटी जलविद्युत परियोजना, 26.5 मेगावाट क्षमता की 2 अपशिष्ट–से–ऊर्जा परियोजनाएं, जल संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 2 परियोजनाएं और 65 ई–वाहनों की खरीद के वित्त–पोषण के लिए 1 ई–संचलन परियोजना।

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 288 पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाएं और परियोजनाएं स्वीकृत कीं जिनमें कुल ₹21,150.79 करोड़ की ऋण सहायता शामिल है, जिसमें निजी क्षेत्र में एक अंतराराज्यीय पारेषण परियोजना के लिए ऋण, प्रणाली सुधार योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं, नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाएं और डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, आईपीडीएस आदि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन ऋण घटक शामिल हैं। टीएंडडी श्रेणी के तहत कुल ऋण में आत्मनिर्भर भारत के तहत परिकल्पित भारत सरकार की द्रव्यता अंतर्वेशन योजना के तहत ₹3,750.65 करोड़ की राशि के कुल तीन ऋण भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वीकृत टीएंडडी ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	**287**	**20,500.79**
• पारेषण ऋण (ऋणों)	125	9,077.46
• वितरण ऋण (ऋणों)	159	7,672.68
• चलनिधि समावेशन योजना ऋण (ऋणों)	3	3,750.65
निजी क्षेत्र	**1**	**650.00**
• अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना	1	650.00
जोड़	**288**	**21,150.79**

7.4 अल्पावधि/मध्यावधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को उनकी अल्पकालिक या मध्यम अवधि की निधि की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आदि के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि, विशेष ऋण और अन्य ऋणों के रूप में 14 ऋण भी स्वीकृत किए हैं जिनकी कुल राशि ₹2,448.30 करोड़ है।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्त-पोषण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता में पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹1,008.17 करोड़ की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए संवितरण, पूर्व के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं सहित ₹303.71 करोड़ था।

8. वर्तमान टी एंड डी परिदृश्य और सुधार

चूंकि देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 400 गीगावॉट से अधिक के उच्च स्तर पर है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी क्षमता हासिल करने की योजना बनाई गई है तथा पारेषण और वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में वृद्धि देखे जाने की आशा है। तकनीकी रूप से प्राचीन और पुराने होते वितरण ढांचे को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय पारेषण और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से कई सुधारों के साथ, बिजली क्षेत्र में वितरण सर्वाधिक बल प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र है। इसलिए, टीएंडडी खंड इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किफायती और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में, नई अवसरंचना के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने/मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से सिस्टम सुधार और संवर्धन, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं को वित्त–पोषित करती है, और इस प्रकार विद्युत् क्षेत्र के विकास और स्थिरता तथा देश की समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और परिचालन कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। वितरण क्षेत्र का सहयोग करने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ), द्रव्यता अंतर्वेशन योजना (एलआईएस) जैसी पहलें शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन, पारेषण और उसकी सार्वभौमिक पहुंच के क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वितरण क्षेत्र में, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों/वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की सहायता करती रही है। हालांकि इसके परिणामस्वरूप प्रमुख अवसरंचना का निर्माण हुआ है और वितरण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष के अंतर में कमी आई है, लेकिन प्रबंधन और शासन से संबंधित मुद्दे जो डिस्कॉम के खराब परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में प्रकट होते हैं, अभी भी विद्यमान हैं। सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि और आपूर्ति की औसत लागत–औसत राजस्व प्राप्त (एसीएस–एआरआर) अंतर निरंतर उच्च बना हुआ है। डिस्कॉम को वांछित उपभोक्ता सेवा मानकों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए अपनी परिचालन क्षमता, वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए वितरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल हैं जो घाटे को कम करने में डिस्कॉम को सक्षम बनाती हैं, उन्हें वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल बनाती हैं। इसी उद्देश्य और 24x7 निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, 20 जुलाई, 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा सुधारों की शुरुआत करने और समयबद्ध तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डिस्कॉम का समर्थन करने के लिए सुधार–आधारित और परिणाम–संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है।

आपकी कंपनी डिस्कॉम को विभिन्न सुधार उपायों में तेजी लाने तथा प्रणाली और स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी–सक्षम प्रणाली और वितरण क्षेत्र में अन्य तकनीकी हस्तक्षेप सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य, जिसके लिए आपकी कंपनी नोडल एजेंसी है, को 31 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2021–22 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

8.2 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

8.2.1 अवलोकन

आरईसी और पीएफसी, 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सुधार–आधारित और परिणाम–सम्बद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के

लिए नोडल एजेंसियां हैं, जिसमें ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय और केंद्र सरकार की ओर से ₹97,631 करोड़ का अनुमानित सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) शामिल है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया है, अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएफसी को निर्दिष्ट किया गया है।

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर सभी वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बिजली विभाग इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना डिस्कॉम के लिए वैकल्पिक है और निजी डिस्कॉम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जानी है। यह योजना राज्यों को भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सुधार उपायों और योजना अवसरंचना के कार्यों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

8.2.2 उद्देश्य

योजना के उद्देश्य हैं:

(1) वित्तीय रूप से संधारणीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना;

(2) 2024–25 तक एटीएंडसी घाटे को 12–15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना; तथा।

(3) 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को शून्य करना।

प्रत्येक वर्ष एटीएंडसी हानियों/एसीएस–एआरआर राजस्व अंतर को कम करने के लिए राज्य–वार लक्ष्य एटीएंडसी हानियों के उनके वर्तमान स्तरों और एसीएस–एआरआर अंतर पर निर्भर करेगा।

8.2.3 घटक

भाग क – मीटरिंग एवं वितरण अवसंरचना कार्य:

घटक–I : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग

घटक–II : सिस्टम मीटरिंग एवं वितरण अवसरंचना के उन्नयन

घटक–III: परियोजना प्रबंधन

भाग ख : प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम एवं सहायक क्रियाकलाप।

मानव कौशल का उन्नयन, प्रक्रिया में सुधार, नोडल एजेंसी शुल्क, विद्युत मंत्रालय के सक्षम घटकों (संचार योजना, प्रचार, उपभोक्ता सर्वेक्षण, उपभोक्ता सहित) जागरूकता और अन्य संबद्ध उपाय जैसे कि तृतीय–पक्ष मूल्यांकन आदि), स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का संवर्धन (एआई सहित, क्षेत्र स्तर पर योजना के निष्पादन में शामिल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण), पुरस्कार और मान्यता आदि।

चालू स्वीकृत परियोजनाएं: पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पीएमडीपी 2015 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को आरडीएसएस में समाहित कर दिया गया है।

8.2.4 निधियन स्वरूप

मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निर्धारित परिणामों और सुधारों की उपलब्धि से जुड़ी योजना के अधीन निधि का जारी किया जाना निम्नानुसार होगा:

भाग क – मीटरिंग एवं वितरण अवसंरचना कार्य
घटक–I : मौजूदा बुनियादी ढांचे के एकीकरण सहित उपभोक्ता, डीटी और फीडर स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधान, जीबीएस के माध्यम से निम्नानुसार वित्तीय पोषित किए जाएंगे:

- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹900 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15%, जो भी कम हो, आकलित किया गया।
- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹1350 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का (22.5%), जो भी कम हो, आकलित किया गया।

दिसंबर 2023 की लक्षित समय सीमा के अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान करती है:

- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹450 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 7.5% की दर से, जो भी कम हो, आकलित किया गया।
- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹675 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 11.25% की दर से, जो भी कम हो, आकलित किया गया।

घटक–II: एससीएडीए, डीएमएस, एबी केबल, फीडर सेग्रीगेशन आदि सहित वितरण अवसंरचना कार्य, जीबीएस के माध्यम से वित्तपोषित की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:

- "विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 60% तक और,
- "विशेष श्रेणी के राज्यों" में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 90% तक।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियां:

- अनुमानित परियोजना लागत के 100% का वित्त–पोषण जीबीएस के माध्यम से किया जाएगा।

चालू स्वीकृत परियोजनाएं: आरडीएसएस में शामिल पीएमडीपी 2015 के तहत स्वीकृत परियोजनाएं मौजूदा दिशानिर्देशों और मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

8.2.5 विद्युत वितरण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रवर्तित करना

आरडीएसएस प्रणाली मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विशेष बल प्रदान करता है, ताकि साझेदारी और परामर्श का लाभ उठाकर विद्युत वितरण में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)/एमएल (मशीन लर्निंग) जैसी प्रगत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करते हुए परिकल्पित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

आरईसी डिस्कॉम का चयन करने और प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में भूमिका निभाता है, प्रतिस्पर्धी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) का चयन करने के लिए इनक्यूबेटर (रों) को सूचीबद्ध करता है और प्रायोगिक परियोजनाओं और उनके उन्नयन के लिए शासन तंत्र स्थापित करता है। ''पावरथॉन'' नामक प्रतियोगिता का शुभारम्भ 7 फरवरी, 2022 को माननीय केंद्रीय कैबिनेट विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा टीएसपी का चयन करने के लिए इच्छुक डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत समस्या विवरणों का समाधान करने के लिए किया गया था।

पॉवरथॉन–2022 का मुख्य उद्देश्य टीएसपी, स्टार्ट–अप, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, उपकरण निर्माताओं, राज्य बिजली उपयोगिताओं तथा अन्य राज्य और केंद्रीय बिजली क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी के लिए एक मंच तैयार करना, उन्हें विद्युत वितरण

आरईसी द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को 2x60 मेगावाट व्यासी जल विद्युत परियोजना में स्विचयार्ड के लिए वित्तपोषण

क्षेत्र में पेश आ रही वर्तमान चुनौतियों की जानकारी प्रदान करना तथा पावरथॉन–2022 में भाग लेने के लिए मुख्य रूप से टीएसपी से आवेदन आमंत्रित करना है। इसमें, टीएसपी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे एआई/एमएल, ब्लॉकचैन इत्यादि के आधार पर अपने प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का प्रदर्शन कर सकते हैं।

8.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है, जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें ₹8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक व्ययों के प्रति) का प्रावधान है, जिसे दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012–13 और 2013–14 के दौरान संस्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹23,973 करोड़ के ऋण संवितरण पर प्रदत्त ब्याज के लिए 14 वर्षों में प्रदान किया जाना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटिज और वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। इस सुधार से जुड़ी योजना में, एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार–आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर, डिस्कॉम को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की उपयोगिताएं पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक ₹1,475 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

8.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, डीडीयूजीजेवाई, जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, अपने समापक वित्तीय वर्ष 2021–22 में, अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूर्ण हो गई है। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को, उनकी जनसंख्या संबंधी मानदंड पर ध्यान दिए बिना, विद्युतीकरण के लिए कवर किया गया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, देश के सभी शेष गैर–विद्युतीकृत जनगणना वाले गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत कर दिए गए।

डीडीयूजीजेवाई ने निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24x7 बिजली' की उपलब्धि की दिशा में सुविधा प्रदान की है:

क. गैर–कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि और गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

ख. उप–पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;

ग. माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ. वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और

ङ. ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था; और निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि होने पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया था। इस योजना में ₹43,033 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय था, जिसमें भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयूजीजेवाई के लिए ₹48,185.67 करोड़ (30,668.11 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹33,801.79 करोड़ (₹24,857.82 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि को योजना के सफल समापन के समय अर्थात 31 मार्च, 2022 को जारी किया गया था। समाप्ति के आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत कुल निष्पादित राशि ₹45,942.74 करोड़ है।

8.4.1 पूर्ववर्ती आरई परियोजनाएं, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विलयित

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों सहित 29 राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के तहत पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं (अर्थात, दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना) के अधीन ₹66,367.13 करोड़ (शामिल अनुदानः ₹59,730.42 करोड़) (डीडीजी परियोजनाओं सहित) की राशि को मंजूरी दी है जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक ₹59,651.89 करोड़ (₹53,827.21 करोड़ के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं के तहत कुल निष्पादित राशि बंद होने के आंकड़ों के अनुसार ₹62,066.19 करोड़ है।

8.5 सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना), जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, अपने समापक वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूर्ण कर लिया गया है। योजना परिव्यय ₹16,320 करोड़ था, जिसमें ₹12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

क. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन;

ख. शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से निर्धन गैर–विद्युतीकृत परिवारों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन। गैर–निर्धन शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है;

ग. दूरदराज के और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो–वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या किफायती नहीं है;

इस योजना के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय द्वारा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹14,082.43 करोड़ (₹9,078.84 करोड़ के अनुदान सहित) मंजूर किए गए थे, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक 8,815.12 करोड़ रुपए (भारत सरकार के ₹5,754.09 करोड़ के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2022 तक 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। समाप्ति के आंकड़ों के अनुसार कुल निष्पादित राशि ₹9,246.22 करोड़ है।

8.5.1 सौभाग्य घरों के विद्युतीकरण को सुकर बनाने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के लिए ₹14,178.89 करोड़ (शामिल अनुदानः ₹9,399 करोड़) की अतिरिक्त निधि को मंजूरी दी थी, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक ₹7,809.15 करोड़ (₹7,213.45 करोड़ के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाओं के तहत कुल निष्पादित राशि ₹11,334.01 करोड़ है।

8.6 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015)

तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज, 2015 (पीएमडीपी–2015) की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 नवंबर, 2015 को की गई थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत ₹2,570.14 करोड़ (भारत सरकार से 90% अनुदान अर्थात ₹2,301.62 करोड़) थी। इस योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में प्रणाली को मजबूत करना, अलग–थलग पड़े घरों को जोड़ना, कंटीले तारों की बाड़ और पुराने खंभों को बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबल बिछाना, उपभोक्ता मीटरिंग करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी सब–स्टेशनों का निर्माण और धार्मिक तीर्थ–स्थलों पर विद्युत अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है।

उपरोक्त में से ₹1,029.70 करोड़ की परियोजना लागत (भारत सरकार का अनुदानः ₹926.73 करोड़) और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए ₹5.15 करोड़ का पीएमए अनुदान स्वीकृत किया गया है। निधि को आरईसी के माध्यम से आबंटित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, 31 मार्च, 2022 तक ₹615.47 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अलावा ₹527.55 करोड़ की अतिरिक्त परियोजना लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के लिए ₹2.65 करोड़ का पीएमए शुल्क और ₹28.44 करोड़ का पीआईए शुल्क विद्युत मंत्रालय द्वारा पीएमडीपी–2015 के तहत स्वीकृत किया गया है। पीएमडीपी–2015 के तहत निधियां 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध रहेंगी।

8.7 डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग

आरईसी द्वारा देश भर में डिस्कॉम्स (सार्वजनिक/निजी) को उपभोक्ता केंद्रित सेवा और परिचालन मानकों के संदर्भ में ग्रेडिंग के लिए एक प्रयास किया गया था। स्कोरिंग चार व्यापक मापदंडों में फैली हुई है, अर्थात, (i) प्रचालन विश्वसनीयता, (ii) कनेक्शन और अन्य सेवाएं, (iii) मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह, और (iv) दोष सुधार और शिकायत निवारण। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग रिपोर्ट कर सकते हैं आरईसी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/consumerservice-rating-of-discoms पर देखा जा सकता है।

अभिनव सौर पीवी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन परियोजनाओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए यूएसडी 169.5 मिलियन के लिए आरईसी के अधिकारियों द्वारा केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर।

8.8 नियामक पैरामीटर रिपोर्ट

वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए और नीति निर्माण में सहायता के लिए विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण खंड में प्रमुख नियामक मानकों को प्राप्त करना। प्रकाशित रिपोर्ट को आरईसी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/RegulatoryParameters पर देखा जा सकता है।

8.9 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र आपकी कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अंतर्गत वितरण क्षेत्र की एक पहल है और यह अपने ही प्रकार का प्रथम अनुप्रयोग है जिसे उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ऊर्जा मित्र राज्य बिजली वितरण उपयोगिताओं के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, ई–मेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली आउटेज की जानकारी प्रसारित करता है। पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आउटेज अपडेट मिलता है। यह देश के किसी भी हिस्से में वास्तविक समय में बिजली कटौती को देखने और बिजली कटौती की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। देश में 52 डिस्कॉम के लगभग 23.24 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा ऊर्जामंत्र एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया है और उपभोक्ताओं को लगभग 530 करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

8.10 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य "सभी के लिए 24x7 बिजली" की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए फीडर स्तर पर ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों की निगरानी करना है, जैसे आपूर्ति का समय, आउटेज, वोल्टेज, करंट आदि। यह योजना देश भर में ग्रामीण, कृषि और मिश्रित (कृषि ग्रामीण) फीडरों के लिए मोडेम/डीसीयू स्थापित करके एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, वेब आधारित स्वचालित प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखती है। सभी आउटगोइंग 11 केवी ग्रामीण फीडरों और ऐसे 66/33 केवी इनकमिंग फीडरों के विभिन्न आवश्यक मापदंडों पर डेटा प्राप्त किया जाता है, जहां से 11 केवी ग्रामीण फीडर निकल रहे हैं और सभी हितधारकों के लिए जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह के डेटा का विश्लेषण विभिन्न हितधारकों जैसे डिस्कॉम, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), आरईसी और आरईसीपीडीसीएल को उपयोगी एमआईएस प्रदान करता है।

8.11 राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस)

आरईसीपीडीसीएल को देश भर में सभी ग्रामीण और शहरी फीडरों में बिजली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएफएमएस) के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। परियोजना को दो भागों में लागू किया जाएगा, अर्थात, एनएफएमएस सेंट्रल आईटी सॉल्यूशन, जिसमें आरईसीपीडीसीएल अत्याधुनिक केंद्रीय आईटी समाधान स्थापित करेगा जिसमें डेटा अंतर्ग्रहण, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और डेटा एनालिटिक्स शामिल होंगे; और एनएफएमएस फील्ड सॉल्यूशन, जिसमें स्मार्ट फीडर मीटरिंग में तेजी लाने के लिए आरईसीपीडीसीएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

8.12 स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, देश में उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) परियोजनाओं को लागू कर रही है। कंपनी ने चंडीगढ़ में लगभग 25 हजार स्मार्ट मीटर लगाए हैं और जम्मू और श्रीनगर शहरों में 1.15 लाख स्मार्ट मीटर भी लगाए हैं, जिनमें से लगभग 50,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसके अलावा आरईसीपीडीसीएल को आरडीएसएस (केरल और गुजरात में) पीएमडी के तहत (जम्मू और कश्मीर के केन्द्र–शासित प्रदेश में) विशेष विकास पैकेज (लद्दाख के केन्द्र–शासित प्रदेश में) के तहत 10 मिलियन से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करने का आशय पत्र भी प्राप्त हुआ है।

8.13 पारेषण परियोजनाओं का क्रियान्वयन:

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 5500 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर 220 केवी पारेषण लाइन परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जो भारत की सबसे ऊंची पारेषण लाइन है। इस परियोजना में लद्दाख की नुब्रा और जांस्कर घाटी में आधुनिक गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) का निर्माण भी शामिल है। ये परियोजनाएं लद्दाख को निर्बाध ग्रिड बिजली आपूर्ति से जोड़ेंगी और क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में मदद करेंगी।

8.14 तरंग

तरंग (रियल–टाइम अनुश्रवण एवं विकास के लिए पारेषण ऐप) पारेषण क्षेत्र की एक पहल है, जो आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। तरंग ऐप पारेषण प्रणाली की अखिल भारतीय प्रगति के बारे में एक सूचनात्मक माध्यम प्रदान करता है, जिसे महीने–वार, एजेंसी–वार, राज्य–वार जानकारी आदि के विश्लेषण के लिए ड्रिल डाउन किया जा सकता है।

तरंग टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के साथ–साथ विनियमित टैरिफ तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अंतर–राज्य और अंतर–राज्य पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

9. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और 31 मार्च, 2022 तक संचयी रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

9.1 आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पीएमडीपी-2015 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निष्पादन और उपलब्धि:

क. संस्वीकृति एवं राशि जारी करना: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी (नोडल एजेंसी) को सौंपे गए राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए किए गए कार्यों हेतु आरडीएसएस के तहत ₹89,521 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, सौभाग्य के अंतर्गत छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए डीडीयूजीजेवाई के अधीन ₹2,860.59 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता को आरईसी (नोडल एजेंसी) के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान या अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण के माध्यम से उसके समान योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्यों को ₹5,413.34 करोड़ कुल जीबीएस रुपये की राशि की धनराशि जारी की गई है [डीडीयूजीजेवाई को शामिल करके (अतिरिक्त अवसंरचना सहित): ₹3,240.83 करोड़ डीडीजीः ₹99.06 करोड़, पीएमडीपी–2015: ₹2.72 करोड़ और सौभाग्यः ₹360.41 करोड़]।

ख. अवसंरचना के सृजन की भौतिक प्रगति: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जम्मू–कश्मीर के लिए भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पीएमडीपी–2015 के तहत निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं:

(i) संवर्धन सहित सब–स्टेशनों को चालू करनाः 382

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर को चालू करना (संवर्धन सहित): 82,444

(iii) 11 केवी लाइनें (फीडर पृथक्करण सहित): 71,114 सीकेएम

(iv) एलटी लाइनेंः 1,21,313 सीकेएम

(v) 33 केवी/66 केवी लाइनेंः 8,409 सीकेएम

(vi) उपभोक्ता मीटरिंग की संस्थापनाः 42,15,933

(vii) डीटीआर और फीडर की मीटरिंगः 51,966

घ. घरों के विद्युतीकरण की प्रगति : वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के तहत 4.41 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

9.2 31 मार्च, 2022 तक संचयी कार्य-निष्पादन

क. संस्वीकृति एवं राशि जारी करना: स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए आरईसी (नोडल एजेंसी) को आवंटित राज्यों को ₹89,521 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। हालांकि, 31 मार्च, 2022 तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। आरई परियोजनाओं और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के अधीन, कुल ₹1,44,537 करोड़ की राशि मंजूर की गई और परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल निष्पादित लागत 31 मार्च 2022 तक ₹1,30,312 करोड़ थी।

योजनाओं के शुभारंभ के बाद से, 31 मार्च 2022 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी द्वारा भारत सरकार के ₹92,249.52 करोड़ के अनुदान राशि वितरित की गई है [डीडीयूजीजेवाई को शामिल करते हुए (अतिरिक्त अवसंरचना सहित): ₹31,384.90 करोड़, डीडीजीः ₹844.94 करोड़, पीएमडीपी–2015: ₹615.47 करोड़ और सौभाग्यः ₹5,754.09 करोड़]।

ख. अवसंरचना के सृजन की भौतिक प्रगति : उपर्युक्त सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित कार्यों को संचयी रूप से पूरा किया गया है:

(i) संवर्धन सहित सब–स्टेशनों को चालू करना (संवर्धन सहित): 7,338

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर को चालू करनाः 16,62,727

(iii) 11 केवी लाइनें (फीडर पृथक्करण सहित): 8,07,187 सीकेएम

(iv) एलटी लाइनें: 13,83,566 सीकेएम

(v) 33 केवी/66 केवी लाइनें: 41,241 सीकेएम

(vi) उपभोक्ता मीटरिंग की संस्थापनाः 1,87,97,312

(vii) डीटीआर और फीडर की मीटरिंगः 2,54,307

ग. घरों के विद्युतीकरण की प्रगति : सौभाग्य योजना अवधि में विभिन्न योजनाओं अर्थात सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आरई, राज्य योजनाओं आदि के अंतर्गत उनके शुरू होने से अर्थात अक्टूबर 2017 से 31 मार्च, 2022 को डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के पूरा होने तक 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

आपकी कंपनी ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत उपयोगिताओं को वितरण प्रणाली में नियमित रूप से सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देश, (जीटीपी), लेआउट ड्राइंग, डेटा शीट और निर्माण मानकों का उपयोग राज्य बिजली यूटिलिटिज द्वारा उनके राज्य द्वारा अपनाई प्रथाओं के साथ किया जा रहा है।

कंपनी वितरण क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों को अपना रही है, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता और सिस्टम मीटरिंग एएमआई (एचईएस, एमडीएम, बिलिंग सॉफ्टवेयर/सिस्टम और संचार प्रौद्योगिकी), स्काडा, आरटी–डीएएस, डीएमएस, आईटी/ओटी संबंधित कार्य। राज्य विद्युत उपयोगिताएं अपनी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए इन नई तकनीकों का लाभ उठा रही हैं। सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान साइट और फील्ड कार्यों के लिए आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और फील्ड कार्य निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) नियुक्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सरकारी योजनाओं के तहत स्थापित ग्राम विद्युत अवसंरचनाओं एवं उप–केन्द्रों में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरक्यूएम ने 4,169 गांवों, 466 सब–स्टेशनों और 287 फीडरों का क्षेत्र निरीक्षण किया तथा 31 विनिर्माता परिसरों में प्रेषण पूर्व सामग्री निरीक्षण संचालित किए।

11. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण

कंपनी ने दावों के प्रसंस्करण के लिए देश भर में कारपोरेट कार्यालय के छह प्रमुख अनुभागों और 18 क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

12. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम करने के लिए लगातार उचित कदम उठा रही है।

प्रमुख जोखिमों और उनके शमनीकरण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) क्रेडिट जोखिम: क्रेडिट जोखिम वित्त–पोषण उद्योग में निहित जोखिम है और इसमें हानि होने का जोखिम शामिल है, जो उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होता है और वह जोखिम कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर चूक करेगा।

इसे कम करने के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अलावा, नियमित आधार पर आरईसी ऋण पुस्तिका को ईसीएल पद्धति के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) परिचालन जोखिम: परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है।

कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर लागू किया है, जिसके माध्यम से सभी परिचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के परिचालन जोखिमों का अध्ययन कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, कानूनी, परिचालन और सामरिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

(iii) चलनिधि जोखिम: चलनिधि जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़ी परिपक्वता के बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम शामिल होता है क्योंकि वे देय हो जाते हैं। चलनिधि जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को धन प्रदान करने, वित्त–पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी को चलनिधि जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए, परियोजना संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों का मिश्रण शामिल होता है।

आपकी कंपनी अपनी मजबूत बाजार विश्वसनीयता और उधार के विभिन्न स्रोतों अर्थात संस्थागत बॉण्ड, ईसीबी और बैंक ऋण आदि के माध्यम से धन की व्यवस्था में बाजार में पहुंच के माध्यम से कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण अपनी तरलता की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है।

(iv) बाजार जोखिम: कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण उत्पन होता है, जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव।

कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं लागू की हैं। कंपनी ने ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित बाजार जोखिम के घटकों की निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का भी गठन किया है।

(v) ब्याज दर जोखिम: ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है।

ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

(vi) विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) जोखिम: विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा–मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्था के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी उचित हेजिंग रणनीतियों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

12.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी के लिए कंपनी के निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है। समिति में अध्यक्ष, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) सहित दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। संगठन के विभिन्न प्रमुख प्रभागों के कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक, आरएमसी की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं।

आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई को सुझाना है। इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है।

12.2 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसमें निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), कार्यपालक निदेशक और वित्तीय और परिचालन प्रभागों के मुख्य महाप्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल हैं। एएलसीओ ब्याज दरों, नकदी और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करता है।

13. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

आरबीआई ने अपने 3 फरवरी, 2021 के परिपत्र के माध्यम से, ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर–जमाकर्ता एनबीएफसी के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचे को अधिदेशित कर दिया था। तदनुसार, आरईसी ने 1 अप्रैल, 2022 से आरबीआईए ढांचे को लागू किया है। कंपनी के पास एक बोर्ड–अनुमोदित आरबीआईए नीति/मैनुअल है जो संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ता है और निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन को संगठन के आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और शासन संबंधी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करता है। आरबीआईए संगठन को जोखिमों की पहचान करने और बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जोखिम प्राथमिकता और दिशा के आधार पर उन पर ध्यान देने में सहायता करेगा। आरबीआईए ढांचे के तहत गतिविधियों में संचालन/गतिविधियों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और अनुमोदित आरबीआईए नीति में परिभाषित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

14. अधिमानित ग्राहक नीति

कारोबार संवर्धन रणनीति के एक भाग के रूप में, कंपनी के ग्राहकों को सेवाओं के उन्नत स्तर की पेशकश करने और उनके साथ दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखने के मूल उद्देश्य के साथ 2008 में एक पसंदीदा ग्राहक नीति तैयार की गई थी। नीति पसंदीदा ग्राहकों को निर्धारित करने तथा उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों, साथ ही आरईसीआईपीएमटी हैदराबाद द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण संबंधी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती है जो बकाया ऋण की राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता का पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

कर्नाटक में रिन्यू ग्रुप की 60 मेगावाट की पवन परियोजना, जिसे आरईसी द्वारा वित्तपोषित किया गया था

15. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आरईसी की संशोधित कारोबार ईआरपी, जो जीएसटी और इंड–एएस को सपोर्ट करती है, में उन्नत विशेषताएं हैं, जिससे कंपनी के कारोबार संचालन के और स्वचालन की सुविधा हुई है। आवश्यकता के अनुसार ईआरपी प्रणाली में लगातार सुधार किया जाता है। आरईसी ने स्वचालित वर्कफ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन सुविधाओं के साथ एनआईसी ई–ऑफिस समाधान भी लागू किया है। एनआईसी ई–ऑफिस ने कागज के उपयोग को कम करने के अलावा दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करके कंपनी के कार्य करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाया है।

संचालन की मांग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च उपलब्धता के साथ, नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों सहित समूचे संगठन में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क अवसंरचना सुविधा को नया रूप दिया गया है। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है ताकि कारोबारिक अनुप्रयोगों, जैसे ईआरपी और एनआईसी ई–ऑफिस, तक पहुंच प्राप्त की जा सके और इस इस प्रकार बिना किसी व्यवधान के निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सकें।

आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते है। आरईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी ढांचे के मास्टर निर्देश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है। इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करती है।

16. आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) आरईसी के तत्वावधान में एक प्रमुख विद्युत क्षेत्रक प्रशिक्षण संस्थान है। हैदराबाद में 1979 में स्थापित, संस्थान विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पिछले चार दशकों के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 2,895 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों, विद्युत विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, विद्युत नियामक आयोगों आदि सहित विद्युत यूटिलिटिज से 63,763 इंजीनियरों/प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया है।

16.1 डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

आरईसीआईपीएमटी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के सी एंड डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने डिस्कॉम और उनके प्रशिक्षण संस्थानों के साथ 29 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान देश भर में कुल 679 प्रशिक्षण बैचों में 16,376 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण पूरा किया। यह उल्लेख करना उचित है कि डिस्कॉम द्वारा 546 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन किया गया था, जबकि 113 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन डिस्कॉम के अनुरोध पर आरईसीआईपीएमटी के सपोर्ट द्वारा किया गया था।

16.2 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी अंतरराष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ एक भागीदार प्रशिक्षण संस्थान भी है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 4 से 12 सप्ताह तक की होती है। 2005 से अब तक, आरईसीआईपीएमटी ने 104 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 98 देशों के 1,747 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

2021–22 के दौरान, 3 सप्ताह की अवधि के 2 वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें अजरबैजान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, बोलीविया, कंबोडिया, इथोपिया, इक्वाडोर, मिस्र, कीनिया, लेबनान, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, सेशेल्स, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, थाईलैंड और जाम्बिया जैसे देशों के 64 अधिकारियों की भागीदारी देखी गई थी।

16.3 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विद्युत उपयोगिताओं के अधिकारियों के मध्य जागरूकता लाने के लिए, आरईसीआईपीएमटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अखिल भारतीय प्रतिभागिता के साथ निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए गए:

क. विद्युत सुरक्षा पर आरईसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुरक्षा देश में विद्युत यूटिलिटिज की प्रमुख चिंता है, आरईसी ने "विद्युत सुरक्षा" पर 60 बैचों को प्रायोजित किया, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न यूटिलिटिज के 1,522 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

ख. डिस्कॉम के तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार पर आरईसी प्रायोजित वेबिनार

आरईसीआईपीएमटी ने "डिस्कॉम के निष्पादन के तकनीकी–वाणिज्यिक सुधार" पर 2–दिवसीय वेबिनार के 40 बैचों का आयोजन किया, जिसमें विद्युत अधिनियम संशोधन, टैरिफ सुधार, वास्तविक समय बाजार और नवीकरणीय एकीकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया। उक्त के तहत ही, आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत क्षेत्र की कंपनियों अर्थात जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम के 1,004 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया,।

ग. विद्युत यूटिलिटिज की स्थिरता पर आरईसी प्रायोजित वेबिनार

आरईसी ने "विद्युत यूटिलिटिज की स्थिरता" पर 1–दिवसीय वेबिनार के 50 बैचों को प्रायोजित किया है और विद्युत क्षेत्र के 1,027 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम शामिल हैं।

16.4 विद्युत यूटिलिटिज के लिए ओपन कैलेंडर प्रोग्राम

कोविड–19 की स्थिति के कारण, वेबिनार के रूप में प्रशिक्षणों की घोषणा वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में की गई थी। महामारी की गंभीरता के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने सौर ऊर्जा उत्पादन, आपदा प्रबंधन, वितरण ट्रांसफार्मर, श्रम कानून, सब–स्टेशनों के ओ एंड एम और स्मार्ट मीटर जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार के रूप में 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कक्षा मोड में 2 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए। इसमें कुल 266 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

16.5 आरईसी कार्यपालक (इन-हाउस) प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने एचपीएसईबीएल के लिए 12 दिनों की अवधि के 8 कक्षा सत्र और डीवीसी के लिए 3 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा, एचपीएसईबीएल के कुल 200 नए भर्ती हुए जूनियर टीममेट्स और जूनियर हेल्पर्स के 8 बैचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरईसीआईपीएमटी ने बिजली केबल चयन, परीक्षण बिछाने और चालू करने पर 126 डीवीसी अधिकारियों के लिए 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किए।

16.6 अनुकूलित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने एचपीएसईबीएल के लिए 12 दिनों की अवधि के 8 कक्षा सत्र और डीवीसी के लिए 3 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा, एचपीएसईबीएल के कुल 200 नए भर्ती हुए जूनियर सहयोगियों और जूनियर हेल्पर्स के 8 बैचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत केबल चयन, परीक्षण, बिछाने और चालू करने के लिए 126 डीवीसी अधिकारियों के लिए 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किए।

16.7 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 868 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 64,361 प्रशिक्षण–दिनों की उपलब्धि के साथ 20,728 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17. मानव संसाधन प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी के कार्यपालक बल को पेशेवर बनाने और नए लोगों को शामिल करने करने के लिए, कैंपस और सीधी भर्ती के माध्यम से 44 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कुल जनशक्ति 440 कर्मचारियों की थी, जिसमें 392 कार्यपालक और 48 गैर–कार्यपालक शामिल हैं।

17.1 रोजगार में आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल संख्या के प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूह–वार विवरण निम्नानुसार था:

कार्मिकों की संख्या

वर्ष	श्रेणी	समूह क	समूह ख	समूह ग	श्रेणी
2021-22	कुल कार्मिक	392	15	33	**440**
	अनु. जाति	43	3	15	**61**
	अनु. जनजाति	17	0	0	**17**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	1	3	**87**
2020-21	कुल कार्मिक	366	22	40	**428**
	अनु. जाति	40	3	15	**58**
	अनु. जनजाति	16	0	0	**16**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	72	1	3	**76**

17.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कर्मचारियों के कौशल सेट के उन्नयन और निष्पादन की उच्च डिलीवरी को सुनिश्चित करने सहित प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के साथ क्षमता निर्माण के उपाय को प्राथमिकता दिया जाना जारी रखा गया। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, कर्मचारियों को महामारी के दौरान जीवन शैली के प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न विशेष कार्यक्रमों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए आवश्यक कारोबारिक कौशल और दक्षताओं को तीव्र करना हैय और कर्मचारियों को उनके निष्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए हर संभव अवसर और सहायता प्रदान करता है। कारोबारिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के साथ–साथ कर्मचारियों को उस सामाजिक–आर्थिक वातावरण के बारे में जागरूक करने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें कंपनी संचालित होती है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण के विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 231 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया, जिससे कंपनी 466 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त करने में सफल रही।

17.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कर्मचारियों, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 7 (सात) कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किए। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए खेल और मनोरंजन उपकरण भी वित्त–पोषित किए हैं। कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों

26वें इंटर–सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट में आरईसी की बैडमिंटन टीम पुरस्कार विजेता

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर ऋषिकेश में आरईसी की महिला कर्मचारी

द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतियों और सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

17.4 खेल गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने गुरुग्राम में एक इंटर–सीपीएसयू क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की और पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज आदि जैसे विभिन्न इंटर–सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों के लिए अपने कर्मचारियों को प्रायोजित किया।

17.5 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी में 72 स्थायी महिला कर्मचारी थीं, जो कुल कार्यबल का 16.36% प्रतिनिधित्व करती थीं। लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कंपनी के पास महिला कर्मचारियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास की देखरेख के लिए एक महिला प्रकोष्ठ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया गया।

17.6 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक अशांति के कारण मानव–दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित चर्चा की गई। इससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रेरित कार्यबल और निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है।

17.7 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत के रूप में नियुक्त किया है।

18. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल का उद्देश्य सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं का समर्थन करना है, ताकि लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से अधिकतम पहुंच बनाई जा सके और एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय चिंता के विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सुकर बनाने के लिए स्वच्छता और साफ–सफाई, स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण ढांचागत विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल की गई है।

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप है; और http://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

वर्ष 2021–22 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% अधिमानतः आकांक्षी जिलों में ''स्वास्थ्य और पोषण, जिसमें अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया हो" विषय पर खर्च करना है। कंपनी ने भारत भर में फैले विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और संबंधित विषयगत क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण गतिविधियों का समर्थन करने के अपने प्रयासों में तेजी लाई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं गजपति (ओडिशा), ममित (मिजोरम), किफिरे (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदेल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिलों में शुरू की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों के अनुरूप ₹170.67 करोड़ के सीएसआर बजट को मंजूरी दी, अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ के औसत का 2%। उक्त के प्रति, कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹171.07 करोड़ खर्च किए हैं (पिछले वर्ष से ₹3.45 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को अग्रेनीत करने सहित)। कुल खर्च में पीएम केयर्स फंड में ₹50 करोड़ का योगदान और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में विभिन्न अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष समर्थताओं वाले 9000 से अधिक व्यक्तियों को इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण।
- मणिपुर के 12 गांवों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराना।
- बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
- उत्तर प्रदेश में समुदायों को सशक्त बनाकर सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार करना।
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी छात्राओं के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और 1541 से अधिक बच्चों वाले 11 सेवा कुटीरों को अध्ययन, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना।
- गुरुग्राम, हरियाणा और हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण मजदूरों के 462 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए इनोवेटिंग मोबाइल स्कूल का संचालन।
- महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को बीज का मुफ्त वितरण।
- आंध्र प्रदेश के जैव–संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन।
- लेह में बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण और संचालन।
- 5 स्थानों, नामतः बारां (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र), चंबा (हिमाचल प्रदेश), पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), चतरा (झारखंड) के अस्पतालों में 4300 एलपीएम दबाव स्विंग एडसॉर्पशन (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना और उसे चालू करना।
- पूरे भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, महिला हॉकी, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी पर जोर देना।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के विवरण शामिल हैं, इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

19. सतर्कता क्रियाकलाप

आरईसी लगातार कर्मचारियों के मध्य शुचिता और अखंडता को इष्टतम करने और सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर रहने वाले कर्मचारियों का रोटेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, दी गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा, आदि करके 'निवारक सतर्कता' को मूर्त रूप देना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए गए हैं:

- सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में चिन्हित संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
- सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर विहित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी भेजना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों अर्थात आंतरिक, सांविधिक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की नियमित समीक्षा।
- परियोजनाओं, प्रदान की गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां–कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली और दिशानिर्देशों को सुदृढ़ किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्र निरीक्षण और एपीआर की संवीक्षा।
- कानूनी सलाहकार और ऋणदाता के कानूनी सलाहकार की चयन प्रक्रिया की समीक्षा।
- आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का क्षेत्र निरीक्षण।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर बल दिया जाना जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्ष के बिल आदि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन होती है।
- समय पर पता लगाने और चूक की घटना को कम करने के लिए सतर्कता निगरानी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें खरीद और अनुबंध, बिल ट्रैकिंग, ऋण, संपत्ति और कर्मचारी भुगतान (चिकित्सा और यात्रा) जैसी संगठन की विभिन्न कार्यात्मकताएं शामिल हैं।
- यह सुनिश्चित किया गया था कि निविदाएं, अपेक्षित प्रपत्र, ऋण आवेदनों की स्थिति और तीसरे पक्ष के भुगतान, उचित व्यवहार संहिता, धोखाधड़ी निवारण नीति, सीएसआर दिशानिर्देश, व्हिसल ब्लोअर नीति आदि जैसी सूचनाएं और नीतियां आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

19.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी लिमिटेड ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुरूप, "स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" विषय पर 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया।

सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई और कर्मचारियों के साथ–साथ बड़े पैमाने पर जनता के बीच सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। "नेस्ट मैन ऑफ इंडिया" के रूप में विख्यात और पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और जैव–विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ "ईसीओ रूट्स" के संस्थापक श्री राकेश खत्री के सहयोग से घोंसला बनाने की कला सीखने की एक गतिविधि का आयोजन किया गया।

20. राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के संदर्भ में अधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कारपोरेट कार्यालय में 14–28 सितंबर, 2021 तक *'हिंदी पखवाड़ा'* आयोजित किया गया, जिसमें राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी वर्तनी, हिंदी अनुवाद, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी कविता लेखन और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस तरह के आयोजनों और प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहजनक थी।

कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आरईसीआईपीएमटी सहित कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में भी *'हिंदी पखवाड़े'* का आयोजन किया गया, ताकि प्रतिभागियों को उनके आधिकारिक कार्यों को हिंदी में करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात चेन्नई, जम्मू, हैदराबाद, कोलकाता और पटना का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों ने कर्मचारियों में अपने कार्य में हिंदी को अपनाने के लिए जागरूकता की भावना उत्पन्न की है।

कारपोरेट कार्यालय और आरईसीआईपीएमटी, हैदराबाद द्वारा 9–10 दिसंबर 2021 के दौरान एक राजभाषा सम्मेलन–सह–हिंदी

कार्यशाला का आयोजन किया गया। 27 अगस्त, 2021 को नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली के दल ने कर्मचारियों को हिंदी के उपयोग में सुधार के लिए मार्गदर्शन किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–I) दिल्ली ने अपनी 35वीं बैठक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आरईसी को *'श्रेष्ठ कार्यान्वयन पुरस्कार'* से सम्मानित किया है। इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कंठस्थ (ट्रांसलेशन मेमोरी) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी को पुरस्कार प्रदान किया गया है।

आरईसी एक हिंदी पत्रिका 'ऊर्जायन' प्रकाशित कर रहा है, जिसमें दिलचस्प और उपयोगी लेख और साथ ही इसके कर्मचारियों के साहित्यिक लेख शामिल हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने वृतांत, लेख, कविता आदि के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अपने ट्वीट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट में हिंदी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया था।

21. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन के संबंध में विवरण

21.1 ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां सभी सिविल, विद्युत स्थापना और रखरखाव स्कोप (सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन) द्वारा किया जाता है।

आरईसी कारपोरेट कार्यालय अपने नए कार्यालय भवन, गुरुग्राम में स्थानांतरित हो गया है, जिसका ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में लगभग 30% एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल फलक और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्माण किया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए भवन के शीर्ष पर (सौर पेर्गोला संरचना द्वारा समर्थित) एक 979 केडब्ल्यूपी सौर संयंत्र स्थापित किया गया है।

अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता = 21.2%) स्थापित किए गए हैं और सौर संयंत्र जुलाई 2021 से परिचालन में है। सौर संयंत्र कार्यशील है और ग्रिड से जुड़ा है और इसने 8,22,072 यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी कारपोरेट कार्यालय भवन की कुल लोड आवश्यकता (अर्थात 16,30,956 यूनिटों) के लगभग 50% की पूर्ति की है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपकरणों अर्थात एसआईटीसी (सौर पेर्गोला और सौर पैनलों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) पर कुल पूंजी निवेश ₹12.22 करोड़ रुपए था।

21.2 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी। इसके अलावा, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्तीय प्रभार और अन्य खर्चों के कारण वर्ष के दौरान कुल 11,047.28 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा बहिर्वाह किया गया।

22. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) [सीआईएन U40101DL2007GOI165779], विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के कारोबार में रत है जिसमें वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ–ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, पूर्व प्रेषण सामग्री निरीक्षण और सरकार द्वारा वित्त–पोषित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि की कुछ परियोजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करना शामिल है।

इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है।

प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्य/अंतरा–राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना–विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को अधिनिगमित करता है, जो आरईसी की सहायक कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 5 परियोजना विशिष्ट एसपीवी को सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया, अर्थातः

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता का नाम	एसपीवी के अंतरण की तिथि
1	फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2020GOI364227]	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4-जून-2021
2	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनःU40106DL2020GOI364672]	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4-जून-2021
3	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड [सीआईएनःU40100DL2020GOI368275]	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1-नवंबर-2021
4	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनःU40106DL2020GOI364104]	कंर्सोटियम ऑफ इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड	28-दिसंबर-2021
5	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनःU40100DL2020GOI364213]	रिन्यू ट्रांसमिशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	17-मार्च-2022

31 मार्च, 2022 तक, आरईसीपीडीसीएल के पास विभिन्न अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित परियोजना–विशिष्ट एसपीवी थेः –

(1) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2018GOI330905]

(2) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40300DL2018GOI331490]

(3) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40101DL2018GOI331526]

(4) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40300DL2018GOI331192]

(5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2020GOI364498]

(6) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2020GOI364436] *(30 मई, 2022 को जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अंतरित)*

(7) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2020GOI367417]

(8) ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2021GOI387793

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति के पश्चात, कई नए एसपीवी को आरईसीपीडीसीएल और आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में अधिनिगमित किया गया है, अर्थात्

(1) नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2022GOI396525]

(2) खावड़ा II–ए ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40200DL2022GOI396828]

(3) रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2022GOI396994]

(4) खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2022GOI397064]

(5) खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2022GOI397095]

(6) खावड़ा II–डी ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2022GOI397181]

(7) ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2022GOI397400]

(8) केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40109DL2022GOI397632]

(9) केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2022GOI397888]

(10) केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2022GOI397888]

(11) सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2022GOI397891]

(12) खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2022GOI397942]

(13) गडग II–ए ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2022GOI399702½

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹184.86 करोड़ की आय की तुलना में ₹177.20 करोड़ की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पश्चात लाभ ₹53.03 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹25.61 करोड़ था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 को आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति ₹328.59 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को इसकी निवल संपत्ति ₹297.99 करोड़ थी।

23. संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नामतः पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर 10 दिसंबर 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) [सीआईएनः U40200DL2009PLC196789] का गठन किया था। ईईएसएल ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहा है और देश भर में इस क्षेत्र में कई सरकारी और अन्य कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच निष्पादित एक समझौते के अनुसार, ईईएसएल ने 1 सितंबर, 2021 से लागू लेखांकन मानक (इंड–एएस) के संदर्भ में आरईसी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रहा है। आरईसी के वित्तीय विवरण भी तदनुसार स्थिति को दर्शाते हैं। तथापि, 31 मार्च, 2022 तक ईईएसएल में 15.68% की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, आरईसी संयुक्त उद्यम में भागीदार बना हुआ है।

24. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) और संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात, ईईएसएल (गैर–लेखापरीक्षित) के, उस तारीख तक जब यह 1 सितंबर, 2021 से कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रह गई थी, लेखे शामिल है। इसे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के साथ आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुपालन में, फॉर्म एओसी–1 में अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/हित बिक्री के लिए धारित किया जाता है और इसलिए, ऐसे एसपीवी में हित कंपनियों का लेखांकन इंड–एएस 105 के अनुसार है।

कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित इंड–एएस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात https://recindia.nic.in/recpdcl पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारकों के लिए किसी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। कंपनी के किसी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई–मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

25. निदेशक, केएमपी और तत्संबंधी नीतिगत ढांचे से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी) के माध्यम से कार्य करते हुए नामनिर्दिष्ट/नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है।

निदेशकों का नामांनिर्देशन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पात्रता मानदंड, योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया आदि भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई),

लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) आदि, के समय–समय पर यथा लागू निर्धारित मानदंडों के अधीन हैं, जिसका अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, एक सीपीएसई होने के चलते, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियां और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि का निर्धारण समय–समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। गैर–कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार है। सरकारी नामिति निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

कंपनी ने बोर्ड की विविधता और कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति अपनाई है, जिस https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य बातों के साथ–साथ, आरईसी में निदेशकों की नियुक्ति भी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा उचित विचार के अधीन है, जो कंपनी की नीति के अनुसार निदेशकों की उपयुक्तता और उचित मानदंड के अनुसार है, जिसे https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf पर देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

एक सरकार कंपनी होने के चलते कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा अदा की जाती है।

कंपनी के निदेशकों और केएमपी का विवरण नीचे दिया गया है :

25.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक

- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परवर्ती आदेश के साथ पठित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा 13 मई, 2022 को जारी एक संप्रेषण के अनुसार, श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस (डीआईएन 01377212) को 17 मई, 2022 से भारत सरकार के अपर सचिव के दर्जे और वेतन पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस (डीआईएन 00992744), आरईसी के पूर्व सीएमडी, 11 फरवरी, 2022 से सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण निदेशक नहीं रहे थे। विद्युत मंत्रालय ने अपने 22 फरवरी, 2022 के आदेश के माध्यम से, सीएमडी–आरईसी का अतिरिक्त प्रभार तीन माह की अवधि या अगले आदेशों तक के लिए श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे, आईएएस (डीआईएन 05254178) को सौंपा था, जो उस समय विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे।
- बाद में, श्री रहाटे की सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के रूप में नियुक्ति होने के कारण वे 10 मई, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 मई, 2022 के आदेश के माध्यम से तीन माह की अवधि या अगले आदेश तक के लिए, श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (डीआईएन 00278074), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी को सीएमडी–आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। श्री ढिल्लों ने 10 से 16 मई, 2022 के दौरान अर्थात श्री विवेक कुमार देवांगन नियमित पदधारी की नियुक्ति तक सीएमडी–आरईसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली।
- श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन 03464342), निदेशक (तकनीकी), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 नवंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। विद्युत मंत्रालय ने अपने 21 अक्टूबर, 2021 के आदेश के माध्यम से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार तत्कालीन सीएमडी श्री संजय मल्होत्रा को 1 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए सौंपा। इसके अलावा, अपने दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार को श्री अजय चौधरी, निदेशक (वित्त) को 1 फरवरी, 2022 से नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक के लिए सौंपने की मंजूरी दी थी।
- दिनांक 15 जुलाई 2022 के आदेश के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन 02772733), जो पहले कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, को 180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में आरईसी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया है, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अर्थात 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। श्री वी. के. सिंह ने 15 जुलाई 2022 को निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया।

25.2 नामित निदेशक

- विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 सितंबर, 2021 के कार्यालय आदेश के माध्यम से श्री विशाल कपूर (डीआईएन 08700132), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, जो आरईसी के बोर्ड में पहले सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री तन्मय कुमार (डीआईएन 02574098) का स्थान लेंगे।

  पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पूर्व नामित निदेशक, श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन 03548218), नामांकन प्राधिकारी से सेवानिवृत्ति के कारण 1 फरवरी, 2022 से निदेशक नहीं रहे। इसके पश्चात, 2 फरवरी, 2022 को विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसार, पीएफसी की निदेशक (वित्त) श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन 08530587) को 4 फरवरी, 2022 से पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

25.3 स्वतंत्र निदेशक

- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 15 नवंबर, 2021 के आदेश (आदेशों) के माध्यम से डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन 02003319) और डॉ. मनोज मनोहर पांडे (डीआईएन 09388430) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।
- इसके अलावा, 30 दिसंबर, 2021 को बोर्ड द्वारा परिचालन से पारित संकल्प के साथ पठित 27 दिसंबर, 2021 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार, डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन 09398540) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

25.4 आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त हो रहे और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री अजय चौधरी, निदेशक (वित्त) कंपनी की आगामी 53वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के चलते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते है। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, श्री वी. के. सिंह की निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति को भी शेयरधारकों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बोर्ड उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

श्री अजय चौधरी और श्री वी. के. सिंह का संक्षिप्त जीवन–वृत्त और अन्य ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एजीएम की सूचना के साथ संलग्न है।

25.5 कंपनी सचिव

कंपनी के कंपनी सचिव श्री जे.एस. अमिताभ है।

26. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण प्रकट करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और पृथक निदेशकों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की रीति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा यथा निर्धारित इसके स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड दिए गए हों।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, सरकारी कंपनियों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक रूप से प्रभारी केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है तो। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में आरईसी को अन्य बातों के साथ–साथ छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय और/या लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यपालक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंडों को निर्धारित करता है और कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

27. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विपथन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया (सिवाय वित्तीय विवरणों की लेखे की टिप्पणियों में यथा प्रकट नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण के) तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं, जो कि उचित और विवेकसम्मत थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;

(iv) चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए है;

(v) कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहें है;

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

28. आरईसी का एमओयू रेटिंग

धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में कंपनी के निष्पादन को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 100 के पूर्ण स्कोर के साथ "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एमओयू मूल्यांकन में 100 में से 100 अंक हासिल करने वाला आरईसी पूरे देश में एकमात्र सीपीएसई है।

29. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 'हरित पहल' के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और ईमेल आईडी पंजीकृत होने वाले शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को प्रभावी किया हैं। ऐसे शेयरधारकों को लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई–मतदान सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी इस वर्ष एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से भी आयोजित करेगी। सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार एजीएम में ई–मतदान और इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत निर्देशों को देख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और

शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) या अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत करें और हरित पहल में भाग लें।

30. *स्वच्छता के प्रति वचनबद्धता*

स्वच्छता कार्य योजना के तहत आरईसी ने *स्वच्छता* पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्रियाकलाप शुरू किए हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदानों की स्थापना, पुराने अभिलेखों की छंटाई, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और स्वच्छता संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ('आरटीआई अधिनियम') का उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए कंपनी में एक आरटीआई प्रकोष्ठ मौजूद है। कंपनी ने आरटीआई आवेदनों का उत्तर देने के लिए एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरटीआई प्रथम अपील पर निर्णय करने के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) को नामित किया है। आरटीआई प्रकोष्ठ में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है। आरटीआई प्रकोष्ठ के पूरे कामकाज और आरईसी में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पारदर्शिता अधिकारी द्वारा की जाती है।

आरईसी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (https://rtionline.gov.in) से भी जुड़ा है, जो भारत के नागरिकों को भुगतान गेटवे के साथ आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन फाइल करने में सक्षम बनाता है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

क्रम सं.	आरटीआई का विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन	362
2.	निपटाए गए आवेदन	358
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन*	4
4.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	22
5.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलें	18
6.	बाद में निपटाई गई अपीलें	4
7.	केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपील	2
8.	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटान की गई दूसरी अपील	2

**लंबित आवेदनों और अपीलों का समय–सीमा के भीतर निपटान किया गया था।*

इसके अलावा, आरईसी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर रखा है। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा स्व–प्रेरणा प्रकटीकरण की वार्षिक लेखापरीक्षा का प्रावधान करते है, आरटीआई प्रकटीकरण का तृतीय–पक्ष ऑडिट किया गया है और रिपोर्ट आरईसी की वेबसाइट पर रखी गई है।

32. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए लोक खरीद नीति के तहत रिपोर्टिंग।

खरीद प्रक्रिया में यथा परिभाषित, एमएसएमई के लिए दिशा–निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के संवर्धन के प्रयास के रूप में और नवंबर 2018 से संशोधित निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानदंडों को पूरा करने के लिए, आरईसी ने पहले ही 10 लाख रुपए तक के मूल्य वाली कुछ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद को एमएसएमई विक्रेताओं से अनिवार्य कर दिया है और एमएसई को 50% तक की मूल्य वरीयता की अनुमति दी है जिसमें से 20% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, आरईसी भारत सरकार (जीओआई) के *जीईएम* (गवर्मेंट ई–मार्केटप्लेस), *संबंध, समाधान* और *टीआरईडीएस* (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल्स पर पंजीकृत है और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी के सभी कार्यालय प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद ₹57.38 करोड़ थी और आरईसी ने केवल सरकार द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया बल्कि उससे अधिक हासिल की उपलब्धि प्राप्त की थी। जीईएम पोर्टल से खरीद ₹29.35 करोड़ (25% के लक्ष्य से अधिक प्राप्त) और एमएसएमई से खरीद 21 करोड़ रुपए (25% के लक्ष्य प्राप्त) थी, जिसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद ₹0.67 करोड़ थी और महिला उद्यमियों से खरीद क्रमशः ₹0.40 करोड़ थी। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसएमई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के संबंध में आरईसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी।

आरईसी ने अपने सभी अखिल भारतीय कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि जीईएम पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद अनिवार्य रूप से केवल जीईएम के माध्यम से की जानी चाहिए; और अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक जीईएम खरीद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें जीईएम के संकाय सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आयोजित किए गए सत्र शामिल हैं। प्रतिभागियों द्वारा उक्त में भाग लिया गया और उनकी अत्यधिक सराहना की गई। आरईसी ने ऑनलाइन सत्र के माध्यम से अपना वार्षिक विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) भी आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं ने भाग लिया था।

आरईसी की सभी निविदाएं भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के यथा लागू निदेशों के पूर्ण अनुपालन में हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, इस तरह के अनुपालन की निगरानी निदेशक मंडल द्वारा त्रैमासिक रूप से की जा रही है; और ₹250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की निविदओं के लिए उप–समिति द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर 'मेक इन इंडिया' पर भारत सरकार के निर्देशों का *अनुपालन सुनिश्चित* करने के लिए की जा रही है।

एमएसएमई और मेक इन इंडिया के लिए आरईसी की लोक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी (केन्द्रीय लोक खरीद पोर्टल) पर विधिवत प्रकाशित सभी निविदाओं में शामिल है। सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर इसकी जांच और निगरानी भी की जा रही है। आईईएम ने पाया है कि सभी खरीद गतिविधियां व्यवस्था के अनुरूप हैं और इसके लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है।

33. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के उपबंधों के अनुरूप, कंपनी में महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें सदस्य के रूप में से एक किसी एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल होता हैं। कंपनी के यौन उत्पीड़न–रोधी रुख को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों में भी रेखांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए पीओएसएच अधिनियम पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया।

34. वार्षिक विवरणी

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ दाखिल की गई; और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रारूप वार्षिक विवरणी, कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/annual-returns पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एमसीए के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के बाद, उक्त को उसी वेबलिंक पर वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा।

35. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए फॉर्म एओसी–2 में प्रकट किए जाने हेतु अपेक्षित वाले संबंधित पक्ष संव्यवहार के विवरण 'शून्य' थे।

36. लेखापरीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.के. मित्तल एवं कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 001135एन) और मैसर्स ओ.पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने हेतु आगामी एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

36.2 सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली (वृत्ति का प्रमाण–पत्र संख्या 6370), को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी अर्हता, शंका, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टें) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एक अनर्हक रिपोर्ट दी है। हालांकि, बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के संबंध में उनकी कुछ टिप्पणियां हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी, क्योंकि बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति बोर्ड में कुल तीन (15 नवंबर, 2021 को नियुक्त दो स्वतंत्र निदेशक और 30 दिसंबर, 2021 को नियुक्त एक स्वतंत्र महिला निदेशक) स्वतंत्र निदेशक थे।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संघ के नियमावली के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है। आरईसी की महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पूर्व स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय ने 15 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों और 30 दिसंबर, 2021 से एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 के अनुसार, सेबी (एलओडीआर विनियम, 2015 में अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा कंपनी के बोर्ड की संरचना में कमी आ रही थी।)
2. लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, अध्यक्षता और बैठकों की गणपूर्ति और हितधारक संबंध समिति की संरचना 1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में नहीं थी।	कंपनी बार–बार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर रही है और हमारा अनुरोध मंत्रालय में विचाराधीन है। विद्युत मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, कंपनी सभी लागू वैधानिक उपबंधों का उचित अनुपालन करेगी।
3. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना 1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में नहीं थी।	इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उपरोक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, बोर्ड की विभिन्न वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया गया और बोर्ड की सभी समितियां कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का पूर्ण अनुपालन कर रही हैं।
4. जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना 5 मई, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 21(2) के अनुपालन में नहीं थी। कंपनी निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(6) के अनुपालन नहीं कर रही थी।	

37. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 22 जुलाई, 2022 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सी एण्ड एजी की टिप्पणियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।

38. डिबेंचर न्यासी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय–समय पर जारी किए गए अपने बॉण्डों/डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण वाली एक सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

39. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 24 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन किया गया था। संशोधन अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी को विद्युत क्षेत्र में उभरते कारोबारिक अवसरों का दोहन करने और कारोबार के नए क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था।

ग) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया है।

घ) नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे भविष्य में कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के संचालन प्रभावित होते हों।

ङ) कंपनी विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी प्रक्रियाओं/नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

च) वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ की शर्तों और बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना और निदेशकों के परिचयात्मक कार्यक्रमों के लिए वेब–लिंक, संबंधित पक्ष संव्यवहार की भौतिकता तथा संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति, भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक, निदेशकों को बैठक शुल्क और आईईपीएफ आदि के बारे में विवरण समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार 'कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट' में प्रदान किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, दिए गए ऋण, दी गई गारंटी, प्रदान की गई प्रतिभूतियां या कंपनियों के वित्तपोषण के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा किया गया निवेश या अपने कारोबार के सामान्य चालन में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, कंपनी पर लागू नहीं हैं, अतः कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाया गया है।

ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

झ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2022 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

ञ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ट) संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यथा लागू सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामलों आदि से संबंधित विवरण, इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए गए हैं।

ठ) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत कंपनी के उत्पादोंध्सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

ड) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालय लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी है। तथापि, कंपनी की धोखाधड़ी निवारण संबंधी नीति के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति को प्रतिपूर्ति के लिए दर्ज किए गए चिकित्सा दावों में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया गया था। प्रारंभिक जांच के आधार पर उनके चिकित्सा लाभ पर रोक लगा दी गई है और उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

ढ) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

ण) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता हैं। तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक, सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं।

त) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

थ) आरईसी के विरूद्ध न तो कोई आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) लंबित है, और न ही हमें कंपनी के विरूद्ध किसी भी आईबीसी कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सूचना प्राप्त हुई है।

40. कारपोरेट कार्यालय भवन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी सेक्टर–29, गुरुग्राम में अपने अत्याधुनिक कार्यालय भवन में स्थानांतरित हो गई और इसने कब्जा प्रमाण–पत्र, अग्निशामन अनापत्ति प्रमाण–पत्र एनओसी, संचालन के लिए सहमति आदि जैसी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। भवन का डिजाइन परियोजना के वास्तुकार मैसर्स सीडब्ल्यूए, न्यूयॉर्क द्वारा तैयार किया गया और जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ठेकेदार के रूप में निर्माण, परियोजना प्रबंधन सलाहकार टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की देखरेख में किया गया है।

माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर. के. सिंह का 25 जुलाई, 2022 को आरईसी के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्वागत करते हुए आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन (दायीं ओर से प्रथम), इस अवसर पर माननीय विद्युत राज्य मंत्री, श्री कृष्ण पाल गुर्जर और विद्युत मंत्रालय के विद्युत सचिव, श्री आलोक कुमार (बायीं ओर से प्रथम) भी उपस्थित थे।

भवन के अनूठे डिजाइन में कई विशेष विशेषताएं हैं जैसे फेयर फिनिश सफेद कंक्रीट की सतह, उठा हुआ फर्श, स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, आईबीएमएस, स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु ग्लास फैकेड, आदि। भवन में 979 केडब्ल्यूपी सोलर रूफटॉप पेर्गोला संरचना में पीवी संयंत्र भी है। जो आरईसी कार्यालय के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। भवन में 400 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला एक इन–हाउस सभागार भी है।

41. बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के उपबंधों के संदर्भ में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कारपोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट समाविष्ट होने वाले पृथक खंड इस बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र अनुसार, कंपनी ने स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एक एकीकृत रिपोर्ट तैयार की है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू वैधानिक उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट, सूचना, प्रमाण पत्र आदि बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नानुसार संलग्न हैं:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	VI
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासियों का विवरण	VIII

42. आभार

निदेशक विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कंपनी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते है। निदेशक, धारक कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का भी उनके निरंतर समर्थन और सद्भावना के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक कंपनी में विश्वास बनाए रखने के लिए सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं और बॉण्ड धारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत उपयोगिताओं और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित सभी ग्राहकों और ऋण लेने वालों को उनका विश्वास जताने और कंपनी के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों के प्रबंधन को दिए गए उनके समर्थन के लिए आभारी हैं। अंत में किंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, निदेशक कर्मचारियों और स्टाफ को उत्कृष्टता की तलाश में लगातार कार्य करते रहने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कारोबार परिवेश और उद्योग परिदृश्य, उद्योग जोखिम, अवसरों और कंपनी के वित्तीय और प्रचानालात्मक कार्य–निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

कारोबार परिवेश

वैश्विक कारोबार परिवेश

वैश्विक आर्थिक संभावनाएं भू–राजनीतिक संघर्ष के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई अनिश्चितता तथा नकारात्मक जोखिमों से घिरी हुई हैं, और दुनिया भर में अतिरेक प्रतिबिंबित हो रहे हैं। भू–राजनीतिक जोखिम में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक वित्तीय बाजारों में तेज अस्थिरता वैश्विक सुधार को बाधित कर सकती है, जो अभी प्रारम्भिक चरण में है। यह परिस्थिति ऐसे समय में उत्पन्न हो रही है जब अधिकांश देश अभी भी महामारी और उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं।

यूक्रेन में युद्ध ने एक विषम संकट पैदा कर दिया है, जो एक त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान के अभाव में अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रतिकूल रूप से प्रभावी सिद्ध हो सकता है। बड़े पैमाने पर हुए युद्ध के परिणामस्वरूप 2022 में वैश्विक विकास की गति काफी धीमी होने की आशा है। यह संकट तब सामने आया जब वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने की राह पर थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिसमें उभरती हुई बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सुधार के पथ में महत्वपूर्ण विषमता विद्यमान थी। युद्ध के अलावा, प्रमुख विनिर्माण केंद्रों सहित चीन में बार–बार और व्यापक लॉकडाउन ने विनिर्माण गतिविधि को धीमा कर दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अड़चनें आ सकती हैं। उच्च, व्यापक और अधिक निरंतर मूल्य दबावों ने कई देशों में मौद्रिक नीति को कड़ा कर दिया है। आर्थिक संभावनाओं के लिए समग्र जोखिम तेजी से बढ़े हैं और नीतिगत दुविधाएं अब और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2021 के दौरान मजबूत रही, क्योंकि इसके मूल्य में प्रत्येक तिमाही में वृद्धि होती रही। व्यापार वृद्धि केवल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं थी, सेवाओं में व्यापार भी पर्याप्त रूप से बढ़ा और पिछली तिमाही के दौरान पूर्व–महामारी के स्तर पर पहुंच गया। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर, वैश्विक व्यापार का मूल्य 2021 में 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो महामारी की स्थिति से पहले 2020 में 25% और 2019 की तुलना में 13% अधिक है। सेवाओं में व्यापार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पूर्व–महामारी के स्तर से कुछ अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निरंतर मुद्रास्फीति जैसे व्यापक आर्थिक रुझान और चीन की आपूर्ति श्रृंखला और भू–संपदा क्षेत्र से संबंधित चिंताओं को देखते हुए 2022 में व्यापार वृद्धि आशा से कम होने की संभावना है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में पूर्व में अपेक्षित स्तर की तुलना में कमजोर स्थिति से आरंभ हुई। जैसे ही कोविड–19 के नए संक्रमण आगे प्रसारित हुए, कई देशों ने अपने गतिशीलता संबंधी प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप अनुमान से अधिक उच्च और व्यापक–आधारित मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई। निजी खपत की अपेक्षा से धीमी पुनःप्राप्ति ने भी विकास की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।

वैश्विक विकास 2021 में अनुमानित 6.1% की तुलना में 2022 और 2023 में 3.6% तक धीमा होने का अनुमान है। 2023 के बाद, मध्यम अवधि में पूर्वानुमान में लगभग 3.3% तक गिरावट आ जाती है। निर्णायक रूप से, यह पूर्वानुमान मानता है कि संघर्ष यूक्रेन तक ही सीमित है, रूस पर आगे के प्रतिबंधों ने ऊर्जा क्षेत्र को छूट दी है (हालांकि 31 मार्च, 2022 तक घोषित रूसी ऊर्जा और प्रतिबंधों से खुद को दूर करने के यूरोपीय देशों के फैसलों के प्रभाव को आधार रेखा में शामिल किया गया है), और महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव 2022 के दौरान कम हो जाते हैं।

युद्ध से प्रेरित पण्यों की कीमतों में बढ़ोतरी और कीमतों के बढ़ते दबाव से प्रेरित होते हुए मुद्रास्फीति के पिछले पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक समय तक बनी रहने की उम्मीद है। 2022 के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 5.7% और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7% अनुमानित है।

एक ओर, महामारी के प्रकोप और मौसम द्वारा कारित व्यवधानों के कारण प्रमुख आदानों की कमी हो गई है और कई देशों में विनिर्माण गतिविधियां कम हो गई है। दूसरी ओर, आपूर्ति की इस कमी के साथ–साथ नियंत्रित मांग के निर्मोचन और पण्यों की कीमतों में बदलाव के कारण, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई है, उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और अनेक उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। निम्न आय वाले देशों में खाद्य कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जहां खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है, जिससे निर्धन परिवारों पर बोझ बढ़ गया है। पण्य बाजारों, व्यापार और वित्तीय अंतर–संबंधों आदि के माध्यम से युद्ध की आर्थिक लागत के दूर तक फैलने की उम्मीद है। ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि पहले से ही कमजोर आबादी पर वैश्विक प्रभाव डाल रही है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में रूस और यूक्रेन की भूमिका विशिष्ट पण्य संबंधों से परे है। इसलिए ऊर्ध्वप्रवाह क्षेत्रों में व्यवधान द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदारों से आगे निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, नियॉन गैस का उत्पादन, जो सिलिकॉन चिप्स के निर्माण में एक आदान है, रूस और यूक्रेन में केंद्रित है। बाधाओं के कारण सिलिकॉन चिप की कमी हो गई है, जिससे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अधोप्रवाह उत्पादन में बाधाएं आ रही हैं। वैश्विक कार उत्पादन भी युद्ध से प्रभावित है, क्योंकि यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग सिस्टम के उत्पादन में व्यवधान ने जर्मनी में ऑटोमोबाइल संयंत्र के बंद होने में योगदान दिया है। रूस से निर्यात की जाने वाली पैलेडियम और निकल जैसी धातुओं की लंबी कमी से कैटेलिटिक कन्वर्टर्स और बैटरी सहित अन्य वस्तुओं की लागत में वृद्धि होगी। इसके अलावा, बेलारूस से पोटाश उर्वरकों के निर्यात में व्यवधान अन्यत्र खाद्य उत्पादन को प्रभावित करेगा और खाद्य कीमतों को और विषम बनाएगा।

2020 में अल्प गिरावट के बाद, 2021 में वैश्विक विद्युत की मांग में 6% की वृद्धि हुई। यह निरपेक्ष रूप से सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि (1500 टेरावाट घंटे से अधिक) थी और वित्तीय संकट के बाद 2010 के बाद से सबसे बड़ी प्रतिशत वृद्धि थी। वैश्विक विकास का लगभग आधा विकास चीन में हुआ, जहां मांग में अनुमानित 10% की वृद्धि हुई। वैश्विक मांग में वृद्धि के आधे से अधिक को कोयले को पूरा किया गया। कोयले से किया जाने वाला विद्युत उत्पादन 9% की वृद्धि के साथ सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में 6% की जोरदार वृद्धि हुई। गैस से चलने वाले उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई, जबकि परमाणु ऊर्जा में 3.5% की वृद्धि हुई, जो लगभग 2019 के स्तर तक पहुंच गई। विद्युत से CO_2 का उत्सर्जन भी लगभग 7% बढ़ा, जो रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। 2022–24 के दौरान, यह आशा की जाती है कि मध्यम मांग वृद्धि से मेल खाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। यह भी अनुमान है कि औसत वार्षिक विद्युत मांग वृद्धि 2.7% होगी, लेकिन महामारी और उच्च ऊर्जा की कीमतें इसमें अनिश्चितता का अंश शामिल करती हैं।

भारतीय कारोबार परिवेश

कोविड–19 संकट के प्रति भारत की व्यापक वित्तीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं ने इसकी पुनःप्राप्ति का समर्थन किया और महामारी के लंबे समय तक चलने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद की।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्तीय वर्ष 2021–22 में 8.9% हो गया अर्थात उसमें इसके पूर्व–महामारी (2019–20) के स्तर से ऊपर 1.8% का उछाल आया। आर्थिक गतिविधि, जिसने वित्तीय वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में दूसरी लहर के उतार–चढ़ाव के साथ मजबूती हासिल की थी, ने तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसंबर) के बाद से अपनी गति खो दी, जिसमें चौथी तिमाही (जनवरी–मार्च) में ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार से वृद्धि हो गई है। घटते संक्रमण के लाभकारी प्रभाव फरवरी 2022 के बाद से भू–राजनीतिक उथल–पुथल से ओत–प्रोत हो गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति फरवरी में ऊपरी सहिष्णुता स्तर से ऊपर चली गई, क्योंकि विवादों द्वारा आपूर्ति आघातों की शुरुआत के साथ सम्मिश्रित प्रतिकूल आधार प्रभावित हुआ है। भू–राजनीतिक तनावों ने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।

यद्यपि विवाद के मध्य में विभिन्न देशों के लिए भारत का प्रत्यक्ष व्यापार जोखिम सीमित है, युद्ध संभावित रूप से पण्यों की कीमतों में वृद्धि और चौनलों पर वैश्विक फैलाव के माध्यम से आर्थिक सुधार को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से प्रेरित वित्तीय बाजार में उतार–चढ़ाव, कुछ प्रमुख देशों में बढ़े हुए आपूर्ति–पक्ष व्यवधानों के साथ कोविड–19 संक्रमणों के कारण नए सिरे से उत्पन्न जोखिम और महत्वपूर्ण आदानों जैसे सेमी–कंडक्टरों और चिप्स की दीर्घकालिक कमी आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022–23 के दौरान कच्चे तेल (भारतीय अंश) को 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर मानते हुए, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब आरबीआई के अनुसार 7.2% अनुमानित है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में, भारत की वित्तीय वर्ष 2022–23 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है, जिसमें उच्च पण्यों के मूल्य का अनुमान लगाया गया है, जो कम शुद्ध निर्यात के साथ–साथ निजी खपत और निवेश पर बोझ डाल सकता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अनुमानित 1.5% की तुलना में भारत के वित्तीय वर्ष 2022–23 चालू खाता घाटे की 3.1% होने की आशा है। आईएमएफ द्वारा भारत के वित्तीय वर्ष 2023–24 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान में भी 7.1% से 6.9% की कटौती की गई थी। मोटे तौर पर युद्ध और परिणामी प्रतिबंधों को देखते हुए, दृष्टिकोण प्रतिकूल हो गया है। इसके विपरीत, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2022–23 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% और 2023–24 में 8% रहने की उम्मीद की है।

उद्योग संरचना और विकास

उद्योग सिंहालोकन

भारत दुनिया में विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इसका विद्युत क्षेत्र दुनिया में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है, जिसमें पारंपरिक स्रोतों (कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल और परमाणु ऊर्जा) और गैर–पारंपरिक स्रोतों (पवन, सौर और कृषि और घरेलू अपशिष्ट) से विद्युत उत्पादन शामिल है। 31 मार्च, 2022 तक, भारत में विद्युत स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 399.49 गीगावाट थी। कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन से ईंधन–वार स्थापित उत्पादन क्षमता 236.11 गीगावाट थी, जबकि गैर–जीवाश्म ईंधन जैसे हाइड्रो, लघु हाइड्रो, पवन, सौर, अपशिष्ट से ऊर्जा और परमाणु सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा ने 163.38 गीगावाट का योगदान दिया।

विद्युत क्षेत्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और वसूली को सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र ने 2021 में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन इसमें चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाना, विश्वसनीयता और लचीलापन का वादा करना, सुरक्षा बढ़ाना और लागत में कमी करना। 2022 में, भारतीय विद्युत क्षेत्र को विद्युत कटौती, वित्तीय नुकसान, त्वरित तकनीकी उन्नयन और लागत में कटौती जैसी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के आगमन ने सभी क्षेत्रों को अपनी क्षमता को महसूस करने के लिए सशक्त बनाया है, जबकि अंत्य उपभोक्ताओं की सुविधा में भी वृद्धि की है। महामारी द्वारा प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। डी–कार्बोनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के साथ स्वयं को उन्नयित करना होगा। सतत ऊर्जा, तकनीकी उन्नयन, निजी क्षेत्र की भागीदारी, ऊर्जा भंडारण और परिवहन जैसे क्षेत्रों के विद्युतीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में विद्युत वितरण क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। देश ने अब विद्युत तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल कर ली है। हालांकि, विद्युत क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में विद्युत वितरण सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। महंगी दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौतों, खराब अवसंरचना और अक्षम संचालन के परिणामस्वरूप अधिकांश वितरण यूटिलिटिज को नुकसान हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप, ये नुकसान उन्हें विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और नवीकरणीय ऊर्जा की व्यापक पहुंच के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक निवेश करने से रोकते हैं। विद्युत उत्पादकों को भुगतान करने के लिए वितरण उपयोगिताओं की अक्षमता, ऋणदाताओं सहित क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य को खतरे में डालती है, जिससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि के साथ डिस्कॉम की व्यवहार्यता की दिशा में ठोस उपाय किए जाने अपेक्षित हैं।

उद्योग-सरंचना

उत्पादन

31 मार्च, 2022 तक देश में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 399.49 गीगावाट थी, जिसमें 99,005 गीगावाट (24.6%) केंद्रीय क्षेत्र से, 1,04,855 मेगावाट (26.2%) राज्य क्षेत्र से और 1,95,637 मेगावाट (49%) निजी क्षेत्र से थी।

प्रकार के अनुसार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में, 31 मार्च, 2022 तक, ताप–विद्युत के तहत स्थापित क्षमता 2,04,080 मेगावाट (51.1%), लिग्नाइट 6,620 मेगावाट (1.7%), गैस 24,900 मेगावाट (6.3%), डीजल 510 मेगावाट (0.1%) और नवीकरणीय ऊर्जा 1,56,608 मेगावाट (39.2%) थी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में जलविद्युत परियोजनाएं, लघु जलविद्युत परियोजनाएं, बायोमास, पवन, सौर, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट (1.7%) रही।

देश भर के ताप–विद्युत संयंत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) केंद्रीय संयंत्रों के लिए 69.71%, राज्य क्षेत्र के संयंत्रों के लिए 54.50% और निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए 53.62% था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय स्रोतों सहित) 1491.80 बीयू था जिसमें पिछले वर्ष में कुल उत्पादन की तुलना में 7.96% की वृद्धि हुई थी।

नवीकरणीय ऊर्जा

पेरिस समझौते के भाग के रूप में, भारत 2030 तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% गैर–जीवाश्म ईंधन से उत्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, 2030 तक 500 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी तय किया गया है।

31 मार्च, 2022 तक, भारत की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 156.60 गीगावाट थी, जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 39.2% है। सौर ऊर्जा का योगदान 53.99 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 40.35 गीगावाट, बायोमास सह–उत्पादन से 10.20 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा में 0.5 गीगावाट, लघु जल–विद्युत से 4.84 गीगावाट और जल–विद्युत से 46.72 गीगावाट का योगदान करने का अनुमान है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। 2020 के अनुसार भारत नवीकरणीय संस्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर था, इसके अलावा पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर था। भारत जी–20 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग पर है।

भारत सरकार ने पांच साल की अवधि में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए ₹4,500 करोड़ की उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की थी। घरेलू विनिर्माण को और गति देने के लिए, सरकार 1 अप्रैल, 2022 से सौर पीवी सेल और सौर पीवी मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा–शुल्क लगाने पर सहमत हुई है।

पारेषण और वितरण

पारेषण

विद्युत वितरण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तत्व पारेषण उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी और लोड केंद्रों तक इसकी प्रदायगी की सुविधा प्रदान करता है। विद्युत उत्पादन और वितरण क्षेत्रों की प्रगति के लिए पारेषण क्षेत्र एक आधार के रूप में कार्य करता है। विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत को निकालने और उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है। प्रचलित नाममात्र अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनें ± 800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी, 400 केवी, 230/220 केवी, 110 केवी और 66 केवी एसी लाइनें हैं। पारेषण प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में ग्रिड का विस्तार करके और ग्रिड से जुड़ने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाकर देश के ऊर्जा संक्रमण में एक उत्प्रेरक भूमिका निभा रही है। पारेषण क्षमता में निरंतर वृद्धि से नवीकरणीय ऊर्जा के योगदान को तीन गुना बढ़ाने में मदद मिली है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2014–15 में 35.52 गीगावाट से वित्तीय वर्ष 2021–22 (हाइड्रो को छोड़कर) में 109.88 गीगावाट तक।

कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के कुशल वितरण के लिए पारेषण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करने, अंतर–राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली में वृद्धि करने, राष्ट्रीय ग्रिड का संवर्धन करने और पारेषण प्रणाली नेटवर्क के संवर्धन की आवश्यकता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, निजी क्षेत्र से देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली अंतर–राज्य और अंतरा–राज्य, दोनों ही स्तरों पर गति प्राप्त करती है। भौतिक ग्रिड अवसंरचना के विस्तार के लिए जीईसी (हरित ऊर्जा गलियारा) और सीमा पार लिंक जैसे अनेक ग्रिड विस्तार कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्रिड को अधिक विश्वसनीय, लचीला, सुरक्षित और समुचित बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर पारेषण उपयोगिताओं से नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र को आगे बनाई गई नीति और सुधार उपायों से भी अत्यधिक लाभ होने की आशा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, पिछले वर्ष लगभग 16,750 सीकेएम की तुलना में कुल 14,895 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) पारेषण लाइनें जोड़ी गईं। परिसंपत्ति मुद्रीकरण अर्थात अधिक परियोजनाओं के लिए पूंजी पूल बनाने के लिए पारेषण खंड सरकार का एक प्रमुख बल प्रदान किया गया क्षेत्र रहा है। राज्य द्वारा संचालित पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नए प्रारंभ किए गए पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) को लगभग 7,500 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन आस्तियां हस्तांतरित कर रहा है। मई 2021 में आरंभ होने के बाद से आईएनवीआईटी ने ₹4.50 प्रति यूनिट का लाभांश वितरित किया है।

वितरण

संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में वितरण सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करने की भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से, विद्युत वितरण सरकारी स्वामित्व वाली उपयोगिताओं का एकाधिकार रहा है, और यह राज्य सरकारों के दायरे में है, जिसमें निजी क्षेत्र केवल एक सीमित भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र घाटे में चल रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए राज्य की डिस्कॉम और यूटिलिटिज को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय करना महत्वपूर्ण हो गया है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने सुधार उपायों से जुड़ी डिस्कॉम की वित्तीय और प्रचालन क्षमता में सुधार के लिए कई हस्तक्षेप किए हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत द्रव्यता समावेशन योजना (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़े राज्यों को जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 0.5% अतिरिक्त उधार लेना, उपयोगिताओं के प्रदर्शन के आधार पर आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा उधार देने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड पेश करना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), आदि शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में, टैरिफ में संशोधन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे वितरण सुधारों ने डिस्कॉम के लिए सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। 2017 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया। सरकार ने 28 जून, 2019 को एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) खोलने और उन्हें अनुरक्षित करने को लागू किया गया था। आदेश एनएलडीसी (नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर) और आरएलडीसी (रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर) को अधिदेश देता है कि विद्युत प्रेषण केवल तभी किया जाए जब उत्पादन कंपनियां सूचित करती हैं और डिस्कॉम द्वारा एलओसी खोलने की पुष्टि करती हैं।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप की पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में एक द्रव्यता समावेशन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत आरईसी और पीएफसी ने डिस्कॉम को रियायती दरों पर विशेष दीर्घकालिक संक्रमण ऋण प्रदान किया है। ये ऋण राज्य सरकारों से विद्युत की बकाया राशि के रूप में डिस्कॉम की प्राप्तियों के लिए दिए गए थे और इनमें सब्सिडी का वितरण नहीं किया गया ताकि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उत्पादन और पारेषण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को 30 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार देय बकाया ऋण की राशि को चुकाने में सक्षम बन सकें। एलआईएस योजना के तहत अब तक देश में विभिन्न वितरण यूटिलिटिज को ₹1.40 लाख करोड़ के कुल ऋण स्वीकृत किए गए हैं और ₹1.12 लाख करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। इन सुधार उपायों का उद्देश्य डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है, जिससे विद्युत उत्पादन कंपनियों की उन पर बकाया राशि की मात्रा में कमी आएगी।

विद्युत क्षेत्र नीति परिवेश

विद्युत भारत में एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। विद्युत खंड और नवीकरणीय ऊर्जा में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

भारत सरकार ने पिछले अनेक वर्षों में विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन, उसकी क्षमता में वृद्धि तथा पारेषण, उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क आदि में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। 2003 के विद्युत अधिनियम ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विधिक ढांचे में व्यापक बदलाव किए जिसके पश्चात राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल नीति और मेगा पावर नीति की अधिसूचना जारी की गई, जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त 2006 में अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादक उपयोगों के लिए एक निवेश के रूप में विद्युत प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना और तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था।

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसने उद्योग के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया है, जिसके कुछ उदाहरण हैं – उदय, सभी के लिए विद्युत, उजाला, गांव और घरेलू विद्युतीकरण और अब आरडीएसएस। जबकि डिस्कॉम सुधारों ने सीमित वित्तीय सफलता हासिल की है, नीतिगत सुधार जैसे भुगतान सुरक्षा तंत्र, विद्युत कटौती दंड, विद्युत संशोधन विधेयक आदि, इस क्षेत्र में दक्षता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। भारत ने पहले ही संघ राज्यक्षेत्रों में विद्युत वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि लाना है जिसके फलस्वरूप डिस्कॉम को अपने प्रदर्शन मानकों में सुधार करने और शेष भौगोलिक एकाधिकार के स्थान पर अधिक उपभोक्ता–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश होना पड़ा है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार का *आत्मनिर्भर* योजना के अधीन दिया गया बल देश को एक संवर्धित विकास योजना पर मजबूती से पकड़ बनाए रखने में मदद करता है और भारत को विदेशी पूंजी के लिए एक आकर्षक निवेश अवसर तैयार करता है। इस विदेशी पूंजी की एक बड़ी राशि भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में प्रवाहित होने की आशा है, जिसे आईएनवीआईटी और आरईआईटी के माध्यम से और भी सुगम बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए केंद्रीय बजट ऊर्जा रूपांतरण को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में उठाया गया एक कदम है। विद्युत क्षेत्र से संबंधित बजट की प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में उपयोग के लिए हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के प्रयोजनार्थ सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करता है।
- ताप–विद्युत संयंत्रों में 5–7% बायोमास पैलेटों की सह–फायरिंग, जिसके परिणामस्वरूप सालाना 38 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) CO_2 की बचत होगी। यह किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर भी प्रदान करेगा तथा कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करेगा।
- अत्यधिक कुशल सौर मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए ₹19,500 करोड़ (2.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का आवंटन।
- तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता विकसित करने के लिए कोयला गैसीकरण और उद्योग हेतु आवश्यक रसायनों में कोयले के रूपांतरण के लिए चार प्रायोगिक परियोजनाएं।
- ऊर्जा ऑडिट, निष्पादन संविदाओं, सामान्य मापन और सत्यापन नयाचार के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता की सुविधा के प्रयोजनार्थ बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) कारोबार मॉडल की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और बचत के उपाय।
- बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए, ई–वाहन पारिस्थितिकी–तंत्र में सुधार के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति और अंतर्प्रचालनात्मकता मानकों को तैयार किया गया है।

भारत 2030 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा योगदान को वर्तमान 25% से 40% तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ, पेरिस समझौते के अनुसार अपने हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर, सरकार ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा का 50% भाग और 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये सभी लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के विकास को बढ़ावा देंगे। सरकार एक या अन्य योजना के माध्यम से स्थायी उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जैसे कि सोलर रूफ–टॉप कार्यक्रम, पीएम कुसुम (प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान) आदि।

देश कोयला, तेल, गैस और विद्युत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ऊर्जा मूल्य निर्धारण सुधार शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो ऊर्जा बाजार को और अधिक खोलने और इसके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए मौलिक आधार है। भारत की हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्ध्ववर्ती सुधार लाकर तथा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में समर्पित तेल आपातकालीन स्टॉक के निर्माण के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

ऊर्जा अनुसंधान, विकास और परिनियोजन (आरडी एंड डी) भारत की ऊर्जा नीति के लक्ष्यों का एक मजबूत समर्थक सिद्ध हो सकता है, और साथ ही ''मेक इन इंडिया'' जैसी व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी योगदान दे सकता है। आरडी एंड डी के माध्यम से, सरकार भारत में सौर पीवी, लिथियम बैटरी, सौर चार्जिंग अवसंरचना तथा अन्य उन्नत तकनीकों का उत्पादन करने के लिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है।

अपने जलवायु नीति एजेंडे के भाग के रूप में, सरकार ने सौर ऊर्जा और जल विद्युत सहित विभिन्न नीति क्षेत्रों में एक मिशन–आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार कूलिंग सॉल्यूशंस, ई–मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड और उन्नत जैव–ईंधन सहित ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने नवाचार प्रयासों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

केंद्र सरकार ने जुलाई, 2021 में सुधार–आधारित और परिणाम–संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीडीएस) को अधिसूचित किया है जिसका वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से संधारणीय और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर, सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करते हुए एटी एंड सी की हानि को 12–15% के अखिल भारतीय स्तर लाना और एसीएस–एआरआर के अंतर को 2024–25 तक शून्य करना है। आरईसी और पीएफसी आरडीएसएस योजना की नोडल एजेंसियां हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के साथ–साथ तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी–2015) की योजनाओं को उनके मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार और उनके मौजूदा नियमों और शर्तों के अधीन आरडीएसएस में शामिल किया गया है।

आरडीएसएस सिस्टम मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित आईटी/ओटी (सूचना प्रौद्योगिकी और प्रचालन प्रौद्योगिकी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विशेष जोर देता है, ताकि विद्युत वितरण में भागीदारी और परामर्श का लाभ उठाकर। एआई/एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू किया जा सके।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, को उसके समापन वर्ष 2021–22 में अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूरा कर लिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने डीडीयूजीजेवाई को ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक एकीकृत योजना के रूप में 2014 में अधिसूचित किया था। इस योजना में ₹43,033 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय था, जिसमें भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी। सभी पूर्ववर्ती आरई योजनाओं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया था। 31 मार्च 2022 के बाद से डीडीयूजीजेवाई योजना को आरडीएसएस में समाहित कर दिया गया है। इसकी समाप्ति पर, योजना के तहत कुल निष्पादित लागत ₹45,942.74 करोड़ आ गई है।

यह उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी शेष 18,452 गैर–विद्युतीकृत (यूई) गांवों को 1,000 दिनों के भीतर विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने मिशन मोड पर इस कार्य को किया और यूई गांवों के विद्युतीकरण कार्यों की निगरानी का काम आरईसी को सौंपा। ये यूई गांव अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में स्थित थे जहां विषम भू–भाग, अत्यधिक तापमान, विषम मुद्दों का सामना करने वाले क्षेत्र या उग्रवाद और अतिवाद से ग्रस्त क्षेत्र की समस्याएं भी शामिल थीं। एक नया अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया गया और ब्लॉक/जिला स्तर पर 'ग्राम विद्युत अभियंता' (जीवीए) नियुक्त किए गए। ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति की पारदर्शी और जवाबदेह रूप से निगरानी के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन 'गर्व ऐप' विकसित किया गया। 28 अप्रैल, 2018 तक सभी गैर–विद्युतीकृत जनगणना वाले गांवों के 100% विद्युतीकरण के साथ ही राष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को नियत समय–सीमा से पहले पूरा किया गया था।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा घरेलू विद्युतीकरण पर भी जोर दिया गया। भारत सरकार ने 25 सितंबर, 2017 को प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना शुरू की, जिसकी कुल लागत ₹16,320 करोड़ है, जिसमें ₹12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है, जिसका उद्देश्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। सौभाग्य योजना के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

इस योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और विद्युत कनेक्शन, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और विद्युत कनेक्शन तथा ऐसे दूरस्थ और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो–वोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली शामिल है, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या किफायती नहीं है।

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और उसका अनुवीक्षण करने के लिए, देश भर में गांववार घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति के बारे में जानकारी प्रसारित करने के प्रयोजनार्थ एक वेब पोर्टल शुरू किया गया था। आम जनता को अपने प्रश्नों को उठाने और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पोर्टल में संवाद नाम की एक सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो सके। गांवों/कस्बों में एक विशेष वाहन, 'सौभाग्य रथ' तैनात किया गया था ताकि योजना के तहत विद्युत कनेक्शन लेने के लिए जनता उनसे संपर्क कर सके।

सौभाग्य योजना अपने समाप्ति वर्ष 2021–22 में अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूरी हो गई है। इसके बंद होने पर, परियोजनाओं की कुल निष्पादित लागत ₹9,246.22 करोड़ हो गई है। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2022 तक 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

देश में वितरण घाटे को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹8,466 करोड़ के ब्याज सब्सिडी परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण परियोजनाओं के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर 14 वर्षों में डिस्कॉम को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपयोगिताएं/डिस्कॉम सुधार से जुड़े मापदंडों के अनुसार हासिल की गई प्रगति के आधार पर ब्याज दरों पर राजसहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

आरईसी योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। 31 मार्च, 2022 तक एनईएफ के अंतर्गत ₹1,475 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) को जनवरी 2010 में भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में शुरू आरंभ किया गया था जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों को संबोधित करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योगों को शामिल किया गया था। मिशन उन अनेक पहलों में से एक है जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) का भाग हैं।

मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, देश भर में इसके बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए जल्द से जल्द नीति संबंधी स्थितियां तैयार करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना तथा कुशल और अकुशल, दोनों ही प्रकार के कार्यबल के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा करना है। मिशन ने अन्य के साथ–साथ 2022 तक 20 गीगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर क्षमता को तीन चरणों में हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था (पहला चरण 2012–13 तक, दूसरा चरण 2013 से 2017 तक और तीसरा चरण 2017 से 2022 तक)। सरकार ने 1 जुलाई 2015 को लक्ष्य को 20 गीगावाट से संशोधित कर 100 गीगावाट किया।

2022 तक 100 गीगावाट तक पहुंचने के लिए, 2015 से 2016 के बाद के वार्षिक लक्ष्यों को भी ऊर्ध्वाकार रूप से संशोधित किया गया था। 11 जनवरी, 2010 को मिशन शुरू होने के लगभग ढाई महीने बाद, 31 मार्च, 2010 को भारत में 161 मेगावाट की संस्थापित सौर क्षमता थी। 31 मार्च, 2015 तक, लक्ष्यों को संशोधित करने से तीन महीने पहले, भारत ने 3,744 मेगावाट की सौर क्षमता का संस्थापित हासिल कर लिया था। 100,000 मेगावाट के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एमएनआरई ने 60 गीगावाट की बड़ी और मध्यम स्तर की सौर परियोजनाओं और 40 गीगावाट की सौर रूफ–टॉप परियोजनाओं के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की। यह नीति नई हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ–साथ मौजूदा पवन/सौर परियोजनाओं के संकरण को बढ़ावा देने का आशय रखती है। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, पारेषण अवसंरचना और भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन–सौर फोटो वोल्टाइक (पीवी) हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करना है। नीति आउटपुट को अनुकूलित करने और परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए हाइब्रिड परियोजनाओं में बैटरी भंडारण के उपयोग की भी अनुमति देती है।

पवन–सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगी। यह नीति एसी (अल्टरनेटिंग करंट) के साथ–साथ डीसी (डायरेक्ट करंट) स्तर पर दोनों ऊर्जा स्रोतों, अर्थात पवन और सौर के एकीकरण का प्रावधान करती है। नीति का उद्देश्य पवन और सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त संचालन से जुड़ी नई प्रौद्योगिकियों, क्रियाविधियों और समाधानों को प्रोत्साहित करना भी है। यदि एक संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता दूसरे संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता का कम से कम 25% है, तो किसी पवन–सौर संयंत्र को हाइब्रिड के रूप में मान्यता दी जाएगी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) आवश्यक मानकों और विनियमों को तैयार करेंगे, जिसमें अनुवीक्षण पद्धति तथा मानकों, पूर्वानुमान और कार्यक्रम–निर्धारण विनियम, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र तंत्र, संयोजनता प्रदान करना और पवन–सौर हाइब्रिड प्रणालिकयों के लिए पारेषन लाइनों को साझा करना आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) योजना 3.5 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चला कर स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने फरवरी, 2019 में पीएम–कुसुम योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना में तीन घटक शामिल हैं:

- घटक–क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड–माउंटेड ग्रिड–कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र
- घटक–ख: 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना
- घटक–ग: 15 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर चालित बनाना।

सभी घटक संयुक्त रूप से 30.80 गीगावॉट की अतिरिक्त सौर क्षमता की स्थापना में सहायता करेंगे। वर्ष 2022 तक 30.8 जीडब्ल्यू की सौर क्षमता जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना का विस्तार किया गया है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹34,035 करोड़ होगी।

सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति

सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2015 में 77 करोड़ इनकैन्डेसेंट लैंपों को एलईडी (लाइट–एमिटिंग डायोड) बल्बों के साथ बदलने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। उक्त योजना के तहत, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), आपकी कंपनी का अन्य विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम, घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे प्रदान करता है, ताकि ऊर्जा और लागत दोनों की बचत हो सके।

ईईएसएल द्वारा पूरे भारत में लगभग 36.86 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.18 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.59 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 48.41 बिलियन केडब्ल्यूएच (किलोवाट घंटे) की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है और 9,788 मेगावाट की पीक मांग से बचने के साथ, जीएचजी (ग्रीन–हाउस गैस) उत्सर्जन में प्रति वर्ष 39.22 मिलियन टन CO_2 कमी और उपभोक्ता विद्युत बिलों में ₹19,332 करोड़ की अनुमानित वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है। यह कार्यक्रम आम आदमी के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ने में सक्षम रहा है और अब तक 9 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने इन एलईडी बल्बों का उपयोग करके लाभ उठाया है, इस प्रकार यह दुनिया में सबसे बड़ा गैर–सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम बन गया है। यह कार्यक्रम घरेलू प्रकाश व्यवस्था में बाजार परिवर्तन हासिल करने में सक्षम रहा है, क्योंकि एलईडी उद्योग अब हर साल 70 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब की बिक्री कर रहा है।

पारदर्शिता और ऑनलाइन एप्स आदि

हाल के दिनों में की गई सभी प्रमुख विद्युत–क्षेत्र सुधार पहलों में पारदर्शिता पर मुख्य ध्यान दिया गया है। मंत्रालय के कामकाज और निष्पादन को ट्रैक करने के साथ–साथ इसके द्वारा की गई सुधार पहलों की प्रगति को देखने के लिए हितधारकों को सशक्त बनाने हेतु विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न एप और वेबसाइट प्रारंभ की हैं। इनमें 'तरंग एप' शामिल है, जो भारत में ट्रांसमिशन प्रणाली की प्रगति की निगरानी करता है; 'ऊर्जा मित्र एप', जो नागरिकों को डिस्कॉम की वास्तविक समय और पूर्व की विद्युत बाधित की जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, 'विद्युत प्रवाह एप', जो विद्युत की कीमत और उपलब्धता पर वास्तविक समय जानकारी देता है, 'उजाला एप', जो एलईडी बल्ब वितरण आदि पर अद्यतन जानकारी देता है।

उपरोक्त नीतियों और पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए मिशन, पंप हाइड्रो स्टोरेज नीति, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, राष्ट्रीय ई–सचलता कार्यक्रम, आदि।

सरकार ने सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के कार्यान्वयन, खुदरा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने सहित विद्युत क्षेत्र के सुधारों का एक मसौदा तैयार किया है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों के साथ ये पहल, निकट भविष्य में इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाकर विद्युत क्षेत्र के नए सिरे से निर्धारण करने में सहायक होगी।

अवसर और शक्ति

आरईसी अपने समूचे भारत में फैले कार्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में राज्य विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विद्युत परियोजनाओं और संबंधित आवश्यकताओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है।

50 से अधिक वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान, आरईसी देश में विद्युत क्षेत्र के विकास का एक प्रमुख वित्त–पोषक और इसे गति देने वाला बन गया है। कंपनी विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। आरईसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ के लिए नोडल एजेंसी, परियोजना प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कंपनी ने पिछले 5 दशकों में न केवल अपने आकार, राजस्व, निवल मूल्य और कार्य के दायरे में, बल्कि राष्ट्र और अपने लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव में भी कई गुना वृद्धि की है। आरईसी का वित्त–पोषण भारत में हर चौथे बल्ब को रोशन करता है।

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020, प्रारूप उपभोक्ता विद्युत अधिकार नियम, वास्तविक समय बाजार विनियमों और संघ राज्य क्षेत्रों के वितरण और खुदरा खंड तथा उसके पश्चात राज्य डिस्कॉम के जैसे विभिन्न नियामक परिवर्तनों को सक्रिय रूप से प्रारंभ किया है। इस निर्णय में न केवल ग्राहकों को सशक्त बनाने की क्षमता है, बल्कि इस क्षेत्र में भारी निवेश लाने और प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाने की भी क्षमता है। सुधार विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण में निवेश को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाएंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे और देश के सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा।

बजटीय उपाय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन करते हैं, जिसमें 2030 तक 500 गीगावॉट और नवीकरणीय ऊर्जा से 50% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य और 2070 तक शुद्ध–शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिज्ञा शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन और यहां तक कि स्मार्ट मीटरिंग को भी, ऊर्जा परिवर्तन के उभरते हुए रुझानों को हासिल करने पर एक प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित सब्सिडी, आयात शुल्क प्रतिबंध, ब्याज मुक्त ऋण, बेहतर कर ढांचे और राज्यों और डिस्कॉम दोनों के लिए सावधानीपूर्वक नीति तैयार करने के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे डिस्कॉम पुनरुद्धार और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फोकस और परिव्यय में वृद्धि हुई है। डिस्कॉम व्यवहार्यता पर सबसे अधिक ध्यान इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण अधूरे एजेंडे के रूप में पहचाना गया है। डिस्कॉम आधारभूत ढांचा उन्नयन के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिणामोन्मुख और सुधार से जुड़े वित्तीय पैकेज, पांच वर्ष तक चलने वाली एक दूरंदेशी योजना है। इससे वितरण आधारभूत ढांचा विकास, फीडर पृथकीकरण और स्मार्ट मीटर संस्थापन में सहायता मिलेगी। सुधारों से उपभोक्ताओं को प्रणालीगत दक्षता में सुधार और प्रतिस्पर्धी टैरिफ को सक्षम बना कर अपने विद्युत आपूर्तिकर्ता को चुनने में अधिक विकल्प मिलेंगे, और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा भी पूरी होगी।

आईएनवीआईटी मॉडल के माध्यम से ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक आशावान कदम है जो विद्युत उत्पादन और मांग की तीव्र गति से मेल खाने के लिए ट्रांसमिशन क्षमता को जोड़ने में मदद करेगा। एसईसीआई और आईआरईडीए के पूंजीकरण का विस्तार, जो विद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संगठन हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक व्यापक बढ़ावा होगा। आरईआईटी और आईएनवीआईटी निवेशकों को लाभांश भुगतान पर टीडीएस से छूट देने और एक विकास वित्तीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्वागत योग्य कदम हैं।

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 के बीच, विद्युत क्षेत्र में कुल एफडीआई प्रवाह 15.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 2.77% है। केंद्रीय बजट 2022–23 के कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने को देखते हुए, उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना हेतु ₹19,500 करोड़ (2.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटन, हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए समप्रभु हरित बॉण्ड आदि जैसी नीतियां विभिन्न नए अवसर प्रदान करती हैं।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के लिए 111 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 24% है। वित्तीय वर्ष 2019–25 के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय ₹102 लाख करोड़ है, जिसमें से पारंपरिक विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में क्रमशः ₹1180 करोड़ और ₹930 करोड़ के महत्वपूर्ण परिव्यय दिखाई देंगे। जहां निजी क्षेत्र से नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में अग्रणी होने की आशा है, पारंपरिक

और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र से आएगा। वितरण में निवेश के अवसरों का विस्तार करना चुनौती होगा, क्योंकि वितरण के बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर ओवरहाल और डिस्कॉम के वित्तीय में सुधार के बिना, बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता बेमानी होगी, और नीचे की ओर महंगे विवादों से घिरी होगी।

आने वाले वर्षों में, स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा को न केवल क्षेत्रक हस्तक्षेपों द्वारा बल्कि स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित 2,00,000 *सक्षम आंगनवाड़ी,* 400 ऊर्जा कुशल वंदे भारत रेलगाड़ियों, जीवंत ग्राम कार्यक्रमों के तहत विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रावधान, ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सचलता जोन, क्लीनटेक और शून्य जीवाश्म ईंधन नीति के साथ कार्यान्वित सार्वजनिक सचलता और परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव जैसे एक संतुलित और सामरिक हस्तक्षेपों के सेट द्वारा भी आगे बढ़ाया जाएगा।

खतरे, जोखिम और चिंताएं

आरईसी का निष्पादन और उसके कारोबार की वृद्धि, समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र, के प्रदर्शन पर निर्भर है।

भारत की 70% विद्युत की मांग कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा पूरी की जाती है। भारत में 100 से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक आवश्यक स्टॉक के 25% से नीचे आ गया है। कोयले की कमी का प्रमुख कारण विद्युत की बढ़ती मांग और गैस और आयातित कोयले की बढ़ती कीमत है। आयातित कोयले की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण तटीय ताप विद्युत संयंत्र अब अपनी क्षमता का लगभग आधा उत्पादन कर रहे हैं। कोयले के मोर्चे पर संकट उत्पादन और वितरण कंपनियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

आरईसी को एनबीएफसी के साथ–साथ बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित अनुबंधों की प्रवर्तनीयता की अनिश्चितता के कारण कानूनी जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दरें परिवर्तनशील होती हैं और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें उधार की लागत, बाजार में नकदी, प्रतिस्पर्धियों की दरें, एएए बॉण्ड/जी–सेक प्रतिफल जैसे बेंचमार्क के संचलन और आरबीआई द्वारा नीतिगत बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा, बाजार की ब्याज दरों में बदलाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

विद्युत क्षेत्र में प्रवेश के लिए बाधाएं अधिक हैं, विशेष रूप से पारेषण और वितरण क्षेत्रों में, जो बड़े पैमाने पर राज्य के एकाधिकार वाली हैं। विद्युत उत्पादन कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रारंभ में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। अन्य बाधाएं ईंधन लिंकेज, विद्युत खरीदने वाली राज्य सरकारों से भुगतान की गारंटी, प्राकृतिक गैस सहित इनपुट की कमी, नियामक बाधाएं आदि हैं, जिन्होंने नए प्रवेश करने वालों को रोक दिया है। यह कंपनी के ग्राहक आधार में महत्वपूर्ण वृद्धि को रोक सकता है।

सौर ऊर्जा का व्यापार एक ऐसा खंड है जो अभी तक अधिक टैरिफ के कारण ज्यादा आगे नहीं बढ सका है, हालांकि, यह भविष्य में मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र के दृष्टिकोण से एक अवसर हो सकता है। इस क्षेत्र में दक्षता में सुधार के उपाय, विशेष रूप से आईटी सक्षमता, पर्यावरण के अनुकूल नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आने वाले भविष्य में ऊर्जा दक्षता समाधान द्वारा नए व्यापार अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

चिंता का एक अन्य कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रमोटरों द्वारा सामना की जाने वाली इक्विटी बाधा है, जिसके कारण परियोजना कार्यान्वयन में देरी होती है और परिणामस्वरूप लागत और समय बढ़ जाता है। अपने ऋण संबंधी दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ताओं की विफलता कंपनी के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे दबावग्रस्त परिसंपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं और कंपनी की कम लागत वाली निधियां जुटाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। भारतीय पूंजी बाजार अच्छी गति से विकसित और परिपक्व हो रहा है और इससे विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। यदि उधारकर्ता सीधे बाजार तक पहुंचना शुरू करते हैं, तो यह आरईसी के कारोबार को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी मौजूदा प्रभाव मानदंडों, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, सीमित ईंधन उपलब्धता, राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति, उच्च एटी एंड सी हानियों, बाजार में नए निकायों के प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित कारोबारी माहौल, रुपये में उतार–चढ़ाव, अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण पूंजी की लागत में संभावित वृद्धि, कम विद्युत की मांग और अगले 5 वर्षों में पारंपरिक उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने की संभावना के बारे में भी चिंतित है। इसके अलावा, देश के व्यापार और नीतिगत वातावरण का ब्याज दर व्यवस्था, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, उत्पादन प्रतीक्षा अवधि और विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी परिव्यय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामान्य आर्थिक स्थितियों का विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर भी सीधा असर पड़ सकता है, जो उधारकर्ताओं की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

सरकार विद्युत क्षेत्र को पुनरुद्धार के रास्ते पर लाने के लिए कई पहलें कर रही हैं, जिसमें विद्युत उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि और कोयला परिदृश्य में सुधार शामिल है। कंपनी कम लागत पर संसाधन जुटा रही है और सर्वोत्तम रिटर्न की पेशकश करने वाले अवसरों में उन्हें लगाए जाने को सुनिश्चित कर रही है, जो कि आरईसी के सतत विकास और लाभप्रदता में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

खंड-वार या उत्पाद-वार निष्पादन

आरईसी एक प्रमुख गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे आरबीआई द्वारा अवसंरचनात्मक वित्त–पोषण कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पूरे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।

आरईसी के प्रमुख उत्पाद राज्य यूटिलिटिज, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि के लिए ब्याजधारी ऋण हैं। कंपनी के पास कोई पृथक सूचनायोग्य खंड नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं और स्कीमों के लिए ₹54,421.76 करोड़ की कुल ऋण सहायता को मंजूरी दी। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹16,089.15 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹14,733.52 करोड़, आत्मानिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की तरलता इन्फ्यूजन योजना (एलआईएस) के तहत ऋण सहित टी एंड डी परियोजनाओं के लिए ₹21,150.79 करोड़, और अल्पकालिक ऋण, मध्यम अवधि के ऋण आदि के रूप में अन्य ऋणों के लिए ₹2,448.30 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने ₹64,150.21 करोड़ के कुल ऋण वितरित किए, जिसमें ₹19,406.90 करोड़ उत्पादन परियोजनाओं के लिए, ₹2,823.51 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, ₹16,554.23 करोड़ टी एंड डी परियोजनाओं के लिए, ₹19,752.42 करोड़ एलआईएस और ₹4,877.68 करोड़ लघु अवधि के ऋण, मध्यम अवधि के ऋण आदि सहित अन्य ऋणों के लिए थे। ऋण संवितरण में भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और सौभाग्य योजनाओं के तहत काउंटर–पार्ट वित्त–पोषण के लिए ₹735.47 करोड़ भी शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹5,317.66 करोड़ की कुल सब्सिडी का वितरण किया, जिसमें डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत ₹4,782.72 करोड़, डीडीयूजीजेवाई योजना के डीडीजी घटक के तहत ₹65.96 करोड़ और सौभाग्य योजना के तहत ₹468.98 करोड़ शामिल हैं।

परिदृश्य

विद्युत क्षेत्र, विश्व स्तर पर और साथ ही भारत में, एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते नियोजन और ग्रिड से जुड़े वितरित उत्पादन के बढ़ते प्रसार में दिखाई देता है। जहां ये रुझान विद्युत क्षेत्र में मंथन और व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वहीं वे नए और अभिनव कारोबार मॉडल के अवसर भी पैदा करते हैं। इन परिवर्तनों के लिए पूरे विद्युत क्षेत्र में लचीलेपन की आवश्यकता होगी। अधिकांश नई उत्पादन क्षमता के नवीकरणीय होने की संभावना है। उत्पादन में अधिक लचीलापन भौतिक (जैसे लचीली उत्पादन और मांग प्रतिक्रिया) और संस्थागत (जैसे बाजारों तक पहुंच) दोनों के रूप में आवश्यक होगा।

पारेषण क्षेत्र को नवीकरणीय–समृद्ध क्षेत्रों से देश के बाकी हिस्सों में विद्युत निकासी के लिए अधिक क्षमता की आवश्यकता होगी। ग्रिड का डिजिटलीकरण सूचना और विद्युत के द्वि–दिशात्मक प्रवाह को सक्षम बनाएगा। उपयोगिता–पैमाने पर ऊर्जा भंडारण, जो लोड या आपूर्ति के रूप में कार्य करने में सक्षम हो, प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में, वितरण क्षेत्र उप–इष्टतम स्थिति के कारण यह परिवर्तन और अधिक चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं और कर्ज में डूबी हुई हैं। नतीजतन, वे समय पर विद्युत उत्पादकों को भुगतान करने में समर्थ नहीं होने के अलावा, बेहतर बुनियादी ढांचे और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए निवेश करने में सक्षम नहीं हैं। अतः वितरण क्षेत्र में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विद्युत क्षेत्र के सुधारों का इतिहास हमें बताता है कि भारत बहुत बड़ा और सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए काफी विविधतापूर्ण है। बाहरी विशेषज्ञता को लाने, संरचनात्मक ढांचे और नई तकनीक की आवश्यकता होगी, लेकिन ये कदम भारत के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो लाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसी तरह, सामग्री और वाहकों को अलग करके खुदरा विकल्प को लागू करने से जरूरी नहीं कि परिकल्पित सभी सैद्धांतिक लाभ मिल ही जाए। सुधार के लिए एक लचीला और घरेलू रूप से तैयार किया गया दृष्टिकोण, जो राज्यों और केंद्र द्वारा समर्थित है और जो 'अभ्यास से सीखने' को अनुमेय करता हो, सुधारों की सफलता का निर्धारण करने में सहायक होगा।

एमओयू रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धारक कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में कंपनी के निष्पादन को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई, जिसे 100 में से 100 अंकों का पूर्ण स्कोर प्रदान किया गया है और यह उक्त वर्ष में इस उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र सीपीएसई है।

कंपनी ने कई क्षेत्रों में अपना पुरस्कार विजेता प्रदर्शन जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा अपने बीएफएसआई और फिनटेक अवार्ड्स में आरईसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग श्रेणी में भारत की अग्रणी एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया था। कंपनी ने एक्सचेंज4मीडिया द्वारा महिला अचीवर्स अवार्ड्स 2021 में 'सर्वश्रेष्ठ महिला सशक्तिकरण संगठन' का पुरस्कार भी जीता।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। समान अनुपालन के लिए लेखांकन हेतु शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ आईटी आधारित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आरईसी ने अपनी ईआरपी संचालन और ई–ऑफिस प्रणाली भी स्थापित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्थित है, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग या बाहरी पेशेवर लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षा भी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा उन कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जहां आंतरिक लेखापरीक्षा लगातार तीन वर्षों से आउटसोर्स की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पहचाने गए महत्वपूर्ण/जोखिम वाले क्षेत्रों सहित कंपनी के संचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा समिति समय–समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

आरबीआई के अधिदेश के अनुसार, कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचा है। आरबीआईए ढांचे में संचालन/क्रियाकलापों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, ऑडिट यूनिवर्स की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और आरबीआईए नीति में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने प्रभावशाली निष्पादन प्राप्त किया है। एकल आधार पर कंपनी की प्रचालन आय ₹39,132.49 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की ₹35,387.89 करोड़ की आय से 11% अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹12,424.90 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के ₹10,756.13 करोड़ के पीबीटी से 16% अधिक था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निवल लाभ ₹10,045.92 करोड़ रहा, जो पिछले की तुलना में 20% अधिक था। साल का निवल लाभ ₹8,361.78 करोड़। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य ₹50,985.60 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक था।

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के लिए अपने बकाया की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने ₹92,696.37 करोड़ की वसूली के लिए बकाया कुल राशि की तुलना में ₹91,681.72 करोड की वसूली की, जिसमें मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज शामिल है, जिससे 98.91% की वसूली दर प्राप्त हुई है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के लिए लागू और विशिष्ट प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:–

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.56**	1.50
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**6.41**	7.40
प्रचालन लाभ मार्जिन (%)	**31.50**	30.33
निवल लाभ मार्जिन (%)	**25.61**	23.61
सकल ऋण इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण–III) (%)	**4.45**	4.84
निवल ऋण इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण–III) (%)	**1.45**	1.71
निवल मूल्य पर प्रतिफल (पीएटी/औसत निवल मूल्य) (%)	**21.28**	21.30

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में प्रमुख वित्तीय अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा, निवल मूल्य पर प्रतिफल में बदलाव भी नगण्य था।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी की कुल जनशक्ति 440 कर्मचारी थी, जिसमें 392 कार्यपालक और 48 गैर–कार्यपालक शामिल थे। औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। महामारी के बावजूद कंपनी का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहा।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाना जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कुल 231 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वेबिनार आदि में भाग लिया, जिससे कुल 466 मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त हुए।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समुदाय आधारित, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने पर मुख्य ध्यान देने के साथ आरईसी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों को लिया जाता है। कंपनी अपने सीएसआर क्रियाकलापों को एक गैर–लाभकारी संस्था 'आरईसी फाउंडेशन', के माध्यम से करती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों के अनुरूप 170.67 करोड़ रुपए के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। इसके प्रति, कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर 171.07 करोड़ रुपए की राशि खर्च की (जिसमें पिछले वर्ष के 3.45 करोड़ रुपए के अधिक व्यय की अग्रेनीत राशि भी शामिल थी)। सीएसआर परियोजनाओं का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं की कुल राशि ₹307.17 करोड़ थी, जिसमें स्वास्थ्य देखरेख (बुजुर्गों और दिव्यांगजनों सहित), सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास परियोजनाएं आदि के क्षेत्र में परियोजनाएं शामिल थीं। ।

सीएसआर परियोजनाओं के लिए संवितरण पूर्वनिर्धारित उपलब्धियों और लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना मोड में बेसलाइन सर्वेक्षण, विशिष्ट परियोजना समय सीमा, पहचान की गई उपलब्धियों, आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना और उनके प्रशमन के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई के मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है।

आरईसी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को व्यवस्थित रूप से श्रेणीबद्ध किया गया है और इनकी निगरानी की जाती है। क्रेडिट जोखिम वित्तपोषण उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर उधारकर्ता की चूक से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है। दूसरी ओर, प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम देनदारियों के देय हो जाने पर उन्हें पूरा करने में संभावित अक्षमता; और परिसंपत्तियों में वृद्धि को निधि देने में असमर्थता, वित्त–पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता का जोखिम है। बाजार जोखिम को ब्याज दरों या प्रतिभूतियों के मूल्यों में बदलाव, विदेशी मुद्रा परिवर्तन के साथ–साथ परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी संस्थागत मूल्यांकन और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करती है, जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान, उपयुक्त संरचना और शमन शामिल है। प्रचालन जोखिमों को कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, प्रचालन और रणनीति जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करने वाले एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से 'उच्च', 'मध्यम' या 'निम्न' के रूप में मापा और वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके अलावा, बाजार जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) है, जो नियमित रूप से समीक्षा के लिए बैठक करती है। कंपनी के पास एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति और हेजिंग नीति भी है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त संरचनात्मक समायोजन के लिए मजबूर करेगा। इस तरह के मूलभूत परिवर्तन अनिवार्य रूप से वित्तीय संस्थाओं के तुलन–पत्र और संचालन को प्रभावित करेंगे, जिससे जोखिम और अवसर दोनों उत्पन्न होंगे। परिवर्तन और वित्तीय परिवेश में बड़े पैमाने पर बदलाव को वित्त–पोषित करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी और नए वित्तीय उत्पादों की आवश्यकता होगी जिससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न होगी। जलवायु जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और वित्तीय संस्थानों को उनके संभावित प्रभाव से बचाने के लिए, उनके वित्तीय जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु जोखिम को एकीकृत करना आवश्यक है।

भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2030 तक कुल ऊर्जा आवश्यकता के 50% तक हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह क्षेत्र ई–मोबिलिटी, ऊर्जा बचत उपकरणों को बढ़ावा देने तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की ओर भी देख रहा है। नवंबर 2021 में यूके के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) के लिए पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र (सीओपी26) में, 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कटौती करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से कम करने और 2070 तक शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था।

आरईसी पहले से ही भारत में नवीकरणीय ऊर्जा वित्त–पोषण में योगदान दे रहा है। 2030 तक 500 जीडब्ल्यू क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सीओपी26 शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के साथ, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने वित्तपोषण प्रयासों का विस्तार और वृद्धि करना जारी रखेगा।

रणनीति

आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है और ई–मोबिलिटी आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण, सौर सेल और मॉड्यूल के निर्माण, हाइब्रिड नवीकरणीय और चौबीसों घंटे (आरटीसी) परियोजनाओं, पीएम–कुसुम परियोजनाओं, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और कोयला खनन परियोजनाएं आदि के वित्त–पोषण में उभरते अवसरों को भी लक्षित करता है।

आरईसी पीपीपी और फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से गैर–विद्युत बुनियादी ढांचे और वितरण कार्यों के वित्त–पोषण जैसे विविध क्षेत्रों में जाने के भी अवसर तलाश रहा है। विचार मात्र एक वित्त–पोषण भागीदार ही न बन कर, बल्कि स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम ऐसे उत्पादों या सेवाओं के कार्यान्वयनकर्ता या स्वामी बनने का भी हैं। आरईसी बाजार और जारी घटनाक्रम को सूक्ष्मता से देख रहा है, ताकि उपयुक्त निर्णय लिए और हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

उत्पादन के मोर्चे पर, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन, लघु पनविद्युत, बायोमास), बड़ी पनविद्युत परियोजनाओं में निवेश आदि जैसे कारोबारिक अवसर तैयार हैं, जिनमें सरकार की जलविद्युत नीति के आलोक में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। सोलर रूफ–टॉप परियोजनाओं, सौर पार्कों, ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्रों और मौजूदा विद्युत संयंत्रों के प्रतिस्थापन सहित नवीनीकरण और आधुनिकीकरण में निवेश भी सामने दिखाई दे रहा है।

सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को कवर करने वाली सरकार की सौभाग्य योजना की सफलता को देखते हुए, टी एंड डी क्षेत्र सभी उपभोक्ताओं की 24x7 विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सुदृढ़ता हेतु तैयार हो रहा है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के तहत नेटवर्क वर्धन/विस्तार, भूमिगत केबल बिछाने, स्मार्ट मीटर/उपकरण, उन्नत मीटरिंग और स्वचालित मीटर रीडिंग आधारभूत ढांचे (एएमआई/एएमआर), स्मार्ट ग्रिड, हरित कॉरिडोर और नए नेटवर्क में नए निवेश की आवश्यकता होगी। आरईसी वित्त–पोषण और विकास के अवसरों को प्राप्त करने के लिए इस ओर भी नजर रखे हुए है।

भारत की डिस्कॉम ऊर्जा परिवर्तन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण हितधारक समूह है, जो विद्युत क्षेत्र के भविष्य की कुंजी है। आरडीएसएस की डिस्कॉम सुधार योजना, डिस्कॉम परिवर्तन प्रयासों के महत्व को प्रमाणित करती है और इस पुनरुद्धार में आरईसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो द्वारा संचालित डिस्कॉम के कायाकल्प के लाभ दीर्घकालिक लाभ देने के लिए मौजूद होंगे।

आरईसी प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, बहुपक्षीय विकास संगठनों आदि के साथ निकट कारोबारिक भागीदारी भी बना रहा है। आने वाले वर्षों में, आरईसी देश और उसके बाहर विद्युत क्षेत्र के विकास में अग्रणी पंक्ति में रहेगा।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण'' खंड में कुछ कथन अग्रदर्शी हो सकते हैं और लागू विधियों और विनियमों द्वारा अपेक्षानुसार बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भविष्य के निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

आरईसी लिमिटेड (कंपनी) आधी से अधिक शताब्दी के समय से देश और इसके विद्युत क्षेत्र की सेवा में कार्यरत है। एक संगठन के रूप में इसकी दृढ़ता और प्रदर्शन, सटीक निगमित सुशासन, प्रभावी हितधारक भागीदारी और विकास के प्रति दीर्घकालिक अनुकूलन के कारण संभव हो पाया है। आरईसी का प्रबंधन पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता के माध्यम से कानून के नियम और नैतिक आचरण के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी में निगमित सुशासन फ्रेमवर्क में न केवल प्रभावी और कुशल प्रबंधन, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के परिवर्तन और हितलाभों के प्रबंधन की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

आरईसी अपने सभी हितधारकों, चाहे वह शेयरधारक हों, अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारक, ग्राहक, वेंडर, कर्मचारी, समुदाय और बड़े पैमाने पर जनता के लिए संतुलित तरीके से मूल्यवर्धन करना जारी रखता है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देश, 2010 ("निगमित सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("सचिव–विषयक मानक") द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों के तहत यथानिर्धारित निगमित सुशासन संबंधी सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, जो इसके दायरे में आती हैं, को पूरा करता है। आरईसी, सेबी एलओडीआर विनियमों की अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके बाद कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन पर एक प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा है।

1. निगमित सुशासन पर कंपनी का सिद्धांत

आरईसी में निगमित सुशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के भीतर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए नैतिक और जिम्मेदार रीति में कारोबार का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी, पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी में उचित, पारदर्शी और नैतिक सुशासन परिपाटियों की एक अतिप्रभावी परम्परा मौजूद है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सततता और समुचित एवं समयबद्ध प्रकटीकरण आदि के मूलभूत सिद्धांत कंपनी की निगमित सुशासन की धारणा को पूर्ण रूप से लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्तनशील कारोबारिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का निगमित सुशासन फ्रेमवर्क निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करना।

उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यों के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने आरबीआई के मानदंडों के अनुसार अपने "निगमित सुशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देश" तैयार किए हैं, जिनमें कंपनी में अपनाए जाने वाले निगमित सुशासन सिद्धांत, संरचना और फ्रेमवर्क को संहिताबद्ध किया गया है। निगमित सुशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देश https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf पर उपलब्ध हैं।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसी के निदेशक मण्डल में 7 (सात) निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी); निदेशक (वित्त); प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से एक सरकार द्वारा नामित निदेशक; पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा नामित निदेशक, जो कंपनी की अधिकांश इक्विटी का धारक हैं; और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 3 (तीन) अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक (तकनीकी) के पद पर 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार रिक्त था, तथापि, 15 जुलाई, 2022 से, आरईसी में निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से इनका उपयोग कर रहे हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के दौरान, बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की कमी के कारण, निदेशक मण्डल की संरचना और बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और निगमित सुशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध करती रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी में 1 (एक) महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई; और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन भी किया गया था।

शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन है। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, कंपनी में लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन हो जाएगा।

आरईसी के सभी निदेशक कंपनी के कारोबार को एक कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशक सामूहिक रूप से कंपनी के कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यनीतिक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिश पर अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड की विविधता और कौशल पर एक नीति अंगीकार की है, जिसे आरईसी में निदेशकों के नामांकन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के मामलों में उपयुक्त विचारण के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के मास्टर निदेशों के अनुसार और एनआरसी की सिफारिश पर, बोर्ड ने 4 फरवरी, 2022 से "निदेशकों के 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर नीति" को भी अंगीकार किया है, जिसमें योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और अन्य 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों के आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्ति या निरंतरता के लिए व्यक्तियों की सम्यक तत्परता के लिए आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नीति में यथापरिभाषित 'उपयुक्त और उचित' मानदंड का अनुपालन निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के समय के साथ ही वार्षिक आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf पर उपलब्ध है।

(क) बोर्ड की संरचना

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान हुए परिवर्तनों सहित 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार बोर्ड की संरचना के ब्यौरे और अन्य प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध एंटिटी, निदेशक पद की श्रेणी में धारित निदेशक पद	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या[क]	
						अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)							
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे	05254178	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *(22 फरवरी– 2022 से)*[ख]	1	-	-	-
2	श्री अजय चौधरी	06629871	निदेशक (वित्त)	1	-	-	-
अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)							
3	श्री विशाल कपूर	08700132	सरकार द्वारा नामित निदेशक *(7 सितंबर– 2021 से)*	1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड[ग] (नामित निदेशक)	-	-
4	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक *(4 फरवरी– 2022 से)*	8	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्णकालिक निदेशक) पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामित निदेशक)	शून्य	1[घ]
5	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	स्वतंत्र निदेशक *(15 नवंबर–2021 से)*	-	-	-	-
6	डॉ मनोज मनोहर पांडे	09388430	स्वतंत्र निदेशक *(15 नवंबर– 2021 से)*	-	-	-	-
7	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	09398540	स्वतंत्र निदेशक *(30 दिसंबर–2021 से)*	-	-	-	-

क. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक ऐसी समितियों का सदस्य नहीं है और न ही ऐसी 5 (पांच) से अधिक समितियों के अध्यक्ष है।

ख. श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे 10 मई, 2022 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं है।

ग. श्री विशाल कपूर 30 मई, 2022 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक नहीं है।

घ. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी की हितधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्य हैं।

(ख) बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

1. श्री विशाल कपूर (डीआईएन 08700132), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को 7 सितंबर, 2021 से श्री तन्मय कुमार (डीआईएन 02574098), भूतपूर्व सरकार द्वारा नामित निदेशक के स्थान पर विद्युत मंत्रालय के समदिनांकित कार्यालय आदेश के अनुसार आरईसी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन 03464342), भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक हैं।

   विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के आदेश के अनुसार, श्री संजय मल्होत्रा (डीआईएन 00992744), भूतपूर्व सीएमडी को तीन माह (1 नवंबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022) की अवधि के लिए निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय के 15 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसार, श्री अजय चौधरी (डीआईएन 06629871), निदेशक (वित्त) को 1 फरवरी, 2022 से 14 जुलाई, 2022 की अवधि अर्थात् नियमित पदधारी की नियुक्ति तक निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार सौंपा गया।

3. डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन 02003319) और डॉ. मनोज मनोहर पांडे (डीआईएन 09388430) को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय के समदिनांकित कार्यालय आदेश (आदेशों) के अनुसार बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन 09398540) को बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से पारित संकल्प के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के 27 दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार 30 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

5. श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन 03548218), पीएफसी के भूतपूर्व नामित निदेशक, नामांकनकर्ता प्राधिकरण में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 फरवरी, 2022 से आरईसी के निदेशक नहीं हैं। इसके बाद, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन 08530587) को बोर्ड द्वारा पारित एक प्रस्ताव के साथ पठित 2 फरवरी, 2022 के विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसार 4 फरवरी, 2022 से पीएफसी के नामित निदेशक (अपर निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

   इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, शेयरधारकों ने 27 अप्रैल, 2022 को डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से एक साधारण संकल्प पारित करके पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

6. श्री संजय मल्होत्रा (डीआईएन 00992744), पूर्व सीएमडी, 11 फरवरी, 2022 से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक नहीं हैं।

7. विद्युत मंत्रालय 22 फरवरी, 2022 के अपने आदेश के तहत, श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन 05254178), अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय को 22 फरवरी, 2022 को तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

   सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, शेयरधारकों ने डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से 27 अप्रैल, 2022 को एक सामान्य संकल्प पारित करके श्री एसकेजी रहाटे की सीएमडी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके बाद, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति के कारण, श्री रहाटे 10 मई, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं हैं।

(ग) 31 मार्च, 2022 के बाद बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

8. विद्युत मंत्रालय ने 10 मई, 2022 के अपने आदेश के तहत, 10 मई, 2022 से तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक पीएफसी के सीएमडी, श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (डीआईएन 00278074) को सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। श्री ढिल्लों ने नियमित पदधारी श्री विवेक कुमार देवांगन की नियुक्ति तक सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

9. श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन 01377212) को विद्युत मंत्रालय के 18 मई, 2022 के आदेश के साथ पठित 13 मई, 2022 के एसीसी के पत्र, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिसे पद का कार्यभार ग्रहण किया जाता है, के अनुसार सीएमडी, आरईसी के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में पदस्थ हैं। श्री देवांगन ने 17 मई, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

10. विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसरण में श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन 02772733) को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30 जून, 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी है। श्री वी. के. सिंह ने 15 जुलाई, 2022 से निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण किया।

    इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, श्री वी. के. सिंह की नियुक्ति के लिए आगामी 53वीं एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(घ) बोर्ड और इसकी समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) बोर्ड की कार्यवाहियां

कंपनी, बोर्ड और इसकी समितियों द्वारा सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करती है। बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि सभी संबंधितों की पूर्ण उपस्थिति और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कार्यसूचियां (एजेंडा), संबंधित निदेशक की पसंद के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक पद्धति के माध्यम से, सांविधिक समय–सीमा के भीतर परिचालित की जाती हैं। कंपनी पेपरलेस पहुंच को सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित मंच के माध्यम से निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्यसूचियां भी अग्रेषित करती है। मूल्य संवेदनशील सूचना, लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, बैठक से पहले अलग से परिचालित की जाती है।

कारोबारिक आवश्यकताओं के अनुसार, कभी–कभी संकल्प, परिचालन द्वारा भी पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में नोट किया जाता है। किसी भी तत्काल कारोबारिक आवश्यकता को संबोधित करने के मामले में, नियत प्रक्रिया का पालन करके कभी–कभी अल्पावधि नोटिस पर बैठकें आमंत्रित की जाती हैं।

बोर्ड या समिति की बैठकों की कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल किए जाने पर एक स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है और इसका निर्धारण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। कार्यसूचियों में अनुमोदित किए जाने वाले संकल्पों के मसौदे सहित प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ–साथ एक मानक प्रारूप में कार्यपालक सार शामिल होता है।

बोर्ड और समितियों की बैठकें, आमतौर पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सक्रिय उपयोग के साथ, कार्यालय समय के दौरान गुरुग्राम में कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकों के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों को, यदि आवश्यक हो, भी प्रस्तुतिकरण देने या कार्यसूची की किसी मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। बैठक के बाद की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) के संबंध में एक अनुवर्ती कार्रवाई प्रणाली है, जिसमें बोर्ड या उसकी समितियों के पूर्व निर्णयों/विचार–विमर्शों पर की गई कार्रवाई को अनुवर्ती बैठकों में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों का अनुपालन करती है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मण्डल की कुल 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं:

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
28 मई– 2021	19 जुलाई– 2021	29 अक्टूबर– 2021	4 फरवरी–2022
15 जून– 2021	5 अगस्त– 2021	7 दिसंबर– 2021	21 मार्च–2022
	30 अगस्त– 2021		
	16 सितंबर– 2021		
	24 सितंबर– 2021		

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 8 (आठ) दिन और 59 (उनसठ) दिन था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 की अंतिम बोर्ड बैठक से वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली बोर्ड बैठक के बीच 72 (बहत्तर) दिनों का अंतराल था।

(iii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

बोर्ड, कंपनी में मौजूद सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच रखता है। बोर्ड को दी गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता सेबी एलओडीआर विनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक रहती है।

बोर्ड को उपलब्ध कराई गई जानकारी में अन्य जानकारी के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और कोई अद्यतन सूचना।
3. धन जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव।
5. कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
6. बोर्ड की रिपोर्ट के साथ–साथ इसके अनुबंध
7. लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव, यदि लागू हो, की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और वेतन के संबंध में जानकारी।
10. कारण, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, यदि कोई हो तो दिखाएं।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी महत्वपूर्ण अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए वस्तुओं के लिए अधिक मात्रा में न किया गया भुगतान, यदि कोई हो ।
13. ऐसा मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हैं, जिनमें ऐसा कोई भी निर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के संचालन की निंदा का कारण बन सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ सकता है।
14. किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार, अनुषंगी कंपनियों का गठन, सामरिक गठबंधन आदि, यदि कोई हो, का विवरण।
15. ऐसे लेन–देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा, के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है, यदि कोई हो।
16. महत्वपूर्ण श्रम संबंधी समस्याएं, यदि कोई हों और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि, यदि कोई हो।
17. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, की बिक्री जो महत्वपूर्ण प्रकृति की हैं और कारोबार के सामान्य क्रम में नहीं हैं, यदि कोई हो।
18. विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचालन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्त्वपूर्ण हो।
19. किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता अपेक्षाओं का गैर–अनुपालन और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का गैर–भुगतान आदि, यदि लागू हों।
20. विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
21. शेयर पूंजी लेखा परीक्षा के समाधान, निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
22. उधारियों और ऋण–विमोचन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
23. अल्पावधि अधिशेष निधियों के परिनियोजन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
24. ऋण पोर्टफोलियो गुणवत्ता और विविधता के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
25. निधियों की लागत के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
26. ऋण बही के ईसीएल आधारित क्रेडिट जोखिम वर्गीकरण के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
27. दीर्घावधि निवेशों के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
28. सूचना–प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
29. उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
30. शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
31. बोर्ड के पूर्व के विचार–विमर्श/निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।
32. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए यथा–अपेक्षित, कोई अन्य जानकारी।

(iv) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड के बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति						बोर्ड के बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या			24-सितंबर-2021 को आयोजित 52वीं एजीएम में उपस्थिति
		28-मई-2021	15-जून-2021	19-जुलाई-2021	5-अगस्त-2021	30-अगस्त-2021	16-सितंबर-2021	24-सितंबर-2021	29-अक्टूबर-2021	7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %	
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे *सीएमडी 22–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	🎥	1	1	100	लागू नहीं
2	श्री संजय मल्होत्रा *सीएमडी 10–फरवरी–2022 तक*	👤	👤	👤	👤	🎥	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	10	10	100	🎥
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी) 31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	👤	👤	👤	🎥	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8	8	100	🎥
4	श्री अजय चौधरी निदेशक *निदेशक (वित्त)*	👤	👤	👤	👤	🎥	👤	👤	👤	👤	👤	👤	11	11	100	🎥
5	श्री विशाल कपूर *सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	🎥	🎥	👤	🎥	🎥	🎥	6	6	100	🎥
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	🎥	2	2	100	लागू नहीं
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 31–जनवरी–2022 तक*	🎥	🎥	🎥	🎥	🎥	🎥	🎥	👤	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	9	9	100	🎥
8	श्री तन्मय कुमार *सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 तक*	🎥	🎥	🎥	🎥	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100	लागू नहीं
9	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र *निदेशक* *15–नवंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100	लागू नहीं
10	डॉ. मनोज मनोहर पांडे *स्वतंत्र निदेशक* *15–नवंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100	लागू नहीं
11	डॉ. दुर्गेश नंदिनी *स्वतंत्र निदेशक* *30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100	लागू नहीं

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

(v) आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री अजय चौधरी, निदेशक (वित्त) कंपनी के आगामी 53वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, स्वयं की पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया हैं।

श्री अजय चौधरी की विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी सहित उनका संक्षिप्त विवरण 53वीं एजीएम के नोटिस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

इसके अलावा, श्री वी.के. सिंह का संक्षिप्त वृत्त और अन्य विवरण सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार नियुक्ति के लिए एजीएम की सूचना के साथ संलग्न हैं।

(vi) निदेशकों को बीच परस्पर संबंध

कंपनी के निदेशकों को बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(vii) गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोई भी गैर–कार्यपालक निदेशक कंपनी में किसी शेयर या परिवर्तनीय लिखत का धारक नहीं है। श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीएफसी के भूतपूर्व नामित निदेशक, जो 1 फरवरी, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं है, कंपनी में ₹10/– के 40 इक्विटी शेयर के धारक थे।

(viii) स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी

वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया।

सभी स्वतंत्र निदेशकों के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), मानेसर द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशक के डाटाबैंक पर वैध पंजीकरण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

बोर्ड की राय में, नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी एलओडीआर विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, 22 मार्च, 2022 को आरईसी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(vii) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षता और गुण

आरईसी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक, जो कंपनी के संचालन में अपेक्षित कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता लाते हैं और बोर्ड एवं इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करते हैं, शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आरईसी, निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करता है। आरईसी के कारोबार की बारीकियों और समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और गुणों की पहचान की है:

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधि आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं /बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कार्पोरेट योजना और कार्यनीति	प्रबंधन गतिविधियां, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएं निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य हितधारक आशयित परिणामा/नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ–साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेशधवित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना। साइबर सुरक्षा और आईटी परिवेश से संबंधित जोखिमों का शमन।
नेतृत्व	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंकों या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करना। कंपनी बोर्ड को बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित सुशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करनी है।
कारोबार विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके कारोबार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।
पर्यावरण और समाज	जलवायु संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, कृषि, सततता, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, लोक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक विकास परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में अनुभव।

निम्न सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग–अलग सदस्यों और इसके बाद नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं – विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कार्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	कारोबार विकास	पर्यावरण और समाज
श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
श्री अजय चौधरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विशाल कपूर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	✓			✓		✓	✓	✓	✓
डॉ. गंभीर सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. मनोज मनोहर पांडे	✓			✓	✓	✓	✓		✓
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	✓			✓	✓	✓	✓		✓
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विवेक कुमार देवांगन#	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विजय कुमार सिंह$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**10–16 मई, 2022 के दौरान नियुक्त किया गया*
#17–मई–2022 से नियुक्त किया गया
$15–जुलाई–2022 से नियुक्त किया गया
किसी सदस्य के नाम के आगे टिक मार्क न होने का अर्थ यह नहीं है कि उक्त सदस्य के पास तदनुरूपी कौशल या विशेषज्ञता नहीं है।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या कारोबार और सुशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियां निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति को प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर उन्हें सौंपे गए कार्य क्षेत्रों के तहत सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए इनकी बैठकें नियमित रूप से और आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियां थीं:–

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
6. अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति
7. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति
8. आईटी कार्यनीति समिति
9. 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप–समिति

कंपनी के अंतर्नियमों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्नियम 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों, उपस्थिति आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18 और निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति की गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में यथा परिकल्पित लेखा परीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन;

ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय–समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय–समय पर संशोधित, का अनुपालन।

लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, लेखा परीक्षा समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			28-मई-2021	5-अगस्त-2021	29-अक्टूबर-2021	7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	श्री विशाल कपूर सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष *7–सितंबर–2021 से 6–दिसंबर–2021 के दौरान*	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
3	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष *7–सितंबर–2021 तक*	📹	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
4	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
5	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	📹	1	1	100
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *31–जनवरी–2022 तक*	📹	📹	👤	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
8	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	3	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा 4 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई लेखा परीक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्या थीं। लेखापरीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), दो सदस्य या कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा परीक्षा समिति के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्य वित्तीय रूप से सुविज्ञ हैं और लेखा परीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता थी। इसके अलावा, दिनांक 24 सितंबर, 2021 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उपबंधों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार है:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 3 (तीन) बैठक हुईं। 31 मार्च, 2022 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और वर्ष के दौरान हुई इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	एनआरसी की बैठक और उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	👤	👤	👤	3	3	100
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	👤	👤	👤	3	3	100
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से 30–दिसंबर–2021 के दौरान*	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर)/अनुभाग प्रमुख (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी थी। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों और मूल्यांकन तंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी के गैर–कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी, पीएफसी के साथ वित्तीय वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करती है, जिसके प्रमुख मापदंडों को विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, डीपीई द्वारा जारी समझौता–ज्ञापन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, समझौता–ज्ञापन मानकों की तुलना में किया जाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय–समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गैर–कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित), बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित सीमा के भीतर बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, बोर्ड ने अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक पर एक नीति अपनाई है, जो https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-onBoard-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अनुलाभ	फार्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	जोड़
1	**श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे** सीएमडी 22–फरवरी–2022 से	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2	**श्री संजय मल्होत्रा** सीएमडी 10–फरवरी–2022 तक	32,21,518	-	-	67,492	-	-	-	**32,89,010**
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता** निदेशक (तकनीकी) 31–अक्टूबर–2021 तक	26,50,732	25,43,826	14,11,164	12,635	20,83,661	2,48,979	53,832	**90,04,829**
4	**श्री अजय चौधरी** निदेशक (वित्त)	51,41,004	29,52,525	1,44,681	1,48,820	-	4,18,076	1,44,250	**89,49,356**
5	**श्री जे एस अमिताभ** कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव	51,24,085	32,52,409	35,909	31,477	-	4,16,718	1,44,113	**90,04,711**

टिप्पणियां:

1. *श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्य करते हुए, 22 फरवरी, 2022 से 9 मई, 2022 के दौरान सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आरईसी द्वारा उन्हें किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।*
2. *श्री संजय मल्होत्रा 10 फरवरी, 2022 तक कंपनी के सीएमडी थे। उनके पारिश्रमिक विवरण केवल उक्त अवधि के लिए सूचित किए गए हैं।*
3. *श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), 31 अक्टूबर, 2021 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। तदनुसार, उनके पारिश्रमिक विवरण 1 अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के लिए सूचित किए गए हैं।*
4. *प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।*
5. *फॉर्म–16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।*
6. *वित्तीय वर्ष 2020–21 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अत:, नियोक्ता के पेंशन अंशदान, फॉर्म–16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।*
7. *कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूट प्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेच्युटी फंड) में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।*
8. *कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।*
9. *निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, निष्कर्षण शुल्क आदि सहित नियुक्ति की शर्तें, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।*

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/– और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 30,000/– के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:–

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	श्री विशाल कपूर सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 से	-	-	-
2	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 तक	-	-	-
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से	1,20,000	3,60,000	4,80,000

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
4	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से	1,20,000	3,30,000	4,50,000
5	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक 30–दिसंबर–2021 से	80,000	1,50,000	2,30,000
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 4–फरवरी–2022 से	-	-	-
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 31–जनवरी–2022 तक	3,60,000	4,20,000	7,80,000
	जोड़	**6,80,000**	**12,60,000**	**19,40,000**

टिप्पणियाँ:

पीएफसी के नामित निदेशक आरईसी के बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार है, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा भाग ली जाने वाली बोर्ड और समिति की बैठकों के संबंध में इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया है। हालांकि, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति के बाद पीएफसी ने एक पत्र भेजा है कि आरईसी के बोर्ड या समितियों की बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, के संबंध में कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर–कार्यपालकों निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है।

3.3 हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	एसआरसी की बैठकें और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			28 - मई - 2021	4 - अगस्त - 2021	28 - अक्टूबर - 2021	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी नामित निदेशक	अध्यक्ष *31–जनवरी–2022 तक*	वीडियो	वीडियो	व्यक्तिगत	3	3	100
3.	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	3	3	100
5.	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	3	3	100

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह (31 जनवरी, 2022 तक) थे, इसके बाद डॉ. दुर्गेश नंदिनी (4 फरवरी, 2022 से) अध्यक्ष बने, ये दोनों ही गैर–कार्यपालक निदेशक थे। श्री जे एस अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं।

हितधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बॉण्ड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता विनियम के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। हितधारक संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्र धारकों (डिबेंचरहोल्डर) आदि जैसे विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज का प्राप्त न होना से संबंधित मामलों के निवारण पर ध्यान देती है।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, हितधारक संबंध समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी हितधारक संबंध समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति समिति की 3 (तीन) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

हितधारक संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

शेयरधारकों/ऋणपत्र-धारकों (डिबेंचर होल्डर) के अनुरोध और शिकायतें

शेयरधारकों और ऋणपत्र–धारकों के अनुरोधों या शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात्, संबंधित पंजीयक

से सहायता सेवा, अंत:परिसर निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

कंपनी सभी निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई करती है। निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 13 (3) के अनुसरण में शेयरधारकों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों और अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	4,670	1,397	6,067
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	4,667	1,397	6,064
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	*3	0	*3

**उक्त 3 अनुरोधों/शिकायतों का 31 मार्च, 2022 तक समाधान नहीं किया गया था, जिनका समाधान अब किया जा चुका है।*

निवेशक एससीओआरईएस(सेबी शिकायत निवारण तंत्र) पर अपनी परिवाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो एक वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए रिमाइंडर भेज सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसके पास शिकायत लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है।

एक निवेशक, जो एससीओआरईएस से परिचित नहीं है या उसके पास एससीओआरईएस तक पहुंच नहीं है, भौतिक रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है, या कंपनी को अपनी शिकायत complianceofficer@recl.in पर भेज सकता है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय–समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए यथाअपेक्षित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकों आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	आरएमसी की बैठकें और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			19 - जुलाई - 2021	7 - जनवरी - 2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का%
1	डॉ. गंभीर सिंह *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	वीडियो	1	1	100
2	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक*	अध्यक्ष *6–दिसंबर–2021 तक*	व्यक्तिगत	लागू नहीं	1	1	100
3	डॉ. मनोज मनोहर पांडे *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	वीडियो	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी *निदेशक (वित्त)*	सदस्य	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	2	2	100
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	व्यक्तिगत	लागू नहीं	1	1	100

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है। सीआरओ आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम समिति में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त–संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य संचालन) और मुख्य महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) विभाग आरएमसी की बैठकों में आमंत्रित हैं।

3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' (सीएसआर समिति) का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;

ख) कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय–समय पर निगरानी करना;

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की अनुशंसा/समीक्षा करना;

ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाआ/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;

च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) अन्य बातों के साथ–साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;

ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनाय तथा

झ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के संबंध में समय–समय पर संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2022 को सीएसआर समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	सीएसआर समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति								बैठकों की कुल संख्या		
			28-मई-21	19-जुलाई-21	4-अगस्त-21	16-सितंबर-21	28-अक्टूबर-21	7-दिसंबर-21	4-फरवरी-22	21-मार्च-22	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ मनोज एम पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *(7 दिसम्बर, 2021 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष *(31 अक्टूबर 2021 तक)*	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *(7 दिसंबर, 2021 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *(7 दिसंबर, 2021 तक)*	📹	📹	📹	📹	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100
5	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

3.6 अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति का गठन जमा प्रमाणपत्रों में एक बार में ₹1000 करोड़ और उससे अधिक या म्यूचुअल फंडों एवं सावधि जमाओं में एक बार में ₹2000 करोड़ और उससे अधिक की अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग को अनुमोदित करने के उद्देश्य से किया गया है। समिति में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सदस्यों के रूप में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं। उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.7 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है। एएलसीओ, एएलएम सहायता समूह – जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है – की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एएलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है।

एएलसीओ की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी के वित्तीय और प्रचालन प्रभागों के कार्यपालक निदेशक या मुख्य महा प्रबंधक (सीजीएम) शामिल हैं। भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) की सेवानिवृत्ति के बाद, 31 मार्च, 2022 तक निदेशक (तकनीकी) का पद रिक्त था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एएलसीओ की 4 (चार) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2022 को एएलसीओ की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक/सदस्यों के नाम/पदनाम	समिति में पद	एएलसीओ की बैठकें और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			28-जून-21	28-सितंबर-21	24-दिसंबर-21	19-मार्च-22	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक/सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(22–फरवरी–2022 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100
2	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(10–फरवरी–2022 तक)*	📹	👤	👤	लागू नहीं	3	3	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	📹	👤	👤	लागू नहीं	2	2	100
5	कार्यपालक निदेशक (संसाधन)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100
6	कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (निजी/राज्य प्रचालन)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100
7	कार्यपालक निदेशक/सीजीएम (एएलएम)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

एएलसीओ की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्य है। कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को एएलसीओ की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक सदस्य और एएलसीओ के संयोजक के लिए किसी पूर्तिकर (बैकअप) कार्यपालक को भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

3.8 आईटी कार्यनीति समिति

एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने एक आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है। आईटीएससी की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ)/आईएसएमएस अधिकारी और एक बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। आईटीएससी की भूमिका में कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के तरीकों की निगरानी करना, आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय निदेश प्रदान करना और कंपनी की आईटीएससी और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, आईटीएससी की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में आईटीएससी का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीएससी की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आईटीएससी की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक/सदस्य के नाम/पदनाम	समिति में पद	आईटीएससी की बैठकें और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			18-अगस्त-21	18-फरवरी-22	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	📹	1	1	100
2	कार्यपालक निदेशक (आईटी)(सीआईओ)	अध्यक्ष *6–दिसंबर–2021 तक* सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	👤	📹	2	2	100
3	मुख्य महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (आईटी) (सीटीओ)	सदस्य	👤	📹	2	2	100
4	बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	📹	📹	2	2	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

3.9 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति

आरईसी के बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ, आरईसी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा जब कभी भी ₹250 करोड या उससे अधिक मूल्य के जारी किए जाने पर निविदा नोटिस की संवीक्षा/समीक्षा के लिए 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप–समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और पीएफसी द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उक्त उप–समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.10 कार्यपालक समिति

निदेशकों की कार्यपालक समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

एंटिटी के प्रकार	विशिष्ट स्कीम/परियोजना के लिए सीमा और एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत (यूटिलिटिज) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एक वित्तीय वर्ष में ₹25,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹150 करोड़ तक का रुपया सावधि ऋण
निजी क्षेत्र की विद्युत (यूटिलिटिज)	एक वित्तीय वर्ष में ₹6,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹100 करोड़ तक

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कार्यपालक समिति की 4 (चार) बैठकें हुईं और वर्ष के दौरान हुई अपनी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	कार्यपालक समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			14-अप्रैल-21	19-अप्रैल-21	22-अप्रैल-21	24-मई-21	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	4	4	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

तथापि, उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियों को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिंया गया।

3.11 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

एंटिटी का प्रकार	विशिष्ट स्कीम/परियोजना के लिए सीमा और एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत (यूटिलिटिज) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एक वित्तीय वर्ष में ₹30,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹500 करोड़ तक का रुपया सावधि ऋण
	कोविड–19 के तहत, डिस्कॉमों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशिष्ट दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण
	उदय योजना के तहत ₹500 करोड़ से अधिक का विशेष ऋण
	उदय योजना की सीमा में छूट देते हुए डिस्कॉमों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशिष्ट दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण
	डिस्कॉम/गेडकोस को ₹500 करोड़ से अधिक की परिक्रामी बिल भुगतान सुविधाएं
निजी क्षेत्र की विद्युत (यूटिलिटिज)	एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹500 करोड़ तक

तथापि, उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को ऋण समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियों को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिंया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.12 मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति

मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए विभिन्न ऋण दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप–समिति का गठन कंपनी द्वारा दिए गए मियादी ऋणों और अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए किया गया था।

तथापि, उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियों को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, उक्त उप–समिति की एक बैठक आयोजित की गई और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण इसके पश्चात दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	उप-समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
			24-मई-2021	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	👤	1	1	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	1	1	100
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	👤	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

4. अन्य समितियां

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए निदेशक मण्डल द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 स्थायी ऋण लिखत समिति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित "स्थायी ऋण लिखत नीति" के अनुरूप, कंपनी ने जनवरी, 2021 में ₹ 558.40 करोड़ के स्थायी ऋण लिखत जुटाए हैं, जो अप्रतिभूत, अधीनस्थ, असंपरिवर्तनीय लिखत हैं। उक्त नीति के अनुपालन में, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थायी ऋण लिखत पर कूपन के भुगतान/गैर–भुगतान पर निर्णय लेने के लिए सीएमडी, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम) कम से कम दो सदस्य है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 12 जनवरी, 2022 को स्थायी ऋण लिखत समिति की पहली (एक) बैठक हुई, जिसमें सीएमडी और निदेशक (वित्त) ने भाग लिया।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति, भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के संप्रेषण, प्रतिस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नामतः श्री जे.एस. अमिताभ (कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक – वित्त) सदस्य के रूप में शामिल थे। तथापि, वित्तीय वर्ष, 2021–22 के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी नामतः **आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)** (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) है। आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में शामिल करता है।

ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां (परियोजना विशिष्ट एसपीवी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसरण में आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां भी होती हैं। प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगी कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां थी, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी थीं:

(1) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
(1) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
(3) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
(4) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(6) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
(7) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड
(8) ईआर–एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड

एसपीवी/अनुषंगी कंपनियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

सभी अनुषंगी कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर–सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल और अन्य अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://.recindia.nic.in/recpdcl पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है, कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी" नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित अनुषंगी कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-subsidiaries-dt230719.pdf पर उपलब्ध है।

6. आम निकाय बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) और उनमें पारित संकल्पों का विवरण इसके पश्चात दिया गया है:–

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित किया गया विशेष संकल्प
50वीं	2018–19	29 अगस्त, 2019	11:00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली –110010	प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन
51वीं	2019–20	25 सितंबर, 2020	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से	1. कंपनी की समग्र उधार सीमा बढ़ाने के लिए। 2. कंपनी की सभी या किसी चल और/या अचल संपत्तियों पर रेहन और/या प्रभार सृजित करना। 3. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।
52वीं	2020–21	24 सितंबर, 2021	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से	1. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन। 2. कंपनी के अंतर्नियमों के उद्देश्य खंड में संशोधन।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 मई, 2022 का सामान्य परिपत्र संख्या 02/22 जारी किया है, जिसके अनुसार आरईसी की आगामी 53वीं एजीएम शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को वीसीध्ओएवीएम मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी, शेयरधारकों को उक्त एजीएम के लिए इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी और ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिसका प्रासंगिक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली 53वीं एजीएम की सूचना में दर्शाया जा रहा है।

इसके अलावा, 13 मई, 2022 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परिपत्रों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के उक्त सामान्य परिपत्र के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के उन शेयरधारकों और असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को सॉफ्ट कॉपी में भेजी जा रही है, जिनका ईमेल पता पंजीकृत है।

6.1 पोस्टल बैलेट

(क) मार्च-अप्रैल, 2022 में आयोजित पोस्टल बैलेट प्रक्रिया

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने 25 मार्च, 2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस के माध्यम से निम्नलिखित के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन का आग्रह किया:

- पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएनः 08530587) की नियुक्ति; तथा
- श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएनः 05254178) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति।

इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुरूप, पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजा गया था, जिनके ईमेल पते पंजीकृत थे और जिनके नाम 23 मार्च, 2022 (अर्थात, "निर्णायक तिथि") की स्थिति के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हो रहे थे। पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 25 मार्च, 2022 को पूरा हुआ। प्रेषण के पूरा होने के संबंध में एक विज्ञापन सोमवार, 28 मार्च, 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) में प्रकाशित किया गया था।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") उक्त पोस्टल बैलेट के लिए नियुक्त रिमोट ई–वोटिंग एजेंसी थी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 29 मार्च, 2022 (0900 घंटे) भारत मानक समय (आईएसटी) से बुधवार, 27 अप्रैल, 2022 (1700 घंटे) (आईएसटी) तक, दोनों दिवसों को शामिल करने के साथ, खुला था। मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएस नंबर 6033, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 6370) को उक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि पूरी होने और संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2022 को ई–वोटिंग के परिणाम घोषित किए गए। दोनों प्रस्तावों को भारी बहुमत से पारित किया गया। उक्त प्रस्तावों के लिए मतदान पैटर्न का विवरण निम्नानुसार था:

संकल्प का संक्षिप्त विवरण	संकल्प का प्रकार	पक्ष में मत	विरूद्ध में मत
		%	%
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएनः 08530587) की नियुक्ति	साधारण	85.95%	14.05%
श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएनः 05254178) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति	साधारण	93.70%	6.30%

परिणाम वेबसाइट और कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (कार्यालयों) पर प्रदर्शित किए गए थे; और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को सूचित किया गया। इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संबंध में अधिक विवरण https://recindia.nic.in/postalballot पर दिया गया हैं।

(ख) जुलाई-अगस्त, 2022 में आयोजित पोस्टल बैलेट प्रक्रिया

31 मार्च, 2022 के बाद, कंपनी ने 8 जुलाई, 2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस के माध्यम से निम्नलिखित के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा:

- श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएनः 01377212) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति; तथा
- आरक्षिती का पूंजीकरण करने और कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए।

इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुरूप, पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजा गया था, जिनके ईमेल पते पंजीकृत थे और जिनके नाम 5 जुलाई, 2022 (अर्थात, "निर्णायक तिथि") की स्थिति के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हो रहे थे। पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 8 जुलाई, 2022 को पूरा हुआ। प्रेषण के पूरा होने के संबंध में एक विज्ञापन शनिवार, 9 जुलाई, 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) में प्रकाशित किया गया था।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") उक्त पोस्टल बैलेट के लिए नियुक्त रिमोट ई–वोटिंग एजेंसी थी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (0900 घंटे) भारतीय मानक समय (आईएसटी) से मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 (0900 घंटे) तक, दोनों दिवसों को शामिल करने के साथ, खुला था। सीएस हेमंत कुमार सिंह को उक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि पूरी होने और संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 को ई–वोटिंग के परिणाम घोषित किए गए। दोनों प्रस्तावों को भारी बहुमत से पारित किया गया। उक्त प्रस्तावों के लिए मतदान पैटर्न का विवरण निम्नानुसार था:

संकल्प का संक्षिप्त विवरण	संकल्प का प्रकार	पक्ष में मत	विरूद्ध में मत
		%	%
श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएनः 01377212) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति;	साधारण	93.68%	6.32%
आरक्षिती का पूंजीकरण करने और कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए	साधारण	98.39%	1.61%

परिणाम वेबसाइट और कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (कार्यालयों) पर प्रदर्शित किए गए थेय और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को सूचित किया गया। इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संबंध में अधिक विवरण https://recindia.nic.in/postalballot पर दिया गया हैं।

7. इलेक्ट्रानिक माध्यम से दस्तावेजों की प्रदायगी

वित्तीय वर्ष 2010–11 से, आरईसी ऐसे शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर रहा है, जिनकी ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) या पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश (अंतरिम या अंतिम) की सूचना भी भेजी जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की 53वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित किए हुए शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को ई–मेल आईडी को अपडेट करने के लिए एसएमएस भी भेजे हैं, जिनके मोबाइल नंबर संबंधित निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में पंजीकृत थे। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपनी ई–मेल आईडी को पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे ई–मेल आईडी के पंजीकरण और आगामी एजीएम में मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त के अधिप्रापण के लिए 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति हितधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

9. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहार (लेन–देन) लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की जानकारी के लिए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-150722.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, प्रपत्र एओसी–2 में प्रकटन करने के लिए अपेक्षित संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार के ब्यौरे 'शून्य' थे।

10. प्रकटीकरण

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित ऐसा कोई भी मामला नहीं था जिसमें अनुपालन न किया गया हो। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों और समय–समय पर यथासंशोधित, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के निगमित सुशासन निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। वर्ष के कुछ भाग के लिए, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और कुछेक समितियों की संरचना सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

   ऐसे गैर–अनुपालनों के कारण, एनएसई और बीएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी चार तिमाहियों के लिए जीएसटी सहित ₹86,21,080/– (प्रत्येक द्वारा जीएसटी सहित ₹43,10,540/–) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इससे पूर्व में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष 2020–21 की सभी चार तिमाहियों के लिए जीएसटी सहित कुल ₹95,93,400/– (जीएसटी सहित ₹47,96,700/– प्रत्येक द्वारा) का जुर्माना अधिरोपित किया गया था।

   यह उल्लेखनीय है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकरण, अर्थात् विद्युत मंत्रालय से अनुरोध कर रही है और कंपनी का निदेशकों की नियुक्ति या उसके बोर्ड और समितियों की संरचना को बनाए रखने में कोई नियंत्रण नहीं है। इसे देखते हुए, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया थाध्अनुरोध कर रही है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी पर सितंबर, 2020 और दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए कंपनी पर अधिरोपित किए गए जुर्माने को बीएसई ने पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी शेष जुर्माने (जुर्मानों) को भी माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अनुसरण कर रही है।

2. सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर दर्ज कराए गए थे।
3. कंपनी ने, उपरोक्त बिंदु 1 में यथावर्णित, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने और बोर्ड की कुछ समितियों के गठन को छोड़कर, सेबी एलओडीआर

विनियमों के विनियम 17 से 27 की बोर्ड, समितियों और निगमित सुशासन से संबंधित अपेक्षाओं, समय–समय पर यथासंशोधित,य और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के तहत कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची ट के भाग ग के अनुसार निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।

इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-seb पर प्रासंगिक जानकारी का प्रकटीकरण किया है।

4. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हेजिंग नीति, जो मुद्राओं में विनिमय दर में उतार–चढ़ाव – जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं – सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को कवर किया जाता है। लेखाओं के लिए टिप्पणियों में विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग होते हैं और उनका प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों जैसे स्वैप, ऑप्शंस, फॉरवर्ड आदि के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है, जो किसी भी वस्तु की कीमत के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

5. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।

6. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।

7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

8. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन–देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।

9. वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों ने बोर्ड के समक्ष सभी महत्वपूर्ण, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों (लेन–देन) से संबंधित प्रकटीकरण किया है, जिनमें उनके व्यक्तिगत हित हैं जो संभवतः बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के विरोधाभासी (उदाहरण के लिए, कंपनी के शेयरों में संव्यवहार करना, प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों आदि की शेयरधारिता वाले निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार) हो सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विरोधाभास का ऐसा कोई मामला नहीं था।

10. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने उन फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया, जिनमें निदेशकों के हित हैं।

11. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹106.71 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹116.06 करोड़ हो गया है, जो कंपनी की कारोबारिक गतिविधियों में सामान्य वृद्धि के अनुरूप मामूली परिवर्तन है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.43% (पिछले वर्ष 0.43%) थे; और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 0.53% (पिछले वर्ष 0.50%) थे।

12. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो कारोबार के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो प्रकृति में व्यक्तिगत था और निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।

13. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तुलन–पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

14. वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई लेखा परीक्षा आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधान के अनुरूप, बिना संशोधित राय के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

15. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई स्टॉक ऑपशंस/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

16. निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण निम्नानुसार था:

समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
30 जून, 2021	7 जुलाई, 2021
30 सितंबर, 2021	14 अक्टूबर 2021
31 दिसंबर, 2021	10 जनवरी 2022
31 मार्च 2022	7 अप्रैल, 2022

इसके अलावा, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट 7 अप्रैल, 2022 को निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी तिमाहियों के लिए निर्धारित समय के भीतर सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 27(2)(क) के तहत निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की है।

17. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

18. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं मिला है।

19. कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को समय–समय पर कारोबार और प्रचालन की प्रकृति, कंपनी की कार्यनीति और प्रदर्शन, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों और अन्य प्रासंगिक विषयों से अवगत कराती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने वर्ष के दौरान नियुक्त अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रति निदेशक कुल 20 घंटे की अवधि के 3 (तीन) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां आदि भी उपलब्ध कराईं।

इसके अलावा, बोर्ड और समिति की बैठकों में प्रस्तुतिकरणों की सहायता से, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिको और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित संवाद, स्वतंत्र निदेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण https://recindia.nic.in/uploads/files/Familiarization-programme---13072022.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने *बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार* की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

20. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन पर कुछ गैर–अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:

क) **बोर्ड** कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;

ख) **शेयरधारक के अधिकार:** कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;

ग) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित कोई लेखा परीक्षा आपत्ति/संशोधित राय नहीं है और कंपनी सदैव आपत्तिरहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;

घ) **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या सीईओ के अलग-अलग पद:** के अलग–अलग पदः अध्यक्ष और सीईओ के अलग–अलग पद नहीं हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की भूमिका का निर्वहन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है और मुख्य वित्तीय अधिकारी, सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है;

ङ) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्य के प्रमुख, सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता हैं।

21. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7क) और विनियम 52(7) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021–22 में बॉण्डों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग जारी रही। जो कि क्रिसिल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में दी गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2021–22 में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी को प्रदान की गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अलावा, मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-क** पर दी गई है।

24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड–स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियां) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड–स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।

11. लागू किए गए कानूनों का अनुपालन

लागू कानूनों और इनसे संबंधित सांविधिक, नीतिगत एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी में एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सांविधिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नीति संहिता

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

यह संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा निम्नानुसार है:

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबारिक आचरण और नीति संहिता के तहत घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./–
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 8 जुलाई, 2022

13. निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिर्पोटिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता

कंपनी में "निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिर्पोटिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता" मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf पर उपलब्ध है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी हितधारक या कारोबार भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर–अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी किसी यूपीएसआई को तिमाही परिणामों पर विचार सहित विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाती है और ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना नामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, तो उन्हें और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार करने से रोकते हुए, कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उचित घोषणाएं की जाती हैं।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी ने "धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति" तैयार की है जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ धोखाधड़ी का पता और रोकथाम, धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की पहचान या संदिग्ध और उचित व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली प्रदान की गयी है। इस नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए तथा धोखाधड़ी के मामले में इसे रोकने और/या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।
ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ संव्यवहार करने वाले अन्य लोगों को किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोकने और किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संशय होने पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।
iii. नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी का पता चलने या संदेह होने पर रिपोर्ट करने के लिए समय–सीमा और विवरण प्रदान करना।
iv. धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच करना।
v. यह आश्वस्त करना कि किसी भी और सभी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि (गतिविधियों) की पूरी तरह से जांच की जाएगी।
vi. आरईसी के विरूद्ध किसी भी रूप में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उक्त नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-Prevention-Policy-310122.pdf पर उपलब्ध है।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी की एक "व्हिसल ब्लोअर नीति" है। सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति, आरईसी औरध्या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के कारोबार या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। शिकायत करने का तरीका और सक्षम प्राधिकारी नीति के तहत निर्दिष्ट हैं। यह नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा, कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और, जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है, निम्नानुसार है:

कंपनी की सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के संदर्भ में वार्षिक अभिकथन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने से नहीं रोका गया ह और जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई।

ह./–
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20 जून, 2022

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत जारी किए गए सूचना प्रदाता नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और इसे कंपनी की "सतर्कता नियम–पुस्तिका" में सम्मिलित किया गया है।

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:;

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
क.	सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखा परीक्षक के रूप में	0.58	0.66
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.15	0.25
(iii)	कंपनी कानून के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.33	0.26
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:		
	(क) एमटीएन प्रस्ताव दस्तावेज/सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.10
	(ख) अन्य प्रमाणपत्र	0.22	0.04
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	-
	उप-जोड़	**1.41**	**1.38**
ख.	लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.12	0.12
	जोड़	**1.53**	**1.43**

**वित्तीय वर्ष 2020–21 के कराधान मामलों के शुल्क में, पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कराधान मामलों के लिए ₹0.12 करोड़ का शुल्क शामिल है।*

17. संचार के साधन

कंपनी, सभी हितधारकों के साथ प्रासंगिक सूचनाओं के समयोचित संचार को कंपनी के समग्र निगमित सुशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है। कंपनी अपनी वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों पर की गई फाइलिंग, मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन, सोशल मीडिया अपडेट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन सहित विभिन्न माध्यमों से अपने शेयरधारकों, बॉण्डधारकों और अन्य हितधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी समय–समय पर विश्लेषक बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संवाद भी करती है।

नवीनतम अपडेट और समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों में किए गए प्रासंगिक कॉर्पोरेट प्रकटीकरण, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति और संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए परिणाम प्रस्तुतीकरण सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.nic.in/disclosures.under.regulation.46.of.sebi पर निवेशक खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं।

कंपनी ने अपने शेयरधारकों और बॉण्डधारकों के प्रश्नों के समाधान के लिए टेलीफोन नंबर और ई–मेल आईडी निर्दिष्ट किए हैं। ये विवरण https://recindia.nic.in/investors-contact पर देखे जा सकते हैं।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 13 मई, 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ख** पर संलग्न है।

19. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी

i. **वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक आम बैठक**

शेयरधारकों की आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से आयोजित की जाएगी:–

दिन, दिनांक	शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022
समय	11:00 बजे पूर्वाह्न

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दर्शायी गई है।

ii. **वित्तीय कैलेंडर (वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए)**

पिछले/पूर्ण वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22) की तुलना में अगले/आगामी वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिए वित्तीय कैलेंडर:–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
लेखांकन अवधि	1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022		1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	5–अगस्त–2021	पहली तिमाही	तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर
	दूसरी तिमाही	29–अक्टूबर–2021	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	4–फरवरी–2022	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही और वार्षिक	13–मई–2022	चौथी तिमाही और वार्षिक	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के अंदर
वार्षिक आम बैठक की तिथि	16–सितंबर–2022		अगस्त/सितंबर, 2023	

iii. **लाभांश**

(क) लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन वित्तीय मानकों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभांश की उम्मीद कर सकती है या नहीं सकते हैं। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Dividend Distribution Policy.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निम्नानुसार अंतरिम लाभांश का भुगतान किया और अंतिम लाभांश की सिफारिश की है:

इस प्रकार, आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश पर शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश ₹15.30 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के 153.10% का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 में कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के 127.10% का प्रतिनिधित्व करते हुए, भुगतान किये गए लाभांश अर्थात् ₹12.71 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर से अधिक है।

कंपनी ने कंपनी की आगामी 53वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, उपरोक्त अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 13 जुलाई, 2022 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में घोषित कर दिया जाता है, तो शेयरधारकों को अंतिम लाभांश का भुगतान गुरुवार, 13 अक्टूबर 2022, को किया जाएगा।

विवरण	लाभांश भुगतान की तारीख	प्रत्येक ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश
पहला अंतरिम लाभांश	2–सितंबर–2021	₹2.00/-
दूसरा अंतरिम लाभांश	25–नवंबर–2021	₹2.50/-
तीसरा अंतरिम लाभांश	3–मार्च–2022	₹6.00/-
अंतिम लाभांश	13–अक्टूबर–2022*	*₹4.80/-
जोड़		**₹15.30/-**

**53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन*

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	प्रत्येक ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश
2016-17	1,974.92	1,905.79	*96.50	6–मार्च–2017	अंतरिम लाभांश (₹7.00)
				9–अक्टूबर–2017	अंतिम लाभांश (₹2.65)
2017-18	1,974.92	1,807.05	91.50	27–फरवरी–2018	अंतरिम लाभांश (₹7.40)
				15–अक्टूबर–2018	अंतिम लाभांश (₹1.75)
2018-19	1,974.92	2,172.41	110.00	19–मार्च–2019	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2019-20	1,974.92	2,172.41	110.00	24–फरवरी–2020	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2020-21	1,974.92	2,510.12	127.10	3–दिसंबर–2020	पहला अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				30–मार्च–2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				21–अक्टूबर–2021	अंतिम लाभांश (₹1.71)

**वित्तीय वर्ष 2016–17 से लाभांश का प्रतिशत, उक्त वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण समायोजन के बाद है*

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन पुनर्संरचना संबंधी व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी अपने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से अधिकतम ₹658,30,60,000 की राशि का पूंजीकरण करते हुए, अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर, अर्थात, प्रत्येक ₹10/– प्रति के तीन (3) मौजूदा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक ₹10/– प्रति का एक (1) पूर्ण प्रदत्त बोनस इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती है। शेयरधारकों ने 9 अगस्त, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से उक्त बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी है। उक्त बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के साथ सममूल्य पर रैंक करेंगे।

पोस्टल बैलेट नोटिस और परिणाम https://recindia.nic.in/postalballot पर देखे जा सकते हैं। बोनस शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी को बढ़ाकर ₹2,633.22 करोड़ कर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ₹10/– प्रति के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयरों शामिल हैं।

(ग) अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश के संबंध में इक्विटी शेयरों और अप्रदत्त/दावा न किए गए मूलधन/ब्याज के संबंध में डिबेंचर आदि और इक्विटी शेयरों और डिबेंचर के मूलधन और ब्याज को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

आईईपीएफ में अंतरित राशि

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में, ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश राशि और मूलधन और ब्याज की राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए प्रदत्त/अदावाकृत हैं, को केंद्रीय सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आईईपीएफ में अंतरण के लिए लाभांश की निम्नलिखित राशियां देय हो गईं, जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किया गया था:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (₹)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2013–14	17.11.2021	6,79,301
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2014–15	09.04.2022	25,66,648
जोड़		**32,45,949**

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार, सभी परिपक्व डिबेंचरों को डिबेंचर पर अर्जित ब्याज के साथ, जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और प्रदत्त रहे हैं, आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में डिबेंचर पर अदावाकृत मूलधन/ब्याज के संबंध में निम्नलिखित राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी गई है:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (₹)
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	27.04.2021	4,16,784
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	21.05.2021	46,150
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	28.06.2021	55,75,342
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	19.07.2021	3,42,741
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	17.08.2021	58,70,071
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	22.09.2021	77,400
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	13.01.2022	1,19,927
ब्याज बॉण्ड श्रृंखला 74	18.01.2022	35,803
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	17.02.2022	1,64,581
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	17.03.2022	4,23,000
जोड़		**1,30,71,799**

टिप्पणी: *उपरोक्त मामले वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित हैं*

प्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के लिए दावों को प्रस्तुत करने के लिए शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, कंपनी समय–समय पर समाचार पत्रों में नोटिस जारी करती रही है। सभी शेयरधारकों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों को तुरंत भुना लें या पुराने वारंटों के स्थान पर पुनर्वधीकरण या डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए को लिखें।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने नवंबर, 2021 में प्रत्येक ₹10/– प्रति वाले 9,896 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या 1,29,038 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, अप्रैल, 2022 में प्रत्येक ₹10/– प्रति 1,968 इक्विटी शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया।

जिन सदस्यों का उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों या डिबेंचरों के ब्याज और/या मूलधन पर दावा है, वे वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन जमा करके और फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बॉण्ड और आईईपीएफ–5 में सूचीबद्ध अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित भौतिक प्रति "आईईपीएफ प्राधिकरण से धनवापसी के लिए दावा" के रूप में चिह्नित एक लिफाफे में रखकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजते हुए, आईईपीएफ प्राधिकरण से इनका दावा कर सकते हैं।

सभी पहलुओं में पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण और डीमैट खाते में शेयरों के क्रेडिट के माध्यम से धनवापिसी (रिफंड) जारी की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति आईईपीएफ मामलों के संबंध में कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:

पदनाम	नाम
नोडल अधिकारी	**श्री जे. एस. अमिताभ** कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
डिबेंचर/बॉण्ड के लिए उप नोडल अधिकारी	**श्री दलजीत सिंह खत्री** कार्यपालक निदेशक (वित्त)
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	**श्री एम. एल. कुमावत** वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त) एवं विभागाध्यक्ष–सीएस

कंपनी, वार्षिक आम बैठक के 60 दिन के भीतर अपनी बेवसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ में राशि के अंतरण की नियत तारीख जैसी जानकारी के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉण्डधारकों से संबंधित अदावाकृत/प्रदत्त राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/unpaid-dividend पर अपलोड करेगी। कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का शेयरधारक–वार विवरण भी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.nic.in/iepf-details पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को राशि के हस्तांतरण की देय तिथि जैसी जानकारी वाली कंपनी के शेयरधारकों/बॉण्ड धारकों से संबंधित दावा न की गई/अवैतनिक राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/iepf-details पर अपलोड किया है। कंपनी द्वारा आईईपीएफ को पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का निवेशक–वार विवरण आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.nic.in/iepf-details पर भी उपलब्ध है।

iv. इक्विटी शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

विवरण	एनएसई	बीएसई
स्क्रिप कोड	आरईसीएलटीडी	532955
पता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051	बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभॉय टावर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई–400001
दूरभाष	+91-22-2659 8100/8114	+91-22-2272 1233/34
ईमेल	cmlist@nse.co.in	corp.comm@bseindia.com
वेबसाइट	www.nseindia.com	www.bseindia.com

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

vi. पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के संपर्क ब्यौरे

इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए		
पता	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032,	
फोन	1800-309-4001	
ईमेल	einward.ris@kfintech.com, balajireddy.s@kfintech.com, raju.sv@kfintech.com	
वेबसाइट	www.kfintech.com	
सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए		
पता	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032,	**बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड** बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास नई दिल्ली–110062, भारत
फोन	1-800-309-4001	+91-11-29961281-83
ईमेल	einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com	recbonds3@gmail.com, spgupta123@gmail.com
वेबसाइट	https://www.kfintech.com	www.beetalfinancial.com

vii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बाजार मूल्य डाटा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स के संचलन की तुलना में आरईसी के इक्विटी शेयर का मासिक प्रदर्शन निम्नानुसार था :

माह	एनएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			एनएसई निफ्टी का संचलन		
	अधिक	कम	बंद	अधिक	कम	बंद
अप्रैल 2021	135.50	122.15	128.10	15,044.35	14,151.40	14,631.10
मई 2021	148.00	126.10	145.90	15,606.35	14,416.25	15,582.80
जून 2021	167.80	140.50	148.55	15,915.65	15,450.90	15,721.50
जुलाई 2021	154.80	142.75	151.10	15,962.25	15,513.45	15,763.05
अगस्त 2021	160.50	139.25	151.70	17,153.50	15,834.65	17,132.20
सितंबर 2021	166.00	149.60	157.85	17,947.65	17,055.05	17,618.15
अक्टूबर 2021	168.85	146.65	148.65	18,604.45	17,452.90	17,671.65
नवंबर 2021	155.65	126.15	134.55	18,210.15	16,782.40	16,983.20
दिसंबर 2021	138.70	125.15	133.80	17,639.50	16,410.20	17,354.05
जनवरी 2022	141.50	127.85	138.65	18,350.95	16,836.80	17,339.85
फरवरी 2022	143.30	116.60	122.55	17,794.6	16,203.25	16,793.90
मार्च 2022	126.95	119.15	123.05	17,559.8	15,671.45	17,464.75

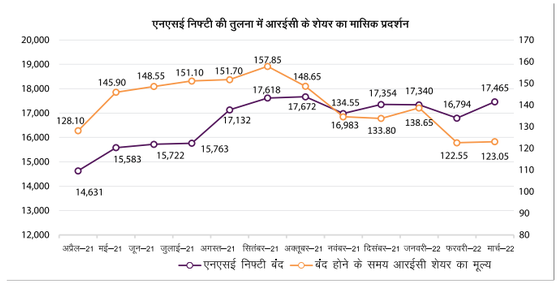

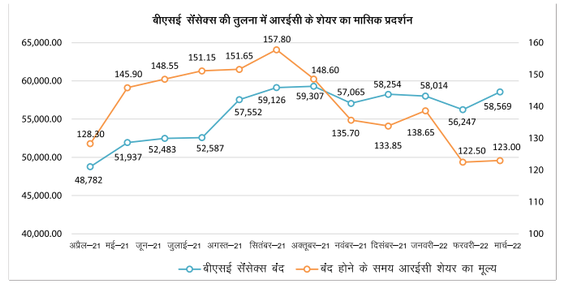

माह	बीएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	अधिक	कम	बंद	अधिक	कम	बंद
अप्रैल 2021	135.55	122.20	128.30	50,375.77	47,204.50	48,782.36
मई 2021	148.00	126.20	145.90	52,013.22	48,028.07	51,937.44
जून 2021	167.75	140.70	148.55	53,126.73	51,450.58	52,482.71
जुलाई 2021	154.85	142.80	151.15	53,290.81	51,802.73	52,586.84
अगस्त 2021	160.45	139.00	151.65	57,625.26	52,804.08	57,552.39
सितंबर 2021	165.90	149.55	157.80	60,412.32	57,263.90	59,126.36
अक्टूबर 2021	168.70	146.80	148.60	62,245.43	58,551.14	59,306.93
नवंबर 2021	155.70	126.30	135.70	61,036.56	56,382.93	57,064.87
दिसंबर 2021	138.70	125.25	133.85	59,203.37	55,132.68	58,253.82
जनवरी 2022	141.50	127.95	138.65	61,475.15	56,409.63	58,014.17
फरवरी 2022	143.00	116.65	122.50	59,618.51	54,383.20	56,247.28
मार्च 2022	126.95	119.20	123.00	58,890.92	52,260.82	58,568.51

viii. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने दिनांक 3 दिसंबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्धारित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी निक्षेपागार में डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, प्रतिभूतियों का संचरण या अंतरण, चाहे भौतिक रूप में हो या अभौतिक रूप में, भी केवल डिमैटरियलाइज्ड रूप में ही किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, डिमैटरियलाइजेशन का लाभ उठाने के लिए सभी शेयरधारकों से अपनी शेयरधारिता को यथाशीघ्र भौतिक रूप से डीमैट रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाता है।

सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने के अलावा पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना/अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि जिन फोलियो में 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त में से कोई एक या अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और निवेशक शिकायत दर्ज करने या आर एंड टीए से सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे और भौतिक रूप में लाभांश की प्राप्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आर एंड टीए को तुरंत निर्धारित प्रपत्र (जैसा कि नीचे) में पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके फोलियो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद से अवरोधित नहीं हैं:

फार्म	विवरण	डाउनलोड के लिए वेब-लिंक
प्रपत्र आईएसआर–1	पैन, केवाईसी विवरण या उसके परिवर्तन/अद्यतन के पंजीकरण के लिए अनुरोध	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-1.pdf
प्रपत्र आईएसआर–2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि (हस्ताक्षर में उल्लेखनीय बेमेल के मामले में)	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-2.pdf
प्रपत्र आईएसआर–3	भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-3.pdf
प्रपत्र एसएच–13	नामांकन प्रपत्र	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-no-SH-13.pdf
प्रपत्र एसएच–14	नामांकन रद्द करना या उसमें बदलाव करना	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-No-SH-14.pdf

हस्ताक्षरित दस्तावेजों/विवरणों (तारीख के साथ स्व–सत्यापित) के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म आर एंड टीए को आर एंड टीए द्वारा 'इन पर्सन वेरिफिकेशन' (आईपीवी) के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से या ई–साइन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ई–हस्ताक्षरित दस्तावेजों को आपके पंजीकृत ई–मेल आईडी से einward.ris@kfintech.com पर भेजने की आवश्यकता है, जिसमें एक प्रति complianceofficer@recl.in को चिह्नित की जानी है। इसके अलावा, बॉण्ड के संबंध में विवरण/प्रश्नों के लिए, कृपया https://recindia.nic.in/Forms पर जाएं।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 40(9) और (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाला कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों के सभी अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरे किए गए थे।

शेयरधारिता का पैटर्न/शेयरधारिता का विभाजन

31 मार्च, 2022 के अनुसार स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

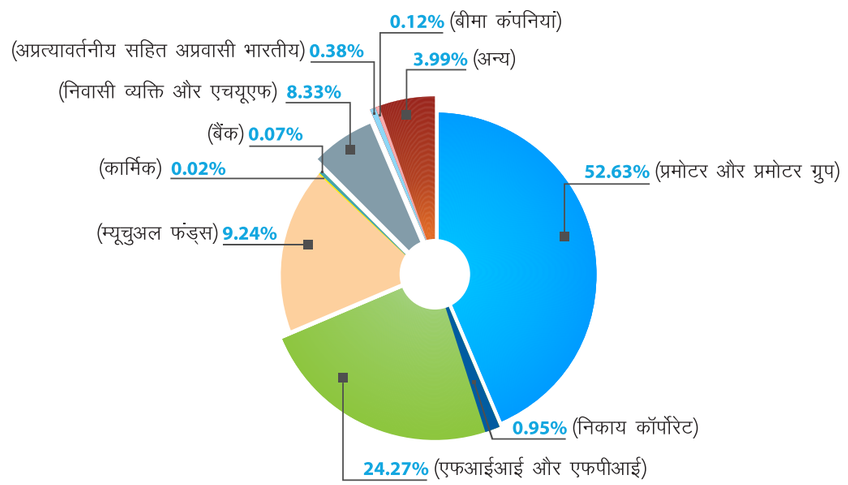

(क) 31 मार्च, 2022 के अनुसार स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

पिछले वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2021 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी का श्रेणी–वार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार था:

विवरण		31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप	-	1,03,94,95,247	52.63	1,03,94,95,247	52.63
एफपीआई, एफपीसी और एफआईआई	↓	47,93,18,179	24.27	52,83,00,945	26.75
म्यूचुअल फंड्स	↑	18,24,09,568	9.24	17,90,43,306	9.07
निवासी व्यक्ति	↑	15,56,83,646	7.88	11,67,78,937	5.91
बीमा कंपनी	↓	24,53,392	0.12	5,88,95,240	2.98
निकाय कॉर्पोरेट्स	↑	1,87,36,424	0.95	1,13,61,284	0.58
समाशोधन सदस्य	↓	20,02,781	0.10	25,75,891	0.13
बैंक	↓	14,39,838	0.07	45,87,838	0.23
एचयूएफ	↑	87,73,935	0.45	69,41,329	0.35
न्यास	↓	8,93,577	0.05	9,49,715	0.05
अप्रवासी भारतीय	↑	53,46,627	0.27	31,12,828	0.16
भारतीय वित्तीय संस्थान/क्यूआईबी	↑	7,55,52,364	3.83	2,04,85,544	1.04
एनआरआई–अप्रत्यावर्तनीय	↑	22,34,359	0.11	18,01,188	0.09
कर्मचारी	↑	4,44,669	0.02	4,27,797	0.02
अन्य (आईईपीएफ, एआईएफ)	↓	1,29,038	0.01	1,52,567	0.01
एनबीएफसी	↓	4,356	नगण्य	8,344	नगण्य
जोड़		**1,97,49,18,000**	**100%**	**1,97,49,18,000**	**100%**

(ख) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का विभाजन

31 मार्च, 2022 को धारित शेयरों की संख्या के आधार पर शेयरधारिता का विभाजन निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1–5000	4,44,017	98.99	11,13,34,927	5.64
5001–10000	2,504	0.56	1,79,42,497	0.91
10001–20000	978	0.22	1,37,58,436	0.70
20001–30000	271	0.06	67,83,015	0.34
30001–40000	136	0.03	47,35,785	0.24
40001–50000	69	0.01	31,79,259	0.16
50001–100000	188	0.04	1,35,48,617	0.68
100001 और उससे अधिक	392	0.09	1,80,36,35,464	91.33
जोड़	**4,48,555**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

ix. चलनिधि

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमैटरियलाइज्ड खंड के अधीन हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
पता	ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400013	मैराथन फ्यूचरएक्स, ए–विंग, 25वां तल एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013
दूरभाष	+91-22-2499 4200 1-800-222-990	+91-22-2305 8640/24/39/42/63 1-800-22-5533
ईमेल	relations@nsdl.co.in info@nsdl.co.in	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	https://nsdl.co.in/	www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, डीमैटीरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का विवरण निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
शारीरिक	13,402	26,825	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	2,01,746	1,89,71,80,836	96.06%
सीडीएसएल (डीमैट)	2,33,407	7,77,10,339	3.94%
जोड़	**4,48,555**	**1,97,49,18,000**	**100.00%**

x. शेयरपूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनियम, 2018 के विनियम 76 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, निर्गत और सूचीबद्ध शेयर पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल निर्गत /प्रदत्त शेयर पूंजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। उक्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

xi. डीमैट सस्पेंस खाते का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों की एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 7,80,60,000 रुपये के प्रत्येक ₹10/– इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इक्विटी शेयरों की एक और समान संख्या की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4,29,33,000 इक्विटी शेयर की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान डीमैट सस्पेंस खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार था:

विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	32	4,988
वित्तीय वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	शून्य	शून्य
दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32	4,988

टिप्पणियां:

1. *31 मार्च, 2022 को सस्पेंस खाते में बकाया शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के असली स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते।*
2. *उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैंय एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों का कोई मामला नहीं है।*

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

xii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xiii. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xiv. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. संयंत्रों की अवस्थिति

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसकी कोई संयंत्र अवस्थिति (अवस्थितियां) नहीं है।

तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvi. कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095 है।

xvii. कार्पोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है ।

xviii. पत्र व्यवहार हेतु पता

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

पंजीकृत कार्यालय	
पता	कोर–4,स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोन	+91-11-4309 1500/1501
ईमेल	contactus@recl.in
कार्पोरेट कार्यालय	
पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स प्लॉट नंबर आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
टेलीफोन	+91-124-271 1000 +91-124-444 1300
ईमेल	contactus@recl.in

xix. अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता	
नाम	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स प्लॉट नंबर आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
टेलीफोन	+91-124-444 1331
ई–मेल	complianceofficer@recl.in jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(विवेक कुमार देवांगन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

अनुबंध-क

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची-V के पैरा -ग के खंड (10) (i) और विनियम 34(3) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय:
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणी और आरईसी लिमिटेड जिसका सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची–V के पैरा–ग खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से, हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों [www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, 31 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है

31 मार्च, 2022 तक आरईसी लिमिटेड के निदेशकों का विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्त होने की तिथि*
1.	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे#	05254178	22 फरवरी, 2022
2.	श्री अजय चौधरी	06629871	1 जून, 2020
3.	श्री विशाल कपूर	08700132	7 सितंबर, 2021
4.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	4 फरवरी, 2022
5.	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	15 नवंबर, 2021
6.	डॉ. मनोज मनोहर पांडे	09388430	15 नवंबर, 2021
7.	श्रीमती दुर्गेश नंदिनी	09398540	30 दिसंबर, 2021

**नियुक्ति की तिथि एमसीए पोर्टल के अनुसार है।*
#आरईसी के निदेशक के रूप में 10 मई, 2022 से समाप्त हो गया।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण–पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: एफ6033
सीपी संख्या: 6370
यूडीआईएन: एफ006033डी000506060

दिनांक : 18 जून, 2022
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ख

प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

13 मई, 2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणों में ऐसा कोई मिथ्या विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो; और

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर–कानूनी हो अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के प्रकार अथवा प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया है:

i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और

iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह/-
(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06629871

ह/-
(रविंद्र सिंह ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

1.	सूचीबद्ध एंटिटी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	सूचीबद्ध एंटिटी का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	25 जुलाई 1969
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
5.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर, प्लॉट नं. आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम–122001
6.	ई–मेल	complianceofficer@recl.in
7.	टेलीफोन	+91-124-444 1300
8.	वेबसाइट	www.recindia.nic.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2021–22
10.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹1,974.92 करोड़ (31 मार्च, 2022 के अनुसार)
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ई–मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट संबंधी किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री वी. के. सिंह डीआईएनः 02772733 निदेशक (तकनीकी) +91-124-444 1318 dtsectt@recl.in
13.	रिपोर्टिंग बाउंड्री– क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात केवल एंटिटी के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात एंटिटियों और सभी एंटिटियों के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।	इस रिपोर्ट में एक एकल आधार पर प्रकटीकरण किए गए हैं।

II. उत्पाद/सेवाएं

14. कारोबार संबंधी गतिविधियों का विवरण (90% टर्नओवर के लिए लेखांकन):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	कारोबार संबंधी गतिविधि का विवरण	एंटिटी के टर्नओवर का%
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	वित्तीय और ऋण पट्टे पर देने की गतिविधियां	99.75%

15. एंटिटी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (एंटिटी के 90% टर्नओवर के लिए लेखांकन):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
1.	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां – अन्य ऋण अनुदान	64920	99.71%

III. प्रचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहाँ एंटिटी के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान की संख्या	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	जोड़
राष्ट्रीय	-	23	23
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-

टिप्पणी: इस वार्षिक रिपोर्ट में आरईसी कार्यालयों के पते अलग से प्रदर्शित हो रहे हैं।

17. एंटिटी द्वारा सेवित बाजार

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1

ख. एंटिटी के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के कारोबार में निर्यात का योगदान शून्य था। हालांकि, आरईसी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भूटान में 4x150 मेगावाट की खोलोंगछु जलविद्युत परियोजना के लिए ₹2,500 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी थी।

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आरईसी के प्रमुख उत्पादक राज्य यूटिलिटियों, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि को ब्याजी ऋण है। कंपनी की कारोबारी संबंधी गतिविधियों में विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ई–मोबिलिटी, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तपोषण उपकरण निर्माण और विद्युत परियोजनाओं के साथ लिंकिंग आगे/पीछे की गतिविधियों के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यावधि के ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि शामिल हैं।

कंपनी के ग्राहकों में राज्य सरकारें, केंद्र/राज्य बिजली यूटिलिटिज, राज्य बिजली बोर्ड, स्वतंत्र बिजली उत्पादक, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां और प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज आदि शामिल हैं।

IV कार्मिक

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कार्मिक और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	440	368	83.64%	72	16.29%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	2	2	100%	-	-
3.	कुल कर्मचारी (घ+ङ)	442	370	83.71%	72	16.29%
कामगार						
4.	स्थायी (च)	-	-	-	-	-
5.	स्थायी के अलावा (छ)	-	-	-	-	-
6.	कुल कामगार (च+छ)	-	-	-	-	-

ख. दिव्यांगजन कार्मिक और कामगार:

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	13	12	92.31%	1	7.69%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	-	-	-	-	-
3.	कुल दिव्यांग कार्मिक (घ+ङ)	13	12	92.31%	1	7.69%
दिव्यांग कामगर						
4.	स्थायी (च)	-	-	-	-	-
5.	स्थायी के अलावा (छ)	-	-	-	-	-
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च+छ)	-	-	-	-	-

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	**7**	2	28.57%
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**3**	0	0.00 %

20. स्थायी कार्मिकों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर *(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)*

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	8.25	7.0	15.25*	9.7	12	21.7*	12.79	9.75	22.54*
स्थायी कामगार	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** सेवानिवृत्ति सहित*

ट. धारक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम संख्या	धारक/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	क्या धारक /अनुषंगी/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम है, इंगित करें	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित इकाई सूचीबद्ध कंपनी की कारोबार संबंधी उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती हैं? (हाँ/नहीं)
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	धारक कंपनी	आरईसी में 52-63% पीएफसी द्वारा धारित है	हाँ
2	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
3	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
4	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
5	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
6	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
7	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
8	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड#	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
9	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
10	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
11	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	15.68%	हाँ

#31 मार्च, 2022 तक अनुषंगी थी, 30 मई, 2022 को जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया।

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हाँ/नहीं) : हाँ

(ii) टर्नओवर: ₹39,132.49 करोड़

(iii) निवल मूल्य: ₹50,985.60 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी कारोबार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर परिवाद/शिकायत:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ https://recindia.nic.in/grievances	98	1	-	166	2	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://recindia.nic.in/bonds-grievances	18,042	0	-	16,655	0	-
शेयरधारकों	हाँ https://recindia.nic.in/investors-contact	4,670	3	तब से लंबित मामलों का समाधान किया गया है	2,304	0	-
कार्मिक और कामगार	हाँ इंट्रानेट पर उपलब्ध	-	-	-	-	-	-

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
ग्राहक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf	-	-	-	-	-	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ https://recindia.nic.in/independent-external-monitor-iem-for-rural-electrification-corporation-ltd	-	-	-	-	-	-
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

24. कंपनी के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबार आचरण के मुद्दों का अवलोकन

निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित आवश्यक उत्तरदायी कारोबार आचरण और संधारणीयता के वो मुद्दों जो आपके कारोबार के लिए जोखिम या अवसर होते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें

क्रम संख्या	महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान की गई	क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ) इंगित करें	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का इंगित करें)
1.	पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्रमिक बदलाव	अवसर	स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देना कारपोरेशन के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के अवसर प्रदान करेगा।	–	स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तपोषण से अतिरिक्त राजस्व के कारण आरईसी सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करेगा।
2.	संधारणीयता को आगे बढ़ाने के लिए कागज रहित वातावरण में बदलाव	अवसर	संचार और रिकॉर्ड प्रबंधन के डिजिटल साधनों में बदलाव से गति, सटीकता, दक्षता, लागत बचत, जवाबदेही और रिकॉर्ड के संरक्षण में वृद्धि होगी।	–	लागत बचत और संचालन की तेजी में वृद्धि के कारण आरईसी सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करेगा।
3.	संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु सचेतन के उपाय	जोखिम	बढ़ती जलवायु चिंताएं कंपनी के संचालन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।	आरईसी ने जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक "अनुकूलन" दृष्टिकोण अपनाया है। आरईसी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एक जलवायु जागरूक "ग्रीन" भवन का निर्माण किया है। इसके अलावा, आरईसी ने स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया है।	लागत बचत और अतिरिक्त राजस्व के कारण आरईसी सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करेगा।

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित अवसंरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं										
1.	क. क्या आपकी एंटिटी की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या कंपनी ने नीति का प्रक्रियाओं बदलाव किया है। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानक (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) जो आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप्ड किए गए।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	विशिष्ट समय–सीमा के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	आरईसी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दी गई कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों का सीमांकन करता है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आरईसी का एमओयू स्कोर 100 में से 100 था और इसे "उत्कृष्ट" के रूप में दर्जा दिया गया था।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ–साथ उन कारणों को पूरा नहीं करने की स्थिति में कंपनी का प्रदर्शन।									
सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण										
7.	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कारोबार उत्तरदायी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य (सूचीबद्ध कंपनी के पास इस प्रकटीकरण की नियुक्ति के संबंध में लचीलापन है)	कंपनी संगठन के लिए एक उपयुक्त ईएसजी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्यों, चुनौतियों आदि को शामिल करने वाली ईएसजी नीति वर्तमान में तैयार की जा रही है।								
8.	कारोबार उत्तरदायी नीति के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी उच्चतम प्राधिकरण का विवरण।	निदेशक मंडल								
9.	क्या कंपनी के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।	हाँ। कंपनी के पास ईएसजी संबंधी मामलों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति है। इसके अलावा, संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए निदेशक (तकनीकी) उत्तरदायी है।								
10.	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:									

समीक्षा का विषय	क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी, इंगित करें									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य -कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के लिए प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	9	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	तिमाही और वार्षिक आधार पर								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर – अनुपालन का सुधार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	तिमाही और वार्षिक आधार पर								

		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
11.	क्या एंटिटी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणी: प्रासंगिक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं।

लागू नहीं।

खंड ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कंपनियों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक कंपनी द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन कंपनियों द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के नाते अपने अनुसंधान की उच्चस्तरीय प्रगति में रुचि रखते हैं।

सिद्धांत 1: कारोबार का व्यवहार एवं प्रचालन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	3	स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के कारोबार और प्रचालन, उद्योग अवसरंचना, प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति से परिचित कराने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम। उपरोक्त प्रशिक्षण में सिद्धांत 1, 2 और 9 शामिल थे।	42.86%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1	अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम	25%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	21	विभिन्न तकनीकी और वित्तीय विषय जिनमें अनुभवात्मक शिक्षा और व्यक्तिगत प्रभावशीलता शामिल हैं जो दिन–प्रतिदिन के काम के लिए प्रासंगिक हैं	52.27%
कामगार	-	-	-

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/सजा/अवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (एंटिटी द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में (टिप्पणी: एंटिटी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और एंटिटी की वेबसाइट पर बतायी गयी आवश्यकता के अनुसार के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

	राजकोषीय				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपए में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
दंड/जुर्माना	सिद्धांत 1	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. बीएसई	₹86,21,080/-	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जैसा कि समय से संशोधित है। समय–समय पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति से संबंधित अनुपालन को छोड़कर, इसके अलावा, वर्ष के कुछ भाग के लिए, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था और कुछ समितियों की संरचना भी वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इस तरह के गैर–अनुपालन के कारण, एनएसई और बीएसई ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी चार तिमाहियों के लिए कुल ₹86,21,080/– जीएसटी (₹43,10,540/– प्रत्येक जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है।	हाँ
निपटान	-	-	-	-	-

राजकोषीय					
	एनजीआर बीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपए में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/ नहीं)
कंपाउंडिंग शुल्क	-	-	-	-	-
गैर-राजकोषीय					
	एनजीआर बीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	
कैद	-	-	-	-	
सज़ा	-	-	-	-	

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहाँ मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
स्वतंत्र निदेशकों/महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न करने के लिए एनएसई और बीएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में, जैसा कि पिछले प्रश्न में कहा गया है, चूंकि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। इसलिए कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात एमओपी से अनुरोध कर रही है। निदेशकों की नियुक्ति या उसके बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना को बनाए रखने में कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है। इसे देखते हुए, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया था/अनुरोध कर रही है। यह उल्लेख करना उचित है, कि बीएसई ने सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 को समाप्त हुई पिछली तिमाहियों के लिए कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ शेष राशि के जुर्माने को भी माफ करने के लिए अनुसरण कर रही है।	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. बीएसई

4. **क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

आरईसी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करता है और पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित है जिसमें सीवीसी नामित एजेंसी है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है।

इसके अलावा, कंपनी के *आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम* सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करते हैं और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार के रूप में मान्यता देते हैं।

कंपनी की *धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति* भी है, जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार किसी भी कार्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी की ओर से दायित्व निर्धारित करती है।

5. **निदेशकों/केएमपी/कार्मिकों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
निदेशक	-	-
केएमपी	-	-
कार्मिक	-	-
कामगार	-	-

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शामिल किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार)
3	आरईसी के सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित विषयों पर क्षेत्रीय कार्यालयों, अनुषंगी और प्रशिक्षण केंद्र सहित आरईसी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की: • अनुबंध प्रबंधन • पीआईडीपीआई • फोरेंसिक ऑडिट उपरोक्त प्रशिक्षण में सिद्धांत 1 और 2 शामिल हैं।	100%
2	आरईसी के प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट डिवीजन ने निम्नलिखित विषयों पर विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए, एक सामान्य श्रेणी के विक्रेताओं के लिए और 1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए: • जीईएम जागरूकता • एमएसएमई/स्टार्ट–अप्स को लाभ • मेक–इन–इंडिया नीति जागरूकता • जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध: वह देश जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है • *"आत्मनिर्भर भारत अभियान"* के लिए जागरूकता उपरोक्त प्रशिक्षण में सिद्धांत 2, 3, 8 और 9 शामिल थे।	100%

2. **क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए एंटिटी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ , तो उसका विवरण दें।**

कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया शामिल है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

सिद्धांत 2 : कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवायी जानी चाहिए जो संधारणीय और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. **एंटिटी द्वारा किए गए कुल आरएंडडी और कैपेक्स निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमश।**

	चालू वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	-	-	-
कैपेक्स	₹12.22 करोड़*	-	आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, आरएंडडी और कैपेक्स से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं। हालांकि, कंपनी ने ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके भार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुरुग्राम में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (सौर पेर्गोला संरचना द्वारा समर्थित) के शीर्ष पर एक 979 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। सौर संयंत्र जुलाई 2021 से काम कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इसने 8,22,072 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसने आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (अर्थात 16,30,956 यूनिट) की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% पूरा किया है।

**कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कुल पूंजी निवेश अर्थात एसआईटीसी की ओर (सौर पेर्गोला और सौर पैनलों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और उन्हें चालू करने)*

2. **क. क्या संधारणीय सोर्सिंग के लिए कंपनी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)**

कंपनी की कारोबारिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न की सीमित प्रयोज्यता है। एक एनबीएफसी के रूप में, आरईसी के संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, कार्यालय आपूर्ति और संचार या आईटी उपकरण तक सीमित है।

एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी भौतिक आवश्यकताओं के मामले में कम संसाधन–गहन है। सीमित दायरे के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की उत्तरदायी सोर्सिंग सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी खरीद में जीईएम पोर्टल (सरकारी ई–मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और एमएसएमई विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के खरीद दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निवेशों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के संदर्भ में, आरईसी ने सरकारी निर्देशों के अनुसार एमआईआई/एमएसएमई को खरीद वरीयता के साथ, जीईएम (सरकारी ई–मार्केटप्लेस) पोर्टल पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने न केवल जीईएम से खरीद के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया बल्कि लक्ष्य से अधिक हासिल किया। एमओयू के संबंध में जीईएम पोर्टल से 51.14% और एमएसएमई से खरीद 36.60% थी।

3. **जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।**

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी के पास भौतिक प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई खतरनाक अपशिष्ट नहीं है।

ई–अपशिष्ट के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के तहत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/पुनः प्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से, खरीद कंपनी के दिशानिर्देशों का पालन करके किया जाता है।

कंपनी ने प्लास्टिक के उपयोग को भी बहुत कम कर दिया है और जूट बैग, कपड़े के बैग आदि जैसे विकल्प के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

4. **क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिब्लिटी (ईपीआर) कंपनी की गतिविधियों पर लागू होता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिब्लिटी (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या एंटिटी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

आईएफसी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी द्वारा पेश किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देता है।

ऋण उत्पादों को बाजार के मानदंडों, उधारकर्ता की आवश्यकताओं और आरबीआई और/या किसी अन्य नियामकों के लागू वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अनुरूप विकसित किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित ऋण उत्पादों का विवरण वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू आरईसी और केएफडब्ल्यू के बीच आधिकारिक विकास सहायता – केएफडब्ल्यू– III एलओए के तहत वर्ष 2016 में आरईसी ने पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है । वही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के समाधान हेतु आरईसी रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

2. **यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें साथ ही कम करने के लिए की गई कार्रवाई का भी वर्णन करें।**

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां – अन्य ऋण अनुदान	कंपनी के उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता / जोखिम की परिकल्पना नहीं की गई है ।	-

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान की मात्रा निम्न है:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	पुनः उपयोग किए	पुनर्नवीनी. करण	सुरक्षित रूप से निपटान	पुनः उपयोग किए	पुनर्नवीनी. करण	सुरक्षित रूप से निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	-	-	-	-	-	-
ई – अपशिष्ट	-	-	*140			*177
खतरनाक अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-
अन्य अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-

** सुरक्षित रूप से निपटाए गए आईटी यूनिट्स की संख्या को दर्शाता है।*

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए सुधार योग्य उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार के मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण**

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कार्मिकों का%									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (फ/क)
स्थायी कार्मिक											
पुरुष	368	-	-	368	100	0	0	368	100	368	100
महिला	72	-	-	72	100	72	100	0	0	72	100
कुल	440	-	-	440	100	72	16.36	368	83.64	440	100
स्थायी कार्मिकों के अलावा											
पुरुष	2	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कार्मिकों का%									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (फ/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ		वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		कुल कार्मिकों के % के रूप में शामिल कार्मिकों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास घटाया और जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कार्मिकों के % के रूप में शामिल कार्मिकों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास घटाया और जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ		100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
उपदान		100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
ईएसआई		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य, –कृपया निर्दिष्ट करें	एनपीएस	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
	पीआरएमएस	100%*	लागू नहीं	हाँ	100%*	लागू नहीं	हाँ

**डीपीई द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन*

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या कंपनी के परिसर/कार्यालयों की पहुंच दिव्यांग कार्मिकों और कामगारों के लिए है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कदम उठाया जा रहे हैं।

हाँ, परिसर में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एलिवेटर और रैंप, व्हील चेयर, सुसज्जित टॉयलेट और ब्रेल में दिशा संकेत हैं।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कंपनी के पास समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ, कंपनी की समान अवसर नीति है और यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

5. **पैतृक अवकाश लेने वाले स्थायी कार्मिकों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

लिंग	स्थायी कार्मिक		स्थायी कामगार	
	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	-	-
महिला	100%	100%	-	-
कुल	100%	100%	-	-

6. **क्या कार्मिकों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उस तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हाँ/नहीं *(यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)*
स्थायी कामगार	-
स्थायी कामगारों के अलावा	-
स्थायी कार्मिक	हाँ। एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-

7. **सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियनों में कार्मिकों और कामगारों की सदस्यता:**

हाँ, आरईसी ने अपने गैर–पर्यवेक्षी स्थायी कार्मिकों के एक संघ और अपने अधिकारियों के एक संघ को मान्यता दी है। कंपनी के नियमित कार्मिक या तो कार्मिक संघ या आरईसी के कार्यपालक संघ के सदस्य होते हैं।

8. **कार्मिकों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22					वित्तीय वर्ष 2020-21				
	जोड़ (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		जोड़ (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	%(ख/क)	नहीं (ग)	%(ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (छ)	%(छ/घ)
कार्मिक										
पुरुष	188	25	13.3	163	86.70	358	20	5.59	114	31.84
महिला	36	2	5.56	34	94.44	70	10	14.29	35	50.00
कुल	224	27	12.05	197	87.95	428	30	7.00	149	34.81
कामगार										
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. **कार्मिकों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	जोड़ (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	जोड़ (ग)	संख्या (घ)	%(घ/ग)
कार्मिक						
पुरुष	71	27	38.03%	86	63*	73.26%
महिला	13	10	76.92%	20	15	75.00%
कुल	84	37	44.05%	106	78	73.58%
कामगार						
पुरुष	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

**02 कर्मचारियों को छोड़कर जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में पदोन्नति किया गया था (रिक्ति की उपलब्धता पर)*

10. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:**

क. क्या एंटिटी द्वारा कारोबारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का दायरा बताएं?

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कारोबारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे न्यूनतम हैं। कंपनी अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रोगी और बाह्य रोगी चिकित्सा लागत, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के प्रावधान, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में पुनर्वास नीति, जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू होती है, की प्रतिपूर्ति करके रखती है।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और एंटिटी द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

लागू नहीं

ग. क्या आपके पास कार्य से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने हेतु कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं)

लागू नहीं

घ. क्या एंटिटी के कार्मिकों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ/नहीं)

हाँ, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कार्मिकों, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए 7 (सात) कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किए।

11. **निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:**

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
लोस्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति घंटे काम किया)	कार्मिक	लागू नहीं	
	कामगार		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कार्मिक		
	कामगार		
मरने वालों की संख्या	कार्मिक		
	कामगार		
उच्च परिणाम कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कार्मिक		
	कामगार		

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एंटिटी द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

महामारी को देखते हुए, कंपनी ने अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की हैं, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना, टीकाकरण शिविर, दूरस्थ कार्य सुविधाएं और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना शामिल है।

13. कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	-	-	-	-	-	-

14. वर्ष के लिए आकलन:

नहीं है।

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों एवं काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या एंटिटी (क) कार्मिकों (हाँ/नहीं) (ख) कामगारों (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है ।

(क) कार्मिक– हाँ, कंपनी कार्मिक और/या उसके परिवार के सदस्य को मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में पुनर्वास पैकेज प्रदान करती है।

(ख) कामगार– लागू नहीं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, कंपनी द्वारा किए गए उपायों को प्रस्तुत करें।

एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के नियमों और शर्तों में, उनके सांविधिक देय राशियों को समय पर जमा करने के लिए आवश्यक शर्तें, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार इसी तरह के अन्य दायित्वों को पूरा करना आदि शामिल करती है। उधारकर्ताओं के लिए भी आवश्यक है कि कंपनी को विभिन्न चरणों में इसका अनुपालन प्रस्तुत करें।

3. उन कार्मिकों / कामगारों की संख्या प्रदान करें, जिन्हें ज्यादा गंभीर कार्य-संबंधी चोट / बीमारी / मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की क्यू11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नौकरी में रखा गया है:

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शून्य

4. क्या एंटिटी निरंतर रोजगार योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन असिस्टेंस प्रोग्राम्स प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

कंपनी एक सीपीएसई है, जो सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के मामलों में डीपीई के रोजगार मानदंडों का पालन करती है। कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान करती है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

नहीं है।

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यप्रणाली और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 4 : कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा प्रत्येक हितधारकों को कार्य के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. एंटिटी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हाँ। कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप्ड किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कार्मिक और कर्मचारी शामिल हैं; और बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉण्डधारक, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक, सरकारी निकाय और नियामक प्राधिकरण सहित राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि शामिल हैं।

2. अपनी एंटिटी के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कारोबार की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं)	संचार के प्रकार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन/ समाचार पत्र आदि।	त्रैमासिक आधार पर एजीएम के माध्यम से, पोस्टल बैलेट और जब भी आवश्यक हो।	वित्तीय परिणामों का संचार, वित्तीय विवरण को अपनाना और समय–समय पर सामान्य और विशेष कारोबार का लेन–देन करना। शेयरधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समय–समय पर समाधान करना।
बॉण्डधारकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन/समाचार पत्र आदि।	जब भी आवश्यक हो।	आवंटन, ब्याज सर्विसिंग, विमोचन भुगतान, बॉन्ड प्रमाणपत्र/डीमैट क्रेडिट। बॉन्डधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समय–समय पर समाधान करना।
विक्रेताओं	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन /जीईएम, टेंडर विजार्ड और सरकार के अन्य पोर्टल।	जब भी आवश्यक हो।	विक्रेता विकास कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन	नियमित आधार पर।	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 आयोजित किया गया।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

अपने कारोबार से संबंधित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों को संबोधित करने के लिए पहले से ही विभिन्न बोर्ड–अनुमोदित नीतियां हैं। उक्त नीतियों को प्रासंगिक हितधारकों के इनपुट के आधार पर समय–समय पर विस्तार किया जाता है।

कंपनी ने पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी मामलों पर ईएसजी नीति तैयार करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो नियत समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का सहयोग करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को एंटिटी की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया था।

हाँ, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का सहयोग करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है:

क. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, विद्युत मंत्रालय की मंजूरी के साथ, कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय पहलुओं सहित कारोबार की नई लाइनों को जोड़ने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन किया गया था जिसमे सह–उत्पादन/त्रि–उत्पादन/संयुक्त ताप और विद्युत, ई–मोबिलिटी और संबद्ध अवसंरचना, विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण निर्माण का वित्तपोषण, विद्युत और विद्युत यांत्रिक/जलविद्युत प्रणालियों का वित्तपोषण, लिफ्ट सिंचाई की परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी, रेलवे का विद्युतीकरण सहित बिजली लाइन, हवाई अड्डा, ऊर्जा संरक्षण के लिए कार्य, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली आदि शामिल है।

ख. उपरोक्त के अलावा, आरईसी सुधार–आधारित और रिजल्ट्स–लिंक्ड संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए एक नोडल एजेंसी है, जो डिस्कॉम को सुधार करने और समयबद्ध तरीके से उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सहयोग करती है। आरडीएसएस, अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करके 2024–25 तक एटी एंड सी के घाटे को 12–15% के अखिल भारतीय स्तर तक और एसीएस–एआरआर के अंतर को 2024–25 तक शून्य करना होगा। नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी देश के लिए एक बेहतर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप आरईसी की एक सुपरिभाषित सीएसआर नीति है। डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में वर्ष 2021–22 के लिए, जिसमें सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% "स्वास्थ्य और पोषण, कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित" विषय पर खर्च करना अनिवार्य है", अधिमानतः आकांक्षी जिलों में, कंपनी ने गजपति (ओडिशा), ममित (मिजोरम), किफिर (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदेल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं शुरू कीं।

3. कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम और उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

आरईसी एमएसएमई से खरीद को बढ़ावा देता है और अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकृत एमएसएमई को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। आरईसी की अपने कार्मिकों के लिए कल्याण उन्मुख नीतियां हैं, खासकर जो कमजोर हैं।

कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों और बॉण्डधारकों तक पहुंचने के लिए नियमित आधार पर प्रयास करती है, जिनके पास दावा न की गई लाभांश राशि/शेयर या दावा न की गई विमोचन राशि कंपनी के पास रखी है, ताकि ऐसे निवेशक अपना सही बकाया प्राप्त करने से न चूकें।

सिद्धांत 5 : कारोबारियों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और एंटिटी की नीति पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है :

वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नहीं है।

2. कार्मिकों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का निम्न प्रारूप में विवरण :

सभी स्थायी कार्मिकों को डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम वेतन से अधिक है

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण :

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी का वेतन	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी का वेतन
निदेशक मंडल (बीओडी)	1	85,31,281	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	85,87,993	-	-
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	329	28,65,225	65	28,84,107
कामगार	-	-	-	-

टिप्पणियां :

1. *उपरोक्त अनुसूची में केवल स्थायी कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 12 महीने की पूरी अवधि के लिए कार्य किया है।*
2. *पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के तहत भत्तों में छूट और पेंशन योजना के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। इसके अलावा, यह आरईसी उपदान निधि में नियोक्ता के योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण प्रावधान, कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति जैसे वर्दी, मनोरंजन, वाहन, बिजली, पानी और परिचारक शुल्क और छूट चिकित्सा इसमें शामिल नहीं है।*
3. *उपरोक्त पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।*
4. *कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।*

4. क्या आपके पास कारोबार द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति / समिति) है? (हाँ/नहीं)

हाँ।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

कंपनी के पास विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। कोई भी पीड़ित कर्मचारी उक्त तंत्र के माध्यम से राहत की मांग कर सकता है। उक्त नीति कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

6. कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	-	-	-	-	-	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	-	-	-	-	-	-
बाल श्रम	-	-	-	-	-	-
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	-	-	-	-	-	-
वेतन	-	-	-	-	-	-
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	-	-	-	-	-	-

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में, जहाँ कहीं आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी https://recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf. पर उपलब्ध है।

आरईसी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानवाधिकारों के सम्मान की नींव पर टिका होता है। कंपनी कार्यस्थल में विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करती है और यह मानती है कि करियर की उन्नति प्रतिभा और प्रदर्शन पर आधारित है।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके कारोबारिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

कारोबारिक समझौते और अनुबंध मुख्य रूप से ऋण दस्तावेजों की प्रकृति के होते हैं, जो उधारकर्ताओं को स्वीकृत विशिष्ट शर्तों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। मानवाधिकार आवश्यकताएं उक्त ऋण दस्तावेजों का हिस्सा नहीं हैं। कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, आरईसी ने सामान्य कानूनों और ठोस नैतिक कार्यप्रणाली के अनुरूप कर्मचारी–उन्मुख नीतियों को अपनाया है।

9. वर्ष के लिए आकलन :

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शून्य।

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार प्रतिवेदनाओं/शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारम्भ की जा रही कारोबारिक प्रक्रिया का विवरण।

लागू नहीं।

2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण।

लागू नहीं।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार एंटिटी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हाँ, विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा के संकेत के साथ एलिवेटर और रैंप, व्हील चेयर सुलभ टॉयलेट और परिसर में दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुंच योग्य है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण :

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शून्य।

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 6 : कारोबारियों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण :

आरईसी एक एनबीएफसी है और इसके पास उत्पादन/निर्माण की सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी ऊर्जा तीव्रता सीमित है।

हालाँकि, आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक 979 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। सौर संयंत्र क्रियाशील है और जुलाई 2021 से ग्रिड से जुड़ा है और इसने 8,22,072 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (अर्थात 16,30,956 इकाइयों) की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% पूरा किया है। भवन में ऊर्जा की बचत के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु कांच के अग्रभाग आदि भी शामिल हैं।

2. क्या एंटिटी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो बताएं।

लागू नहीं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :

आरईसी एक एनबीएफसी है और इसके पास उत्पादन/निर्माण की सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी पानी की तीव्रता नगण्य है।

4. क्या एंटिटी ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।

लागू नहीं।

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में एंटिटी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें :

आरईसी कोई निर्माण या उत्पादन कंपनी नहीं है। हालांकि, सभी बिजली परियोजनाओं के लिए इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरईसी परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करता है। पर्यावरणीय मुद्दों, यदि कोई हों, की पहचान उचित परिश्रम, साइट के दौरे और लागू अनुपालनों की समीक्षा आदि के माध्यम से की जाती है।

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें :

लागू नहीं।

7. क्या एंटिटी के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

लागू नहीं।

आरईसी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश ने 2030 तक 500 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और 2030 तक

कुल ऊर्जा आवश्यकता के 50% तक हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि की है। इसके अलावा, नवंबर 2021 में ग्लोस्गो, यूके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26 वें सत्र में, 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कटौती करने का निर्णय लिया गया था, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना और 2070 तक निवल–शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, आरईसी नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण को बढ़ावा दे रहा है। आरईसी ने सौर, पवन, बायोमास परियोजनाओं और ई–मोबिलिटी सहित देश भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹14,733.52 करोड़ की कुल मंजूरी 15 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थी, जिसमें कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 1,609 मेगावाट थी।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी की नीतियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि इसकी निरंतर विकसित और गतिशील जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब तक, आरईसी ने देश के लिए हरित भविष्य का समर्थन करने के लिए लगभग 11.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय पोषित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंड कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/renewables पर देखे जा सकते हैं।

आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने वाला पहला भारतीय पीएसयू है, जिसकी अवधि 10 साल है, जिसकी आय वित्तपोषण या जलवायु बॉण्ड मानकों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण के लिए लागू होती है।

8. एंटिटी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	-	-
ई–अपशिष्ट (ख)	140 यूनिटों को ई–अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।	177 यूनिटों को ई–अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	-	-
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (ज)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना के आधार पर ब्रेक–अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)	-	-
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**140 यूनिटों को ई-अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।***	**177 यूनिटों को ई-अपशिष्ट के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।***
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्राप्त कुल प्राप्त अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों	-	-
जोड़		
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट निपटान (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) लैंडफिलिंग	-	-
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	-	-
जोड़	**-**	**-**

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

*कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ई–अपशिष्ट की नगण्य मात्रा के अलावा कोई भौतिक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती है।

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

ई–अपशिष्ट के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, आरईसी के खरीद दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित प्रक्रिया का पालन करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड के तहत पंजीकृत पुनर्नवीनीकरण/री–प्रोसेसर के माध्यम से किया जाता है।

10. यदि एंटिटी के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में संचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

कंपनी अखिल भारतीय प्रचालन के साथ एक एनबीएफसी है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और कॉर्पोरेट कार्यालय गुरुग्राम में है। कंपनी के पूरे भारत में क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय हैं, जो राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। कंपनी के कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं।

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

आरईसी एक एनबीएफसी होने के नाते, बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है लेकिन किसी भी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है।

आरईसी द्वारा वित्तीय पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को उधारकर्ताओं को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) जमा करने की आवश्यकता होती है।

12. क्या एंटिटी भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। इसलिए, दिए गए प्रश्न की सीमित प्रासंगिकता है। हालांकि, कंपनी अपने परिसर और संचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। कंपनी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के उचित परिश्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल करती है।

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 979 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। जुलाई 2021 से सौर संयंत्र कार्य कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा हुआ है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इसने 8,22,072 यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसने आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन (अर्थात 16,30,956 यूनिट्स) की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% पूरा किया है। भवनों में ऊर्जा की बचत के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु कांच के अग्रभाग आदि भी हैं।

2. डिस्चार्ज किए गए जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं।

3. जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) संचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

लागू नहीं।

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं।

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर एंटीटी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

6. यदि एंटिटी ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/अपशिष्ट से उत्पन्न वाले प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल के परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी गुरुग्राम, हरियाणा में अपने नए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में स्थानांतरित हो गई है, जिसमें एयर कंडीशनिंग के लिए बिजली की खपत को 30% तक कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस) बिजली की खपत को बचाने के लिए स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु ग्लास अग्रभाग और अन्य नवीनतम तकनीकी विशेषताएं जैसी सुविधाएँ हैं। कंपनी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक 979 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट भी स्थापित किया है, जो वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की बिजली की आवश्यकता का लगभग 50% पूरा करता है। अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता = 21.2%) जुलाई 2021 से स्थापित और संचालित हो रहे हैं।

कागज की खपत को कम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई–ऑफिस' प्रणाली का प्रयोग करता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतते हुए कारोबारिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, सुरक्षित आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य विधियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।

7. **क्या एंटिटी के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।**

हाँ, आरईसी ने अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस के लिए कारोबार निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और यह आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है।

आरईसी के प्राथमिक डाटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने से रोकने के लिए आरईसी ने डीसी और डीआरसी में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम भी लागू किया है। इसके अलावा, आरईसी ने एनबीएफसी के लिए आईटी ढांचे के आरबीआई के मास्टर निर्देश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है।

8. **एंटिटी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में एंटिटी द्वारा क्या शमन या अनुकूलन संबंधी उपाय किए गए हैं।**

आरईसी सरकार के निर्देशों के अनुरूप ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना का वित्तपोषण भी कर रही है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडीएस), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) की संस्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर को रोकने में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान आरईसी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कुल ऋण राशि ₹752 करोड़ है।

9. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।**

एक एनबीएफसी होने के नाते आरईसी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है। आरईसी द्वारा वित्तीय पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को अपने उधारकर्ताओं को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्राप्त करने की आवश्यकता है।

सिद्धांत 7 : कारोबारी जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारी पूर्ण रूप से और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. **व्यापार और उद्योग महासंघ/संघ के साथ संबद्धता की संख्या।**

13 (तेरह)

ख. **शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग महासंघों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो एंटिटी का सदस्य/ संबद्ध है।**

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग महासंघ/संघ का नाम	व्यापार और उद्योग महासंघ/संघ की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
3.	द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)	राष्ट्रीय
4.	केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय
5.	विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी), भारत	राष्ट्रीय
6.	स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप)	राष्ट्रीय
7.	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
8.	सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आईपीई)	राष्ट्रीय
9.	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)	अंतरराष्ट्रीय
10.	संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट	अंतरराष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर एंटिटी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

नियामक अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया था।

नेतृत्व संकेतक

1. **एंटिटी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:**

आरईसी विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का सदस्य है, जो ऊर्जा मंत्रालयों और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी संगठनों के समर्थन से एमओपी के संरक्षण में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव, एमओपीएनजी कोयला, एमएनआरई, विदेश मंत्रालय और सीईए, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों द्वारा की जाती है जो निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के हिस्से के रूप में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान देते हैं।

कंपनी ने समय–समय पर विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की वकालत की है। कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर लोगों में जागरूकता फैलाती है।

आरईसी ने कई वर्षों के समर्पित प्रयासों के साथ, देश में विशेष रूप से दूर–दराज के क्षेत्रों में गांवों और घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने में योगदान दिया है। कंपनी *दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)* जैसी प्रमुख बिजली क्षेत्र की योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी रही है। सौभाग्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी ने देश में 4.41 लाख घरों के विद्युतीकरण में योगदान दिया है। आरईसी वर्तमान में विभिन्न वित्तीय और परिचालन मुद्दों के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रहा है।

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) स्मार्ट मीटरिंग, 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना और घरेलू विद्युतीकरण कार्यों की निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में बिजली क्षेत्र को बेहतर करना है।

सिद्धांत 8 : कारोबारियों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

लागू नहीं।

2. **आपकी एंटिटी द्वारा चल रही परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें जिसके लिए पुनर्वास और पुर्नस्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:**

लागू नहीं।

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत समिति के रूप में नियुक्त किया है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट):**

	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	36.60%	70.76%
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से प्राप्त	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

लागू नहीं।

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी एंटिटी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें**

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रु. में)
1.	बिहार	मुजफ्फरपुर	3,75,01,141
2.	मणिपुर	चंदेल	60,36,096
3.	मिजोरम	ममित	4,08,39,762
4.	नागालैंड	किफिरे	1,50,00,000
5.	ओडिशा	गजपति	1,95,65,164
6.	सिक्किम	पश्चिमी सिक्किम	31,05,086
7.	हिमाचल प्रदेश	चंबा	79,14,810
8.	राजस्थान	बारां	1,56,50,622
9.	झारखंड	चतरा	50,19,919
	जोड़		**15,06,32,600**

3. (क) **क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहाँ आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ, एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद का समर्थन करने के लिए आरईसी के पास नीति है जो https://recindia.nic.in/uploads/files/RECPolicy-for-MSME-11022022.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) **आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

आरईसी ने एमएसएमई विक्रेताओं से ₹10 लाख तक की सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद और एमएसई को 50% तक मूल्य वरीयता की अनुमति देना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें से 20% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। कंपनी अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकृत एमएसएमई को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि निः शुल्क निविदा सेट की आपूर्ति, बयाना राशि के भुगतान से छूट आदि।

(ग) **कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का यह कितना प्रतिशत है?**

सरकार का आदेश एमएसएमई से न्यूनतम 25% के लिए है, जिसमें से 4% एससी/एसटी विक्रेताओं से और 3% महिला विक्रेताओं से होना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, आरईसी ने जीईएम से खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपना एमओयू लक्ष्य (25% के लक्ष्य के मुकाबले 51.14% हासिल किया) और एमएसएमई के लिए (25% के लक्ष्य के मुकाबले 36.6% हासिल किया) हासिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है।

4. **परम्परागत ज्ञान के आधार पर आपकी एंटिटी (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:**

लागू नहीं।

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें परम्परागत ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
1.	ओडिशा में विकृति सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में संस्थान की स्थापना के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण	2,000	60%
2.	भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण	9,000	100%
3.	कुष्ठ मिशन अस्पताल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना	1,500	90%
4.	रीवा, मध्य प्रदेश में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण और नवीनीकरण	60,000	60%
5.	ओडिशा के 30 जिलों में सिकल सेल रोगों और थैलेसीमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम के लिए आंशिक–वित्तीय पोषण	1,00,000	80%
6.	आंध्र प्रदेश में ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण और ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन	5000	90%
7.	मध्य प्रदेश में कैंसर रोगियों की सहायता के लिए ब्रह्मर्षि मिशन समिति के तहत संचालित विराट धर्मशाला में रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण	100	100%
8.	हिमाचल प्रदेश में एकीकृत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पुनर्वास केंद्र 'मानव मंदिर' (तीसरी मंजिल) का निर्माण	700	80%
9.	सिक्किम में जिला अस्पताल और 7 जन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना	2,000	90%
10.	किफिरे, नागालैंड में चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माण / विस्तार और शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर प्रीफेब्रिकेटेड हाउसिंग (क्वार्टर)	200	40%
11.	ममित, मिजोरम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवीनीकरण एवं निर्माण	5,000	80%
12.	बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टेबल और स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित सॉल्यूशन्स	500	90%
13.	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मैमोरियलसेंटर, खारगहर, नवी मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	महामारी कोरोना वायरस कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों में लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना	1,00,000	90%
15.	सदर अस्पताल में मरीजों के परिचारक के लिए 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय का निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल और ऊष्मायन केंद्र और बिहार में जिला अस्पताल और पीएचसी में 25 इनक्यूबेटरों की खरीद और संस्थापना	1,000	90%
16.	चुराचांदपुर, मणिपुर में 12 गांवों के लिए आरईसी–जोडॉन मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदान करना	3,000	90%
17.	बिहार के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीज के परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम कक्ष (विश्राम सदन) का निर्माण	1,000	90%
18.	बिहार में 1125 आंगनवाड़ी केंद्रों में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का नवीनीकरण और खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी गैस कनेक्शन और प्रसवपूर्व देखभाल कार्नर्स की संस्थापना के लिए कंटेनर उपलब्ध कराना	5,000	90%
19.	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में रक्त घटकों को अलग करने के लिए ब्लड बैंक उपकरण की खरीद	1,000	90%
20.	कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में देश भर में दिव्यांगजन को 3400 सहायता और उपकरणों का वितरण	3,400	100%
21.	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) की खरीद	10,000	60%
22.	तेलंगाना में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) में ब्लड बैंक उपकरण / वस्तुओं की खरीद, संस्थापना और चालू करना	2,000	90%
23.	बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	1,50,000	90%
24.	राजस्थान में डिजिटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन की खरीद, संस्थापना और चालू करना	500	80%
25.	पंजाब में आरईसी सीएसआर सहायता के तहत बनाए गए सरकारी स्कूलों में 132 शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सहायता	3,500	100%
26.	140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक–बी और पार्ट ब्लॉक–सी) – राजस्थान में बेघर बीमार, बेसहारा, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर	140	100%
27.	महाराष्ट्र में 1700 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (पूर्ण संयोजन) और 150 केवी जनरेटर संयंत्र की संस्थापना	100	90%
28.	पिथौरागढ़, उत्तराखंड के बेस अस्पताल में कोविड देखभाल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1000 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना, 22 ऑक्सीजन सांद्रता और 200 सेमी फाउलर्स बेड की खरीद	100	90%
29.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात 300 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रतिदिन पैक लंच की सुविधा प्रदान करना	300	30%
30.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), हंटरगंज, चतरा में पीएसए (प्रेशर स्विंग सोखना) ऑक्सीजन संयंत्र, ऑक्सीजन पाइपलाइन, बेड / आईसीयू उपकरण की संस्थापना, रेफरल मामलों के लिए टाइप–डी एम्बुलेंस और मोबाइल रक्तदान वैन	100	90%
31.	जिला अस्पताल, बारां में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 100 केवीए डीजी सेट की संस्थापना	100	90%
32.	सिविल अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), डलहौजी में 400 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 62.5 केवीए के डीजी सेट की संस्थापना	100	90%
33.	झांसी, यूपी में 2 विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) श्मशान की स्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन	500	90%
35.	सरकारी चरक अस्पताल, उज्जैन, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, एएलएस एम्बुलेंस और आईसीयू रोगियों के बिस्तरों की व्यवस्था, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उज्जैन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।	2,000	90%
36.	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अलवर, राजस्थान के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	2,000	90%
37.	जिला अस्पताल, चाईबासा, झारखंड में बाल चिकित्सा और नवजात वर्ग के लिए 10 बिस्तरों वाले आईसीयू की व्यवस्था, 20 बिस्तरों वाली सेवा के लिए चिकित्सा उपकरण	500	90%
38.	नए जिला अस्पताल, यादगीर, कर्नाटक में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की संस्थापना और चालू करना	200	90%
39.	उत्तर प्रदेश में समुदायों को सशक्त बनाने के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार	4,000	90%
40.	5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014–15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत	3,00,000	100%
41.	श्रावस्ती जिले में 275 हैंडपंप की संस्थापना	500	100%
42.	कुंभ मेला स्थल पर और भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना के लिए सहायता	10,000	80%
43.	बिहार के पूर्णिया जिले के 200 आंगनबाडी केंद्र/प्राथमिक विद्यालय में 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र की संस्थापना	5,000	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
44.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत झुग्गी–झोपड़ी के लिए पीने का पानी, स्वच्छता, शौचालय, आईईसी अभियान आदि की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी को अपनाना	500	80%
45.	आंध्र प्रदेश के 24 सरकारी स्कूलों में परिसर की दीवारों का निर्माण और गेट प्रदान करना	700	100%
46.	चंदेल, मणिपुर में प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, सफेद बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा का कायाकल्प करना।	1,000	90%
47.	केरल में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार के निर्माण से बुनियादी ढांचे का विकास	50	100%
48.	सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर प्रदान करना और ओडिशा में एचएससी (हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट) के छात्रों के लिए सुपर 30 शुरू करना	300	100%
49.	ममित मिजोरम में उपकरण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, महिला साक्षरता में वृद्धि, सरकारी स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराकर स्कूली शिक्षा में बदलाव करना	5,000	100%
50.	संदलपुर गांव में 75 आदिवासी बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (द्वितीय मंजिल) का निर्माण और बरकालिकापुर गांव में परिवार बंगाल आवासीय संस्थान में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना	225	100%
51.	हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र (तीसरी मंजिल) के गेट और खेल के मैदान के साथ अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र में चारदीवारी की स्थापना	100	80%
52.	हिमाचल प्रदेश में 15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी उच्च विद्यालय और 1 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके, कक्षाओं की मरम्मत, नवीनीकरण करके स्कूली शिक्षा को बदलना; रसोई, चारदीवारी, बिजली के तारों / इंटरनेट प्रदान करना, वाटर कूलर, अलमीरा, कटलरी की खरीद, क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में बदलना, खेल उपकरण, स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान / गणित प्रयोगशाला आदि प्रदान करना।	3,000	100%
53.	हरियाणा में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना	10,000	100%
54.	हरियाणा के गुरुग्राम में विभिन्न मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव मोबाइल स्कूल	462	100%
55.	गजपति, उड़ीसा में 32 सरकारी स्कूलों में 53 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	1,000	100%
56.	मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और लगभग 1541 बच्चों वाले 11 सेवा कुटीर को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना	1,541	100%
57.	हरियाणा में मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता	1,000	60%
58.	कानपुर के आईआईटी पर स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (एसएमआरटी) के तहत पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाहरी लाइटिंग और एप्रोच रोड के साथ 2 हॉस्टल टॉवर (जी+9) का निर्माण और ग्रिड कनेक्टेड 100 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप स्लोअर पीवी पैनल की संस्थापना	72	80%
59.	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) ग्राम, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के अतिसंवेदनशील/कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	100	100%
60.	भारत भर में विशेष रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम	350	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
61.	महाराष्ट्र में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण।	2,000	100%
62.	मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला आदि से संबंधित 1200 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम	1,200	100%
63.	भारत भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचितों से संबंधित 1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	1,100	100%
64.	यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	1,000	100%
65.	महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और उपकरण किट का वितरण	500	100%
66.	भारत में विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 2500 लोगों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	2,500	100%
67.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	360	100%
68.	महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले किसानों को बीज (रबी सीजन) का मुफ्त वितरण।	9,225	100%
69.	आईआईएम, तिरुचिरापल्ली के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
70.	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर, ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइटों की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
71.	हरियाणा के पैंतालीस गांवों में राष्ट्रपति भवन की स्मार्टग्राम पहल के लिए स्थायी ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना	लागू नहीं	लागू नहीं
72.	आंध्र प्रदेश के जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन	लागू नहीं	लागू नहीं
73.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
74.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	लागू नहीं	लागू नहीं
75.	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा (60 सीटों वाले) के साथ आश्रय गृह का निर्माण और संचालन	60	100%
76.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	10,000	100%
77.	मेघालय और नागालैंड में समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम	3,000	90%
78.	मणिपुर के उखरूल जिले के सोमदल गांव में बहुउद्देशीय हॉल सह इंडोर स्टेडियम का निर्माण	500	90%
79.	बिहार में ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक हॉल, पीसीसी रोड, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइट्स, आरओ प्लांट आदि की संस्थापना	10,000	80%
80.	भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना	250	80%
81.	उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण और बहाली का कार्य।	4,000	100%
82.	पीएम केयर्स फंड में योगदान	लागू नहीं	लागू नहीं

*एनए – लागू नहीं

सिद्धांत 9 : कारोबारियों को एक जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें एहमियत देनी चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता की शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

   एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक उचित व्यवहार संहिता को अपनाया है। संहिता में उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायत यदि कोई हो तो प्रस्तुत करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र को विस्तार से शामिल किया गया है। निदेशक मंडल समय–समय पर उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है और इसके तहत प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उचित व्यवहार संहिता के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

   आरईसी की उचित व्यवहार संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।

2. **उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी है:**

	कुल टर्नओवर प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार परिपाटी	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

कंपनी के उत्पाद मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र के लिए ऋण हैं और इसलिए, प्रत्येक मामले में ऋण दस्तावेज में आवश्यक नियम और शर्तें और अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी खंड आदि शामिल हैं।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2020-21		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन देना	-	-	-	-	-	-
साइबर–सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं का वितरण	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार व्यवहार	-	-	-	-	-	-
अन्यः उपभोक्ता मामले	4	3	-	5	4	-

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:**

   लागू नहीं।

5. **क्या एंटिटी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

   कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जो अनिवार्य रूप से साइबर सुरक्षा और संबंधित पहलुओं को शामिल करती है। यह नीति कंपनी का आंतरिक दस्तावेज है जो इसके इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई अर्थदंड/कार्रवाई।**

   लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ एंटिटी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

   आरईसी राज्य बिजली यूटिलिटिज, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बिजली डेवलपर्स को वित्तीय पोषण करके, उत्पादन पारेषण और वितरण में बिजली के बुनियादी ढांचे की स्थापना परिचालन दक्षता को बढ़ाने और नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने के लिए संपूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहकों के लिए उत्पाद पोर्टफोलियो ब्याज दरें और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products. पर उपलब्ध है।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

   देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आरईसी की संपूर्ण भारत में उपस्थिति है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में, मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (सीपीएम) राज्य में सभी उधारकर्ताओं के लिए और कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर किसी भी समस्या के लिए एकमात्र संपर्क बिंदु है। क्षेत्रीय कार्यालयों/सीपीएम के संपर्क विवरण https://recindia.nic.in/contact पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-product पर उपभोक्ता जागरूकता साहित्य को भी प्रदर्शित किया है।

   इसके अलावा, आरईसी के पास एक आंतरिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात् आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), है जो देश भर में और उसके बाहर बिजली क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों को पूरा करता है। आरईसीआईपीएमटी विद्युत सुरक्षा, डिस्कॉम के प्रदर्शन में तकनीकी वाणिज्यिक सुधार, बिजली उपयोगिताओं की स्थिरता आदि सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 20,728 प्रतिभागियों के लिए कुल 868 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 64,361 प्रशिक्षण मानव–दिवस प्राप्त हुए।

3. **उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए क्या कोई तंत्र मौजूद है।**

   आरईसी ने अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस के लिए बिजनेस निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और जो आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है।

   इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, अर्थात् आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") ने ऊर्जा मित्र ऐप को लागू किया है, जो राज्य बिजली वितरण उपयोगिताओं के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है। एसएमएस, ईमेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की जानकारी प्रसारित करता है।

4. **क्या एंटिटी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी एंटिटी ने एंटिटी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, एंटिटी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से एंटिटी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)**

   कंपनी वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने वाली एक एनबीएफसी है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण समझौतों और दस्तावेजीकरण; और कॉर्पोरेट वेबसाइट https://recindia.nic.in/financial-products. के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं को पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाता है।

   एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी आरबीआई द्वारा अनिवार्य *उचित व्यवहार संहिता* का भी पालन करती है, जो ऋण के लिए आवेदन और उनके प्रसंस्करण, ऋण स्वीकृति, संवितरण, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों में उधारकर्ताओं के साथ पालन की जाने वाली उचित उधार कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। *उचित व्यवहार संहिता* https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।

   आरईसी ने देश भर में अपने सम्मानित ग्राहकों का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 आयोजित किया है, जिसमें भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की बिजली संस्थाएं और बिजली क्षेत्र में निजी प्लेयर्स शामिल हैं। सर्वेक्षण का समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) स्कोर 80% था, जो आरईसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रदान की जा रही ग्राहक अनुकूल सेवाओं में निष्ठा और विश्वास को दर्शाता है।

5. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   क. **प्रभाव के साथ-साथ डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या**

   ख. **ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत**

   वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ऐसे मामले शून्य थे।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुबंध

पी1	**कारोबार का व्यवहार एवं प्रचालन, नैतिकता, पारदर्शिता एवं दायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।** आरईसी अपनी कारोबारिक गतिविधियों को नैतिकता, पारदर्शिता और दायित्व के लिए अत्यधिक महत्व के साथ संचालित करता है। इस संबंध में बनाई गई विभिन्न नीतियों, संहिताओं और नियमों में शामिल हैं:–

नीति का नाम	वेबलिंक
निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf .
धोखाधड़ी रोकथाम नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-Prevention-Policy-310122.pdf.
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf.
कारोबार आचार और नैतिकता संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf.
उचित व्यवहार सहिंता	https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf
संबंधित पक्षकार लेनदेन की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से निपटने पर नीति।	https://recindia.nic.in/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-150722.pdf.
आचार संहिता का विनियमन, मॉनिटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf
निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf

उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और कंपनी के इंट्रानेट पर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

पी2	**कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कारवाई जानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त हो** कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।
पी3	**कारोबार के सभी कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए** कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों तथा सशक्त नैतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी–अभिमुखी नीतियां अपनाई हैं। ऐसी नीतियां सामान्यतः निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और इंट्रानेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए आसान हैं।
पी4	**कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, अतिसवेंदनशील एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए** कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिसमें वंचित, अतिसवेंदनशील और सीमांत तबका शामिल हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।
पी5	**कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए** आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक कारोबारिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए इससे बचाव के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता है। यह संहिता (कोड) https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।
पी6	**कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए** विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रही है। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा हेतु वित्तपोषण मानक https://www.recindia.nic.in/renewables पर उपलब्ध हैं।
पी7	**कारोबार के अंतर्गत अपने सार्वजनिक और नियामक नीति को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए** विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान होने के नाते, आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार पूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापक रूप से आरईसी की जनता के साथ होने वाली चर्चा को आरईसी के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा जा सकता है।
पी8	**कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं समान विकास में सहायता दी जानी चाहिए** आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास में सहायता के लिए विभिन्न नीतियां हैं जिसमें एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद की नीति (https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Public_Procurement_Policy.pdf), अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर की नीति (आरईसी इंट्रानेट पर उपलब्ध), हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षण ऋण दरें (https://www.recindia.nic.in/renewables) और सीएसआर नीति भी (https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf) उपलब्ध है।
पी9	**कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए** आरईसी के पास उपभोक्ता मूल्य बोर्ड से अनुमोदित एक "उचित व्यवहार सहिंता" है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ संपर्क करते समय उचित और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। यह संहिता https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।

सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की समय–समय पर निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।

एकीकृत रिपोर्ट

एकीकृत रिपोर्ट, बाह्य परिवेश, जिससे अल्पावधि, मध्यम–अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन होता है, के संदर्भ में किसी संगठन की कार्यनीति, सुशासन, प्रदर्शन और अपेक्षाओं के संबंध में एक संक्षिप्त संचार है। यह किसी संगठन द्वारा प्रयुक्त संसाधनों और संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इसमें किसी संगठन द्वारा समय के साथ मूल्यों के सृजन के तरीकों की व्याख्या भी करती है। एकीकृत रिपोर्ट, वित्तीय पूंजी से परे किसी एंटिटी द्वारा सृजित मूल्य के समग्र दृष्टिकोण को उजागर करते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करती है।

आरईसी ने कारोबारों में दीर्घकालिक निर्णय लेने और योजना बनाने में मार्गदर्शन करने वाली छह पूंजियों के माध्यम से कारोबार प्रकटनों पर निर्भर करते हुए, स्वेच्छा से, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) के फ्रेमवर्क के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

आरईसी के सुशासन ढांचे के संबंध में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अपेक्षा – जिसका स्पष्टीकरण निगमित सुशासन के संबंध में रिपोर्ट में दिया गया है – को छोड़कर, लागू कानूनों और विनियमों की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विभिन्न निर्देशों का भी पालन करती है। निगमित सुशासन के संबंध में आरईसी के आंतरिक दिशानिर्देशों, जो इसके सुशासन दृष्टिकोण और ढांचे को संहिताबद्ध करते हैं, को http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf पर देखा जा सकता है।

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें टर्नओवर, निवल लाभ, निवल मूल्य और ईपीएस के मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:

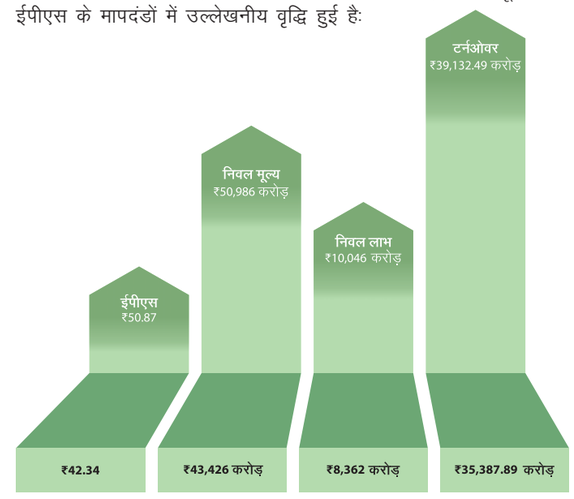

कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे विद्युत क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरईसी की वित्तीय गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित विद्युत क्षेत्र की सम्पूर्ण गतिविधियों को शामिल किया जाता हैं। आरईसी राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी, परियोजना कार्यान्वयन/प्रबंधन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। आरईसी आधी से अधिक शताब्दी से कार्यशील है।

आरईसी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सरकारी कंपनी है। मार्च 2019 से, कंपनी की अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ही एक अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पास है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी समझौता–ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत आरईसी ने अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया। समझौता–ज्ञापन में कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को रेखांकित किया गया है, जिन्हें विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, आरईसी के एमओयू स्कोर को 100 में से 100 के स्कोर के साथ ''उत्कृष्ट'' का दर्जा दिया गया था। आरईसी, उक्त वर्ष में यह उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र सीपीएसई था।

आरईसी आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में स्थापित होने की आशा रखता है। आरईसी, अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए, गैर–विद्युत अवसंरचना और वितरण कार्यों के वित्तपोषण के क्षेत्र में भी कार्य करके अपने कारोबार में विविधता लाने पर विचार कर रहा है। यह छह पूंजियों अर्थात् वित्तीय पूंजी, विनिर्मित पूंजी, बौद्धिक पूंजी, सामाजिक और संबंध पूंजी, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी में निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय पूंजी

आरईसी के संबंध में, अपनी सेवाओं अर्थात् विद्युत क्षेत्र को ऋण की व्यवस्था में उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों को वित्तीय पूंजी कहा जाता है। आरईसी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवीकरणीय के साथ–साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित सभी गतिविधियों के लिए एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

आरईसी को क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए से अपने घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग तथा मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" रेटिंग, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के बराबर है, प्राप्त हुई है।

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के पास कंपनी के कुल संसाधन और उनकी तैनाती ₹410,412.61 करोड़ थी, जिसका विवरण इस प्रकार था:

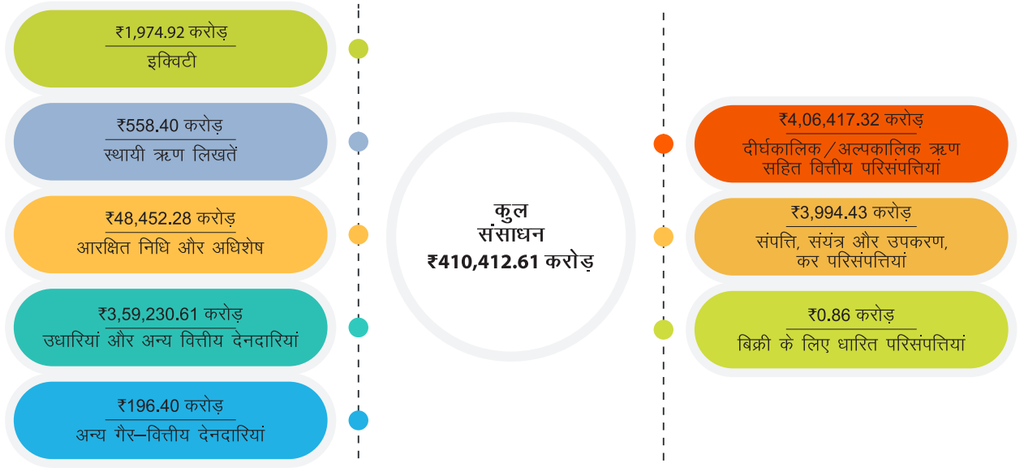

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, उधार राशियां, निधियों के स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी की उधारियों में संस्थागत बॉण्ड, विदेशी मुद्रा उधार, एफसीएनआर (बी) ऋण, पूंजीगत लाभ बॉण्ड, कर मुक्त बॉण्ड, इंफ्रा बॉण्ड, वाणिज्यिक पेपर और बैंकों और वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए ऋण शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाना, वित्तपोषण कारोबार में लाभप्रदता का आधार है। आरईसी लगातार प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाता रहा है। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, बकाया उधारियों के लिए कुल भारित औसत वार्षिक लागत 7.00% (पिछले वर्ष के लिए 7.26% से कम) रही।

कंपनी द्वारा इन संसाधनों का परिनियोजन मुख्य रूप से विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत ऋण के रूप में की जाती है। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो को उत्पादन परियोजनाओं में 39%, पारेषण परियोजनाओं में 17%, वितरण परियोजनाओं में 40%, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 3% और अल्पकालिक ऋणों में 1% के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो का 86% राज्य क्षेत्र की योजना/परियोजनाएं हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में 9% और संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में 5% हैं। आरईसी की गैर–प्रदर्शित परिसंपत्तियां (एनपीए) इस उद्योग में कार्यशील अन्य संस्थाओं में सबसे कम में से एक हैं।

अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, आरईसी न केवल अपने शेयरधारकों और निवेशकों के लिए, बल्कि देश में पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए मूल्य बनाने में सक्षम है। आरईसी ने अपनी लाभप्रदता बनाए रखी है और अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।

विनिर्मित पूंजी

एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। हालाँकि, कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी है और 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न उत्पादन, पारेषण और वितरण योजनाओं के लिए ₹7,54,260 करोड़ की संचयी राशि का वितरण किया है। औद्योगिक गतिविधि, सेवा क्षेत्र के साथ–साथ आम आदमी के दिन–प्रतिदिन के जीवन में विद्युत एक महत्वपूर्ण इनपुट है और आरईसी का योगदान देश भर में विद्युत अवसंरचना के उल्लेखनीय निर्माण पर केंद्रित होता है।

अपनी प्रकृति के कारण, आरईसी द्वारा परिसंपत्तियों का उपयोग आईटी और संचार अवसंरचना और कार्यालय की आपूर्ति तक सीमित है। यह उल्लेख करना उचित है कि सभी भौतिक आवश्यकताओं को कंपनी में निर्धारित खरीद दिशानिर्देशों, जिसमें जीईएम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) पोर्टल भी शामिल है, के अनुसार पूरा किया जाता है।

कंपनी नवीनतम विशेषताओं वाले ई–बिजनेस ईआरपी का उपयोग करती है। ईआरपी हार्डवेयर को आरईसी डाटा सेंटर के निजी क्लाउड परिवेश में स्थानांतरित किया गया है। कंपनी ने नेटवर्क, बैंडविड्थ और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क में सुधार किया है। निर्बाध संचालन के लिए, सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क, महत्वपूर्ण व्यावसायिक एप्लीकेशनों तक दूरवर्ती स्थान से पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन करता है। आरईसी, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए निर्धारित आईटी सुरक्षा निर्देशों का भी कार्यान्वन करता है। कंपनी विद्युत क्षेत्र में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में 'ई–ऑफिस' प्रणाली, जो कागज रहित कामकाज की सुविधा प्रदान करती है, को अपनाने वाली शुरूआती संस्थाओं में से एक थी।

बौद्धिक पूंजी

कंपनी ने दावों की प्रोसेसिंग के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। कंपनी ने बेहतर ई–गवर्नेंस प्राप्त करने की दिशा में अपनी आईटी पहल के हिस्से के रूप में, आंतरिक रूप से विकसित बहुत–सी प्रणालियों को भी परिनियोजित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने से रोकने के लिए डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर में डाटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम लागू किया है।

आरईसी का वर्ष 1979 से एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग – आरईसीआईपीएमटी) भी है, जो तकनीकी और गैर–तकनीकी क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र के मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। आरईसीआईपीएमटी को विद्युत मंत्रालय और विभिन्न विद्युत क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियोजित किया गया है। यह संस्थान, विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) स्कीम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित कर रहा है।

यह उल्लेख करना उचित है कि महामारी के दौरान भी, आरईसीआईपीएमटी द्वारा समान गति से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। व्यक्तिगत रूप से आयोजित प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन सत्र और वेबिनार की मदद से, आरईसीआईपीएमटी, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 20,728 कार्मिकों के लिए 64,361 प्रशिक्षण कार्य–दिवस की उपलब्धित हासिल करने में सक्षम रहा है।

मानव पूंजी

आरईसी के पास अनुकूल संस्कृति और सहायक परिवेश के साथ पेशेवर रूप से योग्य, अनुभवी और कुशल कार्यबल है, जो न केवल इसकी मानव पूंजी को प्रेरित करता है बल्कि इसे कंपनी के साथ बनाए रखने में मदद करता है। मानव संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनी में एक मजबूत प्रणाली है। मानव संसाधन को शुरू से ही संगठन के मिशन और नीतिगत ढांचे के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। कार्य के दौरान भी, विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल और कारोबारिक कुशाग्रता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

आरईसी के मानव संसाधन का भंडार, विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के साथ विविधरूपी है। आरईसी विभिन्न पहलों और नीतियों के माध्यम से अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है; और एक लाभकारी कार्य परिवेश, जो इसे अपने कर्मचारियों को पेशेवरों और विशिष्ट–व्यक्तियों के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल बनाता है, को बढ़ावा देते हुए, लैंगिक समानता की दिशा में प्रयास करता है।

कल्याण–उन्मुख नीतियों के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, निवारक स्वास्थ्य मुद्दों पर समय–समय पर वार्ता आयोजित की जाती है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक सुसज्जित व्यायामशाला है। कर्मचारी विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, जो उनके समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं।

सामाजिक और संबंध पूंजी

आरईसी न केवल एक वित्तीय संस्थान है, बल्कि समग्र रूप से पूरे देश में, सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत संगठन है। विभिन्न विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी होने के नाते, कंपनी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित समय–सीमा के भीतर देश के सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने सरकार के सामूहिक विकास के एजेंडे में योगदान करते हुए, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत देश में लगभग 3 करोड़ घरों के विद्युतीकरण को सुकर बनाया है।

आरईसी, अपनी सीएसआर शाखा – सीएसआर फाउंडेशन – के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यों का भी समर्थन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं, जिनमें पीएम केयर्स फंड और सीएसआर खर्च के लिए ₹50 करोड़ का अंशदान, विभिन्न आकांक्षी जिलों का विकास, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता का वितरण, कैंसर स्क्रीनिंग और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, अल्पसुविधाप्राप्त छात्रों के लिए अध्ययन और बुनियादी आवश्यकताओं का समर्थन करना और कोविड–19 के संबंध में विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए सहायता शामिल है, के लिए ₹171.07 करोड़ (पिछले वर्ष से ₹3.45 करोड़ के अतिरिक्त खर्च सहित) की राशि खर्च की। इसके अतिरिक्त, आरईसी पूरे भारत में महिला हॉकी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग पर जोर देते हुए खेल सुविधाओं के विकास का भी समर्थन करता है।

प्राकृतिक पूंजी

आरईसी हमेशा प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करके और इनकी बर्बादी को कम करके पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करता है।

विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण संगठन के रूप में, आरईसी अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में लगातार सुधार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने 1,609 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 15 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ₹14,733.52 करोड के ऋण संस्वीकृत किए। अब तक, आरईसी ने देश के लिए हरित भविष्य का समर्थन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत लगभग 11.6 गीगावाट क्षमता के लिए वित्तपोषण किया है।

आरईसी ने, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू आरईसी और केएफडब्ल्यू के बीच आधिकारिक विकास सहायता – केएफडब्ल्यू– III एलओए के तहत, वर्ष 2016 में पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की थी। ईएसआईए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आरईसी के रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, जैसे कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी), जो हानिकारक उत्सर्जन और सूक्ष्म कणों की रोकथाम में मदद करते हैं, की स्थापना के लिए भी वित्तपोषण कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए 9 ऐसी परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है, जिनकी कुल ऋण राशि ₹752 करोड़ है।

आरईसी ने अपनी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन पर 979 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) रूफटॉप सोलर प्लांट संस्थापित किया है। जुलाई 2021 में कार्यशील इस प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में 8.22 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, जिससे भवन की कुल लोड आवश्यकता के लगभग 50% पूर्ति हुई। भवन में ऊर्जा की बचत करने वाली विशेषताएं जैसे कि एयर कंडीशनिंग के लिए विद्युत की खपत को 30% तक कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश और मोटराइज्ड ब्लाइंड से युक्त बॉयो–क्लाइमेट ग्लास से बना अग्रभाग भी हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-V

फॉर्म संख्या एमआर-3
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्य गण,
आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने **आरईसी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" कहा जाएगा)** द्वारा अपनाई जा रही लागू सांविधिक प्रावधानों और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना,व्याख्या और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण अधिपत्रित पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, दस्तावेज़ों कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

क. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर्स का मूल अधिग्रहण) विनियम, 2011:

ख. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कार्मिक हितलाभ और श्रम–जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

ङ. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और प्रतिभूतियों के निर्गमन तक क्लाइंट के साथ सम्मान के साथ व्यवहार संबंधी;

छ. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

ज. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);** तथा

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021।

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तीय प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशा–निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)]।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. *कंपनी, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी, बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, चार स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के लिए कुल तीन स्वतंत्र निदेशक (15 नवंबर, 2021 को नियुक्त दो स्वतंत्र निदेशक और 30 दिसंबर, 2021 को नियुक्त एक स्वतंत्र महिला निदेशक) थे।*

2. *1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारकों संबंध समिति की बैठकों की संरचना, अध्यक्षता और गणपूर्ति की संरचना सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में नहीं थी।*

3. *निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना 1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में नहीं थी।*

4. *जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना 5 मई, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 21(2) के अनुपालन में नहीं थी।*

5. *कंपनी निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(6) के अनुपालन में नहीं थी।*

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। हालांकि, दो स्वतंत्र निदेशकों को 15 नवंबर, 2021 को नियुक्त किया गया था और एक स्वतंत्र महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में 30 दिसंबर, 2021 को नियुक्त किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, लेकिन कंपनी के पास इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि ऊपर कहा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी गयी थी। कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

बोर्ड और/अथवा समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों या संबंधित समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियां हुईं:

जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/अल्पावधिक निधि जुटाई है:

क्रम सं.	ऋण लिखतों के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड्स	7,316
2.	संस्थागत बॉण्ड्स/अधीनस्थ बॉण्ड्स	9,080
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण	25,850
4.	विदेशी मुद्रा उधार और एफसीएनआर (बी) ऋण	30,178
5.	बैंकों से ऋण (6 महीने की अवधि से अधिक)	3,950
6.	वाणिज्यिक पत्र	2,000
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**78,374**

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: F6033
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या: 6370
यूडीआईएन: F006033D000642669

स्थान: दिल्ली
तिथि: 18 जुलाई, 2022

इस रिपोर्ट को अनुलग्नक ए के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध- क

सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।

2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।

6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: F6033
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या: 6370
यूडीआईएन: F006033D000642669

स्थान: दिल्ली
तिथि: 18 जुलाई, 2022

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध-VI

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथा संशोधित) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगमित सुशासन की शर्तें का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 तक, सीपीएसई, 2010 के लिए, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर, कंपनी निगमित सुशासन की आवश्यकता के अनुपालन में थी जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित है। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी में, सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और यह कंपनी के नियंत्रण के अधीन नहीं है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.: 001135एन

नाम - एस. मूर्ति
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 072290
यूडीआईएन: 22072290एपीपीसीवाईडब्ल्यू3700

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.: 000018एन /एन 500091

नाम - अतुल अग्रवाल
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 092656
यूडीआईएन: 22092656एपीओएफएनसी3555

दिनांक: 20 अगस्त, 2021
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध-VII

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुरूप कंपनी की अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है। 22 जनवरी 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियम जारी होने के परिणामस्वरूप, आरईसी सीएसआर नीति में संशोधन किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। कंपनी सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाओं को उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप पूरा किया जाए।

सीएसआर परियोजनाएं:

वर्ष के दौरान, ₹307.17 करोड़ की कुल सहायता से 40 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और सीएसआर परियोजनाओं पर ₹171.07 करोड़ खर्च किया गया। इस सहायता को मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिए निर्देशित किया गया है:

i विभिन्न सरकारी अस्पतालों का उन्नयन, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और उन्हें चालू करना, दिव्यांगों को सहायता और सहायक उपस्करों का वितरण, ब्लड बैंकों का उन्नयन, सीवेज उपचार संयंत्र और जल उपचार संयंत्र का निर्माण, कैंसर जांच और कैंसर देखभाल सेवाओं का शीघ्र पता लगाने के लिए और इलाज, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

कंपनी यथासंभव संकेंद्रित तरीके से क्रियाकलापों की एक श्रृंखला शुरू करके समुदायिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है। सीएसआर परियोजनाओं का चयन समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें समाज के चुने हुए/केन्द्रित क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर समिति') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन अथवा उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें कम से कम एक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक होगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ–साथ, अनुसूची VII में निर्धारित क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, निगमित उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना और किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, निदेशक बोर्ड की रिपोर्टें आवधिक रूप से प्रस्तुत करना शामिल है।

आरईसी लिमिटेड एक पंजीकृत सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करता है। यह फाउंडेशन शासी निकाय द्वारा शासित होता है जिसमें आरईसी लिमिटेड के अधिकारियों को नामित किया जाता है।

ii कोविड महामारी के प्रसार के दौरान सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के लिए भोजन उपलब्ध कराना, कोविड–19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराना।

iii 5 स्थानों, अर्थात् बारां, पुणे, चंबा, पिथौरागढ़ और चतरा में 4300 एलपीएम प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना और चालू करना।

iv उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों में 2014–2015 के स्कूलों में *स्वच्छ विद्यालय अभियान* के तहत निर्मित 12,347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत करना।

v विभिन्न स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा उपस्कर/वस्तुएं प्रदान करना, कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में अपग्रेड करना, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मोबाइल स्कूल बस के माध्यम से नवीन शिक्षा प्रदान करना, युवाओं में अनुसंधान और योग्यता पैदा करना, कमजोर बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका पालन–पोषण करना, शिक्षा, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान कर कमजोर बच्चों का पालन–पोषण करना, युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें कौशलों की वृद्धि करना आदि।

vi सिलाई, ब्यूटीशियन, बुजुर्गों की देखाभाल के लिए वेलनेस सुविधा के साथ आश्रम गृह का निर्माण, मासिक धर्म स्वच्छता नेतृत्व, जीवन कौशल लिंग और अधिकार के मुद्दों के बारे में किशोर/युवा लड़कियों को शिक्षित करने पर प्रशिक्षण प्रदान करके किशोर गृहिणी महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, स्वयंरक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परामर्श आदि प्रदान करना।

vii विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में रूफटॉप/फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों का निर्माण, एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम आदि को चालू करना आदि।

viii दो विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) श्मशान सुविधाओं की स्थापना। परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना है।

ix कोविड–19 के कारण होने वाली महामारी से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (पीएम केयर्स) फंड में अंशदान।

x राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य/खेल अकादमियों का समर्थन करने के लिए योगदान देना, टीओपीएस एथलीटों का समर्थन करना और ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) को लक्षित करना जो भारत के शीर्ष एथलीटों की सहायता के लिए एमवाईएएस का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इस प्रकार उन्हें ओलंपिक में जीतने और कोचों और अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए समर्थन करने में सक्षम बनाता है। शुरुआत में बॉक्सिंग, हॉकी और एथलेटिक्स सहित महिला खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

xi सूखा संभावित क्षेत्र में किसानों को खरीफ के मौसम में बीजों का निःशुल्क वितरण, ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करके समुदाय को शिक्षित करना, चेक डैम, पुलिया, सामुदायिक हॉल, कुओं को गहरा करना, इनडोर स्टेडियम का निर्माण आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का अवंसरचना विकास।

xii आरईसी संबद्ध क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण में परियोजनाएं चलाती है, प्राथमिक रूप से आकांक्षी जिलों में, अर्थात् ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफिरे, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिमी सिक्किम में योजनाएं चलाती है।

2. सीएसआर समिति का गठन:

कंपनी अधिनियम 2013, के अनुरूप कंपनी की सीएसआर समिति का गठन किया गया। उसकी संरचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	डॉ. मनोज एम. पांडे (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष *(07 दिसंबर, 2021 से)*	3	3
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष *(31 अक्तूबर 2021 तक)*	5	5
3	डॉ. गंभीर सिंह (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य *(07 दिसंबर, 2021 से)*	3	3
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	8	8
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *(07 दिसंबर, 2021 तक)*	5	5

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का विवरण दर्शाने वाला वेब-लिंक:

https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

22 जनवरी 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियमों के अनुसार, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था, और जो प्रभावी अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने प्रभाव आकलन अध्ययन किया। नीचे दी गई तालिका में परियोजनाओं के नाम, परियोजनाओं के प्रभाव के प्रमुख परिणाम दिए गए हैं।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
1.	राष्ट्रीय संस्कृति कोष (ट्रस्ट)/गुजरात स्टेट वूमेंस सेवा को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड **(एसईडब्ल्यूए)** द्वारा शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने और कारीगरों को सतत आजीविका प्रदान करने के लिए ₹1.50 करोड़	डिजाइन (एसईडब्ल्यूए) केंद्र को पुनर्जीवित और बहाल किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कारीगरों ने पारंपरिक आजीविका के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर ली । उत्तरदाताओं का विचार था कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता निर्माण अच्छी है। लाभार्थियों को बाजार लिंकेज सहायता प्रदान की गई।
2.	भारतीय सौर ऊर्जा निगम **(एसईसीआई)** द्वारा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पिछड़े जिलों के खराब विद्युतीकृत क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सौर लालटेन के वितरण के लिए ₹12.90 करोड़	इस परियोजना ने मिट्टी के तेल के उपयोग को कम करने में मदद की है जिससे इनडोर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। हाशिए पर रहने वाले उन गांवा/क्षेत्रों के समुदायों जो खराब विद्युतीकृत थे, सौर लालटेन वितरित किए गए। परिवार के सदस्य (विशेषकर महिलाएं) रात के समय बाहर जाना भयरहित और सुरक्षित महसूस करते थे।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
3.	राष्ट्रीय कौशल विकास कोष **(एनएसडीएफ)**/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि सहित भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ₹8.70 करोड़	पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आय सृजन गतिविधियों में 78 प्रतिशत लाभार्थी शामिल थे। सॉफ्ट स्किल सेशन, उद्योग के दौरों और विशेषज्ञ वार्ता ने प्रशिक्षुओं के कौशल को बढ़ाने में मदद की और उन्हें उनके रोजगार के समय में लाभ हुआ।
4.	कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद **(केएससीएसटी)** द्वारा कार्यान्वित कर्नाटक के 10 सरकारी उच्च विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं (वीसीआर) की स्थापना के लिए ₹1.90 करोड़।	वीसीआर सुविधाओं से छात्रों की भागीदारी और अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है, जिसमें छात्रों का प्रतिधारण भी शामिल है। 10 स्कूलों के 10वीं कक्षा में छात्रों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 2016–17 में 67.8% (पूर्व–हस्तक्षेप) से बढ़कर 2018–19 (पोस्ट–इंटरवेंशन) में 77% हो गया है। शिक्षकों ने वीसीआर सुविधा का लाभ उठाया क्योंकि यह उन्हें पढ़ाने में सहायता करती है।
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली (आईआईएम, त्रिची) द्वारा कार्यान्वित आईआईएम तिरुचिरापल्ली के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना के लिए ₹15.1 करोड़	बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआईएम–त्रिची स्थायी परिसर में 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की शुरुआत की। सौर पीवी चलाने के पहले 6 महीनों के लिए ग्रीनहाउस गैस स्तर/क्लोरोफ्लोरो कार्बन स्तर में अनुमानित कमी लगभग 1214.85 टन CO_2 होने का अनुमान है। नियमित निरीक्षण और रखरखाव ने पैनलों की दीर्घकालिक उपयोगिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की।
6.	आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदायों और प्राथमिक विद्यालयों के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी **(एसआईडीयूआर)** द्वारा कार्यान्वित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सेवाओं के लिए पानी, सफाई और स्वच्छता के लिए ₹4.2 करोड़।	चार जिलों के 1,250 एचएच/प्राथमिक स्कूलों में पानी का कनेक्शन पूरा किया। चार जिलों के 1,750 एचएच/प्राथमिक स्कूलों में शौचालयों का निर्माण जल जनित रोगों और संबंधित व्यय के प्रसार को कम करना। व्यवहार में बदलाव के परिणामस्वरूप शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव भी हुआ। समुदाय के सदस्यों द्वारा पाइप से पानी के कनेक्शन और शौचालयों का अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था।
7.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम **(एनएससीएफडीसी)** द्वारा कार्यान्वित भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति के 1,650 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) के लिए ₹3.9 करोड़	5 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित लाभार्थियों में से प्लेसमेंट दर 92% थी। वर्तमान में 74 प्रतिशत उत्तरदाता आय सृजन गतिविधियों में शामिल हैं। परियोजना लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव पैदा करने में सक्षम रही है।
8.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण **(जीडीए)** द्वारा कार्यान्वित हिंडन नदी क्षेत्रों, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना के लिए ₹1.20 करोड़।	लकड़ी आधारित श्मशान घाट वनों की कटाई की ओर जाता है– ऐसे पेड़ जो अन्यथा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेते हैं और उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और ग्लोबल वार्मिंग में जोड़ने से रोकते हैं। विद्युत शवदाह गृह में करीब 600 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है।
9.	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र (बेयरफुट कॉलेज) द्वारा कार्यान्वित बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया **(एसडब्ल्यूआरसी)**, राजस्थान के परिसर में विभिन्न स्थानों पर गैर–कार्यात्मक पुरानी संरचना के प्रतिस्थापन और 135 किलोवाट ऑफ ग्रिड सौर संयंत्र (बैटरी के साथ) स्थापित करने के लिए ₹1.40 करोड़।	परिसर में विभिन्न स्थानों पर 135 केडब्ल्यूपी ऑफ–ग्रिड सौर संयंत्र (बैटरी के साथ) चालू किया गया। सौर पैनल हर साल 444 टन कार्बन डाई–ऑक्साइड और 319 टन सल्फर डाई–ऑक्साइड और 2.1 टन नाइट्रस ऑक्साइड (ग्रीनहाउस गैस) को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए सौर पैनल उपलब्ध हैं।
10.	30 सरकारी आवासीय विद्यालयों में 900 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट की स्थापना के लिए ₹12.9 करोड़; 30 परिसरों में मौजूदा रैबिट एसीएसआर कंडक्टर को इन्सुलेट करना। मौजूदा खुले रैबिट कंडक्टर परिसरों में गर्मी सिकुड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से पॉलीओलेफिन इन्सुलेशन प्रदान करना; कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी **(केआरईआईएस)** द्वारा कार्यान्वित 10 आवासीय विद्यालयों में ई–लर्निंग सेंटर (वर्चुअल क्लासरूम) की संस्थापना।	सौर पैनल ने स्थायी, विश्वसनीय और निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद की। रैबिट कंडक्टर की स्थापना ने परिसर में दुर्घटना मुक्त वातावरण बनाने में मदद की जिससे छात्रावास के छात्रों के लिए खतरा कम हो गया। वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना ने डिजिटल सामग्री, इंटरनेट, कंप्यूटर और पूरक वीडियो सम्मेलनों के उपयोग से उन्नत शिक्षण वातावरण प्रदान किया है।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
11.	महिला आश्रम मुवानी, पिथौरागढ़ **(एमएएम)** द्वारा कार्यान्वित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 1,300 महिलाओं और युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ₹1.40 करोड़	पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, 92% उम्मीदवार आय सृजन गतिविधियों में शामिल थे। परियोजना लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालने में सक्षम रही है।
12.	बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान **(बीएसजीएसएस-I)** द्वारा गुरदासपुर, पंजाब और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 880 महिलाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ₹1.20 करोड़	कुल उम्मीदवारों में से 75% को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार मिला। ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग में लड़कियों ने अपनी ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं शुरू कीं और प्रति माह औसतन ₹1000 कमाए। इस परियोजना से महिला सशक्तिकरण हुआ है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के बीच आय में वृद्धि हुई है।
13.	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान **(सीआईपीईटी)** द्वारा कार्यान्वित, भारत भर के लगभग 20 जिलों में ईडब्ल्यूएस से संबंधित 1,000 युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) के लिए ₹5.80 करोड़।	कुल उत्तरदाताओं का 84% आय सृजन गतिविधियों (मजदूरी/स्वरोजगार के माध्यम से) में शामिल हैं।
14.	पर्यावरण केयर सोसाइटी **(पीएससी)** द्वारा कार्यान्वित, बिहार के बगहा में बैराती मंदिर परिसर में 100 हैंडपंपों की स्थापना और तालाब की खुदाई के लिए ₹1.0 करोड़	इस परियोजना ने दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए स्रोत जल तक की औसत दूरी को कम करने में मदद की है। जल जनित रोगों के प्रसार में कमी आई है। इस परियोजना की परिणति स्थापित हैंडपंपों से पानी के स्रोत की आसान पहुंच की उपलब्धता में हुई है।
15.	शहीद उधम सिंह पंजाब विश्वविद्यालय **(एसयूएसपीयू)** द्वारा कार्यान्वित शहीद उधम सिंह पंजाब विश्वविद्यालय, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की छत पर 283 केडब्ल्यूपी सौर पीवी प्रणाली की स्थापना के लिए ₹1.60 करोड़	सोलर पीवी सिस्टम प्रतिदिन लगभग 1200 – 1500 यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है। अप्रयुक्त बिजली की आपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को की जाती है। कार्बन फुटप्रिंट और गैर–नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता में कमी।
16.	अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर संस्थान **(आईसीआई)** द्वारा कार्यान्वित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) के लिए ₹1.6 करोड़	6 कौशल विकास ट्रेडों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से प्लेसमेंट दर 78% थी। लाभार्थियों ने बताया कि परियोजना के पूरा होने के बाद उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
17.	जिलाधिकारी उधम सिंह नगर **(डीएम, यूएसएन)** द्वारा कार्यान्वित पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के अधोसंरचना विकास हेतु ₹18.30 करोड़	नए 300 बिस्तरों वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज ने कोविड–19 के दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में सुधार किया है। चिकित्सा परीक्षण और प्रक्रियाओं ने रोगियों का शीघ्र निदान और उपचार किया।
18.	विश्वसिंधु बहुद्देशीय सेवा भावी संस्था **(वीबीएसएस-I)** द्वारा कार्यान्वित महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 5,000 किसानों को बीज के मुफ्त वितरण के लिए ₹1.9 करोड़	98% लाभार्थी केवल कृषि कार्य में शामिल थे, जिनमें से 26% बीपीएल कार्ड धारक थे। 38% किसानों ने बताया कि नए प्रकार के बीजों की उपलब्धता के कारण उनकी फसल में वृद्धि हुई है। 60% किसानों ने बताया है कि उत्पादकता (उपज) में वृद्धि हुई है औसत वार्षिक आय में 18% की वृद्धि हुई है।
19.	विश्वसिंधु भहुदेशीय सेवा भावी संस्था **(वीबीएसएस-II)** द्वारा कार्यान्वित महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 10,000 किसानों को बीज के मुफ्त वितरण के लिए ₹4.1 करोड़	99% लाभार्थी केवल कृषि कार्य में शामिल थे, जिनमें से 41% बीपीएल कार्ड धारक थे। 35% किसानों ने बताया कि नए प्रकार के बीजों की उपलब्धता के कारण उनकी फसल में वृद्धि हुई है। औसत वार्षिक आय में 16% की वृद्धि हुई है।
20.	बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान **(बीएसजीएसएस-II)** द्वारा कार्यान्वित कुंभ मेला 2019, प्रयागराज और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की स्थापना के लिए ₹1.7 करोड़।	एटीएम सभी स्थानों पर 12 घंटे/दिन के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, इस प्रकार आगंतुकों को पीने के पानी की स्वच्छ और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। सभी स्थानों पर 20 ऑपरेटरों को नियोजित किया गया था।
21.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय **(डीडीयू)** मार्ग, नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्क के विकास और रखरखाव के लिए ₹5.0 करोड़	उपलब्ध सुविधाओं के कारण सभी आयु समूहों से अपील। रोजगार के अवसर पैदा किए। अपराध को कम किया और परिवारों के लिए सुरक्षित सभा स्थल सुनिश्चित किया। समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान। मूल्यवान हरित स्थान बनाया (>हरित आवरण के अंतर्गत 80% क्षेत्र)

विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका 21 परियोजनाओं के लिए विभिन्न मानदंडों अर्थात् (i) समावेशिता (ii) प्रासंगिकता, (iii) प्रभावशीलता, (iv) अभिसरण और (v) संधारणीयता पर रेटिंग प्रदान करती है। प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उपरोक्त प्रमुख मापदंडों पर किया गया है और इसके बाद उत्पन्न प्रभाव को उच्च/मध्यम/निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

उच्च	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना उक्त आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम रही है।
मध्यम	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना कथित आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को आंशिक रूप से पूरा करने में सक्षम रही है।
कम	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना ने अभी तक उक्त आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

आईआरईसीएस मानदंडों		समावेशिता	प्रासंगिकता	प्रभावकारिता	अभिसरण	संधारणीयता
1	एसईडब्ल्यूए	उच्च	उच्च	मध्यम	कम	कम
2	एसईसीआई	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	कम
3	एनएसडीएफ	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	कम
4	केएससीएसटी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
5	आईआईएम, त्रिची	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
6	एसआईडीयूआर	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च
7	एनएससीएफडीसी	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
8	जीडीए	उच्च	मध्यम	कम	उच्च	मध्यम
9	एसडब्ल्यूआरसी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
10	केआरईआईएस	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
11	एमएएम	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
12	बीएसजीएसएस–I	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च
13	सीआईपीईटी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
14	पीएससी	उच्च	मध्यम	उच्च	कम	कम
15	एसयूएसपीयू	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम
16	आईसीआई	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
17	डीएम, यूएसएन	उच्च	मध्यम	मध्यम	उच्च	मध्यम
18	वीबीएसएस–I	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
19	वीबीएसएस–II	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
20	बीएसजीएसएस–II	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
21	डीडीयू	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)
1	2021-22	3.45	3.45

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: ₹8,533.62 करोड

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: ₹170.67 करोड़
(ख) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा कार्यकालापों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशि: ₹3.45 करोड
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग): ₹167.22 करोड़

8. क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	खर्च न की गई राशि (₹करोड में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
167.62	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं को छोड़कर अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹162.15 करोड (अनुबंध क)

घ. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: ₹5.24 करोड

ङ. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि: ₹0.23 करोड

च. कुल राशि वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ): ₹167.62 करोड

छ. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	170.67
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	171.07
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	0.40
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	0.40

9. **(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण:**

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	
लागू नहीं							

(ख) पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना चालू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
लागू नहीं								

10. **पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण: शून्य**

क. परिसंपत्ति के निर्माण की तिथि: लागू नहीं

ख. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि: लागू नहीं

ग. कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

घ. सृजित अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

11. **उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही:**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपना सीएसआर बजट पूरी तरह से खर्च किया है।

ह./-
(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06629871

ह./-
(डॉ. मनोज मनोहर पांडे)
स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन : 09388430

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

अनुबंध - क : वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	संस्थान को विकृति सुधार के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	ओडिशा	कटक	4.26	नहीं	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	लागू नहीं
2	भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	1.91	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	सीएसआर00000532
3	कुष्ठ मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु	चंपा, फैजाबाद और वडाथोरसालुर	2.33	नहीं	कुष्ठ मिशन ट्रस्ट इंडिया	सीएसआर00001796
4	रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण और नवीनीकरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	रीवा	2.63	नहीं	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा	लागू नहीं
5	ओडिशा के 30 जिलों में सिकल सेल रोगों और थैलेसीमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम के लिए अंशकालिक वित्तीय पोषण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	ओडिशा	ओडिशा	3.94	नहीं	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर	लागू नहीं
6	ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण एवं ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरम	0.37	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	लागू नहीं
7	ब्रह्मर्षि मिशन समिति के अंतर्गत संचालित विराट धर्मशाला में गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगियों की सहायता के लिए रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	जबलपुर	0.45	नहीं	ब्रह्मर्षि मिशन समिति	सीएसआर00004300
8	एकीकृत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं पुनर्वास केंद्र 'मानव मंदिर' (तीसरी मंजिल)' का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.21	नहीं	इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं
9	जिला अस्पताल एवं जन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण एवं उपकरण उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	सिक्किम	पश्चिमी सिक्किम	0.31	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट,पश्चिमी सिक्किम	लागू नहीं
10	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर एवं शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पूर्व निर्मित आवास (क्वार्टर) का निर्माण/विस्तार	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नागालैंड	किफिरे	1.50	नहीं	उपायुक्त, किफिरे	लागू नहीं
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवीनीकरण और निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	3.86	नहीं	उपायुक्त, ममित	लागू नहीं
12	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टेबल और स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित समाधान	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.05	नहीं	सेल्को फाउंडेशन	लागू नहीं
13	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मैमोरियल सेंटर, खारगहर, नवी मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	2.95	नहीं	टाटा मैमोरियल सेंटर	लागू नहीं
14	महामारी कोरोना वायरस कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों में लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	(0.40)	नहीं	आरईसी	सीएसआर00005016

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
15	सदर अस्पताल के बहुउद्देशीय हाल एवं इन्क्यूबेशन सेंटर में मरीजों के परिचारक के लिए 100 बेड वाले प्रतीक्षालय का निर्माण और जिला अस्पताल और पीएचसी में 25 इन्क्यूबेटरों की खरीद और संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	1.85	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए_टीसीआईएल	लागू नहीं
16	12 गांवों के लिए आरईसी–जोडॉन मोबाइल हेल्थ क्लीनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मणिपुर	चुराचंदपुर	0.28	नहीं	उपायुक्त, चुराचांदपुर, मणिपुर	लागू नहीं
17	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीज के परिचारकों के लिए 200 बेड वाले विश्राम कक्ष (विश्राम सदन) का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	1.00	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए	लागू नहीं
18	50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का नवीनीकरण और 1125 आंगनवाड़ी केंद्रों में खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी गैस कनेक्शन और प्रसवपूर्व देखभाल केंद्रों की स्थापना के लिए कंटेनर उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.85	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए	लागू नहीं
19	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में रक्त घटकों को अलग करने के लिए ब्लड बैंक उपकरण की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	मछलीपट्टनम, कृष्णा	0.30	नहीं	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम	लागू नहीं
20	देश भर में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 3400 सहायता और उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश	बैंगलोर, पटना, रांची, नोएडा और हैदराबाद	0.44	नहीं	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति	सीएसआर00004300
21	कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल	0.67	हां	आरईसी	सीएसआर00005016
22	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) में ब्लड बैंक उपकरण / वस्तुओं की खरीद, स्थापना और चालू कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	तेलंगाना	वारंगल	0.89	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वारंगल, तेलंगाना	लागू नहीं
23	बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	बिहार के 14 जिले	3.74	नहीं	टाटा मैमोरियल कैंसर अस्पताल	लागू नहीं
24	डिजिटल सबस्ट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन की खरीद, संस्थापना और चालू कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	जयपुर	5.22	नहीं	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	लागू नहीं
25	आरईसी सीएसआर सहयोग से निर्मित शासकीय विद्यालयों में 132 शौचालयों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पंजाब	पंजाब	0.40	नहीं	स्कूली शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार	लागू नहीं
26	बेघर बीमार, बेसहारा, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर–(आनंदम का ब्लॉक बी और पार्ट ब्लॉक–सी)140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	डडीकर, अलवर, राजस्थान	0.26	नहीं	एसएपीएनए/पीएमए	सीएसआर00000235
27	1700 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (पूर्ण संयोजन) और 150 केवी जनरेटर संयंत्र की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	महाराष्ट्र	पुणे	2.48	नहीं	पुणे नगर निगम	सीएसआर00004302
28	बेस अस्पताल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में कोविड देखभाल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1000 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की संस्थापना, 22 ऑक्सीजन सांद्रता और 200 सेमी फाउलर्स बेड की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	1.75	नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड	सीएसआर00005343
29	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात 300 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रतिदिन पैक लंच की सुविधा प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	0.21	नहीं	आरईसी	सीएसआर00005016

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
30	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), हंटरगंज, चतरा में पीएसए (प्रेशर स्विंग सोखना) ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन, बेड/आईसीयू उपकरण, रेफरल मामलों के लिए टाइप–डी एम्बुलेंस और मोबाइल रक्तदान वैन की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	झारखंड	चतरा	0.50	नहीं	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, चतरा, झारखंड	सीएसआर00006142
31	जिला अस्पताल, बारां में 1250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 100 केवीए डीजी सेट की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	बारां	1.57	नहीं	बारां मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी	सीएसआर00005624
32	सिविल अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), डलहौजी में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (400 से 600 एलपीएम) और 62.5 केवीए के डीजी सेट की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.79	नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंबा, हिमाचल प्रदेश	सीएसआर00005997
33	झांसी, यूपी में 2 विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) श्मशान की स्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	झांसी	3.53	नहीं	नगर निगम, झांसी	सीएसआर00012233
34	जिला अस्पताल, मोन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नागालैंड	मोन	0.41	नहीं	उपायुक्त मोन	सीएसआर00006825
35	सरकारी चरक अस्पताल, उज्जैन, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, एएलएस एम्बुलेंस और आईसीयू रोगियों के बिस्तरों की स्थापना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उज्जैन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	उज्जैन	0.86	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	सीएसआर00008070
36	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा क्रियान्वन किए जाने वाले अलवर, राजस्थान के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	अलवर	1.23	नहीं	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी	सीएसआर00008981
37	जिला अस्पताल, चाईबासा, झारखंड में बाल चिकित्सा और नवजात वर्ग के लिए 10 बिस्तरों वाले आईसीयू की स्थापना, 20 बिस्तरों की सेवा के लिए चिकित्सा उपकरण, जिला सीएसआर फंड चाईबासा, झारखंड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	झारखंड	चाईबासा	0.31	नहीं	जिला सीएसआर फंड चाईबासा, झारखंड	सीएसआर00006981
38	नया जिला अस्पताल, यादगिरी, कर्नाटक में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद, संस्थापना और चालू कराना, आरोग्य रक्षा समिति जिला अस्पताल (एआरएसडीएच), यादगीर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कर्नाटक	चित्तपुर	1.75	नहीं	आरोग्य रक्षा समिति जिला अस्पताल, यादगिर, कर्नाटक	सीएसआर00012195
39	सशक्त समुदायों के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	0.28	नहीं	प्रोग्रेसिव फाउंडेशन	सीएसआर00013216
40	5 राज्यों में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014–15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश	1.73	नहीं	भारत सेवाश्रम संघ	सीएसआर00000812
41	श्रावस्ती जिले में 275 हैंडपंप की संस्थापना	सुरक्षित पेयजल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	(0.14)	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती	लागू नहीं
42	कुंभ मेला स्थल पर और भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना के लिए सहयोग	सुरक्षित पेयजल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	0.19	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान	लागू नहीं
43	बिहार के पूर्णिया जिले के 200 आंगनबाडी केंद्र/प्राथमिक विद्यालय में 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1 एचपी विद्युत पंप की संस्थापना	सुरक्षित पेयजल	लागू नहीं	बिहार	पूर्णिया	0.30	नहीं	सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल	सीएसआर00022145

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
44	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत झुग्गी–झोपड़ी पीने के पानी, स्वच्छता, शौचालय, आईईसी अभियान आदि की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी को अपनाना	स्वच्छता	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	0.51	हाँ	आरईसी	सीएसआर00005016
45	24 सरकारी स्कूलों में कंपाउंड दीवारों का निर्माण व गेट उपलब्ध कराना	शिक्षा	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	0.92	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, महबूबनगर	लागू नहीं
46	प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा में बदलाव	शिक्षा	लागू नहीं	मणिपुर	चंदेल	0.60	नहीं	उपायुक्त, चंदेल	लागू नहीं
47	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार का निर्माण कर अधोसंरचना विकास,	शिक्षा	लागू नहीं	केरल	कन्नूर	1.08	नहीं	जिला पंचायत, कन्नूर	लागू नहीं
48	सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर प्रदान करना और एचएससी (हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट) में आने वाले छात्रों के लिए सुपर 30 शुरू करना	शिक्षा	लागू नहीं	ओडिशा	गजपति	0.63	नहीं	जिला कलेक्टर, गजपति	लागू नहीं
49	सरकारी स्कूलों में उपकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला साक्षरता बढ़ाना, पेयजल उपलब्ध कराना इत्यादि करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना	शिक्षा	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	0.23	नहीं	उपायुक्त, ममित	लागू नहीं
50	संदलपुर गांव में आदिवासी बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (द्वितीय तल) का निर्माण और बरकालिकापुर गांव में परिवार बंगाल आवासीय संस्थान में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल	देवास, 24 परगना	0.10	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसायटी	सीएसआर00000052
51	विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र मे (तृतीय तल), गेट और खेल के मैदान के साथ चारदीवारी की संस्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	0.39	नहीं	चेतना, हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं
52	15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी उच्च विद्यालय और 1 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके, कक्षाओं की मरम्मत, नवीनीकरण करके स्कूली शिक्षा को बदलना; किचन, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग/इंटरनेट प्रदान करना, वाटर कूलर, अलमीरा, कटलरी की खरीद, क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में बदलना, खेलने के उपकरण, स्कूल लाइब्रेरी, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला, आदि प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.76	नहीं	उपायुक्त, कांगड़ा	लागू नहीं
53	प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	अम्बाला, झज्जर, जींद, कैथल व यमुनानगर	0.71	नहीं	हरियाणा सीएसआर सलाहकार मण्डल	लागू नहीं
54	हरियाणा के गुरुग्राम में विभिन्न मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक इनोवेटिव मोबाइल स्कूल	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	गुरुग्राम	0.11	नहीं	ऑल इंडिया सिटीजन्स अलॉयन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट	सीएसआर00002627
55	गजपति, ओडिशा के 32 सरकारी स्कूलों में 53 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	ओडिशा	गजपति	1.33	नहीं	जिला कलेक्टर, गजपति	लागू नहीं

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
56	मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और लगभग 1541 बच्चों वाले 11 सेवा कुटीर को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	खंडवा	1.61	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसायटी	सीएसआर00000052
57	मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता।	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	गुरुग्राम	0.44	नहीं	आरके मिशन	लागू नहीं
58	गुरुग्राम, हरियाणा और हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण मजदूरों के 462 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए इनोवेटिव मोबाइल स्कूल का संचालन	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा और उत्तर प्रदेश	गुरुग्राम, हरदोई	0.26	नहीं	ऑल इंडिया सिटीजन्स अलॉयन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट	सीएसआर00002627
59	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाहरी प्रकाश व्यवस्था और एप्रोच रोड के साथ 2 छात्रावास टावर (जी+9) का निर्माण और स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (आईआईटी, कानपुर पर एसएमआरटी) के तहत ग्रिड से जुड़े 100केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पीवी पैनल की संस्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	कानपुर	0.20	नहीं	आईआईटी, कानपुर	सीएसआर00004774
60	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) ग्राम, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के असुरक्षित/कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	राजस्थान	राजसमंद	0.23	नहीं	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद	सीएसआर00008067
61	विशेष रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 700 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय)	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	0.36	नहीं	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड	लागू नहीं
62	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	2.52	नहीं	महर्षि शिक्षण प्रसारक मण्डल	लागू नहीं
63	ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/महिला आदि से संबंधित 1200 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम।	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1.14	नहीं	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस	लागू नहीं
64	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचितों से संबंधित 1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	0.55	नहीं	परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र	सीएसआर00000938
65	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	0.15	नहीं	मैट्रिक्स सोसायटी फॉर सोशल सर्विस	सीएसआर00000323
66	महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और उपकरण किट का वितरण	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.62	नहीं	राजुरेश्वर गणेश बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था	लागू नहीं
67	विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस के 2500 लोगों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	1.14	नहीं	भारतीय उद्योग परिसंघ	लागू नहीं
68	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	छतरपुर	0.09	नहीं	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट	सीएसआर00003571
69	सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले किसानों को बीज (रबी सीजन) का मुफ्त वितरण	आजीविका वृद्धि	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3.52	नहीं	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ	सीएसआर00017175

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
70	आईआईएम, तिरुचिरापल्ली के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	0.03	नहीं	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	लागू नहीं
71	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइट की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	ओडिशा	संबलपुर	0.41	नहीं	संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	लागू नहीं
72	हरियाणा के पैंतालीस गांवों में राष्ट्रपति भवन की स्मार्टग्राम पहल के लिए स्थायी ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	हरियाणा	हरियाणा के चालीस गांवों का चयन	0.17	नहीं	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स	लागू नहीं
73	आंध्र प्रदेश के जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	0.04	नहीं	आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	लागू नहीं
74	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	तमिलनाडु	मदुरै	2.55	नहीं	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	लागू नहीं
75	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	1.33	नहीं	आंध्र प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	लागू नहीं
76	वृद्धों की देखभाल के लिए आरोग्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन	वृद्ध	लागू नहीं	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	लेह	0.84	नहीं	हेल्पऐज इंडिया	लागू नहीं
77	वृद्धों की देखभाल के लिए आरोग्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन।	वृद्ध	लागू नहीं	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	लेह	0.65	नहीं	हेल्पऐज इंडिया	लागू नहीं
78	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	महबूबनगर और अनंतपुर	6.29	नहीं	इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स	लागू नहीं
79	समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मेघालय और नागालैंड	मेघालय और नागालैंड	0.90	नहीं	नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडायवर्सिटी सोसाइटी	लागू नहीं
80	मणिपुर के उखरूल जिले के सोमदल गांव में बहुद्देशीय हॉल सह इंडोर स्टेडियम का निर्माण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मणिपुर	उखरुल	0.41	नहीं	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी	लागू नहीं
81	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, पीसीसी रोड, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइटों, आरओ प्लांट आदि की संस्थापना	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	बिहार	भोजपुर	0.29	नहीं	एनएचपीसी लिमिटेड	लागू नहीं
82	खेल का व्यापक आधार और भारत में खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना	खेल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	15.00	नहीं	राष्ट्रीय खेल विकास कोष, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	सीएसआर00016457
83	उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण और बहाली के लिए ₹5.00 करोड़ की सीएसआर सहायता	सहायता और पुनर्वास	लागू नहीं	उत्तराखंड	उत्तराखंड	5.00	नहीं	उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सीएसआर00017007
84	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर्स	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	50.00	नहीं	भारत सरकार	लागू नहीं
	कुल संवितरण			-		**162.15**			
85	प्रशासनिक उपरिव्यय					5.24			
86	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि					0.23			
87	पिछले वर्ष का अधिक व्यय					3.45			
	वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च किया गया कुल सीएसआर					**171.07**			

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध - VIII

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार डिबेंचर न्यासियों का विवरण
(सेबी एलओडीआर विनियमावली, 2015 के विनियम 53 के अनुसार)

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई–400001	श्री कृष्णकांत शर्मा फोनः +91–22–4080 7000 ईमेलः krishnakant@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com वेबसाइटः www.idbitrustee.com	आईएनई020बी08427	94
			आईएनई020बी08443	95-II
			आईएनई020बी08740	107
			आईएनई020बी08807	111-II
			आईएनई020बी08831	114
			आईएनई020बी08849	115
			आईएनई020बी07आईजेड5	123-III-10 वर्ष
			आईएनई020बी08880	128
			आईएनई020बी08898	129
			आईएनई020बी08906	130
			आईएनई020बी08914	131
2	बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, 4सी एंड डी, सिद्धिविनायक चैम्बर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051	श्री विट्ठल नावनधार फोनः +91–22–2655 8759 ई–मेलः compliance@beacontrustee.co.in वेबसाइटः www.beacontrustee.co.in	आईएनई020बी08बीए1	162
			आईएनई020बी08बीबी9	163
			आईएनई020बी08बीजी8	168
			आईएनई020बी08बीएच6	169
			आईएनई020बी08बीपी9	175
			आईएनई020बी08बीक्यू7	176
			आईएनई020बी08बीएस3	178
			आईएनई020बी08बीटी1	179
			आईएनई020बी08बीवी7	180-ए
			आईएनई020बी08बीयू9	180-बी
			आईएनई020बी08बीडब्ल्यू5	182
			आईएनई020बी08बीएक्स3	183
			आईएनई020बी08डीडी1	184-ए (आंशिक रूप से प्रदत्त)
			आईएनई020बी08सीबी7	184-बी (सी)
			आईएनई020बी08सीसी5	184-बी (डी)
			आईएनई020बी08सीडी3	185
			आईएनई020बी08सीई1	186-ए
			आईएनई020बी08सीएफ8	186-बी
			आईएनई020बी08सीजी6	187
			आईएनई020बी08सीएच4	188-ए
			आईएनई020बी08सीआई2	188-बी
			आईएनई020बी08सीजे0	189
			आईएनई020बी08सीके8	190-ए
			आईएनई020बी08सीएन2	191-ए
			आईएनई020बी08सीएम4	191-बी
			आईएनई020बी08सीपी7	192
			आईएनई020बी08सीटी9	195
			आईएनई020बी08सीयू7	197
			आईएनई020बी08सीडब्ल्यू3	198बी
			आईएनई020बी08सीएक्स1	199
			आईएनई020बी08सीवाई9	200 पीपी-एमएलडी
			आईएनई020बी08सीजेड6	201ए
			आईएनई020बी08डीए7	201बी
			आईएनई020बी08डीबी5	202ए
			आईएनई020बी08डीसी3	202बी

प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
अप्रतिभूतित	9-जून-2025	8.75%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड,
अप्रतिभूतित	14-जुलाई-2025	8.75%	हाँ	नहीं	बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे,
अप्रतिभूतित	15-जून-2022	9.35%	हाँ	नहीं	दादा हरसुखदास मंदिर के सामने,
अप्रतिभूतित	19-नवंबर-2022	9.02%	हाँ	हाँ	नई दिल्ली–110062
अप्रतिभूतित	12-अप्रैल-2023	8.82%	हाँ	हाँ	संपर्क व्यक्तिः श्री संजय रस्तोगी
अप्रतिभूतित	31-मई-2023	8.06%	हाँ	हाँ	फोनः +91–11–2996 1281–83 ई–मेलः recbonds1@gmail.com, beetalrta@gmail.com वेबसाइटः www.beetalfinancial.com
प्रतिभूतित	23-अगस्त-2024	9.34%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट
अप्रतिभूतित	21दिसंबर-2024	8.57%	हाँ	हाँ	नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
अप्रतिभूतित	23-जनवरी-2025	8.23%	हाँ	हाँ	सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032
अप्रतिभूतित	6-फरवरी-2025	8.27%	हाँ	हाँ	संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण
अप्रतिभूतित	21-फरवरी-2025	8.35%	हाँ	हाँ	फोनः 1–800–309–4001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
अप्रतिभूतित	9-अगस्त-2028	8.55%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट
अप्रतिभूतित	25-अगस्त-2028	8.63%	हाँ	हाँ	नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
अप्रतिभूतित	29-नवंबर-2028	8.56%	हाँ	हाँ	सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032
अप्रतिभूतित	7-दिसंबर-2028	8.37%	हाँ	हाँ	संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण
अप्रतिभूतित	28-मार्च-2029	8.97%	हाँ	हाँ	फोनः 1–800–309–4001
अप्रतिभूतित	16-अप्रैल-2029	8.85%	हाँ	हाँ	ई–मेलः einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com
अप्रतिभूतित	14-मई-2029	8.80%	हाँ	हाँ	वेबसाइटः www.kfintech.com
अप्रतिभूतित	10-जून-2022	8.15%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-जून-2024	8.10%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-जून-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	22-अगस्त-2034	8.18%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	16-सितंबर-2034	8.29%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-सितंबर-2029	8.25%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-सितंबर-2022	7.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-सितंबर-2023	7.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	13-दिसंबर-2022	7.09%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-जून-2022	6.90%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-नवंबर-2024	7.40%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-दिसंबर-2022	7.24%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2023	7.12%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.89%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.92%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-मार्च-2025	6.88%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-जून-2023	6.80%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-सितंबर-2024	6.99%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2030	7.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	22-अप्रैल-2023	6.92%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	11-मई-2030	7.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	21-मई-2030	7.79%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15-जून-2030	7.96%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-जून-2023	5.36%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2025	5.90%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-सितंबर-2030	7.25%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-सितंबर-2023	5.69%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
								एनएसई	बीएसई	
			आईएनई020बी08डीई9	203ए	अप्रतिभूतित	20-दिसंबर-2030	6.80%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीएफ6	203बी	अप्रतिभूतित	20-दिसंबर-2025	5.85%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीजी4	204ए	अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीएच2	204बी	अप्रतिभूतित	31-दिसंबर-2025	5.81%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीजे8	205ए	अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2024	4.99%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीके6	205बी	अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2026	5.94%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीएल4	206-पीडीआई	अप्रतिभूतित	लागू नहीं*	7.97%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीएम2	207	अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2036	7.02%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीओ8	208	अप्रतिभूतित	15-मार्च-2036	7.40%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीपी5	209	अप्रतिभूतित	20-मार्च-2024	5.79%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीआर1	210	अप्रतिभूतित	20-जनवरी-2024	5.74%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीटी7	211	अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2031	6.23%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीयू5	212	अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2024	अस्थायी (4.19%)	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीवी3	213	अप्रतिभूतित	30-मार्च-2032	6.92%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीसी7	जीओआई-IV	अप्रतिभूतित	28-सितंबर-2028	8.70%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीई3	जीओआई-V	अप्रतिभूतित	15-नवंबर-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीजे2	जीओआई-VI	अप्रतिभूतित	22-जनवरी-2029	8.80%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएल8	जीओआई-VII	अप्रतिभूतित	8-मार्च-2029	8.60%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीओ2	जीओआई-VIII	अप्रतिभूतित	25-मार्च-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीओ0	जीओआई-IX	अप्रतिभूतित	2-मार्च-2030	7.14%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीआर3	जीओआई-X	अप्रतिभूतित	26-मार्च-2030	8.25%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएस1	जीओआई-XI	अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.20%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीआई0	जीओआई-XII	अप्रतिभूतित	7-जनवरी-2031	6.45%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीएन0	जीओआई-XIII	अप्रतिभूतित	28-जनवरी-2031	6.63%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08डीक्यू3	जीओआई-XIV	अप्रतिभूतित	26-मार्च-2031	6.50%	हाँ	हाँ	
3	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर जी ब्लॉक, प्लॉट सी–22, बीकेसी, बांद्रा, मुंबई–400051	श्री संजय डोडती फोनः +91–22–2659 3644 ई–मेलः sanjay.dodti@vistra.com, Sandesh.vaidya@vistra.com वेबसाइटः www.vistraitcl.com	आईएनई020बी08724	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूतित	15-फरवरी-2027	9.15%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062 संपर्क व्यक्तिः श्री संजय रस्तोगी फोनः +91–11–2996 1281–83 ई–मेलः recbonds3@gmail.com वेबसाइटः www.beetalfinancial.com
			आईएनई020बी08732							
			आईएनई020बी07जीएच7	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूतित	29-मार्च-2027	8.12%	नहीं	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 1–800–309–4001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
							8.32%			
4	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020	श्री जतीन भट फोनः +91–22–4302 5555 ई–मेलः corporate@sbicaptrustee.com वेबसाइटः www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जीयू0	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूतित	21-नवंबर-2022	7.21%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 1–800–309–4001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
			आईएनई020बी07जीवी8	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूतित	22-नवंबर-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीडब्ल्यू6	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूतित	19-दिसंबर-2022	7.22%	हाँ	हाँ	
							7.72%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीएक्स4	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूतित	20-दिसंबर-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
							7.88%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीवाई2	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूतित	27-मार्च-2023	6.88%	हाँ	हाँ	
							7.38%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीजेड9	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूतित	27-मार्च-2028	7.04%	हाँ	हाँ	
							7.54%	हाँ	हाँ	

** बेमीयादी ऋण लिखतें*

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
			आईएनई020बी07एचएम5	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1
			आईएनई020बी07एचएन3	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1
			आईएनई020बी07एचओ1	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचआर4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचपी8	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचएस2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचक्यू6	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचटी0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचयू8	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2
			आईएनई020बी07एचवी6	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2
			आईएनई020बी07आईसी4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईएफ7	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईडी2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईजी5	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईई0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईएच3	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07जेओ7	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट
			आईएनई020बी07जेपी4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेक्यू2	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेआर0	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेएस8	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेटी6	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेयू4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07केयू2	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केवी0	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केडब्ल्यू8	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केएक्स6	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केवाई4	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केजेड1	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलए2	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलबी0	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलसी8	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलडी6	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलई4	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलएफ1	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलजी9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएच7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलआई5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलजे3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलके1	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएल9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएम7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएन5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलओ3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलपी0	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलक्यू8	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलआर6	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएस4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलटी2	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलयू0	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलवी8	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलडब्ल्यू6	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलएक्स4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
प्रतिभूतित	29-अगस्त-2023	8.01%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	29-अगस्त-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर-2023	8.01%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर-2023	8.26%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर-2028	8.71%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	26-सितंबर-2033	8.37%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	26-सितंबर-2033	8.62%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	11-अक्टूबर-2023	8.18%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	11-अक्टूबर-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	22-मार्च-2024	8.19%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	22-मार्च-2024	8.44%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23-मार्च-2029	8.63%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23-मार्च-2029	8.88%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2034	8.61%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2034	8.86%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23-जुलाई-2025	7.17%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2025	6.89%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2025	7.14%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2030	7.09%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2030	7.34%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2035	7.18%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2035	7.43%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	29-फरवरी-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
			आईएनई020बी07एलवाई2	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी0एलजेड9	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमए0	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमबी8	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमसी6	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमडी4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमई2	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएफ9	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमजी7	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी0एमएच5	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमआई3	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमजे1	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमके9	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएल7	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएम5	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएन3	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमओ1	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
		श्री हरीश शेट्टी फोनः +91–22–4302 5576, +91–22–2204 0465 ई–मेलः corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइटः www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी08930	133
			आईएनई020बी08963	136
			आईएनई020बी08एए3	140
			आईएनई020बी08एसी9	142
			आईएनई020बी08एएच8	147
			आईएनई020बी08एके2	150
			आईएनई020बी08एएम8	152
			आईएनई020बी08एपी1	155
			आईएनई020बी08एक्यू9	156
			आईएनई020बी08एटी3	159
			आईएनई020बी08एएक्स5	जीओआई–I
			आईएनई020बी08एवाई3	जीओआई–II
			आईएनई020बी08एजेड0	जीओआई–III

प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
अप्रतिभूतित	10-अप्रैल-2025	8.30%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 1–800–309–4001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
अप्रतिभूतित	7-अक्टूबर-2025	8.11%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-नवंबर-2026	7.52%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-दिसंबर-2026	7.54%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	12-मार्च-2027	7.95%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-सितंबर-2022	7.03%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	17-अक्टूबर-2022	7.09%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2022	7.45%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	10-दिसंबर-2027	7.70%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	23-फरवरी-2023	7.99%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	21-मार्च-2028	8.09%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	24-मार्च-2028	8.01%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	27-मार्च-2028	8.06%	हाँ	हाँ	

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : **01377212**)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

31 मार्च 2022 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	**6**	126.40	1,140.49
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	**7**	2,295.30	1,929.06
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**8**	5,510.17	2,311.22
(घ)	ऋण	**9**	3,71,930.54	3,65,261.49
(च)	निवेश	**10**	2,157.97	1,909.77
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**11**	24,396.94	24,399.21
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**4,06,417.32**	**3,96,951.24**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**12**	179.64	160.07
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**13**	3,134.74	2,437.71
(ग)	निवेश संपत्ति	**14**	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	**15**	623.67	260.12
(च)	पूंजीगत चालू कार्य	**15**	6.07	335.67
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**15**	-	0.77
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	**15**	4.25	6.10
(झ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	**16**	46.06	81.50
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**3,994.43**	**3,281.95**
(3)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति**	**17**	0.86	-
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**4,10,412.61**	**4,00,233.19**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**8**	553.14	846.31
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	**18**	2,19,633.57	2,37,328.06
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	**19**	1,06,651.59	85,507.36
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	**20**	6,816.47	6,946.89
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	**21**	25,575.84	25,934.10
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		***3,59,230.61***	***3,56,562.72***
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	**22**	10.25	10.62
(ख)	प्रावधान	**23**	104.51	112.97
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	**24**	81.64	120.51
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**196.40**	**244.10**
(3)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	**25**	1,974.92	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	**26**	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	**27**	48,452.28	40,893.05
	कुल - इक्विटी (3)		**50,985.60**	**43,426.37**
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**4,10,412.61**	**4,00,233.19**
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	**1 से 5**		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां 1 से 67

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091
एस.के. मित्तल भागीदार सदस्यता सं. : 008506	राकेश कुमार भागीदार सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	**28**	38,186.46	34,683.78
(ii)	लाभांश आय	**29**	26.64	36.40
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	**30**	572.82	95.38
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ / (हानि)	**35**	346.57	572.33
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (I से IV)**		**39,132.49**	**35,387.89**
II.	**अन्य आय**	**31**	97.96	22.55
III.	**कुल आय (I+II)**		**39,230.45**	**35,410.44**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	**32**	22,052.91	21,489.08
(ii)	निवल अंतरण / लेन–देन विनिमय हानि	**33**	799.05	330.26
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	**34**	16.73	9.95
(iv)	वित्तीय लिखत संबंधी हानि	**36**	3,473.31	2,419.62
(v)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**37**	158.86	144.84
(vi)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**38**	17.96	9.53
(vii)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	**39**	170.67	144.32
(viii)	अन्य व्यय	**40**	116.06	106.71
IV.	**कुल व्यय (i से viii)**		**26,805.55**	**24,654.31**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**12,424.90**	**10,756.13**
VI.	**कर व्यय**	**41**		
(i)	वर्तमान कर		3,047.37	2,906.90
(ii)	आस्थगित कर		(668.39)	(512.55)
	कुल कर व्यय (I+II)		**2,378.98**	**2,394.35**
VII.	**अवधि के लिए लाभ**		**10,045.92**	**8,361.78**
	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ / (हानि)		(8.33)	(14.26)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी लिखतों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		22.19	166.53
(ग)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ / (हानि)		2.10	3.59
	– एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		2.55	(6.01)
	उप-जोड़ (i)		***18.51***	***149.85***
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीत किया जाएगा**			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		480.84	80.81
(ख)	हेजिंग रिजर्व की लागत		(584.51)	329.00
(ग)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(121.02)	(20.34)
	– हेजिंग रिजर्व की लागत		147.11	(82.80)
	उप-जोड़ (ii)		***(77.58)***	***306.67***
VIII.	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)**		**(59.07)**	**456.52**
XI.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)**		**9,986.85**	**8,818.30**
X.	**प्रत्येक ₹10 प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)**	**42**		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		50.87	42.34
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		50.87	42.34
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1 से 5**		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां 1 से 67

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091
एस.के. मित्तल भागीदार सदस्यता सं. : 008506	राकेश कुमार भागीदार सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
कर पूर्व निवल लाभ	12,424.90		10,756.13	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	0.97		4.03	
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	(30.19)		-	
3. संयुक्त उद्यम (ईईएसएल) में महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर हानि/(लाभ)	(29.01)		-	
4. अवमूल्यन एवं परिशोधन	17.96		9.53	
5. वित्तीय लिखतों पर हानि से संबंधित क्षति	3,473.31		2,419.62	
6. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	(11.95)		32.61	
7. उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	(111.31)		152.19	
8. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	(351.36)		(545.92)	
9. निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन	12.78		(2.43)	
10. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	14.76		35.32	
11. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	-		81.78	
12. विनिमय दर घटने–बढ़ने पर हानि/(लाभ)	(2,164.42)		526.71	
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	-		22.71	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**13,246.44**		**13,492.28**	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह):				
1. ऋण परिसंपत्तियां	(9,877.12)		(56,522.42)	
2. व्युत्पन्न	(2,460.52)		711.20	
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(631.18)		(1,706.71)	
4. प्रचालनात्मक देयताए	(1,186.90)		3,187.83	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(909.28)**		**(40,837.82)**	
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,076.64)		(2,694.33)	
2. आयकर वापसी	23.26		11.73	
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(3,962.66)**		**(43,520.42)**
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.10		0.16	
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	31.24		-	
3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(47.84)		(73.18)	
4. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.25)		(0.90)	
5. पूंजीकृत वित्तीय लागतें	(5.10)		(22.04)	
6. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में बिक्री/(निवेश)	431.17		249.92	
7. उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(716.17)		(872.28)	
8. एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/(निवेश)	96.53		1,582.15	
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(210.32)**		**863.83**
ग. वित्तीय संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रूपे ऋण प्रतिभूतियां (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(20,844.10)		15,499.66	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(14.76)		(2,925.00)	
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपे अवधि ऋण/डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना/(चुकौतियां)	2,164.16		26,275.47	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल)" प्राप्त करना/(चुकौतियां)	24,310.58		2,884.39	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना/(विमोचन)	-		1,999.50	
6. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम	-		558.40	
7. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम व्यय	-		(0.94)	
8. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का कूपन व्यय	(45.60)		-	
9. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,411.37)		(2,172.41)	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
10. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.02)		(0.02)	
वित्तीय संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**3,158.89**		**42,119.05**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		**(1,014.09)**		**(537.54)**
इस वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समतुल्य		1,140.49		1,678.03
इस वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		126.40		1,140.49

वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹26.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36.40 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹167.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹147.78 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
– हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.02	0.12
– बैंको में शेष	124.01	237.93
– अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	2.37	902.44
कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**126.40**	**1,140.49**

वित्तीय संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंड-एएस समायोजन	
31.03.2022 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	2,11,267.66	(20,844.10)	(859.83)	-	42.69	**1,89,606.42**
कमर्शियल पेपर	-	(14.76)	-	-	14.76	**-**
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	59,281.36	2,164.16	15.04	-	-	**61,460.56**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	52,286.40	24,310.58	44.66	(1,336.85)	(86.61)	**75,218.18**
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	-	(2.54)	-	(127.88)	**6,816.47**
कुल	**3,29,782.31**	**5,615.88**	**(802.67)**	**(1,336.85)**	**(157.04)**	**3,33,101.63**
31.03.2021 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	1,95,022.98	15,499.66	657.68	-	87.34	**2,11,267.66**
कमर्शियल पेपर	2,889.68	(2,925.00)	-	-	35.32	**-**
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	32,978.45	26,275.47	27.44	-	-	**59,281.36**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	50,629.72	2,884.39	16.81	(1,392.24)	147.73	**52,286.41**
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	1,999.50	128.90	-	(1.16)	**6,946.89**
कुल	**2,86,340.48**	**43,734.02**	**830.83**	**(1,392.24)**	**269.23**	**3,29,782.32**

**उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।*

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजय चौधरी**	**आर. एस. ढिल्लों**
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-06629871	**डीआईएन-00278074**

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	**कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
फर्म पंजी. सं. : 001135एन	**फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091**
एस. के. मित्तल	**राकेश कुमार**
भागीदार	**भागीदार**
सदस्यता सं. : 008506	**सदस्यता सं. : 087537**

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
वर्ष के आरंभ पर शेष	**1,974.92**	**1,974.92**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के समाप्ति पर शेष	**1,974.92**	**1,974.92**

विवरण के लिए टिप्पणी 25 देखें

ख लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
वर्ष के आरंभ पर शेष	**558.40**	**-**
वर्ष के दौरान प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखतों में परिवर्तन	-	558.40
वर्ष के समाप्ति पर शेष	**558.40**	**558.40**

विवरण के लिए टिप्पणी 26 देखें

ग अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				रिजर्व एवं अधिशेष				एफवीओसीआई-इक्विटी लिखतें	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी हिस्सा	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन				
31 मार्च 2020 के अनुसार शेष	**16,659.10**	**2,992.83**	**2,131.00**	**2,236.54**	**(1,719.38)**	**6,923.09**	**793.29**	**3,409.74**	**106.26**	**(226.08)**	**(204.75)**	**33,101.64**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	8,361.78	-	-	-	8,361.78
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	(10.67)	-	-	-	(10.67)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)	160.52	60.47	246.20	467.19
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,351.11**	**160.52**	**60.47**	**246.20**	**8,818.30**
अन्य समायोजन												
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	2,563.13	288.13	1,673.00	-	-	981.10	-	(5,505.36)	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(1,152.55)	-	-	-	1,945.84	(793.29)	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	242.71	(242.71)	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/(हानि)	-	-	-	-	437.65	-	-	-	-	-	-	437.65
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	708.57	-	-	-	-	-	-	708.57
प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखत पर निर्गम व्यय (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(0.70)	-	-	-	(0.70)
कुल - अन्य समायोजन	**2,563.13**	**(864.42)**	**1,673.00**	**-**	**1,146.22**	**2,926.94**	**(793.29)**	**(5,263.35)**	**(242.71)**	**-**	**-**	**1,145.52**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	(2,172.41)
कुल - स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,172.41)**	**-**	**-**	**-**	**(2,172.41)**
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष	**19,222.23**	**2,128.41**	**3,804.00**	**2,236.54**	**(573.16)**	**9,850.03**	**-**	**4,325.09**	**24.07**	**(165.61)**	**41.45**	**40,893.05**

ग **अन्य इक्विटी**

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				एफवीओसीआई-इक्विटी लिखतें	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी हिस्सा	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता				
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष	**19,222.23**	**2,128.41**	**3,804.00**	**2,236.54**	**(573.16)**	**9,850.03**	**-**	**4,325.09**	**24.07**	**(165.61)**	**41.45**	**40,893.05**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	10,045.92	-	-	-	10,045.92
परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	(6.23)	-	-	-	(6.23)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	24.74	359.82	(437.40)	(52.84)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,039.69**	**24.74**	**359.82**	**(437.40)**	**9,986.85**
अन्य समायोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	3,080.70	-	2,010.00	-	-	-	-	(5,090.70)	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/(से) अंतरण	-	(1,931.59)	-	-	-	1,931.59	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	86.79	(86.79)	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/(हानि)	-	-	-	-	(216.94)	-	-	-	-	-	-	(216.94)
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	234.81	-	-	-	-	-	-	234.81
प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखत पर कूपन भुगतान (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(34.12)	-	-	-	(34.12)
कुल - अन्य समायोजन	**3,080.70**	**(1,931.59)**	**2,010.00**	**-**	**17.87**	**1,931.59**	**-**	**(5,038.03)**	**(86.79)**	**-**	**-**	**(16.25)**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(2,411.37)	-	-	-	(2,411.37)
कुल - स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,411.37)**	**-**	**-**	**-**	**(2,411.37)**
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	**22,302.93**	**196.82**	**5,814.00**	**2,236.54**	**(555.29)**	**11,781.62**	**-**	**6,915.38**	**(37.98)**	**194.21**	**(395.95)**	**48,452.28**

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए टिप्पणी संख्या 27.1 देखें

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां 1 से 67

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

एस.के. मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 008506

कृते ओ.पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 मई, 2022

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00278074

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई–4, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर के राज्यों में में फैले हुए हैं, मुख्यतः राज्यों की राजधानियों में हैं तथा एक प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण (नॉन–डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक अग्रणी अवसंरचना वित्तीय कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज–युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को 13 मई 2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

वित्तीय विवरणों में कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को छोड़कर को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर सहित, यदि कोई है, विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर सहित, यदि कोई है, अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर सहित, यदि कोई है, अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूलियों को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं, के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और शीर्ष ब्याज के तहत अलग से प्रकट किया जाता है।

क्रेडिट–इंपेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, दवाबग्रस्त संपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व–भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें कंपनी निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियां अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियां वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त अवधि लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड अर्जन की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा अंतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन–देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि–अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा अंतरित) पर मापा जाता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

<u>भूमि</u>

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है।

भूमि में पूर्व में वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टा समझौते के तहत उपयोग के अधिकार के रूप में मानी जाने वाली भूमि भी शामिल हैं, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधन होता है।

<u>अन्य मूर्त परिसंपत्ति</u>

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी व बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास ₹5,000/– तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन

राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। कारोबार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

उत्तरवर्ती मापन प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.8 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.9 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन–देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। कारोबार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जिसका मूल्यह्रास नहीं हुआ है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.10 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखतें एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी दस्तावेज को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी, वित्तीय दस्तावेज के संविदात्मक उपबंधों के लिए

एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर मे निवेश (भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुरूप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी लिखत हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग दस्तावेज के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर–व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड–अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर–वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग–अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध कारोबार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, बशर्ते प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं हो।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् कंपनी के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है)। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्य कृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी मेजबान अनुबंध जो एक वित्तीय देयता की प्रकृति में हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्न से अलग हैं उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

– हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है।

– ऋण जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हैज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए मद की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग लिखत बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए मद की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.11 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

यह कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के रूप में क्रेडिट के लिए एक 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण – 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।

- चरण – 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- चरण – 3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण–1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण–2 के लिए जीवनपर्यंत ईसीएल और चरण–3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या लिखत के शेष जीवनपर्यंत (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो बशर्ते डिफॉल्ट होता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं जीवनपर्यंत पीडी, ईएडी और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी 12–महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा जीवनपर्यंत क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन–पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। कंपनी मानता है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन–पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब कंपनी ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश के अनुसार निर्देशित किया गया हो।

3.12 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.13 इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को लाभांश और अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब कंपनी द्वारा ऐसे भुगतानों के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.14 महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है तो, प्रारंभिक अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.15 पूर्व प्रदत्त व्यय

₹1,00,000/– तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.16 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से जुड़े अस्थायी अंतर पर आस्थागित कर प्रदान नहीं किया जाता है यदि इन अस्थायी अंतरो के उत्क्रमण को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि निकट भवष्यि में उत्क्रमण नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.17 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। कंपनी पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति कंपनी के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन–पत्र की तारीख के उपरांत एक–वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी–रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार

पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों, से छूट दी जाती है जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए कंपनी को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.19 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय लिखतों, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- चरण 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- चरण 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- चरण 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.20 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.21 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देयताओं को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिजर्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ–साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.22 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. नए/संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड–एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता – आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट–प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव - कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड–19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की चिंताओं का पुर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव कोविड–19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड–19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन–वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव–दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों दस्तावेजों की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी बाजार–अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार–अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना।
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.02	0.12
- बैंको में शेष राशि		
– चालू खातों में	124.01	237.93
– 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	2.37	902.44
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	**126.40**	**1,140.49**

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बैंको में चिन्हित शेष		
अप्रदत्त लाभांश के लिए	6.39	5.79
अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	771.18	1,065.84
चिन्हित आवधिक जमा राशि		
न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.59	0.56
बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.27	0.25
आवधिक जमा राशि – डिबेंचर विमोचन रिजर्व	225.33	-
54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के आवंटन के प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	1,291.54	856.62
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**2,295.30**	**1,929.06**
12 वर्षों से अधिक के लिए बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.27	0.25

7.1 31 मार्च 2022 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं बैंकों में शेष के संबंध में (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए व्युत्पन्न में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 48 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा व्युत्पन्न**						
	– मुद्रा विनिमय	2,850.13	1.39	48.37	2,854.54	43.07	121.08
	– अन्य						
	– कॉल स्प्रेड	1,895.18	76.73	-	4,263.27	271.36	-
	– सीगुल विकल्प	54,727.54	4,868.28	-	20,482.08	1,657.19	43.25
	उप-जोड़ (i)	**59,472.85**	**4,946.40**	**48.37**	**27,599.89**	**1,971.62**	**164.33**
(ii)	**ब्याज दर व्युत्पन्न**						
	– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	33,239.41	563.77	173.52	25,035.68	339.60	403.65
	उप-जोड़ (ii)	**33,239.41**	**563.77**	**173.52**	**25,035.68**	**339.60**	**403.65**
(iii)	**अन्य व्युत्पन्न**						
	– रिवर्स क्रॉस मुद्रा विनिमय	4,747.00	-	331.25	4,547.00	-	278.33
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii+iii)	**97,459.26**	**5,510.17**	**553.14**	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

भाग II

भाग– I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**उचित मूल्य हेजिंग**						
	–ब्याज दर व्युत्पन्न						
	–अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	11,850.70	19.76	112.00	-	-	-
(ii)	**नकदी प्रवाह हेजिंग**						
	–मुद्रा व्युत्पन्न						
	–मुद्रा विनिमय	2,842.77	-	48.37	2,756.43	23.86	121.08
	–अन्य						
	–कॉल स्प्रेड	1,895.18	76.73	-	1,837.62	77.74	-
	सीगुल विकल्प	54,727.54	4,868.28	-	20,482.08	1,657.19	43.25
	–ब्याज दर व्युत्पन्न						
	–अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	13,313.21	115.10	45.27	13,055.84	-	318.18
	उप - जोड़ (ii)	**72,778.70**	**5,060.11**	**93.64**	**38,131.97**	**1,758.79**	**482.51**
(iii)	गैर– नामोदिष्ट व्युत्पन्न	12,829.86	430.30	347.50	19,050.60	552.43	363.80
	कुल - व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii+iii)	**97,459.26**	**5,510.17**	**553.14**	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य हेजेज के मामले में, हेजिंग लिखतों के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ–साथ हेजेज की गई वस्तुओं की अग्रणीत राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर–नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

9 ऋण

कंपनी ने भारतीय– लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**				
(i)	आवधिक ऋण	3,83,310.40	3,84,566.08	3,77,041.98	3,78,090.36
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	2,060.86	2,069.12	376.17	377.24
	कुल (क)- सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
	कुल (क)- निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ख)	**प्रतिभूति विवरण**				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,23,793.64	2,24,420.98	2,56,744.52	2,57,329.46
(ii)	बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	1,30,973.50	1,31,510.35	1,01,071.53	1,01,456.48
(iii)	अप्रतिभूत	30,604.12	30,703.87	19,602.10	19,681.67
	कुल(ख) - सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
	कुल(ख) - निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ग) (I)	**भारत में ऋण**				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	3,50,455.72	3,51,732.04	3,38,810.31	3,39,877.44
(ii)	निजी क्षेत्र	34,915.54	34,903.16	38,607.84	38,590.16
	कुल (ग) (I) - सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
	कुल (ग) (I)- निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ग)(II)	**भारत से बाहर ऋण**	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-		-
	कुल (ग) (II) - निवल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.1 भारतीय–लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
निवल ऋण	**3,71,930.54**	**3,65,261.49**
घटाएं : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(423.59)	(504.10)
घटाएं : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(957.96)	(635.00)
जोड़ें : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	14,704.66	13,206.11
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	117.61	89.65
सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,77,418.15**

9.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**13,206.11**	**11,996.04**
जोड़ें : वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 36 के संदर्भ में)*	3,422.56	2,362.62
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(1,924.01)	(1,152.55)
अंतिम शेष	**14,704.66**	**13,206.11**

**चरण 1 और 2 ऋण परिसंपत्तियों पर सृजित इंपयरमेंट हानि भत्ता शामिल है जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 से 0.40% के न्यूनतम चरण तक बढ़ाया गया है।*

9.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकबारगी समाधान (ओटीएस)/पुनर्संरचना के तहत समाधान के संदर्भ में, कंपनी ने ₹1,924.01 करोड़ (विगत वर्ष ₹1,152.55 करोड़) के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 13 मई 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹14.79 करोड़ (₹1.30 करोड़ का नकद और ₹13.49 करोड़ का सावधि ऋण) की वसूलियों के विनियोजन के पश्चात् ₹39.45 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) लैंको बाबंध पावर लिमिटेड के संबंध में 30 दिसंबर 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत तरलता आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने ₹40.39 करोड़ की नकद वसूली के विनियोजन के पश्चात् ₹1,160.16 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) एस्सार पावर (एमपी) लिमिटेड (ईपीएमपीएल) के संबंध में 16 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹620.60 करोड़ (₹148.94 करोड़ का नकद और ₹471.66 करोड़ का सावधि ऋण) की वसूली के विनियोजन के पश्चात् ₹724.40 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(घ) अमृत जल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 23 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹4.63 करोड़ की नकद वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹4.35 करोड़ के पूरे बकाया ऋण और ₹0.28 करोड़ रुपये के अतिदेय ब्याज की वसूली की है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून, 2020 को निष्पादित पुनर्संरचना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹979.56 करोड़ (₹830.00 करोड़ का सावधि ऋण और ₹149.56 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर) की वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹65.25 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹329.12 करोड़ (₹102.27 करोड़ के नकद ₹199.72 करोड़ के गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि) की वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹181.86 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर, 2020 को निष्पादित पुनर्संरचना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 1,396.55 करोड़ (₹ 1,396.55 करोड़ का सावधि ऋण और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य) की वसूलियों के विनियोजन के पश्चात् ₹ 905.44 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

पुनर्संरचना/समाधान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (टिप्पणी संख्या 10 देखें)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण बही		3,85,371.26		3,77,418.15
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	93%	3,56,923.45	92%	3,48,293.80
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है *जिसमें से,*	7%	28,447.81	8%	29,124.35
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	45%	12,813.68	71%	20,597.00
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण	33%	9,295.96	10%	2,848.13
अप्रतिभूति ऋण	22%	6,338.17	19%	5,679.22

9.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित पक्षकार को ऋण देगा या में निवेश करेगा, किसी भी निधि का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है। कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्तीय पोषक पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या इनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

10 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
31 मार्च, 2022 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,374.51	-	-	-	1,374.51	-	1,374.51
ऋण प्रतिभूतियां	333.03	-	132.55	-	465.58	-	465.58
इक्विटी लिखतें	-	268.26	49.52		317.78	0.10	317.88
वरीयता शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-		-	-	-
जोड़ - सकल (क)	**1,736.26**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,186.59**	**0.10**	**2,186.69**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
जोड़ - सकल (ख)	**1,736.26**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,186.59**	**0.10**	**2,186.69**
कुल निवेश	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
जोड़ - निवल (घ=क-ग)	**1,707.54**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,157.87**	**0.10**	**2,157.97**
31 मार्च, 2021 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	649.08	-	649.08
ऋण प्रतिभूतियां	376.62	-	143.06	-	519.68	-	519.68
इक्विटी लिखतें	-	430.13	23.60		453.73	218.20	671.93
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	69.08	-	69.08
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (क)	**1,051.79**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,691.57**	**218.20**	**1,909.77**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
जोड़ - सकल (ख)	**1,051.79**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,691.57**	**218.20**	**1,909.77**
जोड़ निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ=क-ग)	**1,051.79**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,691.57**	**218.20**	**1,909.77**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.1 निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		पर मापे गए निवेश	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क)	**सरकारी प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)***	**परिशोधित लागत**	**13,39,32,800**	**1,374.51**	**6,25,00,000**	**649.08**
	ऋण प्रतिभूतियां					
(i)	ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)*	परिशोधित लागत	2,150	226.82	2,150	227.52
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस के अलावा)					
	– 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	17,85,43,530	92.03	22,85,25,079	99.33
	– 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	7,86,06,161	40.52	10,06,12,911	43.73
	– वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,86,35,162	-	1,86,35,162	-
	– फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	परिशोधित लागत	2,54,95,144	106.21	2,52,91,783	149.10
	– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला ए**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170	-	21,38,03,170	-
	– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला बी**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032	-	63,03,032	-
	– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला एआई**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-
(ख)	**उप-जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां** (i+ii)			**465.58**		**519.68**
	इक्विटी दस्तावेज					
	– एनएचपीसी लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,88,43,184	52.38	17,53,02,206	428.61
	– हुडको लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	3,47,429	1.14	3,47,429	1.52
	– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	214.74	-	-
	– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
	– रतन इंडिया पावर लिमिटेड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	49.52	9,25,68,105	23.60
	– आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
(ग)	**उप-जोड़ - इक्विटी दस्तावेज**			**317.78**		**453.73**
	अनुषंगी कंपनियां (टिप्पणी 10.2 देखें)					
	– आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	अन्य (लागत पर)	85,500	0.10	85,500	0.10
(घ)	**उप-जोड़- अनुषंगी कंपनियां**			**0.10**		**0.10**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 10.2 देखें)					
–एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	अन्य (लागत पर)	-	-	21,81,00,000	218.10
उप-जोड़ -संयुक्त उद्यम			-		**218.10**
वरीयता शेयर (पीएस)					
–रतन इंडिया पावर लि. के विमोचन योग्य पीएस	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	26.09
–रतन इंडिया पावर लि. के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616	-	4,33,03,616	42.99
(च) **उप-जोड़ वरीयता शेयर**			**28.72**		**69.08**
अन्य					
– "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट्स	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	61,52,200	-
(छ) **उप-जोड़ - अन्य**			-		-
कुल निवेश (ज = क से छ)			**2,186.69**		**1,909.77**
घटाएँ : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (झ)			(28.72)		-
जोड़ - निवल (ट = ज - झ)			**2,157.97**		**1,909.77**

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 52.1 देखें
** दिनांक 4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां(एचक्यूएलए) को बनाए रखा गया है*
***दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के खिलाफ प्राप्त किया गया*

10.2 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कारोबार का प्रमुख स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31.03.2022	31.03.2021
अनुषंगी कंपनियां:			
आरईसी पावर डेवलपमेंट एवं कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	भारत	100.00%	100.00%
संयुक्त उद्यम*:			
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईसीएल)	भारत	-	22.18%

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एएस 27 'पृथक वित्तीय विवरणों' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापित किया गया है।

* वर्ष के दौरान, इंड–एएस फ्रेमवर्क के तहत 01 सितंबर, 2021 से प्रभावी संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईईएसएल के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, ईईएसएल कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रही।

10.3 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**-**	**-**
जोड़ें: वर्ष के दौरान विमोचन के लिए प्रतिदेय रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल पीएस के संबंध में प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 36 देखें)	28.72	-
घटाएँ: ऋणों के राइट्स ऑफ की ओर से उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	**28.72**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.4 दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) **वर्तमान वर्ष के दौरान:**

कंपनी को दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कोई लिखते प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) **पिछले वर्ष के दौरान:**

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला–सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेसर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित एकमुश्त निपटान व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

10.5 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड*	15,64,59,022	430.62	89.86			
स्माल इज ब्युटीफुल**	61,52,200	0.55	(5.60)			
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमटेड	-	-	-	1,22,71,211	249.92	248.69

**वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड के 15,64,59,022 इक्विटी शेयरों को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹430.62 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।*

***वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' वेंचर कैपिटल फंड की 61,52,200 इकाइयों की मान्यता रद्द कर दी है, जो फंड के तरलता पर पूर्ण और अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ₹0.55 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹5.60 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है*

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) **कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी संख्या 11.1 के संदर्भ में)**	41.95	39.94
(ख) **कार्मिकों को अग्रिम**	0.24	0.41
(ग) **अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम**	5.26	4.16
(घ) **प्रतिभूति जमा राशि**	1.64	1.23
(ङ) **भारत सरकार से वसूली योग्य**		
– भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी संख्या 21.5 के संदर्भ में)	24,318.29	24,314.48
(च) **अन्य वसूली योग्य राशि**	120.24	127.03
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी संख्या 11.2 के संदर्भ में)	(90.68)	(88.04)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	**29.56**	**38.99**
कुल (क से च)	**24,396.94**	**24,399.21**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत विनिर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान कार्यक्रम के साथ कर्मचारियों के ऋण को बढ़ा दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**प्रतिभूत ऋण**		
	–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	12.64	7.39
	उप - जोड़ (क)	**12.64**	**7.39**
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**		
	–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.18	0.28
	– अन्य को	29.13	32.27
	उप - जोड़ (ख)	**29.31**	**32.55**
	जोड़ (क +ख)	**41.95**	**39.94**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.16 करोड़) है, शामिल है।

11.2 अन्य वसूली योग्य राशियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	88.04	30.85
जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजित	10.23	59.29
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया/समायोजित किया गया	(7.59)	(2.10)
अंतिम शेष	**90.68**	**88.04**

12 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	3,284.80	227.47
आय कर हेतु प्रावधान	(3,110.11)	(72.35)
उप-जोड़	**174.69**	**155.12**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.20	5.20
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप-जोड़	**4.95**	**4.95**
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**179.64**	**160.07**

13 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,134.74	2,437.71

13.1 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,743.25	714.65			3,457.90
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.53	1.81			6.34
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.26	0.15			5.41
निवेशों का उचित मूल्यांकन	3.57	2.29	2.55		8.41
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	27.81	11.16	26.09		65.07
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,784.42**	**730.06**	**28.64**	**-**	**3,543.13**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विभिन्न कर आधार में देय	2.12	10.81			12.93
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	153.26	(2.21)			151.05
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	191.33	24.90			216.24
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	-	28.17			28.17
अन्य	-	-			-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**346.71**	**61.67**	**-**	**-**	**408.39**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,437.71**	**668.39**	**28.64**	**-**	**3,134.74**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,275.92	467.33			2,743.25
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.01	0.52			4.53
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)			5.26
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)		3.57
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)		27.81
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,735.09**	**158.48**	**(109.15)**	**-**	**2,784.42**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विभिन्न कर आधार में देय	1.80	0.32			2.12
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	448.95	(295.69)			153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)			191.33
अन्य	12.57	(12.57)			-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**700.77**	**(354.07)**	**-**	**-**	**346.71**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,034.32**	**512.55**	**(109.15)**	**-**	**2,437.71**

14 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	अंतिम शेष
31 मार्च 2022 के अनुसार	0.01	-	0.01	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	0.01	-	-	0.01

14.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान उसी की बिक्री की गई है।

14.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
धारित मूल्य	-	0.01
उचित मूल्य	-	0.90

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल–3 में शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर				
	फ्रीहोल्ड भूमि	राइट- ऑफ-यूज लैंड	भवन	प्लांट एवं उपस्कर	फर्नीचर और फिक्सचर्स
सकल धारित मूल्य					
31.03.2020 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**-**	**11.62**
परिवर्धन	-	-	98.66	-	9.65
पूंजीगत लागत उधारियां					
निपटान	-	-	-	-	0.72
31.03.2021 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**130.40**	**-**	**20.55**
परिवर्धन	-	-	303.73	19.90	47.55
पूंजीगत लागत उधारियां					
निपटान / समायोजन	-	-	3.30	-	0.69
31.03.2022 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**430.83**	**19.90**	**67.41**
संचित अवमूल्यन / परिशोधन					
31.03.2020 के अनुसार	**-**	**0.32**	**9.06**	**-**	**6.66**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	-	0.94
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.20
31.03.2021 के अनुसार	**-**	**0.35**	**9.81**	**-**	**7.40**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	4.96	0.95	3.65
निपटान के लिए समायोजन	-	-	1.26	-	0.41
31.03.2022 के अनुसार	**-**	**0.37**	**13.51**	**0.95**	**10.64**
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.24**	**120.59**	**-**	**13.15**
31.03.2022 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.22**	**417.32**	**18.95**	**56.77**

पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	
ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
20.25	**19.97**	**0.40**	**195.96**	**287.62**	**0.77**	**13.62**
4.71	5.10	-	118.12	131.70	-	0.02
				22.04		
3.28	7.97	-	11.97	105.69	-	-
21.68	**17.10**	**0.40**	**302.11**	**335.67**	**0.77**	**13.64**
3.30	7.14	-	381.62	32.35	-	1.02
			-	5.10		
0.92	0.86	-	5.77	367.05	0.77	-
24.06	**23.38**	**0.40**	**677.96**	**6.07**	**-**	**14.66**
14.38	**12.22**	**0.32**	**42.96**	**-**	**-**	**4.82**
2.69	2.38	0.02	6.81	-	-	2.72
2.60	4.98	-	7.78	-	-	-
14.47	**9.62**	**0.34**	**41.99**	**-**	**-**	**7.54**
3.05	2.43	0.03	15.09	-	-	2.87
0.71	0.41	-	2.79	-	-	-
16.81	**11.64**	**0.37**	**54.29**	**-**	**-**	**10.41**
7.21	**7.48**	**0.06**	**260.12**	**335.67**	**0.77**	**6.10**
7.25	**11.74**	**0.03**	**623.67**	**6.07**	**-**	**4.25**

15.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में टाइटल डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) 31 मार्च, 2022 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	आयोजित टाइटल डीड का नाम	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम का आयोजन नहीं होने का कारण
भवन – कार्यालय कोर 4 में, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003	4.59	2.01	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2021 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	आयोजित टाइटल डीड का नाम	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम का आयोजन नहीं होने का कारण
भवन – कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में	4.59	2.07	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.2 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.30
निवल धारित मूल्य	2.27	2.31

15.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	6.07	-	-	-	6.07	153.75	90.67	69.71	21.54	335.67

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

(ख) सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	पूरा किया जाना है				जोड़	पूरा किया जाना है				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
–गुरुग्राम में आरईसी वैश्विक मुख्यालय	6.07	-	-	-	6.07	329.60	6.07	-	-	335.67

15.4 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

विकास एजिंग कार्यक्रम के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.65	0.77

रिपोर्टिंग वर्ष के अनुसार विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है या जो अपनी मूल योजना की तुलना में लागत से अधिक हो गई है या जहां पूर्णता अतिदेय है।

15.5 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई घटनाएं अथवा कोई परिवर्तन नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 'परिसंपत्तियों की क्षति' के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.5 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए 7.94% (पिछले वर्ष 8%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है।

15.6 भारतीय लेखांकन मानक 38 *"अमूर्त परिसंपत्तियां"* के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20% (परिसंपत्ति की कुल लागत ₹5,000 या उससे कम होने की स्थिति में 100%)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16 अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		
(क)	पूंजीगत अग्रिम	8.19	8.84
(ख)	अन्य अग्रिम	2.88	3.34
(ग)	सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	20.35	47.47
(घ)	पूर्व–व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	0.40	3.45
(ङ)	पूर्वप्रदत्त व्यय	3.11	4.29
(च)	आस्थगित कार्मिक लागत	11.11	14.09
(छ)	अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.02
	जोड़ (क से छ)	**46.06**	**81.50**

17 बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बिक्री–भवन के लिए धारित वर्गीकृत संपत्ति	0.86	-
जोड़	**0.86**	**-**

17.1 "अपनी निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान कंपनी ने ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से, इंड–एएस 105 के तहत यथा–अपेक्षित "बिक्री के धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तिया" के तहत वर्गीकृत ₹1.18 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के मूल्य वाली कुछ आवासीय भवन इकाईयों का निपटान किया है। ऐसी बिक्री के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान ₹30.19 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का लाभ हुआ है (टिप्पणी 31 देखें)। इसके अतिरिक्त, "बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां" के तहत वर्गीकृत ₹0.86 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के मूल्य वाली आवासीय भवन इकाईयां 31 मार्च 2022 तक निपटान के लिए लंबित हैं। उनके निपटान की प्रक्रिया वर्ष 2022–23 के दौरान ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूरा होने की उम्मीद है।"

18 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,065.31	3,470.00	3,679.52
(ii)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	24,146.13	25,025.49	17,264.97	17,901.65
(iii)	कर मुक्त बॉण्ड	11,808.74	12,205.52	12,648.41	13,090.89
(iv)	बॉण्ड आवेदन राशि	1,291.54	1,291.13	856.62	854.71
	उप - जोड़ (क)	**39,201.41**	**40,587.45**	**34,240.00**	**35,526.77**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	1,44,086.60	1,49,010.97	1,69,868.60	1,75,719.53
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	3.96	8.00	11.07	21.36
(iii)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	30,322.85	30,027.15	26,461.71	26,060.40
	उप - जोड़ (ख)	**1,74,413.41**	**1,79,046.12**	**1,96,341.38**	**2,01,801.29**
	कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख)	**2,13,614.82**	**2,19,633.57**	**2,30,581.38**	**2,37,328.06**
	भारत में/से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,83,291.97	1,89,606.42	2,04,119.67	2,11,267.66
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	30,322.85	30,027.15	26,461.71	26,060.40
	जोड़- ऋण प्रतिभूतियां	**2,13,614.82**	**2,19,633.57**	**2,30,581.38**	**2,37,328.06**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 20.2 देखें

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण - *प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 19.5 का संदर्भ लें*

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	-	-	1,515.00	1,615.61
123-III बी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,065.31	1,955.00	2,063.91
जोड़-संस्थागत बॉण्ड	**1,955.00**	**2,065.31**	**3,470.00**	**3,679.52**

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,937.05	6,651.77	6,935.40
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,417.26	6,157.72	6,415.55
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,510.93	4,455.48	4,550.70
श्रृंखला XV (2020-21) 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विमोचनीय	6,024.57	6,160.25	-	-
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**24,146.13**	**25,025.49**	**17,264.97**	**17,901.65**

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2011-12	2,160.33	2,287.99	3,000.00	3,176.71
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए एंव 2बी	500.00	512.60	500.00	531.26
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	2,017.35	2,065.32	2,017.35	2,041.10
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	134.06	131.06	138.66
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,413.35	1,350.00	1,358.55
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,440.60	3,528.73	3,440.60	3,530.70
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोचनीय हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	155.48	150.00	161.92
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,059.40	1,086.83	1,059.40	1,131.05
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोचनीय हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	300.00	306.33	300.00	317.75
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	700.00	714.82	700.00	703.19
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय हैं।				
जोड़ - कर मुक्त बॉण्ड	**11,808.74**	**12,205.52**	**12,648.41**	**13,090.89**

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,291.54	1,291.13	856.62	854.71
5% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	**1,291.54**	**1,291.13**	**856.62**	**854.71**

18.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
157 वीं श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	-	-	1,055.00	1,131.66
154 वीं श्रृंखला - 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	-	-	600.00	637.16
161 वीं श्रृंखला - 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	-	-	800.00	849.11
174 वीं श्रृंखला - 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	-	-	2,720.00	2,894.23
100 वीं श्रृंखला - 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	-	-	1,500.00	1,602.90
101 वीं -III श्रृंखला - 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	-	-	3,171.80	3,364.42
184 वीं बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-बी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.58
139 वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,575.17

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
105 वीं श्रृंखला - 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	-	-	3,922.20	4,069.73
127 वीं श्रृंखला - 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,550.00	1,664.92
141 वीं श्रृंखला - 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,020.00	1,038.03
177 वीं श्रृंखला - 8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,245.00	1,274.16
190 वीं बी श्रृंखला - 6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	-	-	2,489.40	2,502.64
193 वीं श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,115.00	1,121.46
165 वीं श्रृंखला - 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	-	-	2,171.00	2,207.16
145 वीं श्रृंखला - 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	-	-	625.00	628.85
132 वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	-	-	700.00	750.81
173 वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,509.41
198 वीं ए श्रृंखला - 6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	-	-	2,596.00	2,600.39
167 वीं श्रृंखला - 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	-	-	2,571.80	2,577.65
179 वीं श्रृंखला - 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.84	1,000.00	1,065.70
107 वीं श्रृंखला - 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.82	2,378.20	2,554.56
186 वीं ए श्रृंखला - 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.90	2,500.00	2,629.63
150 वीं श्रृंखला - 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.76	2,670.00	2,775.38
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.59	300.00	311.56
152 वीं श्रृंखला - 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.38	1,225.00	1,264.18
111 वीं-II श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.72	2,211.20	2,283.50
155 वीं श्रृंखला - 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,959.41	1,912.00	1,958.74
185 वीं श्रृंखला - 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,769.00	2,827.36	2,769.00	2,826.46
187 वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.51	2,090.00	2,127.24
159 वीं श्रृंखला - 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.53	950.00	957.57
188 वीं ए श्रृंखला - 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.22	1,400.00	1,400.17
114 वीं श्रृंखला - 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,667.36	4,300.00	4,666.94
195 वीं श्रृंखला - 6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.43	2,985.00	3,179.21
191 वीं ए श्रृंखला - 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.39	1,100.00	1,106.06
200 वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी - 5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	546.01	500.00	518.94
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	300.00	311.57	300.00	311.54
202 वीं बी श्रृंखला - 5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,544.12	2,474.00	2,556.56
205 वीं-ए श्रृंखला - 4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,151.79	2,135.00	2,157.04
209 वीं श्रृंखला - 5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.38	1,550.00	1,552.62
210 वीं श्रृंखला - 5.74% सममूल्य पर दिनांक 20.06.2024 को विमोचनीय	4,000.00	4,215.56	-	-
180 वीं ए श्रृंखला - 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,075.09	1,018.00	1,072.68
191 वीं बी श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.48	1,100.00	1,106.18
212 वीं श्रृंखला - फ्लोटिंग (टी–बिल से जुड़ी) सममूल्य पर दिनांक 31.10.2024 को विमोचनीय	2,500.00	2,538.84	-	-
186 वीं बी श्रृंखला - 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.91	1,500.00	1,537.78
128 वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.88	2,250.00	2,418.67
129 वीं श्रृंखला - 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.71	1,925.00	2,063.52
130वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.36	2,325.00	2,493.14
131 वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.25	2,285.00	2,304.22
190 वीं ए श्रृंखला - 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,514.48	2,500.00	2,513.83
201 वीं ए श्रृंखला - 5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.39	900.00	935.50

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
133 वीं श्रृंखला - 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.50	2,396.00	2,453.28
94 वीं श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.00
95 वीं-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.49
136 वीं श्रृंखला - 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,670.75	2,585.00	2,671.10
203 वीं बी श्रृंखला - 5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,821.01	2,777.00	2,844.16
204 वीं बी श्रृंखला - 5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,111.47	2,082.00	2,116.78
205 वीं-बी श्रृंखला - 5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,018.82	2,000.00	2,024.68
211 वीं-श्रृंखला - 6.23% सममूल्य पर दिनांक 31.10.2031 को विमोचनीय पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग किया जा सकता है	1,200.00	1,232.57	-	-
140 वीं श्रृंखला - 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,152.19	2,100.00	2,151.65
142 वीं श्रृंखला - 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,066.06	3,000.00	3,055.87
147 वीं श्रृंखला - 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,750.60	2,745.00	2,745.44
156 वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.30	3,533.00	3,612.72
162 वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.39	2,500.00	2,637.36
163 वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.01	2,500.00	2,627.99
168 वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,625.69	2,552.40	2,624.45
169 वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,620.97	2,554.00	2,621.52
176 वीं- श्रृंखला- 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.73	1,600.70	1,735.65
178 वीं- श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,169.96	1,097.00	1,168.79
180 वीं-बी श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,169.56	2,070.90	2,166.39
184 वीं-ए श्रृंखला- 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	870.60	907.18	580.40	604.76
192 वीं श्रृंखला- 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,396.36	2,382.00	2,395.75
188 वीं बी श्रृंखला- 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.09	1,100.00	1,100.08
189 वीं श्रृंखला- 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.91	3,054.90	3,054.85
197 वीं श्रृंखला- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.89	3,740.00	3,989.76
198 वीं बी श्रृंखला- 7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.76	1,569.00	1,673.70
202 वीं ए श्रृंखला- 7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,627.03	3,500.00	3,649.96
203 वीं ए श्रृंखला- 6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,094.06	5,000.00	5,142.50
204 वीं ए श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.79	2,500.00	2,527.31
201वीं बी श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,359.79	1,300.00	1,360.02
213 वीं श्रृंखला- 6.92% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2032 को विमोचनीय	1,380.00	1,382.86	-	-
182 वीं श्रृंखला- 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.67	5,063.00	5,314.66
183 वीं श्रृंखला- 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.24	3,028.00	3,163.23
207 वीं श्रृंखला- 7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,641.75	4,589.90	4,644.40
208 वीं श्रृंखला- 7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,625.48	3,613.80	3,627.67
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**1,44,086.60**	**1,49,010.97**	**1,69,868.60**	**1,75,719.53**

** पीपी–एमएलडी–प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स*

*** एसटीआरपीपी–अलग से हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग*

(ii) अवसंरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	8.00	11.07	21.36
जोड़ : अवसरंचना बॉण्ड	**3.96**	**8.00**	**11.07**	**21.36**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	-	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	-	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	**3.96**	**11.07**	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,790.36	3,848.85	3,675.24	3,726.60
5.250% यूएस $700 मिलियन बाण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,306.50	5,387.23	5,145.33	5,209.90
3.375% यूएस $650 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,927.46	4,941.02	4,777.81	4,784.36
3.50% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,790.36	3,822.14	3,675.24	3,703.43
2.25% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,790.36	3,785.82	3,675.24	3,672.19
2.75% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.01.2027 को विमोचनीय	3,032.28	3,045.13	-	-
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,411.32	3,102.47	3,307.71	2,956.72
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,274.21	2,094.49	2,205.14	2,007.20
जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**30,322.85**	**30,027.15**	**26,461.71**	**26,060.40**

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स–एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	**यूएसडी 0.4 बिलियन**	**यूएसडी 1 बिलियन**
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4.4 बिलियन	यूएसडी 4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 4.0 बिलियन	यूएसडी 3.6 बिलियन

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग सर्कुलर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तारीख को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) बैंकों से आवधिक ऋण	42,878.32	42,919.86	29,938.58	29,953.76
(ii) वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,800.00	6,800.00	5,800.00	5,800.00
(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ	35,634.60	35,329.87	21,024.72	20,890.94
(iv) भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
(v) पट्टा देयताएं	0.03	0.03	0.05	0.05
उप-जोड़ (क)	**95,312.95**	**95,374.88**	**66,763.35**	**66,969.87**
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	9,854.92	9,861.13	5,329.10	5,335.01
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	1,410.93	1,415.58	10,186.52	10,201.99
(iii) धारक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	-	-	3,000.00	3,000.49
उप-जोड़ (ख)	**11,265.85**	**11,276.71**	**18,515.62**	**18,537.49**
कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	**1,06,578.80**	**1,06,651.59**	**85,278.97**	**85,507.36**
भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i) भारत में उधारियाँ	70,944.20	71,321.72	64,254.25	64,616.42
(ii) भारत से बाहर उधारियाँ	35,634.60	35,329.87	21,024.72	20,890.94
जोड़ - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	**1,06,578.80**	**1,06,651.59**	**85,278.97**	**85,507.36**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 20.2 देखें

19.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- केनरा बैंक 05.07.2021 को ₹ 500 करोड़ का पुनर्भुगतान 03.01.2022 को ₹ 500 करोड़ का पुनर्भुगतान	-	-	1,000.00	1,000.00
-बैंक ऑफ बड़ौदा 29.10.2021 को ₹ 2000 करोड़ का पुनर्भुगतान	-	-	2,000.00	2,000.36
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7 अर्ध–वार्षिक किश्तों में ₹ 4,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है; 3 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,379.46 करोड़ प्रतिदेय, अगली किश्त 05.09.2022 को देय है एवं ₹ 2,349.86 करोड़ के साथ ₹ 1650 करोड़ 15.10.2022 को प्रतिदेय एवं 05.03.2023 को ₹ 699.86 करोड़, और ₹ 4,000 करोड़ संरचित किश्त प्रतिदेय है, पहली किस्त 29.10.2023 को प्रतिदेय	12,729.30	12,729.30	10,839.90	10,839.90
- एचडीएफसी 30.09.2022 को ₹ 650 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.12.2022 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय, 15.06.2023 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय, 19.06.2023 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 30.09.2023 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय एवं 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 17.11.2026 को ₹ 850 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2027 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय	12,000.00	12,040.15	4,650.00	4,664.47

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- पंजाब नेशनल बैंक 3 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,996.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है, ₹ 2,000 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,000 करोड़ को प्रतिदेय, पहली किश्त 29.03.2028 को देय है	4,996.98	4,996.98	4,396.84	4,396.84
-आईसीआईसीआई बैंक 9 वार्षिक किश्तों में ₹ 2,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 28.09.2023 को देय है, 17 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹ 850 करोड़ को प्रतिदेय, पहली किश्त 09.12.2023 को देय है	2,850.00	2,850.48	-	-
- ड्यूश बैंक 18.12.2023 को ₹ 500 करोड़ का प्रतिदेय, 21.05.2024 को ₹ 500 करोड़ का प्रतिदेय	1,000.00	1,000.15	500.00	500.08
- जेपी मार्गन चेस बैंक 26.03.2024 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
-बैंक ऑफ इंडिया 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 749.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.09.2024 को देय है।	749.87	750.00	-	-
- एचएसबीसी 19.05.2025 को ₹ 565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹ 187.49 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 900 करोड़ प्रतिदेय, 06.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 09.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2030 को ₹ 85 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.03.2030 को ₹ 665 करोड़ प्रतिदेय	3,402.49	3,403.03	1,652.50	1,652.77
-सेंट्रल बैंक 7 वार्षिक किश्तों में ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 28.02.2026 को देय है।	500.00	500.00	-	-
-जम्मू एवं कश्मीर बैंक 28.10.2026 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय।	300.00	300.05	-	-
-करूर वैश्य बैंक 29.10.2026 को ₹ 250 करोड़ प्रतिदेय।	250.00	250.04	-	-
-साऊथ इंडियन बैंक 08.11.2026 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय।	300.00	300.00	-	-
- मिजुहो बैंक 21.01.2027 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय।	300.00	300.00	-	-
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,999.68 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 31.03.2027 को देय है।	1,999.68	1,999.68	3,399.34	3,399.34
जोड़ - बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**42,878.32**	**42,919.86**	**29,938.58**	**29,953.76**

(ii) अन्य-वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) 03.06.2022 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 23.06.2023 को ₹ 800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय, 14.03.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय, 27.03.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 09.08.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय	6,800.00	6,800.00	5,800.00	5,800.00
जोड़ - अन्य-वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण	**6,800.00**	**6,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1)	**ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत**				
	जेआईसीए ऋण - जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2022 को देय ही रही है	23.47	23.48	50.06	50.07
	केएफडब्ल्यू-III ऋण - 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2022 को देय है।	222.81	223.55	317.22	317.87
	उप-जोड़ - (1)	**246.28**	**247.03**	**367.28**	**367.94**
(2)	**ओडीए ऋण - भारत सरकार की गारंटी के बिना**				
	केएफडब्ल्यू - IV ऋण - 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.05.2022 को देय है।	1,637.43	1,639.80	1,241.16	1,243.23
	उप-जोड़ - (2)	**1,637.43**	**1,639.80**	**1,241.16**	**1,243.23**
(3)	**द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण**				
	यूएस $100 मिलियन- 05.10.2021 को प्रतिदेय	-	-	735.05	733.36
	यूएस $230 मिलियन- 19.01.2022 को प्रतिदेय	-	-	1,690.61	1,676.86
	यूएस $200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,516.11	1,470.09	1,461.67
	यूएस $150 मिलियन- 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,136.75	1,102.57	1,097.49
	यूएस $250 मिलियन- 29.08.2023 को प्रतिदेय	1,895.18	1,895.18	1,837.62	1,831.68
	¥10,327.12 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	642.66	636.04	685.31	673.06
	यूएस $250 मिलियन- 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,895.18	1,880.88	1,837.62	1,815.96
	यूएस $150 मिलियन- 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,137.11	1,125.35	1,102.57	1,085.82
	यूएस $100 मिलियन- 01.07.2024 को प्रतिदेय	758.07	755.34	735.05	729.68
	एसजी $72.08 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	403.21	396.92	391.79	383.78
	यूएस $75 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	568.55	561.90	551.29	542.57
	यूएस $170 मिलियन- $100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं $70 मिलियन– 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,288.72	1,288.65	1,249.58	1,249.55
	¥ 10,519 मिलियन- 25.09.2025 को प्रतिदेय	654.60	645.86	698.04	686.00
	यूएस $425 मिलियन- 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,221.80	3,207.65	3,123.95	3,095.46
	यूएस $600 मिलियन- 25.08.2026 को प्रतिदेय	4,548.43	4,499.53	-	-
	यूएस $ 75 मिलियन- 07.10.2026 को प्रतिदेय	568.55	565.00	-	-
	यूएस $1175 मिलियन- 29.12.2026 को प्रतिदेय	8,907.33	8,751.96	-	-
	¥ 37506 मिलियन- 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,334.04	2,293.52	-	-
	यूएस ¥300 मिलियन- 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,274.21	2,286.40	2,205.14	2,216.83
	उप- जोड़ (3)	**33,750.89**	**33,443.04**	**19,416.28**	**19,279.77**
	उप-जोड़-विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	**35,634.60**	**35,329.87**	**21,024.72**	**20,890.94**

(iv) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- नेशनल स्माल सेविंग्स फण्ड(एनएसएसएफ) से ऋण 13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
जोड़ - सरकार से आवधिक ऋण	**10,000.00**	**10,325.12**	**10,000.00**	**10,325.12**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $75 मिलियन- 22.04.2021 को प्रदत्त	-	-	551.29	553.09
यूएस $75 मिलियन- 20.05.2021 को प्रदत्त	-	-	551.29	553.11
यूएस $75 मिलियन- 15.11.2021 को प्रदत्त	-	-	551.29	551.29
यूएस $200 मिलियन- 20.12.2021 को प्रदत्त	-	-	1,470.09	1,470.15
यूएस $200 मिलियन- 30.12.2021 को प्रदत्त	-	-	1,470.09	1,472.31
यूएस $100 मिलियन- 30.12.2021 को प्रदत्त	-	-	735.05	735.06
यूएस $200 मिलियन- 24.05.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.78	-	-
यूएस $150 मिलियन- 27.05.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,137.16	-	-
यूएस $200 मिलियन- 30.06.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,516.21	-	-
यूएस $25 मिलियन- 07.06.2022 को प्रतिदेय	189.52	189.72	-	-
यूएस $150 मिलियन- 18.06.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,137.17	-	-
यूएस $200 मिलियन- 10.12.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.90	-	-
यूएस $75 मिलियन- 14.12.2022 को प्रतिदेय	568.55	569.21	-	-
यूएस $200 मिलियन- 30.12.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.91	-	-
यूएस $100 मिलियन- 23.02.2023 को प्रतिदेय	758.07	758.07	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (बी) ऋण	**9,854.92**	**9,861.13**	**5,329.10**	**5,335.01**

19.3 टिप्पणी संख्या 19.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.00% से 8.29% मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

19.4 टिप्पणी संख्या 19.1(iii) में विदेशी मुद्रा उधारियां, 1/3/6 माह के यूएसडी लिबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनओआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) और नई बेंचमार्क दरों में ऋण के परिवर्तन पर यथालागू क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड सहित बाह्य बेंचमार्कों पर 0.65% से 1.86% प्रति वर्ष की नियत ब्याज दरों और 13 बीपीएस से 210 बीपीएस की परिवर्तनीय ब्याज दरों पर जुटाई गई हैं।

19.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों और उधार के सुरक्षा विवरण कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123–III बी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की ₹4,998.66 करोड़ की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्शन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज XII और XIII को (क) उप–प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्शन बॉण्ड की शृंखला XIV और XV को एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 9 और 15.2 देखें।

19.6 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**115वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,668.11	2,500.00	2,667.90
(ii)	**175वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,100.70	2,151.20	2,151.45
(iii)	**199वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,047.66	1,999.50	2,127.54
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,816.47**	**6,650.70**	**6,946.89**
	भारत के बाहर/में अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियां	6,650.70	6,816.47	6,650.70	6,946.89
(ii)	भारत के बाहर उधारियां	-	-	-	-
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,816.47**	**6,650.70**	**6,946.89**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 20.2 देखें।

20.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घावधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी–एमएलडी एएएआर, इक्रा पीपी–एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी– (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

20.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदागत राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार				
भारतीय-लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,19,633.57**	**1,06,651.59**	**6,816.47**	**3,33,101.63**
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,737.95)	(430.69)	(296.94)	(7,465.58)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	719.20	357.90	131.17	1,208.27
कुल बकाया उधारियां	**2,13,614.82**	**1,06,578.80**	**6,650.70**	**3,26,844.32**
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय-लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,37,328.06**	**85,507.36**	**6,946.89**	**3,29,782.31**
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(7,571.09)	(397.62)	(299.48)	(8,268.19)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	824.41	169.23	3.29	996.93
कुल बकाया उधारियां	**2,30,581.38**	**85,278.97**	**6,650.70**	**3,22,511.05**

20.3 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एंजेसियों एवं बॉण्ड से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.4 सेबी के दिनांक 10 अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2021/613 में यथाविहित 'लार्ज एंटिटियों' द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधियां जुटाने के लिए फ्रेमवर्क' के संदर्भ में कंपनी एक "लार्ज कारपोरेट" है। उक्त परिपत्र के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण		ब्यौरा
(1)	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
(2)	सीआईएन	**L40101DL1969GOI005095**
(3)	31 मार्च 2022 के अनुसार कंपनी का बकाया उधार	251504.70
(4)	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए एएए, क्रिसिल एएए, केयर एएए, आईआरआरपीएल एएए
(5)	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माना का भुगतान करना होगा, के तहत आवश्यक उधार में कमी के मामले में	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
	उधारियों का विवरण	
(i)	2 वर्ष की ब्लॉक अवधि	2021-22 एवं 2022-23
(ii)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में लिए गए वृद्धिशील उधार **(ए)**	42,966.99
(iii)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से किया जाने वाला अनिवार्य उधार **(बी) = (ए का 25%)**	10,741.75
(iv)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण **(सी)**	16,686.31
(v)	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार में कमी, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रेणीत **(डी)**	शून्य
(vi)	(डी) की मात्रा, जो **(सी) (ई)** से मिश्रित है।	शून्य
(vii)	"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी, यदि कोई हो, {वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उधार में किसी भी कमी को समायोजित करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रेणीत (एफ) = (बी)–{(ग)–(ई)}	शून्य

**उपर्युक्त (3) में उल्लिखित ऋणों में 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सभी बकाया ऋण शामिल हैं, लेकिन सेबी के परिपत्र के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।*

21 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**अप्रदत्त लाभांश (टिप्पणी संख्या 21.1 देखें)**	6.39	5.79
(ख)	**वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज**	-	0.01
(ग)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 21.1 देखें)**		
	–परिपक्व बॉण्ड एवं इस पर उपचित ब्याज	22.01	49.77
	–बॉण्डों पर ब्याज	6.72	18.95
	उप-जोड़ (ग)	**28.73**	**68.72**
(घ)	**सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)**	95,578.81	89,640.91
	जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (रिफंड का निवल)	3.95	2.63
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(94,808.08)	(88,575.58)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**774.68**	**1,067.96**
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड्स हेतु देय (टिप्पणी संख्या 21.5 देखें)**	24,318.29	24,314.43
(छ)	**अन्य देयताएं**	447.75	477.19
	जोड़ (क से छ तक)	**25,575.84**	**25,934.10**

21.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 1.22 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹0.62 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

21.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.73 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.71 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.71**	**0.69**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.73**	**0.71**

21.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "असंवितरित सब्सिडी/के तहत वर्गीकृत किया जाता है"।

21.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**2.63**	**7.75**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	19.81	26.38
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	(18.50)	(31.50)
अंतिम शेष	**3.95**	**2.63**

21.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 2,500 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ–साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 11)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तिथि	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध–वार्षिक	21-03-2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध–वार्षिक	24-03-2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध–वार्षिक	27-03-2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध–वार्षिक	28-09-2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध–वार्षिक	15-11-2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध–वार्षिक	22-01-2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध–वार्षिक	08-03-2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई –VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध–वार्षिक	25-03-2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई –IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध–वार्षिक	02-03-2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई –X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध–वार्षिक	26-03-2030	532.30	532.30
जीओआई –XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध–वार्षिक	31-03-2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई –XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्ध–वार्षिक	07-01-2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई –XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्ध–वार्षिक	28-01-2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई –XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्ध–वार्षिक	26-03-2031	500.00	500.00
जोड़				**24,109.30**	**24,109.30**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	18.01	2,702.52
घटाएं: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(7.76)	(2,691.90)
चालू कर देयताएं (निवल)	**10.25**	**10.62**

22 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	निम्न के लिए प्रावधान		
(क)	**कार्मिक हितलाभ (टिप्पणी 56 देखें)**		
	उपदान	0.34	1.30
	अर्जित अवकाश देयता	25.17	18.00
	सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	0.71	7.71
	चिकित्सा अवकाश देयता	21.49	20.91
	निपटान भत्ता	1.79	1.89
	आर्थिक पुनर्वास योजना	4.15	4.13
	दीर्घ सेवा अवार्ड	2.25	2.02
	प्रोत्साहन	27.71	47.92
	उप-जोड़ (क)	**83.61**	**103.88**
(ख)	**अन्य**		
	सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (टिप्पणी 23.1 एवं 23.2 देखें)	20.90	9.09
	उप-जोड़ (ख)	**20.90**	**9.09**
	जोड़ (क+ख)	**104.51**	**112.97**

23.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आरंभिक शेष	**9.09**	**8.38**
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	17.18	0.75
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया/समायोजित किया गया	(5.37)	(0.04)
अंतिम शेष	**20.90**	**9.09**

23.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹4,068.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,608.85 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

24. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	सुंड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	4.10	5.07
(ख)	पूंजी खाते के प्रति देय देयता	26.96	28.53
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	28.72	68.64
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	0.75	0.75
(ङ)	सांविधिक देय	21.11	17.52
	जोड़ (क से ङ)	**81.64**	**120.51**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

25.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

25.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

25.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

25.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

25.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

शेयरधारक के नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	15,89,92,122	8.05%	16,72,55,577	8.47%

25.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित धारक कंपनियों के इक्विटी शेयरों का विवरण

शेयरधारक के नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%

25.7 प्रमोटरों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	-	1,03,94,95,247	52.63%	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	5,584	558.40
जोड़	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

26.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ें / (घटाये)	-	-	5,584	558.40
वर्ष के अंत में शेष	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

26.2 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार निम्नलिखित धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित करते है:

शेयरधारक का नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

26.3 कंपनी ने प्रत्येक ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर प्रतिदेय है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे: (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक स्टेप अप का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजीगत जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, आवधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

27 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	22,302.93	19,222.23
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	196.82	2,128.41
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अधीन आरक्षित निधि	5,814.00	3,804.00
(iv)	डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व	-	-
(iv)	प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	(555.29)	(573.16)
(vi)	सामान्य आरक्षित निधि	11,781.62	9,850.03
(vii)	इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	-	-
(ख)	**प्रतिधारित अर्जन**	6,915.38	4,325.09
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
	– अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	(37.98)	24.07
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	194.21	(165.61)
	– हेजिंग रिजर्व की लागत	(395.95)	41.45
	जोड़ - अन्य इक्विटी	**48,452.28**	**40,893.05**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

(i) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते एवं अन्य वसूलीयोग्य के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 1,931.59 करोड़

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते एवं अन्य वसूली योग्य के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 1,152.55 करोड़

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इम्पेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹ 793.29 करोड़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं

27.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**19,222.23**	**16,659.10**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,080.70	2,563.13
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**22,302.93**	**19,222.23**

27.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान / रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,128.41**	**2,992.83**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	288.13
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,931.59)	(1,152.55)
वर्ष के अंत में शेष	**196.82**	**2,128.41**

27.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,804.00**	**2,131.00**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,010.00	1,673.00
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,814.00**	**3,804.00**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**

27.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

कंपनी ने पूववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन (रिडेम्पशन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(573.16)**	**(1,719.38)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि(–)	(216.94)	437.65
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	234.81	708.57
वर्ष के अंत में शेष	**(555.29)**	**(573.16)**

27.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**9,850.03**	**6,923.09**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	981.10
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	1,931.59	1,152.55
जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	-	793.29
वर्ष के अंत में शेष	**11,781.62**	**9,850.03**

27.8 इम्पेयरमेंट रिजर्व

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निवल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इम्पेयरमेंट रिजर्व आरक्षित के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-**	**793.29**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(793.29)
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**-**

27.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई प्रतिधारित आय में अंतरित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**24.07**	**106.26**
जोड़ें अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	24.74	160.52
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(86.79)	(242.71)
वर्ष के अंत में शेष	**(37.98)**	**24.07**

27.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(165.61)**	**(226.08)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	359.82	60.47
वर्ष के अंत में शेष	**194.21**	**(165.61)**

27.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**41.45**	**(204.75)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(437.40)	246.20
वर्ष के अंत में शेष	**(395.95)**	**41.45**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.12 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,325.09**	**3,409.74**
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	10,045.92	8,361.78
जोड़ें: परिभाषित हितलाभ योजनाओं(करों का निवल) का पुनःमापन	(6.23)	(10.67)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(981.10)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(3,080.70)	(2,563.13)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	-	(288.13)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(2,010.00)	(1,673.00)
घटाएं: डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	86.79	242.71
घटाएं: लिखत पर कूपन भुगतान प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	(34.12)	-
घटाएं: लिखत पर निर्गम व्यय पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	-	(0.70)
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,411.37)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**6,915.38**	**4,325.09**

27.13 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयरों के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	10.50	2,073.66	11.00	2,172.41
अंतिमॅप्रस्तावित लाभांश	4.80	947.96	1.71	337.71
कुल लाभांश	**15.30**	**3,021.62**	**12.71**	**2,510.12**

निदेशक मंडल ने 13 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

इंड–एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद ऐसा विनियोजन किया जाता है।

28 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**						
(i)	दीर्घावधि वित्तीय पोषण	-	37,613.72	-	-	34,160.00	-
	घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.04)	-	-	(0.06)	-
	दीर्घावधि वित्तीय पोषण (निवल)	-	37,613.68	-	-	34,159.94	-
(ii)	अल्पावधि वित्तीय पोषण	-	197.16	-	-	69.98	-
	उप-जोड़ (क)	**-**	**37,810.84**	**-**	**-**	**34,229.92**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
(ख)	**निवेशों पर ब्याज आय**						
(i)	दीर्घावधि निवेशों से ब्याज	-	108.06	27.15	-	27.04	195.30
	उप-जोड़ (ख)	**-**	**108.06**	**27.15**	**-**	**27.04**	**195.30**
(ग)	**बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज**						
(i)	जमाओं पर ब्याज	-	84.66	-	-	154.41	-
	उप-जोड़ (ग)	**-**	**84.66**	**-**	**-**	**154.41**	**-**
(घ)	**अन्य ब्याज आय**						
(i)	उधारकर्ताओं द्वारा विलंबिते भुगतान पर ब्याज	-	154.54	-	-	72.84	-
(ii)	कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	0.97	-	-	3.70	-
(iii)	मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.24	-	-	0.56	-
(iv)	अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स		-		-	0.01	-
	उप-जोड़ (घ)	**-**	**155.75**	**-**	**-**	**77.11**	**-**
	जोड़-ब्याज आय (क से घ)	**-**	**38,159.31**	**27.15**	**-**	**34,488.48**	**195.30**

29 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	22.43	8.43
– अन्य निवेशों से लाभांश	4.21	27.97
जोड़-लाभांश आय	**26.64**	**36.40**

29.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
– वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	3.20	27.63
– वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	1.01	0.34
जोड़	**4.21**	**27.97**

30 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	92.22	26.57
पूर्व अदायगी प्रीमियम	465.37	35.14
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	15.23	33.67
जोड़- शुल्क एवं कमीशन आय	**572.82**	**95.38**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– संयुक्त उद्यम में महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर लाभ (टिप्पणी 10.2 देखें)	29.01	-
– बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ / (हानि)	30.19	-
– किराए से आय	16.32	2.17
– देयताएं / प्रावधान रिटन बैक	8.93	-
– प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो से शुल्क	6.57	2.77
– आयकर वापसी से ब्याज	0.83	0.94
– विविध आय	6.11	16.67
जोड़ - अन्य आय	**97.96**	**22.55**

32. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	**उधारियों पर ब्याज**		
	–भारत सरकार से ऋण	822.50	820.81
	–बैंकों / वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,788.79	2,090.94
	–बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	577.12	630.50
	–पट्टा देयता	-	0.01
	उप-जोड़ (i)	**4,188.41**	**3,542.26**
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	–घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	14,763.99	15,293.60
	–विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,294.73	1,196.54
	–वाणिज्यिक दस्तावेज	14.76	35.32
	उप-जोड़ (ii)	**16,073.48**	**16,525.46**
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
	–अधीनस्थ बॉण्ड	523.30	523.75
	उप-जोड़ (iii)	**523.30**	**523.75**
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	–स्वैप प्रीमियम	1,269.34	894.62
	–अग्रिम आय कर पर ब्याज	-	22.71
	–कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	3.48	2.32
	उप-जोड़ (iv)	**1,272.82**	**919.65**
	जोड़ - वित्तीय लागत	**22,058.01**	**21,511.12**
	घटाएः पूंजीकृत वित्तीय लागत	(5.10)	(22.04)
	जोड़- वित्तीय लागत (निवल)	**22,052.91**	**21,489.08**

33 निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)	799.05	330.26
जोड	**799.05**	**330.26**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 234.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 708.57 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल ट्रांसलेशन / लेनदेन विनिमय हानि / (लाभ) का विमोचन शामिल है।

33.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विनिमय दरें	यूएसडी/आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/आईएनआर	एसजीडी/आईएनआर
31 मार्च 2022 के अनुसार	75.8071	0.6223	84.6599	55.9438
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581

34 शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	गारंटी शुल्क	4.29	-
(ii)	सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.84	0.78
(iii)	एजेंसी शुल्क	2.01	3.01
(iv)	क्रेडिट रेटिंग व्यय	6.69	3.33
(v)	अन्य वित्तीय प्रभार	2.90	2.83
	जोड़ (i से v)	**16.73**	**9.95**

35 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	**लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)**		
(i)	**ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर**	-	-
(ii)	**अन्य**		
	– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	351.36	545.92
	– दीर्घावधिक निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(12.78)	2.43
	– अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	7.99	23.98
	उप-जोड़ (ii)	**346.57**	**572.33**
	जोड़ (क)	**346.57**	**572.33**
	उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्रेकअप		
	– वसूली की गयी	365.03	590.79
	– वसूली नहीं की गयी	(18.46)	(18.46)
	जोड़ - उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**346.57**	**572.33**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा अन्य हैं और हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित आर्थिक बचाव के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

36 वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
		एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i)	– ऋण*	-	3,434.36	-	2363.33
(ii)	– निवेश	-	28.72	-	-
(iii)	– अन्य	-	10.23	-	56.29
	जोड़ (i+ii+iii)	**-**	**3,473.31**	**-**	**2419.62**

**सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹11.81 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹0.71 करोड़) शामिल हैं।*

37 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	114.28	101.66
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	11.27	13.61
– सेवानिवृत्ति के बाद लाभांश संबंधी व्यय	7.46	4.87
–कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	3.77	2.19
– कार्मिक कल्याण व्यय	22.08	22.51
जोड़	**158.86**	**144.84**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	15.09	6.81
– अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.87	2.72
जोड़	**17.96**	**9.53**

39 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	165.20	139.78
– ओवरहेड्स	5.47	4.54
जोड़	**170.67**	**144.32**

39.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 22 जनवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के तहत कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 निर्दिष्ट किए हैं, जो अधिसूचना की तारीख से पूर्व–व्यापी रूप से प्रभावी हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन नियमों में यह अपेक्षा की गई है कि किसी भी चल रही परियोजना के अलावा किसी भी सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यदि ऐसी राशि का उपयोग तीन वित्तीय वर्षों के भीतर नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित करना आवश्यक है। कंपनी को अधिनियम के तहत आवश्यकता से अधिक खर्च की गई किसी भी राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च की जाने वाली राशि के सापेक्ष निर्धारित करने का अधिकार है।

39.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 170.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 144.32 करोड़) है।

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 170.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 144.32 करोड़) है।

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए टिप्पणी सं. 54 को देखें।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	**प्रारंभिक शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि**	**(3.46)**	**-**
(ख)	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	170.67	144.32
(ग)	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	167.61	147.78
(घ)	**अंतिम शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि* (क+ख-ग)**	**(0.40)**	**(3.46)**

**अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र*

39.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण**	-	-	-	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**						
	स्वास्थ्य / स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	54.75	-	54.75	27.59	-	27.59
	शिक्षा / व्यावसायिक / कौशल विकास	16.17	-	16.17	17.68	-	17.68
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	8.06	-	8.06	17.63	-	17.63
	खेल–कूद	15.00	-	15.00	-	-	-
	पीएम केयर फंड में योगदान	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00
	कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान और कोविड–19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	0.26	-	0.26	7.65	-	7.65
	अन्य	17.90	-	17.90	22.69	-	22.69
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	5.47	-	5.47	4.54	-	4.54
	जोड़ (ii)	**167.61**	**-**	**167.61**	**147.78**	**-**	**147.78**

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 200 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 50 करोड़ का योगदान वर्ष 2021–22 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान वर्ष 2020–21 के दौरान एवं ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

40 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	10.07	8.00
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	1.66	7.40
– मरम्मत और अनुरक्षण	21.62	17.40
– किराया, कर एवं ऊर्जा लागतें	7.60	13.23
– बीमा प्रभार	0.09	0.10
– संप्रेषण लागत	2.86	3.31
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.79	0.86
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.21	0.10
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.53	1.43
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	9.29	9.86
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	0.97	4.03
– प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	7.65	2.97
– सरकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग व्यय	30.94	26.26
– अन्य व्यय	20.78	11.76
जोड़	**116.06**	**106.71**

40.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
–लेखापरीक्षक के रूप में	0.58	0.66
–कराधान मामलों के लिए*	0.15	0.25
–कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.33	0.26
–अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज / सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.10
(ii) प्रमाणन के लिए	0.22	0.04
–व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	-
उप-जोड़	**1.41**	**1.31**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	0.12	0.12
जोड़- लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय	**1.53**	**1.43**

**पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹0.12 करोड़) शामिल है।*

41 कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	3,051.33	2,683.62
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय / (लाभ)	(3.96)	223.28
उप-जोड़ - चालू कर	**3,047.37**	**2,906.90**
–आस्थगित कर व्यय / (क्रेडिट)	(668.39)	(512.55)
जोड़	**2,378.98**	**2,394.35**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

41.1 प्रभावी कर दर का पुनर्मिलान

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्मिलान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**12,424.90**	**10,756.13**
सांविधिक आयकर दर	**25.168%**	**25.168%**
प्रत्याशित आयकर व्यय	**3,127.10**	**2,707.10**
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(775.36)	(645.09)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजन	42.95	112.70
गैर–कटौती योग्य अन्य कर व्यय	(1.07)	5.52
गैर कर योग्य आय	(6.70)	(9.16)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	(3.96)	223.28
विभिन्न दरों पर कर योग्य आय का प्रभाव	(3.98)	-
कर व्यय	**2,378.98**	**2,394.35**

42 अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	10,045.92	8,361.78
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	10,045.92	8,361.78
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,97,49,18,000	1,97,49,18,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	50.87	42.34
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	50.87	42.34

43 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

43.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.78	0.24
(ख) कराधान मांग		
(i) – आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	152.77	10.49
(ii) – कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.90	0.30
(iii) – जीएसटी के संबंध में की गई मांग	17.89	-
(ग) अन्य		
– सुविधा पत्र	4,068.95	2,608.85

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त ख(i) में उल्लिखित राशि आय कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है।

उपरोक्त ख (ii) में उल्लिखित राशि आईटीएटी चरण पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के खिलाफ है।

उपरोक्त ख (iii) में उल्लिखित राशि आरईसी द्वारा दायर जीएसटी धन वापसी अपील के खिलाफ है।

43.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	129.13	225.95
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	0.16
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	399.13	259.26

44 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्यौरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

45 सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

45.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान ₹12,320 करोड़ की कुल बजटीय सहायता सहित ₹16,320 करोड़ था। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

45.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'पावर फॉर ऑल 24x7' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹ 7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹ 5302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

45.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012–13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, वितरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

45.4 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित क्षेत्र वितरण योजना (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व–अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति (₹ करोड़ में) को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2024–25 तक अखिल भारतीय चरण पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12–15% तक करना।

(ii) वर्ष 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।

(iii) वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:

भाग क – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।

46 पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी तथा दीर्घावधि उधार शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तीय पोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ–साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा–निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
निवल ऋण	3,26,717.92	3,21,370.56
निवल मूल्य	50,985.60	43,426.37
ऋण - इक्विटी अनुपात	**6.41**	**7.40**

निवल ऋण, उपलब्ध बकाया मूलधन कम नकद एवं नकदी के समतुल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथा, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी कारोबार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तीय पोषण कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर–1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है जिसकी गणना कंपनी की टियर– I और टियर– II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

विवरण		न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	% भिन्नता
(i)	सीआरएआर	57,937.08	2,45,436.54	23.61%	19.72%	19.70%
(ii)	सीआरएआर– टियर I पूंजी	48,052.65	2,45,436.54	19.58%	16.31%	20.04%
(iii)	सीआरएआर– टियर II पूंजी	9,884.43	2,45,436.54	4.03%	3.41%	18.10%

टियर– I पूंजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.16% है (पिछले वर्ष 1.44%)

* टियर– I और टियर– II पूंजी होने के कारण डिनोमिनेटर में मुख्य रूप से इक्विटी (नोट संख्या 25, 26 और 27 देखें) शामिल हैं और जोखिम भारित संपत्ति होने के कारण मुख्य रूप से ऋण जैसे कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (ओं) की भारित राशि का प्रतिनिधित्व करता है (टिप्पणी संख्या 10 देंखे) और निवेश (टिप्पणी संख्या 11 देखें), इस संबंध में समय–समय पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।

वर्ष के दौरान जुटाई टियर–II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	1,999.50
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	558.40

48 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा–निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें एंटिटी सामने आती है और एंटिटी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी समतुल्य, ऋण, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूति में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और प्रेफरेंस शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं संपार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपये (आईएनएआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयाताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है जिससे कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और जोखिम कम करने की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

48.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	**वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम**		
	नकद और नकद समतुल्य	126.40	1,140.49
	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	2,295.30	1,929.06
	ऋण*	3,35,876.99	3,58,891.11
	निवेश**	1,840.09	1,237.84
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,396.94	24,399.21
(ii)	**मध्यम ऋण जोखिम**		
	ऋण*	36,424.23	2,888.05
(iii)	**उच्च ऋण जोखिम**		
	ऋण*	17,159.89	18,256.93
	वरीयता शेयर में निवेश***	28.72	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	90.68	88.04

**प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के असंवितरित राशि के साथ) दर्शाता है।*
***इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में किए गए इक्विटी लिखतों निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश औए अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें इंड–एएस27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर किया जाता है।*
****रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है।*

नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी/समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी, कंपनी या ऋणदाताओं के कंसोर्टियम, जो भी लागू हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित अदायगी/समाधान योजना के एक भाग के रूप में तथा ऋणदाताओं की समिति और सक्षम क्षेत्राधिकार के राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत समाधानों के मामले में, ऋणी संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

48.1.2 ऋणों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी ऋण हानि की उम्मीद के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का आकलन करके ऋण के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

- **नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा)** - चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- **सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** – यह देखते हुए कि निवेश ऋण प्रतिभूतियों सहित सरकारी प्रतिभूतियों/उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) में न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी कंपनियां है, जहाँ क्रेडिट जोखिम को कम माना जाता है।
- **ऋण निपटान/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली के आधार पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे निवेशों पर जहां कहीं मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त हानि भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** - क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

ऋण को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	-	126.40	1,140.49	-	1,140.49
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,295.30	-	2,295.30	1,929.06	-	1,929.06
निवेश*	1,897.53	28.72	1,868.81	1,237.84	-	1,237.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**	24,487.62	90.68	24,396.94	24,487.25	88.04	24,399.21

**क्रेडिट–इंपेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश' पर पूरी तरह से हानि भत्ता प्रदान किया गया है।*
***हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।*

48.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन–देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तीय पोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर कारोबारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित कारोबारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैः आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) ऋण जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, तो जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करता हैः

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)
ब्याज कवरेज (25% भार)
गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक
तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ
वास्तविक चूक तिथियां
परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

– एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूर्ति नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक "चरण 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।

– यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "चरण 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूर्ति हुआ नहीं माना जाता है।

– यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूर्ति हुआ है, तो इसे "चरण 3" में ले जाया जाता है।

– चरण 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन - इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैंः

– पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।

– ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

– एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/मैच्योरिटी प्रोफाइल अर्थात लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मण्डल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और औद्योगिक बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों,समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) चरण 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

चरण–3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) चरण –3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखत आधार पर लिया जाता है:

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

(झ) ऋण जोखिम एक्सपोजर

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोजर निम्न है।

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/मैप्ड रेटिंग)	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादन								
बहुत अच्छा (एएए।एए।ए। सरकारी ऋण)	1,81,968.90	11,661.35	-	1,93,630.25	2,20,485.16	1,421.82	-	2,21,906.98
अच्छा (बीबीबी।बीबी।बी)	96,631.68	24,762.88	-	1,21,394.56	1,07,998.93	69.68	-	1,08,068.61
औसत (सी)	54,755.07	-	-	54,755.07	28,532.47	-	-	28,532.47
स्पष्ट (डी)	2,521.34	-	-	2,521.34	1,874.55	1,396.55	-	3,271.10
गैर-निष्पादित (डी)	**-**	**-**	**17,159.89**	**17,159.89**	**-**	**-**	**18,256.93**	**18,256.93**
सकल एक्सपोजर	**3,35,876.99**	**36,424.23**	**17,159.89**	**3,89,461.11**	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**
हानि भत्ता	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.56	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20
निवल एक्सपोजर	**3,33,086.77**	**36,054.62**	**5,594.16**	**3,74,735.55**	**3,57,608.65**	**2,746.62**	**6,465.62**	**3,66,820.89**

(त) संपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए संपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ट) हानि भत्ते

इस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की महत्वपूर्ण वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण चरण–1 और चरण– 2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में अमान्य वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्नुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**3,58,891.11**	**1,282.46**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,031.94	134.62
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(35,361.06)	(40.15)
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(1,516.73)	(214.87)
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	1,235.51
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूद परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	62,483.86	569.85
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(50,652.13)	(177.20)
राइट ऑफ	-	-
अंतिम शेष	**3,35,876.99**	**2,790.22**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**2,99,697.53**	**488.46**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(1,609.07)	(1.90)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	94,564.60	414.89
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(36,271.19)	(96.69)
राइट ऑफ	-	-
अंतिम शेष	**3,58,891.11**	**1,282.46**

(ठ) चरण वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	
	चरण I	चरण II
कुल एक्सपोजर	**3,35,876.99**	**36,424.23**
हानि भत्ता	2,790.22	369.61
ईसीएल%	0.83%	1.01%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

चरण 2		चरण 3		कुल	
सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
2,888.05	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**3,80,036.09**	**13,215.20**
(1,396.55)	(139.66)	(635.39)	5.03	-	(0.01)
35,361.06	40.15	-	-	-	-
-	-	1,516.73	214.87	-	-
-	293.79	-	1,517.77	-	3,047.07
3,877.11	40.22	-	-	66,360.97	610.07
(4,305.44)	(6.32)	(54.37)	(39.24)	(55,011.94)	(222.76)
-	-	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)
36,424.23	**369.61**	**17,159.89**	**11,565.73**	**3,89,461.11**	**14,725.56**

(₹ करोड़ में)

चरण 2		चरण 3		कुल	
सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
2,431.27	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**3,23,384.35**	**12,004.42**
(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-
1,609.07	1.90	-	-	-	-
(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-
-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75
264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56
(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)
(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)
2,888.05	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**3,80,036.09**	**13,215.20**

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 के अनुसार				
चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
17,159.89	**3,89,461.11**	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**
11,565.73	14,725.56	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20
67.40%	3.78%	0.36%	4.90%	64.59%	3.48%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ड) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,55,202.14	12,298.95	1,56,901.95	12,035.54
नवीकरणीय ऊर्जा	13,449.27	225.20	17,388.24	117.88
ट्रांस्कोज	64,879.92	774.38	61,309.37	502.51
डिस्कॉम्स	1,52,115.74	1,411.67	1,39,833.76	557.90
सरकारी ऋण	3,814.04	15.36	4,602.77	1.37
कुल	**3,89,461.11**	**14,725.56**	**3,80,036.09**	**13,215.20**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	3,50,584.17	2,684.59	3,38,973.84	938.40
निजी	38,876.94	12,040.97	41,062.25	12,276.80
कुल	**3,89,461.11**	**14,725.56**	**3,80,036.09**	**13,215.20**

(ढ) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियां - उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.45%	4.84%

(ण) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	4.45%	4.84%
(ii)	**सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	1.45%	1.71%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	1.51%	1.78%
(iv)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	18,256.93	21,255.55
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	1,516.73	38.22
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(689.76)	(2789.74)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट– ऑफ	(1924.01)	(247.10)
(च)	**अंतिम शेष**	**17,159.89**	**18,256.93**
(v)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	6,465.62	10,703.42
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	(215.91)	34.59
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(655.55)	(4,272.39)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-
(च)	**अंतिम शेष**	**5,594.16**	**6,465.62**
(vi)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	11,791.31	10,552.13
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,732.64	2,038.26
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(34.21)	(551.98)
(घ)	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर प्रावधान	(1924.01)	(247.10)
(च)	**अंतिम शेष**	**11,565.73**	**11,791.31**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(त) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड–एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार ऋण को अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक माना जाता है, 31 मार्च 2022 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 4.45% (पिछले वर्ष 5.04%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.51% (पिछले वर्ष 1.99%) रहा था।

(थ) राइट ऑफ नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने कारोबार मॉडल को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने कारोबारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के कारोबार मॉडल का मूल्यांकन लिखत–दर–लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि सकल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ''इकट्ठा करने के लिए एकत्र'' के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ध) 90 दिनों से अधिक की अतिदेय राशि वाले कोई भी खाते नहीं हैं, उन्हें क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है (उन खातों को छोड़कर जिन्हें आरबीआई कोविड–19 राहत पैकेज के तहत जारी करने की अनुमति दी गई है) (पिछले वर्ष शून्य)

(न) वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों के कोई रिपोर्ट योग्य मामले नहीं हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(प) आरबीआई आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) और एंड–एएस के अनुसार इंपेयरमेंट भत्ता के अनुसार आवश्यक प्रावधान के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	3,31,787.14	3,32,586.36	2,769.32	3,29,817.04	1,771.72	997.60
	चरण 2	36,424.23	36,888.95	369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
उप-जोड़ (1)		**3,68,211.37**	**3,69,475.31**	**3,138.93**	**3,66,336.38**	**2,163.24**	**975.69**
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	1,512.49	1,512.49	437.16	1,075.33	190.83	246.33
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	33.28	33.28	3.33	29.95	7.25	(3.92)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	4,534.01	4,534.01	2,981.99	1,552.01	1,952.89	1029.10
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	11,062.89	11,062.89	8,126.03	2,936.86	8,108.58	17.45
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		**15,630.18**	**15,630.18**	**11,111.35**	**4,518.82**	**10,068.72**	**1042.63**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		**17,159.89**	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**14,704.66**	**3,71,930.53**	**12,440.01**	**2264.65**
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं							
–सुविधा पत्र*	चरण 1	4,089.85	4,089.85	20.90	4,068.95	-	20.90
उप-जोड़ (3)		**4,089.85**	**4,089.85**	**20.90**	**4,068.95**	**-**	**20.90**
जोड़	**चरण 1**	**3,35,876.99**	**3,36,676.21**	**2,790.22**	**3,33,885.99**	**1,771.72**	**1018.50**
	चरण 2	**36,424.23**	**36,888.95**	**369.61**	**36,519.34**	**391.52**	**(21.91)**
	चरण 3	**17,159.89**	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
	जोड़	**3,89,461.11**	**3,90,725.05**	**14,725.56**	**3,75,999.48**	**12,440.01**	**2285.55**

**इंड–एएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।*

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	3,56,273.17	3,57,285.43	1,273.37	3,56,012.06	2,304.84	(1031.47)
	चरण 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
उप-जोड़ (1)		**3,59,161.22**	**3,60,210.67**	**1,414.80**	**3,58,795.87**	**2,450.46**	**(1035.66)**
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष	चरण 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		**18,203.40**	**18,203.40**	**11,770.46**	**6,432.93**	**9,879.96**	**1890.50**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**3,77,418.15**	**3,78,467.60**	**13,206.11**	**3,65,261.48**	**12,351.27**	**854.84**
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं							
–सुविधा पत्र*	चरण 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़ (3)		**2,617.94**	**2,617.94**	**9.09**	**2,608.85**	**-**	**9.09**
जोड़	**चरण 1**	**3,58,891.11**	**3,59,903.37**	**1,282.46**	**3,58,620.91**	**2,304.84**	**(1022.38)**
	चरण 2	**2,888.05**	**2,925.24**	**141.43**	**2,783.81**	**145.62**	**(4.19)**
	चरण 3	**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
	जोड़	**3,80,036.09**	**3,81,085.54**	**13,215.20**	**3,67,870.33**	**12,351.27**	**863.93**

**इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। तरलता का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त तरलता हो।

जारी

48.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की मदों का नकदी प्रवाह (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	5,878.20	2,970.00	14,058.86	53,719.87	39,133.38	67,531.66	1,83,291.97
– ब्याज	-	379.26	348.22	1,085.23	2,345.40	2,433.79	6,290.73	21,667.98	14,748.20	22,337.48	71,636.29
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	-	160.93	1,150.00	1,000.00	1,824.29	5,163.63	17,836.77	15,155.51	18,798.15	61,089.28
– ब्याज	272.39	-	63.24	202.90	496.89	671.39	1,604.83	4,949.21	3,439.46	3,027.89	14,728.20
अधीनस्थ देयताएं											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
– ब्याज	-	-	-	201.50	114.94	-	163.60	759.35	557.08	787.73	2,584.20
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	17,814.67	6,822.64	5,685.54	30,322.85
– ब्याज	-	-	-	227.28	66.15	285.65	584.79	1,691.31	769.79	171.02	3,795.99
अन्य उधारिया											
– मूलधन	-	-	-	2,744.22	2,887.33	2,664.98	4,506.16	8,555.57	21,129.28	3,001.98	45,489.52
– ब्याज	8.00	7.18	22.42	67.65	124.53	263.85	447.00	1,388.28	812.26	516.82	3,657.99
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.07	-	18.82	-	42.62	-	112.01	173.52
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	13.87	-	34.50	48.37
अन्य –											
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	22.50	-	308.74	331.24
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (''एएलसीओ'') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पकालिक निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरन्तर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में परिवर्तनीय हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रुपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,870.73	2,04,119.67
–ब्याज	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,841.36	22,724.28	16,731.83	27,645.59	82,340.32
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90	10,000.00	58,925.15
–ब्याज	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69	2,293.36	2,653.21	12,227.90
अधीनस्थ देयताएं											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
–ब्याज	-	-	-	201.50	162.21	-	192.96	1,107.77	704.25	1,375.22	3,743.91
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56	12,128.28	5,512.87	26,461.71
–ब्याज	-	-	-	220.52	64.14	194.94	485.15	1,841.77	670.06	395.99	3,872.57
अन्य उधारियां											
–मूलधन	-	-	551.29	551.29	45.31	12.51	6,797.99	8,043.62	4,575.17	5,776.64	26,353.82
–ब्याज	8.81	1.21	7.27	68.26	60.15	130.44	246.98	841.03	615.06	800.45	2,779.66
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	29.88	343.06	30.71	-	403.65
अन्य –	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48	104.60	121.08
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप											
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67	258.66	278.33
	-	-	24.92	18.33	-	-	-	-	-	-	43.25

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तीय पोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार											
–मूलधन	158.66	-	2,077.03	2,142.80	4,800.08	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	1,83,586.28	3,70,666.60
–ब्याज	611.62	-	892.06	1,559.14	6,094.78	9,076.43	17,252.35	59,983.17	44,663.39	71,842.69	2,11,975.63
31 मार्च 2021 के अनुसार											
–मूलधन	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	1,88,262.69	3,64,212.04
–ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	2,17,938.50

लेखा संबंधी टिप्पणियां

चरण III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

48.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	158.66	-	2,077.03	2,142.80	6,181.63	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	1,83,468.67	**3,71,930.54**
निवेश	-	-	-	-	2.81	2.82	55.65	80.05	180.59	1,836.05	**2,157.97**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	19.34	367.83	330.52	993.71	7,777.02	4,636.58	15,212.32	53,696.32	39,118.89	67,453.88	**1,89,606.42**
अन्य उधारियां	6.56	-	200.55	1,150.00	1,000.00	2,149.40	5,165.59	17,836.77	15,155.52	18,796.19	**61,460.59**
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.38	126.46	-	2.11	2,499.73	-	4,019.79	**6,816.47**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	172.81	40.17	89.14	-	17,755.78	6,805.78	5,163.48	**30,027.15**
अन्य उधारियां	5.62	2.42	4.43	2,747.65	2,910.57	2,680.96	4,506.16	8,499.93	20,837.27	2,995.98	**45,191.00**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	9,451.43	17,793.88	72,044.11	67,832.43	1,88,808.04	**3,65,261.49**
निवेश	-	-	-	-	-	-	37.28	100.64	136.13	1,635.73	**1,909.77**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां		367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,244.43	46,217.54	44,490.29	75,777.90	**2,11,267.66**
अन्य उधारियां		350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	**59,281.41**
अधीनस्थ देयताएं		-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	**6,946.89**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	**26,060.40**
अन्य उधारियां	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	**26,225.95**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)			-	-	-	-	-	-	-	-	

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
लेखा संबंधी टिप्पणियां

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.2.3 वित्तीय पोषण आयोजन

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक अभिगम थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	8,803.05	5,547.28
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	1,245.90	-

48.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (''एएलसीओ'') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	15	20
राशि (₹ करोड़ में)	1,55,352.32	1,82,250.87
कुल देयताओं का %	43.22%	51.08%

(iii) शीर्ष 10 उधारियां

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	12,729.30	3.89%	10,839.90	3.36%
2	एचडीएफसी बैंक से आवधिक ऋण	12,000.00	3.67%	4,650.00	1.44%
3	भारत सरकार – नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.06%	10,000.00	3.10%
4	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $1175 मिलियन बॉण्ड	8,907.33	2.73%	-	-
5	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	6,800.00	2.08%	5,800.00	1.80%
6	54 ईसी – श्रृंखला XII (2018–19)	6,651.77	2.04%	6,651.77	2.06%
7	54 ईसी – श्रृंखला XIII (2019–20)	6,157.72	1.88%	6,157.72	1.91%
8	54 ईसी – श्रृंखला XV (2021–22)	6,024.57	1.84%	-	-
9	टैक्स फ्री बॉण्ड (2013–14 श्रृंखला)	6,000.00	1.84%	-	-
10	54 ईसी – श्रृंखला XIV (2020–21)	5,312.07	1.63%	-	-
11	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	-	-	5,145.33	1.60%
12	संस्थागत बॉण्ड – 182वीं श्रृंखला	-	-	5,063.00	1.57%
13	संस्थागत बॉण्ड – 203वीं ए श्रृंखला	-	-	5,000.00	1.55%
14	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $650 मिलियन बॉण्ड	-	-	4,777.81	1.48%
	जोड़	**80,582.76**	**24.65%**	**64,085.53**	**19.87%**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) महत्वपूर्ण लिखित/ उत्पादों के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण

	महत्वपूर्ण लिखित/ उत्पादों के नाम *	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	संस्थागत बॉण्ड	1,46,041.60	40.63%	1,73,338.60	48.58%
	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	30,322.85	8.44%	26,461.71	7.42%
	54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जंप्शन बॉण्ड	25,437.67	7.08%	18,121.59	5.08%
	टैक्स फ्री बॉण्ड	11,808.74	3.29%	12,648.41	3.54%
	उप- जोड़ (1)	**2,13,610.86**	**59.43%**	**2,30,570.31**	**64.62%**
2	**उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)**				
	बैंकों से आवधिक ऋण	42,878.32	11.93%	29,938.58	8.39%
	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	35,634.60	9.91%	21,024.72	5.89%
	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.78%	10,000.00	2.80%
	एफसीएनआर (ख) ऋण	9,854.92	2.74%	5,329.10	1.49%
	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,800.00	1.89%	5,800.00	1.63%
	बैंकों से मांग पर चुकाने योग्य ऋण	1,410.93	0.39%	10,186.52	2.85%
	उप- जोड़ (2)	**1,06,578.77**	**29.65%**	**82,278.92**	**23.06%**
3	**अधीनस्थ देयताएं**	**6,650.70**	**1.85%**	**6,650.70**	**1.86%**
	जोड़ (1+2+3)	**3,26,840.33**	**90.93%**	**3,19,499.93**	**89.54%**

**महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी की कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष /एकल लिखत/उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

(iv) स्टॉक अनुपात

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	12,852.04	3.93%	3.58%	3.13%	20,511.10	6.36%	5.75%	5.12%

(v) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के तरलता ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर तरलता दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:

उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

(i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी तरलता परिसंपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक चरण तक पहुंच जाना चाहिए।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वैप बैलेंस के रूप में भारतीय रुपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉरपोरेट बॉण्ड और ऑटो स्वैप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2022 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मदें	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	**89%**
– नकदी एवं नकदी समतुल्य	12%
– जी–सेक और एसडीएल	77%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	**11%**
– कॉरपोरेट बॉण्ड	11%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
जोड़	**100%**

तरलता कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही		31.03.2021 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	1,719.78	1,686.09	2,151.50	2,120.54
– एए/एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड	224.56	190.87	206.39	175.43
– जी–सेक बॉण्ड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	1,296.73	1,296.73	483.29	483.29
– बैंक ऑटोस्वैप	198.49	198.49	1,461.82	1,461.82
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तीय पोषण दायित्व	8,279.00	9,520.85	11,720.66	13,478.76
अन्य आकस्मिक वित्तीय पोषण दायित्व	848.00	975.20	2,193.98	2,523.08
कुल नकदी बहिर्प्रवाह	**9,127.00**	**10,496.05**	**13,914.64**	**16,001.84**
नकदी अंतर्प्रवाह				
प्रतिभूति उधार	-	-	-	-
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	6,414.00	4,810.50	7,480.10	5,610.08
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	10,223.00	7,667.25	11,807.52	8,855.64
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	**16,637.00**	**7,872.04**	**19,287.63**	**11,760.86**
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए (ए)		**1,686.09**		**2,120.54**
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (बी)		**2,624.01**		**4,240.98**
तरलता कवरेज अनुपात (ए/बी)		**64.26%**		**50.00%**
% विभिन्नता		**28.51%**		

**औसत के लिए, वित्तीय वर्ष 2021–22 की तिमाही–4 के दौरान दैनिक अवलोकन पर विचार किया गया है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.3 बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्तीय एवं प्रचालन प्रभागों के निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन–देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन–देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि कारोबार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा क्रॉस करेंसी स्वैप (मूलधन और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपये ₹ करोड़ के समतुल्य)

मुद्रा	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर
अमेरिकी डॉलर $	9,436.00	7,620.00	1,816.00	6,893.85	3,500.00	3,393.85
भारतीय रुपये के समतुल्य	*71,531.58*	*57,765.01*	*13,766.57*	*50,673.04*	*25,726.65*	*24,946.39*
जापानी येन ¥	58,729.87	20,846.05	37,883.82	21,600.36	20,845.99	754.37
भारतीय रुपये के समतुल्य	*3,654.76*	*1,297.25*	*2,357.51*	*1,433.40*	*1,383.34*	*50.06*
यूरो €	26.32	0.87	25.45	36.85	11.40	25.45
भारतीय रुपये के समतुल्य	*222.82*	*7.37*	*215.45*	*317.30*	*98.12*	*219.18*
सिंगापुर डॉलर$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपये के समतुल्य	*403.21*	*403.21*	-	*391.79*	*391.79*	-
जोड़	**75,812.37**	**59,472.84**	**16,339.53**	**52,815.53**	**27,599.90**	**25,215.63**

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन–हेज्ड प्रकटन पर भारतीय रुपये के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये	515.09	(515.09)	933.39	(933.39)
जापानी येन/भारतीय रुपये	88.21	(88.21)	1.87	(1.87)
यूरो/भारतीय रुपये	8.06	(8.06)	8.20	(8.20)

अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

48.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी–सेक पैदावार/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग) रेट), टी–बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस–करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 को फ्लोटिंग ब्याज दरों से जुड़ी देनदारियों के लिए कंपनी के समग्र जोखिम को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय रुपये ₹ करोड़ के समतुल्य)

मुद्रा	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर
भारतीय रुपये उधारियां	50,178.32	-	50,178.32	35,738.58	-	35,738.58
अमेरिकी डॉलर $	4,636.00	1,325.00	3,311.00	2,768.85	1,630.00	1,138.85
भारतीय रुपये के समतुल्य	*35,144.17*	*10,044.44*	*25,099.73*	*20,352.38*	*11,981.27*	*8,371.11*
जापानी येन ¥	58,352.72	10,327.16	48,025.56	20,846.14	10,327.14	10,519.00
भारतीय रुपये के समतुल्य	*3,631.29*	*642.66*	*2,988.63*	*1,383.35*	*685.31*	*698.04*
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपये के समतुल्य	*403.21*	*403.21*	-	*391.79*	*391.79*	-
कुल भारतीय रुपये के समतुल्य	**89,356.99**	**11,090.31**	**78,266.68**	**57,866.10**	**13,058.37**	**44,807.73**

ब्याज दर संवेदनशीलता बेमेल को कम करने के लिए कंपनी ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वैप के माध्यम से, 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार ₹11,850.70 करोड़ की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर से जुड़े रातों–रात अनुक्रमित स्वैप के उपयोग के माध्यम से फ्लोटिंग दर उधार में परिवर्तित कर दिया गया है।

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध–स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय–समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री–पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री–पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
रुपे ऋण	3,75,805.76	3,63,580.03

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन–हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (लाभ/(हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(292.84)	292.84	(167.65)	167.65
ब्याज दर स्वैप	(44.34)	44.34	-	-
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,406.11	(1406.11)	1,360.37	(1360.37)

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

48.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग–अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर–बैंक ऑफर दर) और रातों– रात एसओएफआर (प्रतिभूति ओवरनाइट का वित्तीय पोषण दर), टीओएनए (टोक्यो का ओवरनाइट औसत दर), एसओआरए (सिंगापुर का ओवरनाइट दर औसत) आदि शामिल हैं। ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

बेंचमार्क	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	7,201.67	950.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	27,373.94	3,611.00
ओ/एन एसओएफआर	568.55	75.00
टीओएनए	3,631.29	479.02
एसओआरए	403.21	53.19
कुल	**39,178.67**	**5,168.21**

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 की घोषणा के अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो गई और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षत प्रभावित एक्सपोजर

जबकि कंपनी की कुछ फ्लोटिंग रेट उधारियां पहले से ही नए बेंचमार्क के अधीन हैं, कुछ उधारियों को संबंधित ब्याज दरों अर्थात् 3–माह यूएसडी लिबोर और 6–माह यूएसडी लिबोर की समाप्ति तिथि से पहले चुका दिया जाएगा। तद्नुसार, 31 मार्च, 2022 को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोजर की कुल राशि ₹25,963.93 करोड़ (3.425 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से संबद्ध और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित डेरिवेटिव एक्सपोजर की नोमिनल राशि ₹3,790.36 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन) है।

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, लिबोर को वैकल्पिक जोखिम–रहितक दरों (आरएफआर) से प्रतिस्थापित दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) को यूएसडी लिबोर के लिए प्रतिस्थापित किया होगा, जबकि टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), जेपीवाई लिबोर को प्रतिस्थापित करेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), जो वैश्विक डेरिवेटिव सौदों को अभिशासित करने वाला वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त वैधानिक निकाय है, सभी लीगेसी संविदाओं को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) लाया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत सभी प्रतिपक्षों के साथ मौजूदा डेरिवेटिव कारोबरियों पर विभिन्न लिबोर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा।

सावधि ऋणों के संबंध में, आरईसी प्रारंभिक चरण में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के साथ सक्रिय संपर्क में रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने जेपीवाई 20,846.12 बिलियन (31 मार्च, 2022 ₹ 1,297.25 करोड़ के समतुल्य) की राशि के दो जेपीवाई ऋणों के लिए परिवर्तन प्रलेखन पूरा कर लिया है, जिसका बेंचमार्क जेपीवाई लिबोर से परिवर्तित कर टीओएनए किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान एक एसजीडी ऋण के लिए एसजीडी 72.08 मिलियन (31 मार्च, 2022 को ₹ 403.21 करोड़ के समतुल्य) की राशि के लिए एक सक्रिय परिवर्तन भी संपन्न हुआ है, बेंचमार्क को 6–माह एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर रेट) से एसओआरए (सिंगापुर का ओवरनाइट रेट एवरेज) में परिवर्तित कर दिया गया है। जहां इन ऋणों के लिए ब्याज दर जोखिम को रोका (हेज) गया था, ऐसे डेरिवेटिव में ब्याज दर बेंचमार्क को उपयुक्त रूप से नए बेंचमार्क में परिवर्तित कर दिया गया है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एएस 109 में ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतः प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवाद का प्रावधान है। जबकि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्क पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं बनी है, यह कल्पना की गई है कि अंतर्निहित ऋण की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप के रूप में डेरिवेटिव संविदा और हेज प्रभावशीलता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

48.5 हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार		कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि	
जोखिम एवं हेज के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं
	नकदी प्रवाह हेज			
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम			
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं			
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 7,045	4,744.05	-
		यूएसडी 20,846.12	102.15	-
		एसजीडी 72.08	22.08	-
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	76.73	-
(ii)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 1,300	22.69	43.78
		जापानी येन 10,327.12	-	1.50
		एसजीडी 72.08	23.86	-
(iii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	-	48.37
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 425	92.42	-

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार		कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि	
जोखिम एवं हेज के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं
	नकदी प्रवाह हेज			
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम			
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं			
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 2,595	1,458.96	43.25
		जापानी येन 20,846.12	198.23	-
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	यूएसडी 1,350	-	244.37
		जापानी येन 10,327.12	-	4.06
		एसजीडी 72.08	23.86	-
(iii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	-	121.08
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 260	-	69.74

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
मई 2022 - जनवरी 2027	1:1	74.31	(399.81)	399.81
अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(96.08)	96.08
मार्च 2025	1:1	0.01	(1.77)	1.77
मार्च 2024	1:1	57.52	(74.08)	74.08
मई 2022 - मार्च 2025	1:1	2.99% और 72.94	112.67	(112.67)
अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	0.82	(0.82)
मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(49.08)	49.08
मार्च 2024 - अक्टूबर 2026	1:1	2.23%	130.27	(130.27)

(₹ करोड़ में)

पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32	(611.68)	611.68
अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(131.87)	131.87
मार्च 2024	1:1	71.94	(93.51)	93.51
दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(174.62)	174.62
मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) लाभ एवं हानि के विवरण पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
31.03.2022 को समाप्त वर्ष				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(377.06)	-	(995.95)	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन पर लाभ/हानि
			126.43	वित्तीय लागत
31.03.2021 को समाप्त वर्ष				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(1,065.12)	-	580.30	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन पर लाभ/हानि
			179.56	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग और हेजिंग रिजर्व की लागत में संतुलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	**(165.61)**	**(226.08)**
जोड़ें : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आंतरिक मूल्यों में परिवर्तन	1108.37	(625.61)
जोड़ें : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	111.72	(52.32)
जोड़ें : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	130.27	(1.12)
घटाएं : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	(869.52)	759.86
घटाएं: उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(121.02)	(20.34)
अंतिम शेष	**194.21**	**(165.61)**
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	**41.45**	**(204.75)**
जोड़ें : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(1727.42)	(386.06)
घटाएँ: समय मूल्य का परिशोधन	1142.91	715.06
घटाएँ: उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	147.11	(82.80)
अंतिम शेष	**(395.95)**	**41.45**

(घ) उचित मूल्य हेज

31 मार्च 2022 को, कंपनी के पास ₹ 11,850.70 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के बकाया ब्याज दर स्वैप करार हैं, जिसमें कंपनी ब्याज की एक नियत दर प्राप्त करती है और कल्पित राशि पर एक परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। ऐसे करारों का उपयोग नियत दर वाली उधारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वैप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और पुनर्निर्धारण तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वैप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र पर हेजिंग लिखतों का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मदें जहां हेजिंग लिखतों का अनावृत	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
– ब्याज दर स्वैप	11,850.70	(111.92)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	(111.92)

**यहां वहन राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र पर हेजिंग मदों का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य हेज	धारित राशि	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मदें जहां हेजिंग लिखतों का अनावृत	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
– अधीनस्थ देयताएं	4,148.36	(128.33)	अधीनस्थ देयताएं	(128.33)
– संस्थागत बॉण्ड	7,881.97	16.41	ऋण प्रतिभूतियां– संस्थागत बॉण्ड	16.41

₹111.92 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में हानि को संबंधित अधीनस्थ देनदारियों और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ ऑफसेट किया गया है।

48.6 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों के निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश कारोबारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	13.41	(13.41)	21.51	(21.51)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	2.48	(2.48)	1.18	(1.18)

49 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

49.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	33,239.41	25,035.68
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	563.77	339.60
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	390.25	(64.05)

आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार श्रेणी–1, केवल प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

49.2 कंपनी किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को शामिल नहीं किया है।

49.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	हेजिंग के लिए व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
	हेजिंग के लिए	59,472.85	27,599.89	33,239.41	25,035.68	4,747.00	4,547.00
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
क)	परिसंपत्ति (+)	4,946.40	1,971.62	563.77	339.60	-	-
ख)	देयता (–)	48.37	164.33	173.52	403.65	331.25	278.33
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	5,131.08	4,854.40	490.82	574.96	662.05	632.05
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर	16,339.53	25,215.63	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्वैड शामिल हैं।*
***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।*
****इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

50 कंपनी पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 के प्रकोप के बाद से, उत्परिवर्ती कोरोनावायरस वेरिएंट की खोज के बाद हमारे देश ने महामारी की दो और लहरों का सामना किया है। इन लहरों के कारण अस्थायी रूप से स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया गया, जिसे बाद में हटा लिया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, भारत में मांग में सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल, चलनिधि पहुंच और आकस्मिक बफर की उपलब्धता के साथ इस संदेह के लिए कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का, इसके सुचार कार्यकरण के आकलन सहित इसके प्रचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह प्रभाव अन्य बातों के अलावा, कोरोनोवायरस के आगे के वेरिएंट की खोज के बारे में अनिश्चित भावी विकासों और इसके प्रसार को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई, चाहे सरकार द्वारा अधिदेशित या अन्यथा, पर निर्भर रहेगा।

51 एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 17 सितंबर 2010 के माध्यम से आरईसी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया था, जो आरबीआई के परिपत्र सीसी नंबर 168 दिनांक 12 फरवरी 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार था। एक आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य एक्सपोजर क्षेत्र, एकल उधारकर्ता के मामले में स्वामित्वाधीन निधि का 25% और उधारकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा उधार और निवेश के लिए कुल मिलाकर एक्सपोजर, स्वामित्वाधीन निधियों का क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में, आरबीआई ने दिनांक 16 जून 2016 के अपने पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.सं. 2184/03.10.001/2015–16 के माध्यम से आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश मानदंडों के संकेंद्रण की प्रयोज्यता से छूट दी है। कंपनी ने उपरोक्त छूट के पुनः पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तार हेतु आरबीआई के समक्ष अभ्यावेदन किया है। कंपनी के व्यवसाय मॉडल और एक सरकारी कंपनी होने के नाते कार्यनीतिक स्थिति को देखते हुए, यह मामला आरबीआई के विचाराधीन है और प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटीज के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर सीमाएं स्वामित्वाधीन निधियों के अधिकतम 150% तक परिवर्तित होती रहती हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और संस्था के मूल्यांकन के अनुसार उधारकर्ताओं की रेटिंग पर आधारित होती है।

निजी क्षेत्र की संस्थाओं के संबंध में, एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं के लिए कंपनी का क्रेडिट एक्सपोजर 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को आरबीआई की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक नहीं था।

51.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021 को शून्य) को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण एक्सपोजर नहीं है ।

51.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	317.88	671.93
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की तरफ से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वैकल्पिक निवेश निधि में समस्त एक्सपोजर	-	-
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**317.88**	**671.93**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तीय पोषण नहीं है।

51.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम	2,39,602.97	2,28,371.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	62.17%	60.51%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर	3,29,335.41	3,42,453.58
	उधारकर्ताओं पर कंपनी के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	61.93%	62.28%
(iii)	**क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**		
	उपरोक्त चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर	8,645.97	8,489.02

52. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों की वहन लागत इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां			
	व्युत्पन्न वित्तीय लिखित पर मापन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	8	5,079.87	1,758.79
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	8	430.30	552.43
	निवेश* पर मापन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10	268.26	430.13
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10	182.07	209.65
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकदी एवं नकदी समतुल्य	6	126.40	1,140.49
	बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	7	2,295.30	1,929.06
	ऋण परिसंपत्तियां	9	3,71,930.54	3,65,261.49
	निवेश*	10	1,707.54	1,051.79
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,396.94	24,399.21
	जोड़		**4,06,417.22**	**3,96,733.04**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों पर मापन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	205.64	482.51
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	347.50	363.80
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
	ऋण प्रतिभूतियां	18	2,19,633.57	2,37,328.06
	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	19	1,06,651.59	85,507.36
	अधीनस्थ देयताएं	20	6,816.47	6,946.89
	अन्य वित्तीय देयताएं	21	25,575.84	25,934.10
	जोड़		**3,59,230.61**	**3,56,562.72**

**अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरणों' के अनुसार लागत पर मापा जाता है और इसलिए, इसे यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण–1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण–3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से प्राप्त) चरण 1 इनपुट के अलावा अवलोकन योग्य बाजार इनपुट; तथा

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	53.52	-	214.74	268.26	430.13	-	-	430.13
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	49.52	-	-	49.52	23.60	-	-	23.60
डिबेंचर्स	-	-	132.55	132.55	-	-	143.06	143.06
प्रेफरेंस शेयर	-	-	-	-	-	-	42.99	42.99
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	5,510.17	-	5,510.17	-	2,311.22	-	2,311.22
एफवीटीपीएल पर देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	553.14	-	553.14	-	846.31	-	846.31

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण 1 -** सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखत- चरण 2 -** बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा विनिमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार–चढ़ाव शामिल हैं।

(ग) **यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) की गैर-उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3 -** यूसीएक्स के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के विशिष्ट कारणों से कंपनी द्वारा इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

(घ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की गैर-उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3 -** ईईएसएल के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं है। उचित मूल्य की गणना निवेशिती कंपनी के वित्तीय विवरण के आधार पर की गई है।

(ङ) **अनुद्धृत अधिमान्य शेयरों में निवेश - चरण 3 -** रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर–उद्धृत वैकल्पिक परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित एकबारगी समाधान व्यवस्था के अनुसरण में उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आबंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य लिया गया है क्योंकि ऐसी लिखतों में भावी नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी परिवर्तन को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(च) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3 -** एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(छ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3 -** आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

52.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का समाधान को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	अनुद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
ऋण निपटान में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	(41.95)		-	(41.95)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	218.10	218.10
चरण 3 से अंतरण	-	-	-		-	-
ब्याज आय (i)	-	6.02	21.13		-	27.15
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(49.01)	10.31	-	(3.36)	(42.06)
अंतिम शेष	**-**	**-**	**132.55**	**-**	**214.74**	**347.29**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	**-**	**(32.42)**	**12.49**	**-**	**(19.36)**	**(39.29)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**1,500.62**	**45.41**	**-**	**-**	**-**	**1,546.03**
ऋण निपटान में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	149.56	-	-	149.56
निपटान	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	6.15	-	6.15
ब्याज आय (i)	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	-	(6.15)	-	(14.83)
अंतिम शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	**-**	**10.57**	**12.42**	**(6.15)**	**(16.00)**	**0.84**

वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 10.5 देखें।
(i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन आइटम 'ब्याज आय' का हिस्सा है।
(ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन आइटम 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।
(iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में लाइन आइटम 'एफवीओसीआई इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन' का हिस्सा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	126.40	1,140.49	1,140.49
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,295.30	2,295.30	1,929.06	1,929.06
ऋण	3,71,930.54	3,72,175.00	3,65,261.49	3,66,843.62
निवेश	1,707.54	1,726.25	1,051.79	1,057.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,396.94	24,396.79	24,399.21	24,401.09
कुल	**4,00,456.72**	**4,00,719.74**	**3,93,782.04**	**3,95,371.53**
वित्तीय देयताएं				
ऋण प्रतिभूतियां	2,19,633.57	2,21,226.21	2,37,328.06	2,35,612.09
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,06,651.59	1,07,306.18	85,507.36	85,562.85
अधीनस्थ देयताएं	6,816.47	7,131.25	6,946.89	7,610.21
अन्य वित्तीय देयताएं	25,575.84	25,575.84	25,934.10	25,934.10
कुल	**3,58,677.47**	**3,61,239.47**	**3,55,716.41**	**3,54,719.25**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय लिखतों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपरोक्त वित्तीय लिखतों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और धारणाएं नीचे दी गई हैं जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं गया है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई कार्यप्रणाली और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के उपकरणों से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, कारोबार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष कारोबार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त ऐतिहासिक अनुभव तथा अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ('डीसीएफ') पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च 2022 को निजी गैर–निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी–सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

पीएसयू बॉण्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉण्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी–सेक बॉण्ड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण निपटान/संकल्प के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य को वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

53 ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी की देयता बकाया है, जो कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। इसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित किए गए ऐसे पक्षकारों की स्थिति के आधार पर किया गया है।

54 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

54.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री एस. के. जी रहाटे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 22 फरवरी, 2022 से प्रभावी
श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 10 फरवरी, 2022 तक
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) 31 अक्टूबर, 2021 तक
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक) 31 जनवरी, 2022 तक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक) 4 फरवरी, 2022 से प्रभावी
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 6 सितंबर, 2021 तक
श्री विशाल कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 15 नवंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. मनोज एम. पांडे	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 15 नवंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

(2) मुख्य धारक कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) अनुषंगी कंपनी

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)

(4) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की सहयोगी कंपनियां

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.10.2021 को निगमित)
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और 4 जून, 2021 को मैसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित)
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड (20 अगस्त, 2020 को निगमित और 1 नवंबर, 2021 को मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई, 2020 को निगमित और 28 दिसंबर, 2021 को मैसर्स इंडिग्रिड आई लिमिटेड (मुख्य सदस्य) को हस्तांतरित कर दिया गया)

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और मैसर्स रिन्यू को हस्तांतरित कर दिया गया

फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और 4 जून, 2021 को मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया)

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (एमसीए पत्र दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से आरओसी से पृथक)

(5) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) (31 अगस्त, 2021 तक)

(6) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(7) सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसाइटी

आरईसी फाउंडेशन

(8) वे कंपनियां जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

समर्पण हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड (15 नवंबर, 2021 से संबंधित पक्षकार)

एनएचपीसी लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

एसजेवीएन लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

पुनात्सांगछु–I, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

पुनात्सांगछु–II, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

(9) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते है:

(क) धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक), 31 जनवरी, 2022 तक
श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजनाएं), 28 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक, 6 सितंबर, 2021 तक
श्री विशाल कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक, 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी
श्री राम चंद्र मिश्रा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सलाहकार भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 23 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्रीमती उषा संजीव नायर	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 23 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री प्रसन्ना तांत्री	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 23 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) मुख्य धारक कंपनी की मुख्य अनुषंगी कंपनियां

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

चेयूर इंफ्रा लिमिटेड

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2021 को निगमित)

किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (15.04.2021 को निगमित)

छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (25.01.2022 को निगमित)

नंगलबीबरा–बोंगईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड (09.04.2021 को निगमित और 16.12.2021 को स्थानांतरित)

खावड़ा–भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2021 को निगमित और 18.01.2022 को स्थानांतरित)

कोप्पल– नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.12.2021 को स्थानांतरित)

सीकर–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2021 को स्थानांतरित)

करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.01.2022 को स्थानांतरित)

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

शोंगटोंग करचम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया के तहत)

तटीय आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने के लिए अनुमोदन के तहत)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

(घ) मुख्य धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लिमिटेड अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(ड) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	3,000.49
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	57.44	57.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5.98	4.16
अन्य वित्तीय देयताएं	6.10	5.57
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां–धारक कंपनी		19.90
अन्य वित्तीय देयताएं–भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	1.05	9.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	1.90	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.16	0.15
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.18	0.28
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.20	1.54
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
ऋण प्रतिभूतियां	-	10.00

54.3 वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों के संबंध में बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण एवं अग्रिम		निवेश	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
आरईसीटीपीसीएल	-	1.63	-	0.05
आरईसीपीडीसीएल	5.66	4.16	0.10	0.10

54.4 संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,269.22	1,143.44
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.08	0.10
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	3,000.00
वित्तीय लागत	14.47	0.49
आरईसीपीडीसीएल		
संवितरित सरकारी फंड	0.11	-
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	19.97	8.96
लाभांश आय	22.43	8.43

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
रेंटल आय	4.88	-
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	4.56	0.85
अन्य व्यय	12.45	7.98
आरईसीटीपीसीएल		
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	-	4.42
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	-	3.71
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	18.28	1.42
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	3.28	3.29
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों का विमोचन	2.20	
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	0.38	0.38
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कार्मिक ऋण और अग्रिम का पुर्नभुगतान/वसूली	0.10	0.17
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.04	0.05
वित्तीय लागत	0.02	0.01
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.05	3.21
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.13	-
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	-
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के खर्चों का भुगतान	112.00	90.00
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
वित्तीय लागत	0.35	0.33
लाभांश आय	4.13	27.52

पिछले वर्ष के दौरान, आरईसीटीपीसीएल के साथ संबंधित पक्षकार लेनदेन को प्रभावी तिथि अर्थात 5 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत किया गया है (टिप्पणी 10.2 देखें)

54.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन बड़ी निकटता से अर्थात आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती हैं, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

54.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.91	3.01
(ii)	रोजगार के पश्चात लाभांश	0.14	0.20
	जोड़	**3.05**	**3.21**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग–अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54 .7 एक ही सरकार (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के नियंत्रण में संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित निम्न एंटीटियों से लेन–देन हुआ था:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटिटियों से सकल लेन-देन निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,059.64	2,837.27
ब्याज आय को मान्यता	1,829.69	2,178.00

सरकार से संबंधित एंटिटियों से सकल लेन–देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	17,854.95	22,649.28
ब्याज उपचित	4.52	7.73

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11,19.1(i), 21 और 32 देखें।

55 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹6.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.92 करोड़) हैं। राइट–ऑफ–यूज एसेट्स सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹6.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.95 करोड़) है।

वर्ष के दौरान नीचे दी गई पट्टा देयताओं की धारित राशि (उधारी के तहत शामिल) और संचलन के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	**0.05**	**0.07**
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	0.01
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.02)	(0.03)
अंतिम शेष	**0.03**	**0.05**

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की सविंदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
1 वर्ष तक	0.02	0.02
1–5 वर्ष	0.02	0.04
5 वर्ष से अधिक	-	-

56. भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

56.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि के तहत पृथक पंजीकृत न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न का निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा और इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि को सदस्य के संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित किया जाता है, जैसा कि सदस्य द्वारा चुना गया है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹11.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.54 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

56.2 परिभाषित लाभ योजनाएं - नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	30.43	32.44
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.09	30.25
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं	0.34	2.19

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**32.44**	**36.82**	**30.25**	**35.47**	**2.19**	**1.35**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	1.79	1.93	-	-	1.79	1.93
ब्याज लागत/आय	2.17	2.28	2.11	2.38	0.06	0.10
लाभ अथवा हानि में मान्य राशि	**3.96**	**4.21**	**2.11**	**2.38**	**1.85**	**1.83**
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.65)	(0.49)	-	-	(0.65)	(0.49)
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.29)	0.58	-	-	(0.29)	0.58
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	(0.18)	(0.33)	0.18	0.33
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(0.94)**	**0.09**	**(0.18)**	**(0.33)**	**(0.76)**	**0.42**
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	2.94	1.42	(2.94)	(1.42)
भुगतान किए गए हितलाभ	(5.03)	(8.68)	(5.03)	(8.69)	-	0.01
अंतिम शेष	**30.43**	**32.44**	**30.09**	**30.25**	**0.34**	**2.19**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तीय पोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	165.51	151.69
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	164.80	144.06
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	0.71	7.63

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**151.69**	**136.42**	**144.06**	**140.64**	**7.63**	**(4.22)**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	3.29	2.90	-	-	3.29	2.90
पूर्व सेवा लागत	2.50	-	-	-	2.50	-
ब्याज लागत/आय	10.31	8.94	10.07	9.45	0.24	(0.51)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**16.10**	**11.84**	**10.07**	**9.45**	**6.03**	**2.39**
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (प्राप्ति)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिपर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(4.08)	(5.20)	-	-	(4.08)	(5.20)
– सांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	3.75	-			3.75	-
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	10.58	19.94	-	-	10.59	19.94
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी	-	-	2.90	1.64	(2.90)	(1.64)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**10.25**	**14.74**	**2.90**	**1.64**	**7.36**	**13.10**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.15	-	0.06	0.08	0.09	(0.08)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	7.71	-	(7.72)	-
भुगतान किए गए हितलाभ	(12.68)	(11.31)	-	(7.75)	(12.68)	(3.56)
अंतिम शेष	**165.51**	**151.69**	**164.80**	**144.06**	**0.71**	**7.63**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तीय पोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.15	4.13

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/ देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**4.13**	**4.25**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.20
ब्याज लागत/आय	0.26	0.25
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**0.46**	**0.45**
ओसीआई में शामिल		
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.06)	0.02
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.89	0.73
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**0.83**	**0.75**
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.27)	(1.32)
अंतिम शेष	**4.15**	**4.13**

56.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित हितलाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

56.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवृधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.38	0.01	0.11	1.90
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
राज्य सरकार की ऋण प्रतिभूतियां			22.58	
कारपोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	142.11	142.16
अन्य – बीमाकर्ता प्रबंधित फंड और टी–बिल	29.71	30.24	-	-
उप-जोड़-अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**29.71**	**30.24**	**164.69**	**142.16**
जोड़	**30.09**	**30.25**	**164.80**	**144.06**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹14.9 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.14 करोड़) है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च 2022 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्तीय पोषित है	7.37%	6.99%	7.37%	6.99%	7.37%	6.99%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	17.35	16.03	17.35	16.03	17.35	16.03

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

56.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित हितलाभ दायित्व प्रभावित होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	(0.80)	0.85	(0.90)	0.97
– पीआरएमएस	(12.16)	12.66	(11.14)	11.66
– ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	0.19	(0.21)	0.14	(0.13)
– पीआरएमएस	-	-	-	-
– ईआरएस	0.15	(0.14)	0.15	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
– पीआरएमएस	11.68	(10.57)	10.83	(10.44)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
– पीआरएमएस	16.98	(16.28)	15.56	(14.92)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र चरण पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

56.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एक वर्ष से कम	4.71	7.87	14.02	12.20	1.11	1.19
1 से 5 साल तक	17.61	20.81	83.46	72.60	3.60	3.00
5 साल से ऊपर	32.92	31.10	327.63	285.02	4.74	3.19
जोड़	**55.24**	**59.78**	**425.11**	**369.82**	**9.45**	**7.38**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	1.76	3.98	4.35	10.91	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.20 वर्ष है (31.03.2021 को – 12.54 वर्ष)।

56.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

56.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी भी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹8.98 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹4.21 करोड़) दी गई है और लाभों के लिए ₹8.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.21 करोड़) का कुल खर्च किया गया है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया गया है।

56.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.76 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट कर दिया गया है।

56.4 इसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट के आधार पर कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी लाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएफ, सीमांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) का आवंटन कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।

57. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

58 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार संयोजन पर नीति, शेयरों के मुद्दे पर व्यय और उचित मूल्य हेजेज को जोड़ा गया है। इसके अलावा, कुछ लेखा नीतियों में भी अधिक स्पष्टता लाने और कंपनी के अभ्यास के साथ संरेखित करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

59 प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में डेबिट किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	3,434.36	2,363.33
(ii)	निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	28.72	-
(iii)	अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	10.23	56.29
(iv)	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,378.98	2,394.35

**सुविधा पत्र पर हानि भत्ते के लिए ₹ 11.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.71 करोड़) शामिल हैं।*

60 कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित कारोबार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

60.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	38,522.97	34,364.47
(ख)	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	15.23	33.67
(ग)	ट्रेजरी संचालन से आय	227.86	400.73
	जोड़	**38,766.06**	**34,798.87**

60.2 इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि कंपनी के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

60.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के दौरान कंपनी के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

61 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		30.03.2021 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	-	1,140.49	-
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	2,295.30	-	1,928.81	0.25
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	343.37	5,166.80	258.94	2,052.28
(घ)	ऋण	39,144.60	3,32,785.94	36,576.91	3,28,684.58
(ङ)	निवेश	61.28	2,096.69	37.28	1,872.50
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	255.77	24,141.17	259.59	24,139.62
	कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**42,226.71**	**3,64,190.61**	**40,202.01**	**3,56,749.23**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		30.03.2021 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	179.64	-	160.07
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	3,134.74	-	2,437.71
(ग)	निवेश संपत्ति	-	-	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	623.67	-	260.12
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	6.07	-	335.67
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	0.77
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	4.25	-	6.10
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	37.87	8.19	72.66	8.84
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**37.87**	**3,956.56**	**72.66**	**3,209.29**
(3)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीत परिसंपत्तियां**	**0.86**	**-**	**-**	**-**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**42,265.44**	**3,68,147.17**	**40,274.67**	**3,59,958.52**
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखितें	18.89	534.25	73.13	773.18
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	29,639.43	1,89,994.14	45,057.34	1,92,270.72
(ग)	उधार (ऋण प्रतिभतियों के अलावा)	22,529.92	84,121.67	27,509.52	57,997.84
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	296.95	6,519.52	299.49	6,647.40
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	1,466.54	24,109.30	1,824.80	24,109.30
	कुल - वित्तीय देयताएं (1)	**53,951.73**	**3,05,278.88**	**74,764.28**	**2,81,798.44**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**				
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	10.25	-	10.62	-
(ख)	प्रावधान	57.00	47.51	71.65	41.32
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	52.40	29.24	88.41	32.10
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**119.65**	**76.75**	**170.68**	**73.42**
	कुल देयताएं (1+2)	**54,071.38**	**3,05,355.63**	**74,934.96**	**2,81,871.86**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है।

62 इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन–पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

63 कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

64. मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन टिप्पणी संख्या 3, 8, 9, 10, 20.1, 27.1, 44,47,48.1.3(एन), 48.1.3 (ओ), 48.1.3 (आर), 48.1.3(एस), 48.1.3 (टी), 48.1.3(यू), 48.2.2, 48.2.4, 48.3, 49, 51, 54, 58, 59, 62, 63, 65, 66 में किए गए हैं।

65 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है।

तथापि, कंपनी को बोर्ड/समितियों के पदों/गणपूर्ति (कोरम) की अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के संबंध में 30 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और 31 दिसंबर

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए गैर–अनुपालन के लिए ₹ 75,59,080 (जीएसटी सहित) का कुल अर्थदंड अधिरोपित करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से नोटिस प्राप्त हुए हैं।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।

66. 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

67. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 67 तक टिप्पणियां स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजय चौधरी**	**आर. एस. ढिल्लों**
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्तीय)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-06629871	**डीआईएन-00278074**

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	**कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
फर्म पंजी. सं. : 001135एन	**फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091**
एस.के. मित्तल	**राकेश कुमार**
भागीदार	**भागीदार**
सदस्यता सं. : 008506	**सदस्यता सं. : 087537**

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 अगस्त, 2022

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय – कोर –4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003, सीआईएनः L40101DL1969GOI005095

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– क्रमागत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 19, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्ष:				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
	(क) डिबेंचर / बॉण्ड्स :				
	– प्रतिभूत	40,644.51	-	35,581.38	-
	– अप्रतिभूत	1,86,655.90	-	2,09,521.27	-
	(ख) आवधिक ऋण				
	– वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
	– एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12		10,325.12	
	– बैंको से अप्रतिभूत ऋण	42,919.86		29,953.76	
	– वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	6,800.00		5,800.00	
	(ग) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	-	-
	(घ) अन्य ऋण				
	– विदेशी मुद्रा उधारियां	35,687.77	-	21,060.17	-
	– एफसीएनआर (बी) ऋण	9,861.13	-	5,335.01	-
	– अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	1,415.58		10,201.99	
	– धारक कंपनी से मांग पर प्रतिदेय ऋण	-		3,000.49	
	– लीज ऑब्लिगेशन	0.03		0.05	

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	परिसंपत्ति पक्ष:				
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा**				
	(क) प्रतिभूत		2,13,512.93		2,47,657.93
	(ख) अप्रतिभूत		1,57,153.67		1,16,554.11
(3)	**निवेश :**				
	चालू निवेश :				
	उद्धृत:				
	(i) शेयरः इक्विटी		49.52		23.60
	अनुद्धृत:				
	(i) शेयरः प्रेफेरेंस		-		69.08
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		238.76		292.16
	दीर्घावधि निवेश				
	उद्धृत :				
	(i) शेयरः इक्विटी		53.52		430.13
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		226.82		227.52
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियां		1,374.51		649.08
	अनुद्धृत:				
	(i) शेयरः इक्विटी		214.84		218.20

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31.03.2022 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,13,512.93	1,57,153.67
जोड़	**2,13,512.93**	**1,57,153.67**
31.03.2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,47,657.93	1,16,554.11
जोड़	**2,47,657.93**	**1,16,554.11**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण :

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-	218.10	218.10
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
2. संबंधित पक्षकार के अलावा	2,157.87	2,157.87	1,691.57	1,691.57
जोड़	**2,157.97**	**2,157.97**	**1,909.77**	**1,909.77**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i) सकल क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	17,159.89	18,256.93
(ii) निवल क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	5,594.16	6,465.62
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	-	349.28

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्तीय)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन	फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091
एस.के. मित्तल	राकेश कुमार
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. : 008506	सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) क विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात ''स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों'' के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 48.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

2. हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू संस्था के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले (''केएएम'') वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता -** (लेखांकन नीति सं. 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 48.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** क) भारतीय लेखांकन मानक 109 ''वित्तीय लिखत'' के उपबंधों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ख) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। ग) मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए वसूलियों का सत्यापन किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। चूंकि कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए अर्थात् कुल परिसंपत्ति के 90.62%, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में समझा गया है।	घ) ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन में हानि के आधार पर मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली वसूलियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। ङ) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। च) हम, बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर विश्वास करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भरता को देखते हुए इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है। छ) इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को बढ़ाता/घटाता है। प्रबंधन ओवरले के रूप में हमने इस तरह के बदलावों के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। ज) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुसरण में आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान की राशि के साथ ईसीएल की तुलना।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं. 8 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रुपये नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग लिखतों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के चिह्न को नकदी प्रवाह हेजेज के लिए अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी गई है। वित्तीय विवरणों के महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।** क) जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन–देनों का उद्देश्य अध्ययन करना और देखना कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक न हो। ख) भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन ग) व्युत्पन्न लेन–देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। घ) वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। ङ) 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार से बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों का ब्योरा प्राप्त करना। च) ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। छ) हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की हैं जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। ज) इसके अतिरिक्त, नकदी प्रवाह हेजेज के लिए हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। प) यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक से भिन्न सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल और प्रबंधन अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग–अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम कारोबारिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान कारोबारिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने मेंय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिचिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ–साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, और हमारे द्वारा उचित समझे गई कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमने **अनुलग्नक-क** में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, यथा संभव लागू, एक विवरण प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमनें अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर **अनुलग्नक-ख** के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

   क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

   च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

   छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कृपया हमारी पृथक रिपोर्ट **"अनुलग्नक-ग"** में देखें।

   ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

   झ) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   (i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 43 के संदर्भ में;

   (ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमे कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

   (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।

   (iv) (क) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पण संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;

   (ख) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषक पक्षकार") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि कंपनी, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;

   (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपबंधित अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलतबयानी है।

   (v) इस रिपोर्ट की तारीख तक समूह द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभांश (अंतरिम और अंतिम) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में हैं।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 008506
यूडीआईएन: 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक :13 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों तथा सामान्य लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

(क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी का संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है ताकि सभी परिसंपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के अंतर्गत शामिल वित्तीय विवरण में यथा–प्रकट सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करारों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	जिस अवधि से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन	4.59	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, स्कोप, केंद्र सरकार का परिसर, में कंपनी को आबंटित कार्यालय फ्लैट कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के विरूद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) कंपनी की कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। चूंकि, सीमाओं को अप्रतिभूत के रूप में स्वीकृत किया गया है, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी फर्मों या किसी अन्य पक्षकार में/को प्रतिभूत/प्रतिभूत, निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है और ऋण की प्रकृति में ऋण/अग्रिम प्रदान किया है। इस संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(क) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पंजीकृत एनबीएफसी है, जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, इसलिए आदेश का खंड 3 (iii) (क) लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी तथा ऋण और गारंटी की प्रकृति में प्रदान किए गए सभी ऋणों और अग्रिमों की निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) एक पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, कंपनी मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर अपने ऋण की अदायगी करती है। ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित हैं।

(घ) हम रिपोर्ट करते हैं कि ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के रूप में प्रावधान करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन किया गया है। निर्धारित देय तिथि से 90 दिनों से अधिक के लिए चुकौती में देरी के परिणामस्वरूप लेखा को ऋणग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय राशि निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कदम उठाती है जो हमारी राय में उचित है। चूंकि, कंपनी एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, बकाया देय में अतिदेय होने की घटना को सामान्य माना जाता है।

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूल राशि	अतिदेय ब्याज*	कुल अतिदेय	टिप्पणी (यदि कोई हो)
25	8,727.87	16,647.21	25,375.08	-

**कंपनी की लेखा नीतियों और परिपाटियों के अनुसार विवेकी मामले के रूप में आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।*

(ङ) आदेश के खंड 3 (iii) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्य कारोबार के लिए ऋण प्रदान करना है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में और अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक एनबीएफसी होने के नाते, अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा ऋण और गारंटी के संबंध में संगत नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186(1) के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य प्रासंगिक उपबंध और इसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi. एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेख बनाए रखने के संबंध में आदेश का खंड 3 (vi) लागू नहीं होता है।

vii. (क) हमारी जांच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय, जो उपयुक्त प्राधिकरण में उस पर लागू होते हैं, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित है। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया में कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं था।

(ख) हमें दी गई और प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित जानकारी और स्पष्टीकरण, जिस पर हमने विश्वास किया है, के अनुसार, कुल ₹ 103.41 करोड़ के आयकर की बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है आपत्ति के तहत जमा नहीं की गई है और मामले उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	विवादित राशि	समायोजित भुगतान की गई राशि/धनवापसी	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.30	0.30	-	निर्धारण वर्ष 2008–09	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.32	0.32	-	निर्धारण वर्ष 2012–13	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.83	0.83	-	निर्धारण वर्ष 2012–13	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	87.68	6.44	81.24	निर्धारण वर्ष 2018–19	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	64.74	42.60	22.14	निर्धारण वर्ष 2019–20	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.03	-	0.03	–	सीपीसी, टीडीएस
वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017	वस्तु और सेवा कर का भुगतान	17.89	17.89	-	वित्तीय वर्ष 2017–18	आयुक्त (अपील), सीजीएसटी दिल्ली अपील
जोड़		**171.79**	**68.38**	**103.41**		

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई विगत अलेखबद्ध आय के संबंध में कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों की अदायगी में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों के रेहन पर कोई ऋण नहीं जुटाया है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऋण लिखतों और सावधि ऋणों के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे जुटाया गया था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xi. (क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन परिपाटियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि, वर्ष के दौरान कंपनी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा ₹0.04 करोड़ का एक झूठा चिकित्सा दावा सामने आया और रिपोर्ट किया गया।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथानिर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को किसी व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) (क) से (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार, अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण आदि में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा–अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी में व्यापक तौर पर अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और इस तारीख तक, कंपनी को लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xi. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर– नकदी संव्यवहार नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्तीय गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमारी राय में, समूह में कोई कोर निवेश कंपनी (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपात, काल प्रभावन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र में मौजूद अपनी देनदारियों, जब वे देय हों, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते हैं और न ही ऐसा कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब वे देय होती हैं, को कंपनी द्वारा अदा कर दिया जाएगा।

xx. चल रही परियोजनाओं या चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

xxi. आदेश का खंड 3 (xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 008506
यूडीआईएन: 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

अनुलग्नक-I

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

क्रम सं.	दिशानिर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	**दिशानिर्देश**		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन देन ओरेकल ईआरपी आर 12 संस्करण द्वारा किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निधारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (अगर, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो क्या यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है। इसके अलावा, कंपनी ने सही तरीके से उन मामलों को लेखाबद्ध किया है जहां कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण का पुनर्गठन किया गया हो।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि)का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं। तथापि, कंपनी को विभिन्न एजेंसियों की निर्दिष्ट योजनाओं के अनुसार इसके संवितरण के लिए सरकार से निधि प्राप्त होती है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 008506
यूडीआईएन: 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

अनुलग्नक-II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार हमने आरईसी लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 008506
यूडीआईएन: 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2022 के अनुसार **आरईसी लिमिटेड** कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग–निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग–निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग–दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोडकर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनको कंपनी के 31 मार्च, 2022 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 008506
यूडीआईएन: 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल,
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित), की लेखापरीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व–बैंक(आरबीआई) की दिनांक 29 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीपीडी. 03/66.15.001/2016–17 के तहत जारी "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016" द्वारा यथा अपेक्षित तथा उक्त निदेश के अध्याय–II के अनुच्छेद 3(ए) और 3(सी) में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए यथासंभव लागू प्रावधानों और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45– IA के तहत दिनांक 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.000011 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व के प्रमाणपत्र के एवज में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को नया प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें आरईसी को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को पंजीकरण सं. 14.000011 के तहत नया प्रमाणपत्र जारी किया है।

2. कंपनी, 31 मार्च, 2022 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय प्रतिरूप के संदर्भ में ऐसे पंजीकरण को नियमित रूप से धारित करने के पात्र हैं।

3. कंपनी, दिनांक 1 सितंबर, 2016 के मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से गैर–महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा निर्धारित एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को लागू अपने स्वामित्व की निवल निधियों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

4. कंपनी के निदेशक मंडल ने, दिनांक 10 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए किसी सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार न करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया है।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
   तदनुसार, अपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के प्रावधानीकरण के समक्ष क्षति भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन कर रही है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कोई प्रणाली को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2016 के निदेश के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आय मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं कर सकी। फिर भी कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के तहत इस संबंध में कंपनी के आईआरएसीपी मानदंड और ईसीएल कार्यप्रणाली के बीच प्रावधान में अंतर के पालन के निर्देशों का पालन कर रही है।

7. क) हमारी राय में, फार्म एनबीएस–7 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर सही प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्ति/जोखिम ऋण और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस–7 रिर्टन) के वार्षिक विवरण को कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 13 अप्रैल, 2022 को जमा कर दिया गया है।

मैसर्स एस.के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 001135एन

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 072290
यूडीआईएन: 22072290एआईवाईकेएक्सवाई2602

मैसर्स ओ.पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 000018एन/एन500091

नाम: राकेश कुमार
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजेएमजी7914

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 13 मई 2022 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ–ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(दीपक कपूर)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (एनर्जी),
दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2022

31 मार्च 2022 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	**6**	140.99	1,179.24
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	**7**	2,518.96	2,223.58
(ग)	ट्रेड प्राप्य	**8**	94.55	140.07
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**9**	5,510.17	2,311.22
(च)	ऋण	**10**	3,71,930.54	3,65,261.49
(छ)	निवेश	**11**	2,190.44	1,723.68
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**12**	24,415.31	24,419.88
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**4,06,800.96**	**3,97,259.16**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**13**	191.56	168.92
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**14**	3,160.12	2,461.03
(ग)	निवेश संपत्ति	**15**	-	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	**16**	624.04	260.70
(च)	पूंजीगत चालू कार्य	**16**	6.07	335.67
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**16**	-	0.77
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	**16**	4.28	6.15
(झ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	**17**	68.68	102.67
(ट)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखाकृत निवेश	**11**	-	257.74
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**4,054.75**	**3,593.66**
(3)	**बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	**18**	4.38	14.05
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		***4,10,860.09***	***4,00,866.87***
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**9**	553.14	846.31
(ख)	ट्रेड प्राप्य			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय	**19**	-	0.01
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	**19**	36.48	61.84
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	**20**	2,19,574.61	2,37,269.11
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	**21**	1,06,651.59	85,507.36
(च)	अधीनस्थ देयताएं	**22**	6,816.47	6,946.89
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	**23**	25,708.64	26,213.00
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		***3,59,340.93***	***3,56,844.52***
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	**24**	10.25	14.40
(ख)	प्रावधान	**25**	105.67	113.69
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	**26**	89.13	130.25
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**205.05**	**258.34**
(3)	**बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं**	**18**	**0.01**	**0.08**
(4)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	**27**	1,974.92	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	**28**	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	**29**	48,780.78	41,230.61
	कुल - इक्विटी (4)		**51,314.10**	**43,763.93**
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		**4,10,860.09**	**4,00,866.87**
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	**1 से 5**		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां **1 से 73**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजय चौधरी**	**आर. एस. ढिल्लों**
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-06629871	**डीआईएन-00278074**

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	**कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.**
सनदी लेगखाकार,	**सनदी लेखाकार**
फर्म पंजी. सं.: 001135एन	**फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091**
एस. मूर्ति	**अतुल अग्रवाल**
भागीदार	**भागीदार**
सदस्यता सं.: 072290	**सदस्यता सं.: 092656**

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	**30**	38,194.49	34,693.51
(ii)	लाभांश आय	**31**	4.21	27.97
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	**32**	572.82	95.38
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	**38**	346.57	572.33
(v)	सेवाओं की बिक्री	**33**	150.96	163.65
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)**		**39,269.05**	**35,552.84**
II.	**अन्य आय**	**34**	70.15	22.72
III.	**कुल आय (I+II)**		**39,339.20**	**35,575.56**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	**35**	22,050.96	21,489.05
(ii)	निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि	**36**	799.05	330.26
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	**37**	16.73	9.95
(iv)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	**39**	3470.02	2445.94
(v)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	**40**	65.11	88.67
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**41**	180.09	163.62
(vii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**42**	18.24	10.86
(viii)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	**43**	172.35	146.27
(ix)	अन्य व्यय	**44**	124.31	109.38
IV.	**कुल व्यय (i से ix)**		**26,896.86**	**24,794.00**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**12,442.34**	**10,781.56**
VI.	**इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा**		(11.81)	(1.97)
VII.	**कर पूर्व लाभ (III-IV+V)**		**12,430.53**	**10,779.59**
VIII.	**कर व्यय**	**45**		
(i)	वर्तमान कर		3,065.27	2,920.97
(ii)	आस्थगित कर		(670.44)	(519.62)
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,394.83**	**2,401.35**
IX.	**अवधि के लिए लाभ**		**10,035.70**	**8,378.24**
X.	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन लाभ/(हानि)		(8.33)	(14.26)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		22.19	166.53
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(0.02)	(0.05)
(घ)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुन:मापन लाभ/(हानि)		2.10	3.59
	– एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		2.55	(6.01)
	उप-जोड़ *(i)*		***18.49***	***149.80***
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वगीकृत किया जाएगा**			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		480.84	80.81
(ख)	हेजिंग रिजर्व की लागत		(584.51)	329.00
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा		1.19	1.29
(घ)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(121.02)	(20.34)
	– हेजिंग आरक्षण की लागत		147.11	(82.80)
	उप-जोड *(ii)*		***(76.39)***	***307.96***
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि (i+ii)		**(57.90)**	**457.76**
XI.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)**		**9,977.80**	**8,836.00**
XII.	**प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)**	**46**		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		50.82	42.42
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		50.82	42.42
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1 से 5**		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां **1 से 73**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजय चौधरी**	**आर. एस. ढिल्लों**
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-06629871	**डीआईएन-00278074**

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	**कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
फर्म पंजी. सं.: 001135एन	**फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091**
एस. मूर्ति	**अतुल अग्रवाल**
भागीदार	**भागीदार**
सदस्यता सं.: 072290	**सदस्यता सं.: 092656**

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
कर पूर्व निवल लाभ	12,430.53		10,779.59	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि / (लाभ)	0.97		4.69	
2. बिक्री (निवल) के लिए धारित परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त करने पर हानि / (लाभ)	(30.19)		-	
3. अवमूल्यन एवं परिशोधन	18.24		10.86	
4. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर क्षति भत्ता	9.71		-	
5. वित्तीय लिखतों पर हानि से संबंधित क्षति	3,470.02		2,445.94	
6. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	(11.95)		32.61	
7. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	(111.31)		152.19	
8. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	(351.36)		(545.92)	
9. निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन	12.78		(2.43)	
10. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	14.76		35.32	
11. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	-		81.78	
12. विनिमय दर घटने–बढ़ने पर हानि / (लाभ)	(2,164.42)		526.71	
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	-		22.71	
14. इक्विटी पद्धति प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के लाभ / हानि का शेयर	11.81		1.97	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**13,299.59**		**13,546.02**	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :				
1. ऋण परिसंपत्तियां	(9,877.12)		(56,522.42)	
2. व्युत्पन्न	(2,460.52)		711.20	
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(433.09)		(1,827.24)	
4. प्रचालनात्मक देयताएं	(1,360.41)		3,264.58	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(831.55)**		**(40,827.86)**	
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,101.39)		(2,696.20)	
2. आयकर वापसी	23.26		11.73	
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(3,909.68)**		**(43,512.33)**
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.10		0.35	
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	31.24		-	
3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(47.90)		(73.30)	
4. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास एवं पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.25)		(0.95)	
5. पूंजीकृत वित्तीय लागतें	(5.10)		(22.04)	
6. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में बिक्री / (निवेश)	431.17		249.92	
7. उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन / (निवेश)	(716.17)		(872.28)	
8. एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन / (निवेश)	96.07		1,582.15	
9. सहयोगी कंपनियों के शेयरों की बिक्री / (निवेश) (निवल)	0.82		(0.40)	
10. कारपोरेट और आवधिक जमाओं की / में परिपक्वता / (निवेश)	(77.44)		(2.93)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(287.46)**		**860.52**
ग. वित्तीय संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रूपे ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम / (विमोचन)	(20,844.10)		15,499.66	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम / (विमोचन)	(14.76)		(2,925.00)	
3. सरकार / बैंकों / वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपे अवधि ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (चुकौतियां)	2,164.16		26,270.47	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना / (चुकौतियां)	24,310.58		2,884.39	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना / (विमोचन)	-		1,999.50	
6. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम	-		558.40	
7. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम व्यय	-		(0.94)	
8. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का कूपन व्यय	(45.60)		-	

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
9. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,411.37)		(2,172.41)	
10. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतानं	-		-	
11. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.02)		(0.73)	
वित्तीय संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**3,158.89**		**42,113.34**
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**(1,038.25)**		**(538.47)**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		1,179.24		1,717.71
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकद समतुल्यता		140.99		1,179.24

वर्ष के दौरान, समूह को ₹ 4.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 27.97 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, समूह ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹ 168.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 150.30 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.02	0.12
– बैंको में शेष	130.61	247.82
–अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	10.36	931.30
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	**140.99**	**1,179.24**

वित्तीय संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का पुनर्मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंड एएस समायोजन	
31.03.2022 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**2,11,208.71**	(20,844.11)	(859.83)	-	42.69	**1,89,547.46**
कमर्शियल पेपर	**-**	(14.76)	-	-	14.76	**-**
रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल	**59,281.36**	2,164.16	15.04	-	-	**61,460.56**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**52,286.35**	24,310.60	44.66	(1,336.85)	(86.61)	**75,218.15**
अधीनस्थ देयताएं	**6,946.89**	-	(2.54)	-	(127.88)	**6,816.47**
कुल	**3,29,723.31**	**5,615.89**	**(802.67)**	**(1,336.85)**	**(157.04)**	**3,33,042.64**
31.03.2021 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**1,94,964.01**	15,499.66	657.70	-	87.34	**2,11,208.71**
कमर्शियल पेपर	**2,889.68**	(2,925.00)	-	-	35.32	**-**
रुपे दीर्घावधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल	**32,983.45**	26,270.47	27.44	-	-	**59,281.36**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं बॉण्ड्स	**50,629.65**	2,884.39	16.81	(1,392.24)	147.74	**52,286.35**
अधीनस्थ देयताएं	**4,819.65**	1,999.50	128.90	-	(1.16)	**6,946.89**
जोड़	**2,86,286.44**	**43,729.02**	**830.85**	**(1,392.24)**	**269.24**	**3,29,723.31**

**उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में 'प्रचालन संबंधी देयताओं' में विचारा गया है।*

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135एन	फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091
एस. मूर्ति	अतुल अग्रवाल
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.: 072290	सदस्यता सं. : 092656

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार
वर्ष के प्रारम्भिक शेष	**1,974.92**	**1,974.92**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
वर्ष के अंत में शेष	**1,974.92**	**1,974.92**

विवरण के लिए टिप्पणी 27 देखें

ख लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार
वर्ष के प्रारम्भिक शेष	**558.40**	**558.40**
वर्ष के दौरान प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी लिखतों में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**558.40**	**558.40**

विवरण के लिए टिप्पणी 28 देखे

ग अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष					विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जने	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसीआई-इक्विटी लिखतें	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(**viii**) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(**vii**क) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	पूंजीगत रिजर्व									
31 मार्च 2020 के अनुसार शेष	**16,659.10**	**2,992.83**	**2,131.00**	**2,236.54**	**4.70**	**(1,719.38)**	**6,976.22**	**793.29**	**3,674.25**	**(2.48)**	**106.26**	**(226.08)**	**(204.75)**	**33,421.50**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	8,378.24	-	-	-	-	8,378.24
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.67)	-	-	-	-	(10.67)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)	1.29	160.52	60.47	246.20	468.43
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,367.52**	**1.29**	**160.52**	**60.47**	**246.20**	**8,836.00**
अन्य समायोजन														
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	2,563.13	288.13	1,673.00	-	-	-	981.10	-	(5,505.36)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(1,152.55)	-	-	-	-	1,945.84	(793.29)	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी लिखत (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	242.71		(242.71)	-	-	-
अवधि के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन हानि	-	-	-	-	-	437.65	-	-	-	-	-	-	-	437.65
ईईएसएल में हिस्सेदारी में वृद्धि पर लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-	708.57	-	-	-	-	-	-	-	708.57
प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी लिखत पर निर्गम व्यय (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.70)	-	-	-	-	(0.70)
कुल - अन्य समायोजन	**2,563.13**	**(864.42)**	**1,673.00**	**-**	**-**	**1,146.22**	**2,926.94**	**(793.29)**	**(5,263.35)**	**-**	**(242.71)**	**-**	**-**	**1,145.52**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	-	(2,172.41)
कुल - स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,172.41)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,172.41)**
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष	**19,222.23**	**2,128.41**	**3,804.00**	**2,236.54**	**4.70**	**(573.16)**	**9,903.16**	**-**	**4,606.01**	**(1.19)**	**24.07**	**(165.61)**	**41.45**	**41,230.61**

ग अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष					विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जने	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसीआई-इक्विटी लिखतें	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	पूंजीगत रिजर्व									
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष	**19,222.23**	**2,128.41**	**3,804.00**	**2,236.54**	**4.70**	**(573.16)**	**9,903.16**	**-**	**4,606.01**	**(1.19)**	**24.07**	**(165.61)**	**41.45**	**41,230.61**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,035.69	-	-	-	-	10,035.69
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.23)	-	-	-	-	(6.23)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.02)	-	24.74	359.82	(437.40)	(52.86)
महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर (लाभ)/हानि का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19	-	-	-	1.19
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,029.44**	**1.19**	**24.74**	**359.82**	**(437.40)**	**9,977.79**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	3,080.70	-	2,010.00	-	-	-	-	-	(5,090.70)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/(से) अंतरण	-	(1,931.59)	-	-	(4.70)	-	1,936.29	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी लिखत (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	86.79	-	(86.79)	-	-	-
अवधि के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन हानि	-	-	-	-	-	(216.94)	-	-	-	-	-	-	-	(216.94)
अवधि के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-	234.81	-	-	-	-	-	-	-	234.81
प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी लिखत पर कूपन भुगतान (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.12)	-	-	-	-	(34.12)
कुल - अन्य समायोजन	**3,080.70**	**(1,931.59)**	**2,010.00**	**-**	**(4.70)**	**17.87**	**1,936.29**	**-**	**(5,038.03)**	**-**	**(86.79)**	**-**	**-**	**(16.25)**
लाभांश	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	(2,411.37)	-	-	-	-	(2,411.37)
कुल - स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,411.37)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,411.37)**
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	**22,302.93**	**196.82**	**5,814.00**	**2,236.54**	**-**	**(555.29)**	**11,839.45**	**-**	**7,186.05**	**-**	**(37.98)**	**194.21**	**(395.95)**	**48,780.78**

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए टिप्पणी संख्या 29 .1 देखें ।

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 73 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं.: 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 092656

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी" या "धारक कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई–4, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर के राज्यों में में फैले हुए हैं, मुख्यतः राज्यों की राजधानियों में हैं तथा एक प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण (नॉन–डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर–बैंकिंग वित्तीयकंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक अग्रणी अवसंरचना वित्तीय कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज–युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडा/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को 13 मई 2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

अनुषंगी कंपनी ऐसा एंटिटी है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी एंटिटी को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस एंटिटी के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को पंक्ति दर पंक्ति जोड़ कर समेकित करता है।

इक्विटी खाते में निवेशकर्ता

इक्विटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, संबद्ध कंपनियों संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं।

एक संबद्ध कंपनी, जिसमें एक गैरदृनिगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी एंटिटी है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी प्रतिष्ठानों में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी–अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि संबद्ध कंपनियों में निवेश/हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में संबद्ध कंपनियों में हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 105 के तहत की जाएगी।

संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की बाध्यताओं के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती हैं जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी–अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्से दारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

3.2 समेकन पर समाप्त लेन-देन

समूह के भीतर (इंट्रा–ग्रुप) बकाया राशियों और लेन–देनों और समूह के भीतर लेनदेनों से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इक्विटी अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के साथ लेनदृदेन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां क्षतिपूर्ति का कोई प्रमाण नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को छोड़कर को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है। (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनःभुगतान; क्रेडिट क्षतिपूर्ति ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई है के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

क्रेडिट–इंपेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, दवाबग्रस्त संपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व–भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाओं की (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित हों और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सके।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

(i) ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;

(ii) संविदा में अलग–अलग कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान करना;

(iii) लेन–देन का मूल्य निर्धारित करना;

(iv) कार्यनिष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना; तथा

(v) कार्यनिष्पादन दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व को मान्यता देना।

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निवल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है;

निर्धारित मूल्य संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि हालात बदलते हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं/डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि कारोबारिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) लिखतों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) लिखतों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण औरध्या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियां अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियां वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन–देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि–अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है।

भूमि में पूर्व में वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टा समझौते के तहत उपयोग के अधिकार के रूप में मानी जाने वाली भूमि भी शामिल हैं, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधन होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000/– रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीयवर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। कारोबार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.9 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियां में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.10 पट्टा लेखांकन:

समूह अल्पावधि या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समूह संविदा की शुरूआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या :

– संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियां शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियां उपलब्ध कराई गई है।

– समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

– समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसंपत्तिका उपयोग 'कैसे और किस उद्देश्य के लिए' किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तिको उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा अवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन–यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियां पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां / निपटान समूह

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया हैय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैंय एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह एंटिटी में निवेश (अर्थात उस एंटिटी की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसंपत्तिके रूप में वर्गीकृत करता है।

3.12 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन–देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। कारोबार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.13 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखत एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय लिखत के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी लिखतों को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) के उपयोग द्वारा ऋण–परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी लिखत हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग लिखत के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर–व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंडअलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर–वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग–अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध कारोबार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखत शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण–परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

– हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध है।

– क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में समूह हेज संबंधों को समूह के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए मद की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग लिखत बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए मद की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.14 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

यह समूह प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) के रूप में हानि के लिए एक 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- चरण 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- चरण 3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण–1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण–2 के लिए जीवनपर्यंत ईसीएल और चरण–3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या लिखत के शेष जीवनपर्यंत (जीवनपर्यंत पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, बशर्ते डिफॉल्ट होता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं जीवनपर्यंत पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12–महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा जीवनपर्यंत क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन–पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन–पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण के अनुसार निर्देशित किया गया है।

3.15 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.16 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.17 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.18 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/– रुपए तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.20 कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभः

तुलन पत्र की तारीख के उपरांत एक–वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी–रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती हैय यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय लिखत, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- **चरण 1** - समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- **चरण 2** - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम चरण का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- **चरण 3** - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम चरण का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम चरण इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.23 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है ।

3.24 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिजर्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ–साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.25 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंडदृएएस में संशोधन जारी किए हैं। समूह ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को मान्यता - वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता - वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

एसपीवी में निवेश - पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी प्रतिष्ठानों के रूप में मानता है, जबकि उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर- मान्यता - क्रेडिट - प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव - समूह ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड–19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की चिंताओं का पूर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समूह ने इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते है। समेकित वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव कोविड–19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड–19 महामारी समूह के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कोविड–19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा समूह द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि- प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन–वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव–दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों लिखत की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार–अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार–अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए चरण 2 और चरण 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.02	0.12
- बैंको में शेष राशि		
- चालू खातों में	130.61	247.82
-3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	10.36	**931.30**
-ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	-	-
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	**140.99**	**1,179.24**

7 बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
-बैंको में चिन्हित शेष		
– अप्रदत्त लाभांश के लिए	6.39	5.79
– अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	880.59	1,323.55
– चिन्हित आवधिक जमा राशि		
– न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.59	0.56
– बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.27	0.25
– डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व – आवधिक जमा	225.33	-
– 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के आवंटन के प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	1,291.54	856.62
-अन्य आवधिक जमा राशि	114.25	36.81
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**2,518.96**	**2,223.58**
– 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ सावधि जमा	97.25	70.02
– 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ आवधि जमा	65.28	1.22

7.1 31 मार्च 2022 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है ।

8 ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	91.94	124.45
	घटाएं : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ते	(12.48)	(19.12)
		79.46	**105.33**
(ख)	ट्रेड प्राप्य जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	30.97	55.32
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(15.88)	(20.58)
		15.09	**34.74**
(ग)	क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	54.36	46.80
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(54.36)	(46.80)
	कुल ट्रेड प्राप्य (क+ख+ग)	**94.55**	**140.07**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.1 ट्रेड प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
– शोध्य समझे गए	65.44	23.49	-	-	-	88.93
– जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	19.35	14.56	-	33.91
– क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	54.43	54.43
उप -जोड़ (i)	**65.44**	**23.49**	**19.35**	**14.56**	**54.43**	**177.27**
(ii) विवादित ट्रेड प्राप्य						
– शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-
– जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-
उप -जोड़ (ii)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़ (i+ii)	**65.44**	**23.49**	**19.35**	**14.56**	**54.43**	**177.27**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
– शोध्य समझे गए	98.84	25.61	-	-	-	124.45
– जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	22.85	32.47	-	55.32
– क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	46.80	46.80
उप -जोड़ (i)	**98.84**	**25.61**	**22.85**	**32.47**	**46.80**	**226.57**
(ii) विवादित ट्रेड प्राप्य						
– शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-
– जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-
उप -जोड़ (ii)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
जोड़ (i+ii)	**98.84**	**25.61**	**22.85**	**32.47**	**46.80**	**226.57**

9. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (व्युत्पन्न) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए टिप्पणी 52 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
– मुद्रा स्वैप	2,850.13	1.39	48.37	2,854.54	43.07	121.08
– अन्य						
– कॉल स्प्रेड	1,895.18	76.73	-	4,263.27	271.36	-
– सीगुल विकल्प	54,727.54	4,868.28	-	20,482.08	1,657.19	43.25
उप -जोड़ (i)	**59,472.85**	**4,946.40**	**48.37**	**27,599.89**	**1,971.62**	**164.33**
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	33,239.41	563.77	173.52	25,035.68	339.60	403.65
उप-जोड़ (ii)	**33,239.41**	**563.77**	**173.52**	**25,035.68**	**339.60**	**403.65**
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
– रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	4,747.00	-	331.25	4,547.00	-	278.33
कुल- व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii+iii)	**97,459.26**	**5,510.17**	**553.14**	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**

भाग II

भाग–I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) उचित मूल्य हेजिंग						
– ब्याज दर व्युत्पन्न						
– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	11,850.70	19.76	112.00	-	-	-
(ii) नकदी प्रवाह हेजिंग						
– मुद्रा व्युत्पन्न						
– मुद्रा स्वैप	2,842.77	-	48.37	2,756.43	23.86	121.08
– अन्य						
– कॉल स्प्रेड	1,895.18	76.73	-	1,837.62	77.74	-
– सीगुल विकल्प	54,727.54	4,868.28	-	20,482.08	1,657.19	43.25
– ब्याज दर व्युत्पन्न						
– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	13,313.21	115.10	45.27	13,055.84	-	318.18
उप-जोड़ (i)	**72,778.70**	**5,060.11**	**93.64**	**38,131.97**	**1,758.79**	**482.51**
(iii) गैर– नामोदिष्ट व्युत्पन्न	12,829.86	430.30	347.50	19,050.60	552.43	363.80
जोड़ - व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii)	**97,459.26**	**5,510.17**	**553.14**	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य हेजेज के मामले में, हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ–साथ हेज की गई वस्तुओं की अग्रणीत राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर–नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10 ऋण

कंपनी ने भारतीय– लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**				
(i)	आवधिक ऋण	3,83,310.40	3,84,566.08	3,77,041.98	3,78,090.36
(ii)	कार्यशील पूंजीगत आवधिक ऋण	2,060.86	2,069.12	376.17	377.24
	जोड़ (क)- सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
	जोड़ (क)- निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ख)	**प्रतिभूति ब्यौरा**				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,23,793.64	2,24,420.98	2,56,744.52	2,57,329.46
(ii)	बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	1,30,973.50	1,31,510.35	1,01,071.53	1,01,456.48
(iii)	अप्रतिभूत	30,604.12	30,703.87	19,602.10	19,681.67
	कुल(ख)- सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
	कुल(ख) - निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ग)(I)	**भारत में ऋण**				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	3,50,455.72	3,51,732.04	3,38,810.31	3,39,877.44
(ii)	निजी क्षेत्र	34,915.54	34,903.16	38,607.84	38,590.16
	कुल(ग)(I) - सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
	कुल(ग)(I) - निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ग)(II)	**भारत से बाहर ऋण**	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
	कुल(ग)(II) - निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग)(I) एवं (ग)(II)	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**

10.1 भारतीय–लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
निवल ऋण	**3,71,930.54**	**3,65,261.49**
घटाएं : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(423.59)	(504.10)
घटाएं : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(957.96)	(635.00)
जोड़ें : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	14,704.66	13,206.11
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय–लेखांकन मानक समायोजन	117.61	89.65
सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,77,418.15**

10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**13,206.11**	**11,996.04**
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 39 के संदर्भ में)'	3,422.56	2,362.62
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ता	(1,924.01)	(1,152.55)
अंतिम शेष	**14,704.66**	**13,206.11**

** चरण 1 और 2 ऋण परिसंपत्तियों पर सृजित हानि भत्ता शामिल है जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 से 0.40% के न्यूनतम चरण तक बढ़ाया गया है*

10.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकबारगी समाधान (ओटीएस)/पुनर्संरचना के तहत समाधान के संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 1,924.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,152.55 करोड़) के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 13 मई 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹14.79 करोड़ (₹1.30 करोड़ नकद और ₹13.49 करोड़ का सावधि ऋण) की वसूलियों के विनियोजन के पश्चात् ₹39.45 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) लैंको बाबंध पावर लिमिटेड के संबंध में 30 दिसंबर 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत परिसमापन आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने ₹40.39 करोड़ की नकद वसूली के विनियोजन के पश्चात् ₹1160.16 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) एस्सार पावर (एमपी) लिमिटेड (ईपीएमपीएल) के संबंध में 16 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹620.60 करोड़ (₹148.94 करोड़ नकद और ₹471.66 करोड़ का सावधि ऋण) की वसूली के विनियोजन के पश्चात् ₹724.40 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(घ) अमृत जल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 23 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹4.63 करोड़ की नकद वसूली के विनियोजन के पश्चात ₹4.35 करोड़ के पूरे बकाया ऋण और ₹0.28 करोड़ रुपये के अतिदेय ब्याज की वसूली की है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून, 2020 को निष्पादित पुनर्संरचना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹979.56 करोड़ (₹830.00 करोड़ का सावधि ऋण और ₹149.56 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर) की वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹65.25 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹329.12 करोड़ (₹102.27 करोड़ नकद ₹199.72 करोड़ के गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि) की वसूली के विनियोजन के पश्चात, 181.86 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर, 2020 को निष्पादित पुनर्संरचना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹1,396.55 करोड़ (₹1,396.55 करोड़ का सावधि ऋण और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य) की वसूलियों के विनियोजन के पश्चात् ₹905.44 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

10.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		3,85,371.26		3,77,418.15
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	93%	3,56,923.45	92%	3,48,293.80
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	7%	28,447.81	8%	29,124.35
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	45%	12,813.68	71%	20,597.00
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण।	33%	9,295.96	10%	2,848.13
अप्रतिभूति ऋण	22%	6,338.17	19%	5,679.22

10.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित पक्षकार को ऋण देंगे या में निवेश करेंगे, किसी भी निधि का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है। कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्तपोषक पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या इनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

11 निवेश

(क) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
31 मार्च, 2022 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,374.51	-	-	-	**1,374.51**	**-**	**1,374.51**
ऋण प्रतिभूतियां	365.60	-	132.55	-	**498.15**	**-**	**498.15**
इक्विटी लिखतें	-	268.26	49.52	-	**317.78**	**-**	**317.78**
वरीयता शेयर	28.72	-	-	-	**28.72**	**-**	**28.72**
अन्य	-	-		-	**-**	**-**	**-**
कुल - सकल (क)	**1,768.83**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,219.16**	**-**	**2,219.16**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
भारत में निवेश	1,768.83	268.26	182.07	-	**2,219.16**	**-**	**2,219.16**
कुल - सकल (ख)	**1,768.83**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,219.16**	**-**	**2,219.16**
कुल निवेश	1,768.83	268.26	182.07	-	**2,219.16**	**-**	**2,219.16**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	**(28.72)**	**-**	**(28.72)**
कुल - निवल (घ=क-ग)	**1,740.11**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,190.44**	**-**	**2,190.44**
31 मार्च, 2021 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	**649.08**	**-**	**649.08**
ऋण प्रतिभूतियां	408.73	-	143.06	-	**551.79**	**-**	**551.79**
इक्विटी लिखतें	-	430.13	23.60	-	**453.73**	**-**	**453.73**
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	**69.08**	**-**	**69.08**
अन्य	-	-		-	**-**	**-**	**-**
कुल - सकल (क)	**1,083.90**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
भारत में निवेश	1,083.90	430.13	209.65	-	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
कुल - सकल (ख)	**1,083.90**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
कुल निवेश	1,083.90	430.13	209.65	-	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल - निवल (घ=क-ग)	**1,083.90**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**

(ख) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकृत निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
संयुक्त उद्यमों में निवेश		
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	257.74
प्रत्येक ₹10 प्रति के 21,81,00,000 इक्विटी शेयर)		
कुल	**-**	**257.74**

11.1 निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) **सरकारी प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)***	परिशोधित लागत	13,39,32,800	1,374.51	6,25,00,000	649.08
ऋण प्रतिभूतियां					
(i) **ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)***	परिशोधित लागत	3,14,940	259.39	3,14,940	259.63
(ii) **ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस के अलावा)**					
–3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर–एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	17,85,43,530	92.03	22,85,25,079	99.33
–3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर–एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	7,86,06,161	40.52	10,06,12,911	43.73
– वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर–एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,86,35,162	-	1,86,35,162	-
–फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	परिशोधित लागत	2,54,95,144	106.21	2,52,91,783	149.10
–0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला ए**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170	-	21,38,03,170	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		पर मापे गए निवेश	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
	–0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला बी **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032	-	63,03,032	-
	–0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला एआई**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-
(ख)	**उप-जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां (i+ii)**			**498.15**		**551.79**
	इक्विटी लिखतें					
	– एनएचपीसी लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,88,43,184	52.38	17,53,02,206	428.61
	– हुडको लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	3,47,429	1.14	3,47,429	1.52
	– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	214.74	-	-
	– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
	– रतन इंडिया पावर लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	49.52	9,25,68,105	23.60
	– आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
(ग)	**उप -जोड़- इक्विटी लिखतें**			**317.78**		**453.73**
(घ)	**उप -जोड़- अनुषंगी कंपनियां**			**-**		**-**
	वरीयता शेयर (पीएस)					
	– रतन इंडिया पावर लि. के विमोचनयोग्य पीएस	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	26.09
	– रतन इंडिया पावर लि. के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616	-	4,33,03,616	42.99
(ड)	**उप -जोड़- वरीयता शेयर**			**28.72**		**69.08**
	अन्य					
	– "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	61,52,200	-
(च)	**उप-जोड़ - अन्य**			**-**		**-**
	कुल निवेश (ज = क से ड)			**2,219.16**		**1,723.68**
	घटाएँ : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (झ)			(28.72)		-
	जोड़ - निवल (ट = ज - झ)			**2,190.44**		**1,723.68**

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 56.1 देखें।
**4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां(एचक्यूएलए) को बनाए रखा गया है*
***दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के खिलाफ प्राप्त किया गया।*

11.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कारोबार का प्रमुख स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31.03.2022	31.03.2021
संयुक्त उद्यम*:			
–एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	भारत	-	22.18%

संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एएस 27 'पृथक वित्तीय विवरणों' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापित किया गया है।
**वर्ष के दौरान, इंड–एएस फ्रेमवर्क के तहत 01 सितंबर, 2021 से प्रभावी संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईईएसएल के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रही।*

11.3 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के समाप्त वर्ष	31.03.2021 के समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**-**	**-**
जोड़ें: वर्ष के दौरान विमोचन के लिए प्रतिदेय रतन इंडिया पावर लिमिटेड के विमोचन योग्य पीएस के संबंध में प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 39 देखें)	28.72	-
घटाएँ: ऋणों के राइट्स ऑफ की ओर से उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	**28.72**	**-**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.4 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) चालू वर्ष के दौरान:

कंपनी को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कोई लिखत प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला–सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेसर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लि. के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

11.5 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2020–21		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड*	15,64,59,022	430.62	89.86			
स्माल इज ब्युटीफुल**	61,52,200	0.55	(5.60)	-	-	-
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमटेड	-	-	-	1,22,71,211	249.92	248.69

*वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड के 15,64,59,022 इक्विटी शेयरों को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹430.62 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

**वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' वेंचर कैपिटल फंड की 61,52,200 इकाइयों की मान्यता रद्द कर दी है, जो फंड के परिसमापन पर पूर्ण और अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ₹0.55 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹5.60 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 के संदर्भ में)	41.95	39.94
(ख)	कार्मिकों को अग्रिम	0.27	0.41
(ग)	अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	(0.72)	-
(घ)	प्रतिभूति जमा राशि	1.67	1.45
(ङ)	भारत सरकार से वसूली योग्य	-	
	भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 23.5 के संदर्भ में)	24,318.29	24,314.48
(च)	**अन्य वसूली योग्य राशि**	145.02	152.13
	घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(91.17)	(88.53)
	अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	**53.85**	**63.60**
	कुल (क से च)	**24,415.31**	**24,419.88**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

12.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत विनिर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान कार्यक्रम के साथ कर्मचारियों के ऋण को बढ़ा दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**प्रतिभूत ऋण**		
	– मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	12.64	7.39
	उप - जोड़ (क)	**12.64**	**7.39**
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**		
	– मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को	0.18	0.28
	– अन्य को	29.13	32.27
	उप - जोड़ (ख)	**29.31**	**32.55**
	जोड़ (क + ख)	**41.95**	**39.94**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.16 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के समाप्त वर्ष	31.03.2021 के समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**88.53**	**30.85**
जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजित	10.23	64.35
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया/समायोजित किया गया	(7.59)	(6.67)
अंतिम शेष	**91.17**	**88.53**

13 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	3,296.66	236.26
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	(3,110.11)	(72.35)
उप- जोड़ (1)	**186.55**	**163.91**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.26	5.26
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप-जोड़ (2)	**5.01**	**5.01**
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**191.56**	**168.92**

14 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,160.12	2,461.03

14.1 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,765.16	716.14	-	-	3,481.30
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.71	1.92	-	-	6.63
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.26	0.15	-	-	5.41
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	0.72	0.50	-	-	1.22
निवेशों का उचित मूल्यांकन	3.57	2.29	2.55	-	8.41
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	27.81	11.16	26.09	-	65.07
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	-	-	-	-	-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,807.23**	**732.16**	**28.64**	**-**	**3,568.04**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	1.61	10.85	-	-	12.46
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार – चढ़ाव	153.26	(2.21)	-	-	151.05
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	191.33	24.90	-	-	216.24
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	-	28.17	-	-	28.17
कुल आस्थगित कर देयताएं	**346.20**	**61.71**	**-**	**-**	**407.92**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,461.03**	**670.45**	**28.64**	**-**	**3,160.12**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,291.73	473.43	-	-	2,765.16
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.13	0.58	-	-	4.71
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)	-	-	5.26
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)	-	3.57
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	0.72	-	-	0.72
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)	-	27.81
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	0.04	(0.04)	-	-	-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,751.06**	**165.32**	**(109.15)**	**-**	**2,807.23**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	1.52	0.09	-	-	1.61
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	448.95	(295.69)	-	-	153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)	-	-	191.33
अन्य	12.57	(12.57)	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**700.49**	**(354.30)**	**-**	**-**	**346.20**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,050.57**	**519.61**	**(109.15)**	**-**	**2,461.03**

15 निवेश संपत्ति

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	अंतिम शेष
31.03.2022 के अनुसार	0.01	-	0.01	-
31.03.2021 के अनुसार	0.01	-	-	0.01

15.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं किया गया था। वही वर्ष के दौरान बेचा गया।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
धारित मूल्य	-	0.01
उचित मूल्य	-	0.90

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन चरण–3 में शामिल हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर					संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर				पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	राइट-ऑफ-यूज लैंड	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य												
31.03.2020 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**-**	**11.99**	**22.94**	**20.98**	**0.40**	**200.03**	**287.62**	**0.77**	**13.74**
परिवर्धन	-	-	98.66	-	9.65	4.80	5.12	-	118.23	131.70	-	0.07
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.04	-	-
निपटान	-	-	-	-	0.75	3.41	8.24	-	12.40	105.69	-	0.01
31.03.2021 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**130.40**	**-**	**20.89**	**24.33**	**17.86**	**0.40**	**305.86**	**335.67**	**0.77**	**13.80**
परिवर्धन	-	-	303.73	19.90	47.55	3.34	7.16	-	381.68	32.35	-	1.02
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.10	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	3.30	-	0.69	0.96	0.87	-	5.82	367.05	0.77	0.01
31.03.2022 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**430.83**	**19.90**	**67.75**	**26.71**	**24.15**	**0.40**	**681.72**	**6.07**	**-**	**14.81**
संचित अवमूल्यन परिशोधन												
31.03.2020 के अनुसार	**-**	**0.32**	**9.06**	**-**	**6.91**	**16.56**	**12.91**	**0.32**	**46.08**	**-**	**-**	**4.92**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	-	0.99	2.93	2.50	0.02	7.22	-	-	2.74
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.22	2.72	5.20	-	8.14	-	-	0.01
31.03.2021 के अनुसार	**-**	**0.35**	**9.81**	**-**	**7.68**	**16.77**	**10.21**	**0.34**	**45.16**	**-**	**-**	**7.65**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	4.96	0.95	3.67	3.20	2.52	0.03	15.35	-	-	2.89
निपटान के लिए समायोजन	-	-	1.26	-	0.41	0.75	0.41	-	2.83	-	-	0.01
31.03.2022 के अनुसार	**-**	**0.37**	**13.51**	**0.95**	**10.94**	**19.22**	**12.32**	**0.37**	**57.68**	**-**	**-**	**10.53**
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.24**	**120.59**	**-**	**13.21**	**7.56**	**7.65**	**0.06**	**260.70**	**335.67**	**0.77**	**6.15**
31.03.2022 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.22**	**417.32**	**18.95**	**56.81**	**7.49**	**11.83**	**0.03**	**624.04**	**6.07**	**-**	**4.28**

16.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में टाइटल डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	धारित टाइटल डीड का नाम	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन – कार्यालय कोर 4 में, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003	4.59	2.01	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	धारित टाइटल डीड का नाम	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटरधनिदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन – कार्यालय कोर 4 में, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003	4.59	2.07	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.2 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.30
निवल धारित मूल्य	2.27	2.31

16.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	6.07	-	-	-	6.07	153.75	90.67	69.71	21.54	335.67

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

(ख) सीडब्ल्यूआईपी पूरा करने का कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
–परियोजना–1	6.07	-	-	-	**6.07**	329.60	6.07	-	-	**335.67**

16.4 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

(क) विकास एजिंग कार्यक्रम के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	**-**	-	0.12	-	0.65	**0.77**

रिपोर्टिंग वर्ष के अनुसार विकास के तहत कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है या जो अपनी मूल योजना की तुलना में लागत से अधिक हो गई है या जहां पूर्णता अतिदेय है।

16.5 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 'परिसंपत्तियों की क्षति' के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.6 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए 7.94% (पिछले वर्ष 8%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है।

16.7 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20% (100% परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 5,000 रुपए अथवा कम है)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

17. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क)	पूंजीगत अग्रिम	8.19	8.84
(ख)	अन्य अग्रिम	3.56	3.34
(ग)	सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	42.20	68.06
(घ)	पूर्व–व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	0.48	4.03
(ङ)	पूर्वप्रदत्त व्यय	3.12	4.29
(च)	आस्थगित कार्मिक लागत	11.11	14.09
(छ)	अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.02
	कुल (क से छ)	**68.68**	**102.67**

18. बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**निपटान समूह**		
	(i) संबद्ध कंपनियों के लिए निवेश	0.40	0.60
	(ii) संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण	12.83	13.45
	(iii) बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर हानि के लिए प्रावधान	(9.71)	-
	उप-जोड़ (i+ii+iii)	**3.52**	**14.05**
(ख)	**भवन-बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	0.86	0.00
	जोड़ (ख)	**0.86**	**0.00**
	संपूर्ण जोड़ (क+ख)	**4.38**	**14.05**
	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कंपनियों की देयताएँ		
(ग)	**संबद्ध कंपनियों के लिए प्रतिदेय**	0.01	0.08
	जोड़ (ग)	**0.01**	**0.08**
	बिक्री के लिए धारित निवल परिसंपत्तियां (क+ख-ग)	**4.37**	**13.97**

18.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी लिखतों में निवेश		
प्रत्येक ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर		
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	-	0.05
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	0.05	0.05
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड	-	0.05
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-
सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
जोड़	**0.40**	**0.60**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.54	2.53
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.48	2.47
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.22	2.21
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.28	2.27
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	1.99	1.07
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.28	-
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.28	-
अभी तक निगमित करने के लिए–एसपीवी से प्राप्य	0.76	-
फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	-	0.91
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.11
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड	-	1.09
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.77
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.02
जोड़	**12.83**	**13.45**

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.03
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
जोड़	**0.01**	**0.08**

18.4 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर हानि के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.59	-
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.53	-
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.27	-
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.33	-
जोड़	**9.71**	**-**

18.5 झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) ने झारखंड राज्य में पारेषण परियोजनाओं के आरएफक्यू और आरएफपी को रद्द कर दिया है। इन परियोजनाओं को 01.10.2020 से स्थगित रखा गया है। आरईसीपीडीसीएल ने पत्र दिनांक 14.10.2020, 06.11.2020 और 28.07.2021 द्वारा इन एसपीवी पर किए गए खर्च की वसूली के संबंध में जेयूएसएनएल को सूचित किया है। हालांकि, इस संबंध में जेयूएसएनएल से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि इन एसपीवी की बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और पहले से किए गए खर्चों की वसूली की संभावना कम है, इसलिए लगभग 9.71 करोड़ रुपये की इंपेयरमेंट हानि के लिए लेखांकन विवेकपूर्ण प्रावधान बनाया गया है।

18.6 प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को ''बिक्री के लिए रखी गई'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

18.7 वर्ष के दौरान अपनी निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, कंपनी ने ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ आवासीय भवन इकाइयों का निपटान किया है, जिसका मूल्य ₹1.18 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है, जिसे इंड–एएस 105 के तहत "बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति "के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस तरह की बिक्री से चालू वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान ₹30.19 करोड़ का लाभ हुआ है (टिप्पणी 35 देखें)।

इसके अलावा, "बिक्री के लिए धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति" के तहत वर्गीकृत मूल्य ₹0.86 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के साथ आवासीय भवन इकाइयां 31 मार्च 2022 तक निपटान के लिए लंबित हैं। उनके निपटान की प्रक्रिया वर्ष 2022–23 के दौरान ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होना अपेक्षित है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

19 ट्रेड प्रतिदेय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
ट्रेड प्रतिदेय		
एमएसएमई का कुल बकाया देय	-	0.01
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	36.48	61.84
जोड़	**36.48**	**61.85**

19.1 ट्रेड प्रतिदेय एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई					
– विवादित	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (i)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(i) एमएसएमई के अलावा					
– विवादित	-	-	-	-	-
अन्य	15.02	8.38	11.30	1.78	36.48
उप-जोड़ (ii)	**15.02**	**8.38**	**11.30**	**1.78**	**36.48**
जोड़ (i+ii)	**15.02**	**8.38**	**11.30**	**1.78**	**36.48**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई					
– विवादित	-	-	-	-	-
– अन्य	0.01	-	-	-	0.01
उप-जोड़ (i)	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**0.01**
(i) एमएसएमई के अलावा					
– विवादित	-	-	-	-	-
अन्य	35.39	14.34	10.33	1.77	61.84
उप-जोड़ (ii)	**35.39**	**14.34**	**10.33**	**1.77**	**61.84**
जोड़ (i+ii)	**35.40**	**14.34**	**10.33**	**1.77**	**61.85**

20. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,065.31	3,470.00	3,679.52
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	24,146.13	25,025.49	17,264.97	17,901.65
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	11,763.30	12,158.86	12,602.97	13,044.23
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	1,291.54	1,291.13	856.62	854.71
उप - जोड़ (क)	**39,155.97**	**40,540.79**	**34,194.56**	**35,480.11**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	1,44,074.60	1,48,998.67	1,69,856.60	1,75,707.24
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	3.96	8.00	11.07	21.36
(iii)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	30,322.85	30,027.15	26,461.71	26,060.40
	उप -जोड़ (ख)	**1,74,401.41**	**1,79,033.82**	**1,96,329.38**	**2,01,789.00**
	कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख)	**2,13,557.38**	**2,19,574.61**	**2,30,523.94**	**2,37,269.11**
	भारत में/से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,83,234.53	1,89,547.46	2,02,547.23	2,11,208.71
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	30,322.85	30,027.15	26,461.71	26,060.40
	जोड़-ऋण प्रतिभूतियां	**2,13,557.38**	**2,19,574.61**	**2,30,523.94**	**2,37,269.11**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें।

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण - *प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.5 का संदर्भ लें*

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	-	-	1,515.00	1,615.61
123-IIIबी श्रृंखला-9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,065.31	1,955.00	2,063.91
कुल-संस्थागत बॉण्ड	**1,955.00**	**2,065.31**	**3,470.00**	**3,679.52**

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,937.05	6,651.77	6,935.40
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,417.26	6,157.72	6,415.55
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,510.93	4,455.48	4,550.70
श्रृंखला XV (2020-21) 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विमोचनीय	6,024.57	6,160.25	-	-
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**24,146.13**	**25,025.49**	**17,264.97**	**17,901.65**

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2011-12	2,160.33	2,287.99	3,000.00	3,176.71
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोचनीय हैं और ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोचनीय हैं।				

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	500.00	512.60	500.00	531.26
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	2,007.35	2,055.08	2,007.35	2,030.86
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	134.06	131.06	138.66
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27. 03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,413.35	1,350.00	1,358.55
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 1	3,410.60	3,497.89	3,410.60	3,499.86
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोचनीय हैं, ₹2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	155.48	150.00	161.92
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोचनीय हैं और ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,057.40	1,084.77	1,057.40	1,128.99
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोचनीय हैं, ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय है और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	300.00	306.33	300.00	317.75
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	696.56	711.30	696.56	699.67
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय हैं, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय है और ₹421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय हैं।				
जोड़ – कर–मुक्त बॉण्ड	**11,763.30**	**12,158.86**	**12,602.97**	**13,044.23**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,291.54	1,291.13	856.62	854.71
आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर 5% प्रतिदेय				
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	**1,291.54**	**1,291.13**	**856.62**	**854.71**

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
157 वीं श्रृंखला- 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	-	-	1,055.00	1,131.66
154 वीं श्रृंखला- 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	-	-	600.00	637.16
161 बीं श्रृंखला- 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	-	-	800.00	849.11
174 वीं श्रृंखला- 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	-	-	2,720.00	2,894.23
100 वीं श्रृंखला- 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	-	-	1,500.00	1,602.90
101-III श्रृंखला- 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	-	-	3,171.80	3,364.42
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-बी- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.58
139 वीं श्रृंखला- 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,575.17
105 वीं श्रृंखला- 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	-	-	3,922.20	4,069.73
127 वीं श्रृंखला- 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,550.00	1,664.92
141 वीं श्रृंखला- 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,020.00	1,038.03
177 वीं श्रृंखला- 8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,245.00	1,274.16
190 वींबी श्रृंखला- 6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	-	-	2,489.40	2,502.64
193 वीं श्रृंखला- 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,115.00	1,121.46
165 वीं श्रृंखला- 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	-	-	2,171.00	2,207.16
145 वीं श्रृंखला- 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	-	-	625.00	628.85
132 वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	-	-	700.00	750.81
173 वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,509.41
198 वींए श्रृंखला- 6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	-	-	2,596.00	2,600.39
167 वीं श्रृंखला- 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	-	-	2,571.80	2,577.65
179 वीं श्रृंखला- 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.84	1,000.00	1,065.70
107 वीं श्रृंखला- 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.82	2,378.20	2,554.56
186 वींए श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.90	2,500.00	2,629.63
150वीं श्रृंखला- 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.76	2,670.00	2,775.38
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.59	300.00	311.56
152 वीं श्रृंखला- 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.38	1,225.00	1,264.18
111-II श्रृंखला- 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.72	2,211.20	2,283.50
155 वीं श्रृंखला- 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,959.41	1,912.00	1,958.74
185 वीं श्रृंखला- 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,759.00	2,817.14	2,759.00	2,816.25
187 वीं श्रृंखला- 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.51	2,090.00	2,127.24
159 वीं श्रृंखला- 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.53	950.00	957.57
188 वींए श्रृंखला- 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.22	1,400.00	1,400.17
114 वीं श्रृंखला- 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,667.36	4,300.00	4,666.94
195 वीं श्रृंखला- 6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.43	2,985.00	3,179.21
191 वींए श्रृंखला- 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.39	1,100.00	1,106.06

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
200 वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी- 5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	546.01	500.00	518.94
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	298.00	309.49	298.00	309.46
202 वीं बी श्रृंखला- 5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,544.12	2,474.00	2,556.56
205 वीं-ए श्रृंखला- 4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,151.79	2,135.00	2,157.04
209 वीं श्रृंखला- 5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.38	1,550.00	1,552.62
210 वीं श्रृंखला- 5.74% सममूल्य पर दिनांक 20.06.2024 को विमोचनीय	4,000.00	4,215.56	-	-
180 वींए श्रृंखला- 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,075.09	1,018.00	1,072.68
191 वीं बी श्रृंखला- 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.48	1,100.00	1,106.18
212 वीं श्रृंखला- फ्लोटिंग (टी–बिल से जुड़ी) सममूल्य पर दिनांक 31.10.2024 को विमोचनीय	2,500.00	2,538.84	-	-
186 वीं बी श्रृंखला- 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.91	1,500.00	1,537.78
128 वीं श्रृंखला- 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.88	2,250.00	2,418.67
129 वीं श्रृंखला- 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.71	1,925.00	2,063.52
130 वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.36	2,325.00	2,493.14
131 वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.25	2,285.00	2,304.22
190 वींए श्रृंखला- 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,514.48	2,500.00	2,513.83
201 वींए श्रृंखला- 5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.39	900.00	935.50
133 वीं श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.50	2,396.00	2,453.28
94 वीं श्रृंखला- 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.00
95-II श्रृंखला- 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.49
136 वीं श्रृंखला- 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,670.75	2,585.00	2,671.10
203 वीं बी श्रृंखला- 5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,821.01	2,777.00	2,844.16
204 वीं बी श्रृंखला- 5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,111.47	2,082.00	2,116.78
205 वीं-बी श्रृंखला- 5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,018.82	2,000.00	2,024.68
211 वीं श्रृंखला- 6.23% सममूल्य पर दिनांक 31.10.2031 को विमोचनीय पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग किया जा सकता है	1,200.00	1,232.57	-	-
140 वीं श्रृंखला- 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,152.19	2,100.00	2,151.65
142 वीं श्रृंखला- 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,066.06	3,000.00	3,055.87
147 वीं श्रृंखला- 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,750.60	2,745.00	2,745.44
156 वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.30	3,533.00	3,612.72
162 वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.39	2,500.00	2,637.36
163 वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.01	2,500.00	2,627.99
168 वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,625.69	2,552.40	2,624.45
169 वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,620.97	2,554.00	2,621.52
176 वीं- श्रृंखला- 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.73	1,600.70	1,735.65
178 वीं- श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,169.96	1,097.00	1,168.79
180 वीं-बी श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,169.56	2,070.90	2,166.39
184 वीं-ए श्रृंखला- 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	870.60	907.18	580.40	604.76
192 वीं श्रृंखला- 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,396.36	2,382.00	2,395.75
188 वीं बी श्रृंखला- 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.09	1,100.00	1,100.08
189 वीं श्रृंखला- 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.91	3,054.90	3,054.85
197 वीं श्रृंखला- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.89	3,740.00	3,989.76
198 वीं बी श्रृंखला- 7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.76	1,569.00	1,673.70
202 वींए श्रृंखला- 7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,627.03	3,500.00	3,649.96
203 वींए श्रृंखला- 6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,094.06	5,000.00	5,142.50

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
204 वीं ए श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.79	2,500.00	2,527.31
201 वीं बी श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,359.79	1,300.00	1,360.02
213 वीं श्रृंखला- 6.92% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2032 को विमोचनीय	1,380.00	1,382.86	-	-
182वीं श्रृंखला- 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.67	5,063.00	5,314.66
183 वीं श्रृंखला- 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.24	3,028.00	3,163.23
207 वीं श्रृंखला- 7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,641.75	4,589.90	4,644.40
208 वीं श्रृंखला- 7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,625.48	3,613.80	3,627.67
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	**1,44,074.60**	**1,48,998.67**	**1,69,856.60**	**1,75,707.24**

**पीपी एमएलडी–प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर*
***एसटीआरपीपी–सेपरेटेली ट्रांस्फेरेबल रिडीमएबल प्रिंसिपल पार्ट्स*

(ii) अवसरंचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला-II (2011-12)- सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	8.00	11.07	21.36
जोड़ : अवसरंचना बॉण्ड	**3.96**	**8.00**	**11.07**	**21.36**

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला-II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	-	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	-	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	**3.96**	**11.07**	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,790.36	3,848.85	3,675.24	3,726.60
5.250% यूएस $700 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,306.50	5,387.23	5,145.33	5,209.90
3.375% यूएस $650 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,927.46	4,941.02	4,777.81	4,784.36
3.50% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,790.36	3,822.14	3,675.24	3,703.43
2.25% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,790.36	3,785.82	3,675.24	3,672.19
2.75% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 13.01.2027 को विमोचनीय	3,032.28	3,045.13	-	-
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,411.32	3,102.47	3,307.71	2,956.72
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,274.21	2,094.49	2,205.14	2,007.20
जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**30,322.85**	**30,027.15**	**26,461.71**	**26,060.40**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डालर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स–एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज–सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज–इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 0.4 बिलियन	यूएसडी 1 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4.4 बिलियन	यूएसडी 4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 4.0 बिलियन	यूएसडी 3.6 बिलियन

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग परिपत्र में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है।

21 उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां**				
(i)	बैंकों से आवधिक ऋण	42,878.32	42,919.86	29,938.58	29,953.76
(ii)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,800.00	6,800.00	5,800.00	5,800.00
(iii)	विदेशी मुद्रा उधारियां	35,634.60	35,329.87	21,024.72	20,890.94
(iv)	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
(v)	पट्टा देयताएं	0.03	0.03	0.05	0.05
	उप-जोड़ (क)	**95,312.95**	**95,374.88**	**66,763.35**	**66,969.87**
(ख)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां**				
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	9,854.92	9,861.13	5,329.10	5,335.01
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	1,410.93	1,415.58	10,186.52	10,201.99
(iii)	धारक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	-	-	3,000.00	3,000.49
	उप-जोड़ (ख)	**11,265.85**	**11,276.71**	**18,515.62**	**18,537.49**
	कुल- उधारियां(ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	**1,06,578.80**	**1,06,651.59**	**85,278.97**	**85,507.36**
	भारत में/से बाहर उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियां	70,944.20	71,321.72	64,254.25	64,616.42
(ii)	भारत से बाहर उधारियां	35,634.60	35,329.87	21,024.72	20,890.94
	कुल-उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	**1,06,578.80**	**1,06,651.59**	**85,278.97**	**85,507.36**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें।

21.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– केनरा बैंक	-	-	1,000.00	1,000.00
05.07.2021 को ₹500 करोड़ का पुनर्भुगतान, 03.01.2022 को ₹500 करोड़ का पुनर्भुगतान				
– बैंक ऑफ बड़ौदा	-	-	2,000.00	2,000.36
29.10.2021 को ₹2000 करोड़ का पुनर्भुगतान				
– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12,729.30	12,729.30	10,839.90	10,839.90

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
7 अर्ध–वार्षिक किश्तों में ₹4,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है; 3 वार्षिक किश्तों में ₹1,379.46 करोड़ प्रतिदेय, अगली किश्त 05.09.2022 को देय है एवं ₹2,349.86 करोड़ के साथ ₹1650 करोड़ 15.10.2022 को प्रतिदेय एवं 05.03.2023 का ₹699.86 करोड़, और ₹4,000 करोड़ संरचित किश्त प्रतिदेय है, पहली किस्त 29.10.2023 को प्रतिदेय				
– एचडीएफसी बैंक	12,000.00	12,040.15	4,650.00	4,664.47
30.09.2022 को ₹650 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.12.2022 को ₹2000 करोड़ प्रतिदेय, 15.06.2023 को ₹2000 करोड़ प्रतिदेय, 19.06.2023 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय, 30.09.2023 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय एवं 11.10.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 17.11.2026 को ₹850 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2027 को ₹2000 करोड़ प्रतिदेय				
– पंजाब नेशनल बैंक	4,996.98	4,996.98	4,396.84	4,396.84
3 वार्षिक किश्तों में ₹1,996.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है, ₹2,000 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, 5 वार्षिक किश्तों में ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 29.03.2028 को देय है				
– आईसीआईसीआई बैंक	2,850.00	2,850.48	-	-
9 वार्षिक किश्तों में ₹2,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 28.09.2023 को देय है, 17 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹850 करोड़ को प्रतिदेय, पहली किश्त 09.12.2023 को देय है				
– ड्यूश बैंक	1,000.00	1,000.15	500.00	500.08
18.12.2023 को ₹500 करोड़ का प्रतिदेय, 21.05.2024 को ₹500 करोड़ का प्रतिदेय				
– जेपी मॉर्गन चेस बैंक	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26.03.2024 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
– बैंक ऑफ इंडिया	749.87	750.00	-	-
5 वार्षिक किश्तों में ₹749.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.09.2024 को देय है।				
– एचएसबीसी	3,402.49	3,403.03	1,652.50	1,652.77
19.05.2025 को ₹565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹187.49 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹900 करोड़ प्रतिदेय, 06.07.2026 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 09.07.2026 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
– सेंट्रल बैंक	500.00	500.00	-	-
7 वार्षिक किश्तों में ₹500 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 28.02.2026 को देय है।				
– जम्मू एवं कश्मीर बैंक	300.00	300.05	-	-
28.10.2026 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय।				
– करूर वैश्य बैंक	250.00	250.04	-	-
29.10.2026 को ₹250 करोड़ प्रतिदेय।				
– साऊथ इंडियन बैंक	300.00	300.00	-	-
08.11.2026 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय			-	-
– मिजुहो बैंक	300.00	300.00	-	-
21.01.2027 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय				
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,999.68	1,999.68	3,399.34	3,399.34
5 वार्षिक किश्तों में ₹1,999.68 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 31.03.2027 को देय है				
जोड़ - बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**42,878.32**	**42,919.86**	**29,938.58**	**29,953.76**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	**6,800.00**	**6,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**
03.06.2022 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 23.06.2023 को ₹800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 14.03.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय, 27.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 09.08.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ - अन्य से आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थान	**6,800.00**	**6,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1)	**ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत**				
	जेआईसीए ऋण- जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2022 को देय है।	23.47	23.48	50.06	50.07
	केएफडब्ल्यू–III ऋण– 30.03.2024 तक ₹5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2022 को देय है।	222.81	223.55	317.22	317.87
	उप-जोड़ - (1)	**246.28**	**247.03**	**367.28**	**367.94**
(2)	**ओडीए ऋण - भारत सरकार के गारंटी के बिना**				
	केएफडब्ल्यू-IV ऋण- 15.11.2030 तक ₹12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.05.2022 को देय है।	1,637.43	1,639.80	1,241.16	1,243.23
	उप-जोड़ - (2)	**1,637.43**	**1,639.80**	**1,241.16**	**1,243.23**
(3)	**द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण**				
	यूएस $100 मिलियन- 05.10.2021 को प्रतिदेय	-	-	735.05	733.36
	यूएस $230 मिलियन- 19.01.2022 को प्रतिदेय	-	-	1,690.61	1,676.86
	यूएस $200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,516.11	1,470.09	1,461.67
	यूएस $150 मिलियन- 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,136.75	1,102.57	1,097.49
	यूएस $250 मिलियन- 29.08.2023 को प्रतिदेय	1,895.18	1,895.18	1,837.62	1,831.68
	¥10 ,327.12 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	642.66	636.04	685.31	673.06
	यूएस $250 मिलियन- 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,895.18	1,880.88	1,837.62	1,815.96
	यूएस $150 मिलियन- 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,137.11	1,125.35	1,102.57	1,085.82
	यूएस $100 मिलियन- 01.07.2024 को प्रतिदेय	758.07	755.34	735.05	729.68
	एसजी $72.08 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	403.21	396.92	391.79	383.78
	यूएस $75 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	568.55	561.90	551.29	542.57
	यूएस $170 मिलियन- $100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं $70 मिलियन– 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,288.72	1,288.65	1,249.58	1,249.55
	¥10 ,519 मिलियन- 25.09.2025 को प्रतिदेय	654.60	645.86	698.04	686.00
	यूएस $425 मिलियन- 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,221.80	3,207.65	3,123.95	3,095.46
	यूएस $600 मिलियन- 25.08.2026 को प्रतिदेय	4,548.43	4,499.53	-	-
	यूएस $75 मिलियन- 07.10.2026 को प्रतिदेय	568.55	565.00	-	-
	यूएस $1175 मिलियन- 29.12.2026 को प्रतिदेय	8,907.33	8,751.96	-	-
	¥37507 मिलियन- 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,334.04	2,293.52	-	-
	यूएस $300 मिलियन- 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,274.21	2,286.40	2,205.14	2,216.83
	उप- जोड़ - (3)	**33,750.89**	**33,443.04**	**19,416.28**	**19,279.77**
	जोड़- विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	**35,634.60**	**35,329.87**	**21,024.72**	**20,890.94**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- नेशनल स्माल सेविंग फण्ड(एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ - सरकार से आवधिक ऋण	**10,000.00**	**10,325.12**	**10,000.00**	**10,325.12**

21.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $75 मिलियन- 22.04.2021 को पुर्नभुगतान	-	-	551.29	553.09
यूएस $75 मिलियन- 20.05.2021 को पुर्नभुगतान	-	-	551.29	553.11
यूएस $75 मिलियन- 15.11.2021 को पुर्नभुगतान	-	-	551.29	551.29
यूएस $200 मिलियन- 20.12.2021 को पुर्नभुगतान	-	-	1,470.09	1,470.15
यूएस $200 मिलियन- 30.12.2021 को पुर्नभुगतान	-	-	1,470.09	1,472.31
यूएस $100 मिलियन- 30.12.2021 को पुर्नभुगतान	-	-	735.05	735.06
यूएस $200 मिलियन- 24.05.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.78	-	-
यूएस $150 मिलियन- 27.05.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,137.16	-	-
यूएस $200 मिलियन- 03.06.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,516.21	-	-
यूएस $25 मिलियन- 07.06.2022 को प्रतिदेय	189.52	189.72	-	-
यूएस $150 मिलियन- 18.06.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,137.17	-	-
यूएस $200 मिलियन- 10.12.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.90	-	-
यूएस $75 मिलियन- 14.12.2022 को प्रतिदेय	568.55	569.21	-	-
यूएस $200 मिलियन- 30.12.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.91	-	-
यूएस $100 मिलियन- 23.02.2023 को प्रतिदेय	758.07	758.07	-	-
जोड़-एफसीएनआर (ख) ऋण	**9,854.92**	**9,861.13**	**5,329.10**	**5,335.01**

21.3 टिप्पणी संख्या 21.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.00% से 8.29% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

21.4 टिप्पणी संख्या 21.1 (iii) में विदेशी मुद्रा उधारियां, 1/3/6 माह के यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) और नई बेंचमार्क दरों में ऋण के परिवर्तन पर यथा लागू क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड सहित बाह्य बेंचमार्कों पर 0.65% से 1.86% प्रति वर्ष की नियत ब्याज दरों और 13 बीपीएस से 210 बीपीएस की परिवर्तनीय ब्याज दरों पर जुटाई गई हैं।

21.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाया गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज 123–IIIबी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती नाम आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज XII और XIII को (क) सब–प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वड़ोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉण्ड की बॉण्ड सीरीज XIV और XV को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 10 और 16.2 देखें।

21.6 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

22. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,668.11	2,500.00	2,667.90
		-	-	-	-
(ii)	**175वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,100.70	2,151.20	2,151.45
(iii)	**199वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,047.66	1,999.50	2,127.54
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,816.47**	**6,650.70**	**6,946.89**
	भारत में / बाहर अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियां	6,650.70	6,816.47	6,650.70	6,946.89
(ii)	भारत के बाहर उधारियां	-	-	-	-
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,816.47**	**6,650.70**	**6,946.89**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें।

22.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घावधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी–एमएलडी एएएआर, इक्रा पीपी–एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी– (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच सामंजस्य :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,19,574.61**	**1,06,651.59**	**6,816.47**	**3,33,042.67**
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,736.43)	(430.69)	(296.94)	(7,464.06)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	719.20	357.90	131.17	1,208.27
कुल बकाया उधारियां	**2,13,557.38**	**1,06,578.80**	**6,650.70**	**3,26,786.88**
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,37,269.11**	**85,507.36**	**6,946.89**	**3,29,723.36**
घटाएं: भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(7,569.58)	(397.62)	(299.48)	(8,266.68)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	824.41	169.23	3.29	996.93
कुल बकाया उधारियां	**2,30,523.94**	**85,278.97**	**6,650.70**	**3,22,453.61**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.3 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एजेंसियों से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव लिखत/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**अप्रदत्त लाभांश (टिप्पणी संख्या 23.1 देंखे)**	6.39	5.79
(ख)	**वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज**	-	0.01
(ग)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 23.1 देंखे)**		
	– परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	22.01	49.77
	– बॉण्डों पर ब्याज	6.72	18.95
	उप-जोड़ (ग)	**28.73**	**68.72**
(घ)	**सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)**	97,373.51	91,398.16
	जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (धनवापसी का निवल)	33.24	28.96
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(96,514.35)	(90,098.32)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**892.40**	**1,328.80**
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड्स हेतु देय**	24,318.29	24,314.43
(छ)	**अन्य देयताएं**	462.83	495.25
	जोड़ (क से छ तक)	**25,708.64**	**26,213.00**

23.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹1.22 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹0.62 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

23.2 **त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:**

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹0.73 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹0.71 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	**0.71**	**0.69**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	**0.73**	**0.71**

23.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "असंवितरित सब्सिडी/के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.4 **सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**28.96**	**31.96**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित/समायोजित ब्याज	25.25	30.48
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	(20.98)	(33.48)
अंतिम शेष	**33.24**	**28.96**

23.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचनीय, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹2,500 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ–साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 12)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तारीख	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
जीओआई -I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध–वार्षिक	21.03.2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई -II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध–वार्षिक	24.03.2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई -III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध–वार्षिक	27.03.2028	753.00	753.00
जीओआई -IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध–वार्षिक	28.09.2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई -V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध–वार्षिक	15.11.2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई -VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध–वार्षिक	22.01.2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई -VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध–वार्षिक	08.03.2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई -VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध–वार्षिक	25.03.2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई -IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध–वार्षिक	02.03.2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई -X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध–वार्षिक	26.03.2030	532.30	532.30
जीओआई -XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध–वार्षिक	31.03.2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई -XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्ध–वार्षिक	07.01.2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई -XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्ध–वार्षिक	28.01.2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई -XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्ध–वार्षिक	26.03.2031	500.00	500.00
जोड़				**24,109.30**	**24,109.30**

24. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	18.01	2,691.90
घटाएं: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(7.76)	(2,677.50)
चालू कर देयताएं (निवल)	**10.25**	**14.40**

25. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	निम्न के लिए प्रावधान		
(क)	**कार्मिक हितलाभ (टिप्पणी 60 देंखे)**		
	उपदान	0.34	1.30
	अर्जित अवकाश देयता	25.57	18.57
	सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	0.71	7.71
	चिकित्सा अवकाश देयता	21.49	20.91
	निपटान भत्ता	1.79	1.89

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	आर्थिक पुनर्वास योजना	4.15	4.13
	दीर्घ सेवा अवार्ड	2.25	2.02
	प्रोत्साहन	28.47	47.92
	लायल्टी बोनस	-	0.15
	उप-जोड़ (क)	**84.77**	**104.60**
(ख)	**अन्य**		
	सुविधा पत्रों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (टिप्पणी 25.1 एवं 25.2 देखें)	20.90	9.09
	उप-जोड़ (ख)	**20.90**	**9.09**
	जोड़ (क+ ख)	**105.67**	**113.69**

25.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	**9.09**	**8.38**
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	17.18	0.75
घटाएं: वर्ष के दौरान वापस किया गया/समायोजित किया गया	(5.37)	(0.04)
अंतिम शेष	**20.90**	**9.09**

25.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹4,068.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,608.85 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

26. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) अग्रिम रूप से प्राप्त आय	-	0.01
(ख) सुन्द्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	4.10	5.07
(ग) पूंजी खाते के प्रति बिल न की गई देयता	26.96	28.53
(घ) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	28.72	68.64
(ड) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में प्राप्त अग्रिम	1.00	1.17
(च) सांविधिक देय	28.25	26.82
(छ) अन्य देयताएं	0.10	0.01
जोड़ (क से छ)	**89.13**	**130.25**

27. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

27.1 अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
अवधि के प्रारंभ में पूंजीगत शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़ें: अवधि के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
अवधि के अंत में पूंजीगत शेयर	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

27.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक किया है।

27.4 इक्विटी शेयर से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों जैसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

27.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

(₹ करोड़ में)

शेयरधारकों के नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	15,89,92,122	8.05%	16,72,55,577	8.47%

27.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित धारित कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों का विवरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%

27.7 प्रमोटरों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	-	1,03,94,95,247	52.63%	-

28 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	5,584	558.40
जोड़	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

28.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**5,584**	**558.40**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान जोड़ें/(घटाएं)	-	-	5,584	558.40
वर्ष के अंत में शेष	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.2 लिखत धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित करते है, तुलन पत्र की तिथि:

शेयरधारक का नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

28.3 कंपनी ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावेय और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, आवधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

29. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	22,302.93	19,222.23
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	196.82	2,128.41
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अधीन आरक्षित निधि	5,814.00	3,804.00
(iv)	प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	(555.29)	(573.16)
(vi)	पूंजीगत आरक्षित निधि	0.00	4.70
(vii)	सामान्य आरक्षित निधि	11,839.45	9,903.16
(ख)	**प्रतिधारित अर्जन**	7,186.05	4,606.01
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
	– इक्विटी मेथड का प्रयोग करके लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय / (हानि) का शेयर	-	(1.19)
	– अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	(37.98)	24.07
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	194.21	(165.61)
	– हेजिंग रिजर्व की लागत	(395.95)	41.45
	जोड़ - अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	**48,780.78**	**41,230.61**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

29.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

(i) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों एवं अन्य वसूली योग्य पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹1,931.59 करोड़

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹1,152.55 करोड़

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इम्पेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹793.29 करोड़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं

29.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**19,222.23**	**16,659.10**
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	3,080.70	2,563.13
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**22,302.93**	**19,222.23**

29.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान / रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,128.41**	**2,992.83**
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	-	288.13
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,931.59)	(1,152.55)
वर्ष के अंत में शेष	**196.82**	**2,128.41**

29.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,804.00**	**2,131.00**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,010.00	1,673.00
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,814.00**	**3,804.00**

29.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

कंपनी ने पूववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन (रिडेम्पशन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(573.16)**	**(1,719.38)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन लाभ/हानि (–)	(216.94)	437.65
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	234.81	708.57
वर्ष के अंत में शेष	**(555.29)**	**(573.16)**

29.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**9,903.16**	**6,976.22**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	981.10
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	1,931.59	1,152.55
जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	-	793.29
जोड़ें: पूंजीगत रिजर्व से स्थानांतरित	4.70	
वर्ष के अंत में शेष	**11,839.45**	**9,903.16**

29.8 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निवल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022–21 के दौरान क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-**	**793.29**
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(793.29)
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**-**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से प्रतिधारित आय में अंतरित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**24.07**	**106.26**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	24.74	160.52
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(86.79)	(242.71)
वर्ष के अंत में शेष	**(37.98)**	**24.07**

29.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वादा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी हिस्सा' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए मद लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(165.61)**	**(226.08)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	359.82	60.47
वर्ष के अंत में शेष	**194.21**	**(165.61)**

29.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**41.45**	**(204.75)**
घटाएं: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(437.40)	246.20
वर्ष के अंत में शेष	**(395.95)**	**41.45**

29.12 वर्ष के दौरान पूंजीगत आरक्षित निधि में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4.70**	**4.70**
जोड़ें: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(4.70)	-
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**4.70**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.13 वर्ष के दौरान इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम लेखांकन की अन्य व्यापक आय/(हानि) के हिस्से में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(1.19)**	**(2.48)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	1.19	1.29
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**(1.19)**

29.14 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,606.01**	**3,674.25**
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	10,035.69	8,378.24
जोड़ें: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(6.23)	(10.67)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(0.02)	(0.05)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(981.10)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(3,080.70)	(2,563.13)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	-	(288.13)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(2,010.00)	(1,673.00)
घटाएं: डिबेंचर विमोचन रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत(करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	86.79	242.71
घटाएं: लिखत पर कूपन भुगतान पूर्णतया प्रकृति में इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	(34.12)	-
घटाएं: मियादी ऋण लिखतों (करों का निवल) का निर्गम व्यय	-	(0.70)
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,411.37)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**7,186.05**	**4,606.01**

29.15 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	10.50	2,073.66	11.00	2,172.41
अंतिम/प्रस्तावित लाभांश	4.80	947.96	1.71	337.71
कुल लाभांश	**15.30**	**3021.62**	**12.71**	**2,510.12**

निदेशक मंडल ने 13 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

इंड–एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद ऐसा विनियोजन किया जाता है।

30. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**						
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	-	37,613.72	-	-	34,160.00	-
	घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.04)	-	-	(0.06)	-
	दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	37,613.68	-	-	34,159.94	-
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण	-	197.16	-	-	69.98	-
	उप-जोड़ (क)	**-**	**37,810.84**	**-**	**-**	**34,229.92**	**-**
(ख)	**निवेशों पर ब्याज आय**						
(i)	दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	110.44	27.15	-	29.40	195.30
	उप-जोड़ (ख)	**-**	**110.44**	**27.15**	**-**	**29.40**	**195.30**
(ग)	**बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज**						
(i)	जमाओं पर ब्याज	-	89.78	-	-	161.44	-
	उप-जोड़ (ग)	**-**	**89.78**	**-**	**-**	**161.44**	**-**
(घ)	**अन्य आय पर ब्याज**						
(i)	उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	154.54	-	-	72.84	-
(ii)	कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	0.97	-	-	3.70	-
(iii)	मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.24	-	-	0.56	-
(iv)	अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स	-	0.16	-	-	0.19	-
(v)	एसपीवी से ब्याज	-	0.37	-	-	0.16	-
	उप-जोड़ (घ)	**-**	**156.28**	**-**	**-**	**4.61**	**-**
	जोड़-ब्याज आय (क से घ)	**-**	**38,167.34**	**27.15**	**-**	**34,498.21**	**195.30**

31 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	4.21	27.97
जोड़-लाभांश आय	**4.21**	**27.97**

31.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
–वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	3.20	27.63
–वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	1.01	0.34
जोड़	**4.21**	**27.97**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

32. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	92.22	26.57
पूर्व अदायगी प्रीमियम	465.37	35.14
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	15.23	33.67
जोड़-शुल्क एवं कमीशन आय	**572.82**	**95.38**

33. सेवा की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	150.96	163.65
जोड़	**150.96**	**163.65**

34. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/(हानि)	30.19	
किराए से आय	16.32	2.17
देयताएं/प्रावधान रिटेन बैक	10.09	-
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो से शुल्क	6.57	2.77
आयकर वापसी से ब्याज	0.84	1.00
विविध आय	6.14	16.78
जोड़-अन्य आय	**70.15**	**22.72**

35. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतों पर वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	**उधारियों पर ब्याज**		
	– भारत सरकार से ऋण	822.50	820.81
	– बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,788.79	2,091.00
	– बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	577.12	630.50
	– पट्टा देयता	-	0.11
	उप-जोड़ (i)	**4,188.41**	**3,542.42**
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	– घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	14,759.43	15,289.04
	– विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,294.73	1,196.54
	– वाणिज्यिक लिखत	14.76	35.32
	उप-जोड़ (ii)	**16,068.92**	**16,520.90**
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
	– अधीनस्थ बॉण्ड	523.30	523.75
	उप-जोड़ (iii)	**523.30**	**523.75**
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	– स्वैप प्रीमियम	1,269.34	894.62
	–अग्रिम आय कर पर ब्याज	0.75	22.71
	– कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	3.48	2.32
	– विविध ब्याज व्यय	1.86	4.37
	उप-जोड़ (iv)	**1,275.43**	**924.02**
	जोड़ - वित्तीय लागतें	**22,056.06**	**21,511.09**
	घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(5.10)	(22.04)
	जोड़-वित्तीय लागतें (निवल)	**22,050.96**	**21,489.05**

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

36. निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि/(लाभ)	799.05	330.26
जोड़	**799.05**	**330.26**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹234.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹708.57 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

36.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भित दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी/आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/आईएनआर	एसजीडी/आईएनआर
31 मार्च 2022 के अनुसार	75.8071	0.6223	84.6599	55.9438
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581

37. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	गारंटी शुल्क	4.29	-
(ii)	सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.84	0.78
(iii)	एजेंसी शुल्क	2.01	3.01
(iv)	क्रेडिट रेटिंग व्यय	6.69	3.33
(v)	अन्य वित्तीय प्रभार	2.90	2.83
	जोड़ (i से iv)	**16.73**	**9.95**

38. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)**		
(i)	**ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर**	-	-
(ii)	**अन्य**		
	– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	351.36	545.92
	– दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(12.78)	2.43
	– अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	7.99	23.98
	उप-जोड़ (ii)	**346.57**	**572.33**
	जोड़ (क)	**346.57**	**572.33**
	उचित मूल्य के परिवर्तनों का ब्रेकअप		
	– वसूली की गयी	365.03	590.79
	– वसूली नहीं की गयी	(18.46)	(18.46)
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	**346.57**	**572.33**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते है।

39. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
		एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i)	–ऋण *	-	3,434.36	-	2,363.33
(ii)	–निवेश	-	28.72		-
(iii)	–अन्य	-	6.94	-	82.61
	जोड़ (i+ii+iii)	**-**	**3,470.02**	**-**	**2,445.94**

**सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹11.81करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.71 करोड़) की राशि शामिल है।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	65.11	88.67
जोड़	**65.11**	**88.67**

41 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	134.23	119.67
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	11.60	13.96
– रोजगार के बाद हितलाभ संबंधी व्यय	7.46	4.87
– कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	3.77	2.19
– कार्मिक कल्याण व्यय	23.03	22.93
जोड़	**180.09**	**163.62**

42 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यह्रास	15.35	8.12
– अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.89	2.74
जोड़	**18.24**	**10.86**

43. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	166.88	141.73
– ओवरहेड्स	5.47	4.54
जोड़	**172.35**	**146.27**

43.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 22 जनवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के तहत कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 निर्दिष्ट किए हैं, जो अधिसूचना की तारीख से पूर्व–व्यापी रूप से प्रभावी हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन नियमों में यह अपेक्षा की गई है कि चल रही किसी भी परियोजना के अलावा किसी भी सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि चल रही किसी परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यदि ऐसी राशि का उपयोग तीन वित्तीय वर्षों के भीतर नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित करना आवश्यक है। कंपनी को अधिनियम के तहत आवश्यकता से अधिक खर्च की गई किसी भी राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च की जाने वाली राशि के सापेक्ष निर्धारित करने का अधिकार है।

43.2 समूह द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹172.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹146.27 करोड़) है।

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹172.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹146.27 करोड़) है।

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए टिप्पणी सं. 58 को देखें ।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क) प्रारंभिक शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि	**(4.03)**	-
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	172.35	146.27
(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	168.80	150.30
(घ) अंतिम शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि* (क+ख-ग)	**(0.48)**	**(4.03)**

**अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

43.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में):

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	जोड़	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	जोड़
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण**	-	-	-	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**						
	स्वास्थ्य / स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	54.75	-	54.75	28.48	-	28.48
	शिक्षा / व्यावसायिक / कौशल विकास	16.83	-	16.83	18.20	-	18.20
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	8.25	-	8.25	18.01	-	18.01
	खेल–कूद	15.00	-	15.00	-	-	-
	पीएम केयर फंड में योगदान	50.00	-	50.00	50.03	-	50.03
	कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान और कोविड–19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	0.60	-	0.60	7.75	-	7.75
	अन्य	17.90	-	17.90	23.29	-	23.29
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	5.47	-	5.47	4.54	-	4.54
	जोड़ (ii)	**168.80**	**-**	**168.80**	**150.30**	**-**	**150.30**

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹200 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹50 करोड़ का योगदान वर्ष 2021–22 के दौरान और शेष ₹50 करोड़ का योगदान वर्ष 2020–21 के दौरान एवं ₹100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया है।

44. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	11.72	9.56
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	2.32	8.36
– मरम्मत और अनुरक्षण	27.45	18.37
– किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	7.32	16.95
– बीमा प्रभार	0.09	0.10
– संप्रेषण लागत	2.91	3.43
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.94	0.99
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.21	0.10
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.59	1.52
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	11.59	11.28
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	0.97	4.03
– प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	7.65	2.97
– सरकारी योजना की मॉनिटरिंग व्यय	18.49	18.28
– बिक्री के लिए परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों पर क्षति भत्ता	9.71	-
– अन्य व्यय	21.35	13.44
जोड़	**124.31**	**109.38**

44.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
– लेखापरीक्षक के रूप में	0.62	0.74
– कराधान मामलों के लिए*	0.17	0.33
– कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.33	0.26
– अन्य सेवाओं के लिए	-	-
(i) एमटीएन ऑफर लिखत / सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.10

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(ii) प्रमाणन के लिए	0.22	0.04
– व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	-
उप-जोड़	**1.47**	**1.47**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.12	0.05
जोड़- लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	**1.59**	**1.52**

** पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹ शून्य (पिछले वर्ष 0.12) शामिल है।*

45. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	3,069.23	2,698.02
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय / (लाभ)	(3.96)	222.95
उप-जोड़ - चालू कर	**3,065.27**	**2,920.97**
– आस्थगित कर व्यय / (ऋण)	(670.44)	(519.62)
जोड़	**2,394.83**	**2,401.35**

45.2 प्रभावी कर दर का पुनर्समाधान

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**12,430.53**	**10,779.59**
सांविधिक आयकर व्यय	**25.168%**	**25.168%**
प्रत्याशित आय कर व्यय	**3,128.52**	**2,713.01**
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(775.36)	(645.09)
सीएसआर खर्च और अन्य समायोजन की गैर–अनुमति	42.95	112.70
गैर–कटौती योग्य अन्य कर व्यय	(1.03)	6.16
गैर कर योग्य आय	(2.59)	(8.57)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	(3.96)	222.95
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	(3.98)	-
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके परिकलित संयुक्त उद्यम (जेवी) के लाभ पर कर का प्रभाव	2.97	0.50
इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू रिवर्सल के कर का प्रभाव	7.30	(0.31)
कर व्यय	**2,394.83**	**2,401.35**

46 अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	10,035.70	8,378.24
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	10,035.70	8,378.24
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,97,49,18,000	1,97,49,18,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹10 / – प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	50.82	42.42
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹10 / – प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)		
	50.82	**42.42**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

47. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

47.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	30.21	29.67
(ख) कराधान मांग		
(i) – आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	167.69	25.41
(ii) – कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.90	0.30
(iii) – वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में की गई मांग	17.89	-
(ग) अन्य		
– सुविधा पत्र	4,068.95	2,608.85
– बैंक गारंटी	31.06	38.49

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त ख (i) में उल्लिखित राशि आय कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है।

उपरोक्त ख (ii) में उल्लिखित राशि आईटीएटी चरण पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के खिलाफ है।

उपरोक्त ख (iii) में उल्लिखित राशि आरईसी द्वारा दायर जीएसटी धन वापसी अपील के खिलाफ है।

47.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	129.13	225.95
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	0.16
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	400.30	260.85

48. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

49. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

49.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए था। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

49.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹5302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

49.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012–13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

49.4 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व–अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

(i) वर्ष 2024–25 तक अखिल भारतीय चरण पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12–15% तक करना।

(ii) वर्ष 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।

(iii) वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:–

भाग क - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।

49.5 प्रधानमंत्री की जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, परिनिर्माण, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के तहत पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है।

49.6 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत् मंत्रालय ने 11 केवी फीडर मॉनिटरिंग योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। यह स्कीम 66, 33/11 केवी सब–स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व–संधारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न हितधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है।

50. पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि यह हितधारकों के रिर्टन को अधिकतम करते हुए चिंता का विषय बनी रहेगी। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील कारोबारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ–साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्तीय मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन'' के संबंध में दिशा–निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
निवल ऋण	3,26,645.89	3,21,274.39
निवल कीमत	51,314.10	43,763.93
ऋण - इक्विटी अनुपात	**6.37**	**7.34**

निवल ऋण बकाया मूल कम नकद और उपलब्ध नकद समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30% न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5% जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी कारोबार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

51 जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15% (न्यूनतम 10% टियर–1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है जिसकी गणना कंपनी की टियर–I और टियर–II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

विवरण	न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमनेटर* (₹ करोड़ में)	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	% भिन्नता
(i) सीआरएआर	57,937.08	2,45,436.54	23.61%	19.72%	19.70%
(ii) सीआरएआर– टियर I पूंजी	48,052.65	2,45,436.54	19.58%	16.31%	20.04%
(iii) सीआरएआर– टियर II पूंजी	9,884.43	2,45,436.54	4.03%	3.41%	18.10%

टियर–I पूंजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.16% (पिछले वर्ष 1.44%) है।

**टियर–I और टियर–II पूंजी होने के कारण अंश में मुख्य रूप से इक्विटी (टिप्पणी संख्या 25, 26 और 27 देखें) शामिल हैं और जोखिम भारित संपत्ति होने के कारण मुख्य रूप से ऋण जैसे कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (ओं) की भारित राशि का प्रतिनिधित्व करता है (टिप्पणी संख्या 10 देंखे) और निवेश (टिप्पणी संख्या 11 देखें), इस संबंध में समय–समय पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।*

वर्ष के दौरान जुटाई टियर-II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखतों का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	1,999.50
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	558.40

52 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा–निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी समतुल्य, ऋण, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूति में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और प्रेफरेंस शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, तरल निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधारियां, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपये (आईएनएआर) में न बताई गईं देयताएं	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयाताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है ताकि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जोखिमों की पहचान, माप और शमन जो इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

52.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की स्थिति मुख्य रूप से नकदी एवं नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

52.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	**वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम**		
	नकदी एवं नकदी समतुल्य	140.99	1,179.24
	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	2,518.96	2,223.58
	ऋण*	3,35,876.99	3,58,891.11
	ट्रेड प्राप्य	79.46	105.33
	निवेश**	1,872.66	1,269.95
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,415.31	24,419.88
(ii)	**मध्यम ऋण जोखिम**		
	ऋण*	36,424.23	2,888.05
	ट्रेड प्राप्य	15.09	34.74
(iii)	**उच्च ऋण जोखिम**		
	ऋण*	17,159.89	18,256.93
	प्रेफरेंस शेयरों में निवेश***	28.72	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	91.17	88.53

** प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के असंवितरित राशि के साथ) दर्शाता है।*

*** इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में किए गए इक्विटी लिखतों निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश औए अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें इंड –एएस27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर किया जाता है।*

****रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड लिखतों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न लिखतों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्तियों, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

कारोबार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

ऋण निपटान/संकल्प के समय उधारकर्ता एंटिटियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी, कंपनी या ऋणदाताओं के कंसोर्टियम, जो भी लागू हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित अदायगी/समाधान योजना के एक भाग के रूप में तथा ऋणदाताओं की समिति और सक्षम क्षेत्राधिकार के राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत समाधानों के मामले में, ऋणी संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

52.1.2 ऋणों एवं कारोबार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी क्रेडिट हानि की उम्मीद के लिए व्यक्तिगत वित्तीय लिखतों का आकलन करके ऋण के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है:

- **नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा)-** चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा तरल निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पावधि निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकदी एवं नकदी समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- **सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए-** यह देखते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में हैं/उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) में न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी कंपनियां, ऋण जोखिम को कम माना जाता है।
- **ऋण निपटान/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए-** ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली के आधार पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे निवेशों पर जहां कहीं मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त हानि भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए-** ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण एवं कारोबार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य	140.99	-	140.99	1,179.24	-	1,179.24
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,518.96	-	2,518.96	2,223.58	-	2,223.58
निवेश*	1,930.10	28.72	1,901.38	1,269.95	-	1,269.95
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **	24,506.48	91.17	24,415.31	24,508.41	88.53	24,419.88

** क्रेडिट–इंपेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश' पर पूरी तरह से हानि भत्ता प्रदान किया गया है।*

***हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।*

52.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन–देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल प्रकटन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले प्रकटन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक लिखतों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को अग्रणी ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामला दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/नकदी प्रवाह निगरानी एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार अवसंरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिति/ऋण समिति/निदेशक मण्डल पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर कारोबारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निपटानों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ कारोबारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन संबंधित कारोबारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग आदि टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाता है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

<u>मात्रात्मक कारक</u>

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)

<u>गुणात्मक कारक</u>

तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ

वास्तविक चूक तिथियाँ

परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण "चरण 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "चरण 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "चरण 3" में ले जाया जाता है।
- चरण 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(घ) ऋण जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ड) चूक तथा क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय लिखत को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन - इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

अपेक्षित क्रेडिट हानि चूक की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) और घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पीडी को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों, समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया है। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) चरण 3 परिसम्पत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

चरण –3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) चरण–III ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, अग्रणी ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी % को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी % में से अधिक को अपनाया जाता है।

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(झ) ऋण जोखिम एक्सपोजर

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोजर निम्न है।

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/ मैप्ड रेटिंग)	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादन								
बहुत अच्छा (एएए । एए । ए । सरकारी ऋण)	1,81,968.90	11,661.35	-	1,93,630.25	2,20,485.16	1,421.82	-	2,21,906.98
अच्छा (बीबीबी । बीबी। बी)	96,631.68	24,762.88	-	1,21,394.57	1,07,998.93	69.68	-	1,08,068.61
औसत (सी)	54,755.07	-	-	54,755.07	28,532.47	-	-	28,532.47
उचित (डी)	2,521.34	-	-	2,521.34	1,874.55	1,396.55	-	3,271.10
गैर–निष्पादित (डी)	-	-	17,159.89	17,159.89	-	-	18,256.93	18,256.93
सकल एक्सपोजर	**3,35,876.99**	**36,424.23**	**17,159.89**	**3,89,461.12**	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**
हानि भत्ता	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.57	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20
निवल एक्सपोजर	**3,33,086.77**	**36,054.62**	**5,594.16**	**3,74,735.55**	**3,57,608.65**	**2,746.62**	**6,465.62**	**3,66,820.89**

(ञ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक प्रकार निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा लिखतों को सौंपना
- लिखतों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की कारपोरेट तथा व्यक्तिगत गारंटी

(ट) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय लिखतों के कारण चरण –1 और चरण –2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय लिखतों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय लिखतों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्नुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**3,58,891.11**	**1,282.46**	**2,888.05**	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**3,80,036.09**	**13,215.20**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,031.94	134.62	(1,396.55)	(139.66)	(635.39)	5.03	-	(0.01)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण	(35,361.06)	(40.15)	35,361.06	40.15	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट–इंपेयर्ड में अंतरण, क्रेडिट–इंपेयर्ड नहीं	(1,516.73)	(214.87)	-	-	1,516.73	214.87	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	1,235.51	-	293.79	-	1,517.77	-	3,047.07
उत्पन्न अथवा खरीदी हुई नई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	62,483.86	569.85	3,877.11	40.22	-	-	66,360.97	610.07
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(50,652.13)	(177.20)	(4,305.44)	(6.32)	(54.37)	(39.24)	(55,011.94)	(222.76)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)
अंतिम शेष	**3,35,876.99**	**2,790.22**	**36,424.23**	**369.61**	**17,159.89**	**11,565.73**	**3,89,461.11**	**14,725.56**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**2,99,697.53**	**488.46**	**2,431.27**	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**3,23,384.35**	**12,004.42**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78	(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण, क्रेडिट–इंपेयर्ड	(1,609.07)	(1.90)	1,609.07	1.90	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट–इंपेयर्ड में अंतरण	-	-	(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92	-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75
उत्पन्न अथवा खरीदी हुई नई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	94,564.60	414.89	264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें, अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)
राइट ऑफ	-	-	(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)
अंतिम शेष	**3,58,891.11**	**1,282.46**	**2,888.05**	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**3,80,036.09**	**13,215.20**

(ठ) चरण वार एक्सपोजर और इंपेयरमेंट हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
कुल एक्सपोजर	**3,35,876.99**	**36,424.23**	**17,159.89**	**3,89,461.12**	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**
हानि भत्ता	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.57	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20
ईसीएल%	0.83%	1.01%	67.40%	3.78%	0.36%	4.90%	64.59%	3.48%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ड) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह राज्यीय हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,55,202.14	12,298.95	1,56,901.95	12,035.54
नवीकरणीय ऊर्जा	13,449.27	225.20	17,388.24	117.88
ट्रांस्कोज	64,879.92	774.38	61,309.37	502.51
डिस्कॉम्स	1,52,115.74	1,411.67	1,39,833.76	557.90
सरकारी ऋण	3,814.04	15.36	4,602.77	1.37
कुल	**3,89,461.11**	**14,725.56**	**3,80,036.09**	**13,215.20**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	3,50,584.17	2,684.59	3,38,973.84	938.40
निजी	38,876.94	12,040.97	41,062.25	12,276.80
जोड़	**3,89,461.11**	**14,725.56**	**3,80,036.09**	**13,215.20**

(ढ) क्षेत्रवार क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां - उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.45%	4.84%

(ण) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	4.45%	4.84%
(ii)	**सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	1.45%	1.71%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	1.51%	1.78%
(iv)	**क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	18,256.93	21,255.55
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	1,516.73	38.22
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(689.76)	(2789.74)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट–ऑफ	(1924.01)	(247.10)
(च)	**अंतिम शेष**	**17,159.89**	**18,256.93**
(v)	**क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	6,465.62	10,703.42
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	(215.91)	34.59
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(655.55)	(4272.39)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट–ऑफ	-	-
(च)	**अंतिम शेष**	**5,594.16**	**6,465.62**
(vi)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	11,791.31	10,552.13
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,732.64	2,038.26
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट–बैक	(34.21)	(551.98)
(घ)	वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(1924.01)	(247.10)
(च)	**अंतिम शेष**	**11,565.73**	**11,791.31**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(त) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड–एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2022 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 4.45% (पिछले वर्ष 5.04%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.51% (पिछले वर्ष 1.99%) रहा था।

(थ) राइट ऑफ नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब न्यायिक प्राधिकरण का आदेश हो या उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने कारोबारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल का मूल्यांकन लिखत–दर–लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

"कंपनी विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए एकत्र" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ध) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्यू), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (उन खातों को छोड़कर जिन्हें आरबीआई कोविड–19 राहत पैकेज के तहत राहत की अनुमति दी गई है) (पिछले वर्ष शून्य)।

(न) वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों के कोई रिपोर्ट योग्य मामले नहीं हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(प) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	3,31,787.14	3,32,586.36	2,769.32	3,29,817.04	1,771.72	997.60
	चरण 2	36,424.23	36,888.95	369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
उप-जोड़ (1)		**3,68,211.37**	**3,69,475.31**	**3,138.93**	**3,66,336.38**	**2,163.24**	**975.69**
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	1,512.49	1,512.49	437.16	1,075.33	190.83	246.33
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	33.28	33.28	3.33	29.95	7.25	(3.92)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	4,534.01	4,534.01	2,981.99	1,552.01	1,952.89	1029.10
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	11,062.89	11,062.89	8,126.03	2,936.86	8,108.58	17.45
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		**15,630.18**	**15,630.18**	**11,111.35**	**4,518.82**	**10,068.72**	**1042.63**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		**17,159.89**	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**14,704.66**	**3,71,930.53**	**12,440.01**	**2264.65**
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं किए गए हैं							
–सुविधा पत्र*	चरण 1	4,089.85	4,089.85	20.90	4,068.95	-	20.90
उप-जोड़ (3)		**4,089.85**	**4,089.85**	**20.90**	**4,068.95**	**-**	**20.90**
	चरण 1	**3,35,876.99**	**3,36,676.21**	**2,790.22**	**3,33,885.99**	**1,771.72**	**1018.50**
	चरण 2	**36,424.23**	**36,888.95**	**369.61**	**36,519.34**	**391.52**	**(21.91)**
जोड़	**चरण 3**	**17,159.89**	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
	जोड़	**3,89,461.11**	**3,90,725.05**	**14,725.56**	**3,75,999.48**	**12,440.01**	**2285.55**

**इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती हैं।*

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	3,56,273.17	3,57,285.43	1,273.37	3,56,012.06	2,304.84	(1031.47)
	चरण 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
उप-जोड़ (1)		**3,59,161.22**	**3,60,210.67**	**1,414.80**	**3,58,795.87**	**2,450.46**	**(1035.66)**
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष	चरण 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		**18,203.40**	**18,203.40**	**11,770.46**	**6,432.93**	**9,879.96**	**1890.50**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**3,77,418.15**	**3,78,467.60**	**13,206.11**	**3,65,261.48**	**12,351.27**	**854.84**
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं किए गए हैं							
सुविधा–पत्र*	चरण 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़ (3)		**2,617.94**	**2,617.94**	**9.09**	**2,608.85**	**-**	**9.09**
	चरण 1	**3,58,891.11**	**3,59,903.37**	**1,282.46**	**3,58,620.91**	**2,304.84**	**(1022.38)**
	चरण 2	**2,888.05**	**2,925.24**	**141.43**	**2,783.81**	**145.62**	**(4.19)**
जोड़	**चरण 3**	**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
	जोड़	**3,80,036.09**	**3,81,085.54**	**13,215.20**	**3,67,870.33**	**12,351.27**	**863.93**

**इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती हैं।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.1.4 ट्रेड प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आरईसी की अनुषंगी कंपनियों में से एक, आरईसीपीडीसीएल के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में इकाई आजीवन क्रेडिट हानि प्रदान करती है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	88.93	19.35	14.56	54.43	177.27
प्रत्याशित हानि दरें	14.03%	6.82%	99.52%	100.00%	46.66%
प्रत्याशित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	12.48	1.32	14.49	54.43	82.72
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	76.45	18.03	0.07	-	94.55
31 मार्च 2021 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	124.45	22.85	32.47	46.80	226.57
प्रत्याशित हानि दरें	15.36%	19.04%	49.98%	100.00%	38.18%
प्रत्याशित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	19.12	4.35	16.23	46.80	86.50
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	105.33	18.50	16.24	-	140.07

52.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और मैच्योरिंग दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

52.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देनदारियों की मदों के लिए नकदी प्रवाह (भविष्य में बिना छूट वाले नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाता है) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	5,878.20	2,970.00	14,058.86	53,719.87	39,133.38	67,474.22	**1,83,234.53**
– ब्याज	-	379.26	348.22	1,085.23	2,345.40	2,433.79	6,289.22	21,667.98	14,748.20	22,279.94	**71,577.24**
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	-	160.93	1,150.00	1,000.00	1,824.29	5,163.63	17,836.77	15,155.51	18,798.15	**61,089.28**
– ब्याज	272.39	-	63.24	202.90	496.89	671.39	1,604.83	4,949.21	3,439.46	3,027.89	**14,728.20**
अधीनस्थ देयताएं											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	**6,650.70**
– ब्याज	-	-	-	201.50	114.94	-	163.60	759.35	557.08	787.73	**2,584.20**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	17,814.67	6,822.64	5,685.54	**30,322.85**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
– ब्याज	-	-	-	227.28	66.15	285.65	584.79	1,691.31	769.79	171.02	**3,795.99**
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	-	-	2,744.22	2,887.33	2,664.98	4,506.16	8,555.57	21,129.28	3,001.98	**45,489.52**
– ब्याज	8.00	7.18	22.42	67.65	124.53	263.85	447.00	1,388.28	812.26	516.82	**3,657.99**
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.07	-	18.82	0.00	42.62	-	112.01	**173.52**
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	13.87	-	34.50	**48.37**
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	22.50	-	308.74	**331.24**
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,813.29	**2,04,062.23**
– ब्याज	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,839.85	22,724.28	16,731.83	27,588.05	**82,281.27**
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90	10,000.00	**58,925.15**
– ब्याज	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69	2,293.36	2,653.21	**12,227.90**
अधीनस्थ देयताएं											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	**6,650.70**
– ब्याज	-	-	-	201.50	162.21	-	192.96	1,107.77	704.25	1,375.22	**3,743.91**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56	12,128.28	5,512.87	**26,461.71**
– ब्याज	-	-	-	220.52	64.14	194.94	485.15	1,841.77	670.06	395.99	**3,872.57**
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	-	551.29	551.29	45.31	12.51	6,797.99	8,043.62	4,575.17	5,776.64	**26,353.82**
– ब्याज	8.81	1.21	7.27	68.26	60.15	130.44	246.98	841.03	615.06	800.45	**2,779.66**
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	29.88	343.06	30.71	-	**403.65**
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48	104.60	**121.08**
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67	258.66	**278.33**
सीगल ऑप्शन	-	-	24.92	18.33	-	-	-	-	-	-	**43.25**

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूलधन तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार											
मूलधन	158.66	-	2,077.03	2,142.80	4,800.08	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	1,83,586.28	**3,70,666.60**
ब्याज	611.62	-	892.06	1,559.14	6,094.78	9,076.43	17,252.35	59,983.17	44,663.39	71,842.69	**2,11,975.63**
31 मार्च 2021 के अनुसार											
मूलधन	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	1,88,262.69	**3,64,212.04**
ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	**2,17,938.50**

चरण–III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

52.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	158.66	-	2,077.03	2,142.80	6,181.63	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	1,83,468.67	**3,71,930.54**
निवेश			0.31	-	2.81	2.82	56.17	80.05	180.59	1,867.69	**2,190.44**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	19.34	367.83	330.52	993.71	7,777.02	4,636.58	15,210.81	53,696.32	39,118.89	67,396.43	**1,89,547.46**
अन्य उधारियां	6.56	-	200.55	1,150.00	1,000.00	2,149.40	5,165.59	17,836.77	15,155.52	18,796.19	**61,460.59**
अधीनस्थ देयताएं		-	-	168.38	126.46	-	2.11	2,499.73	-	4,019.79	**6,816.47**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	172.81	40.17	89.14	-	17,755.78	6,805.78	5,163.48	**30,027.15**
अन्य उधारियां	5.62	2.42	4.43	2,747.65	2,910.57	2,680.96	4,506.16	8,499.93	20,837.27	2,995.98	**45,191.00**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	9,451.43	17,793.88	72,044.11	67,832.43	1,88,808.04	**3,65,261.49**
निवेश		-	0.31	-	-	-	37.80	100.64	136.13	1,448.81	**1,723.68**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,242.92	46,217.54	44,490.29	75,720.46	**2,11,208.71**
अन्य उधारियां	-	350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	**59,281.41**
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	**6,946.89**
विदेशी मुद्रा उधारियां	-										
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	**26,060.40**
अन्य उधारियां	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	**26,225.95**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक अभिगम थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– स्थाई दर		
– अस्थाई दर	8,803.05	5,547.28
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	1,245.90	-

52.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	15	20
राशि (₹ करोड़ में)	1,55,352.32	1,82,250.87
कुल देयताओं का %	**43.21%**	**51.04%**

(ii) शीर्ष 10 उधारियां

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	12,729.30	3.89%	10,839.90	3.36%
2	भारत सरकार–नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	12,000.00	3.67%	4,650.00	1.44%
3	54 ईसी–श्रृंखला XII (2018–19)	10,000.00	3.06%	10,000.00	3.10%
4	54 ईसी–श्रृंखला XIII (2019–20)	8,907.33	2.73%	-	-
5	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	6,800.00	2.08%	5,800.00	1.80%
6	54 ईसी–श्रृंखला XII (2018–19)	6,651.77	2.04%	6,651.77	2.06%
7	54 ईसी–श्रृंखला XIII (2019–20)	6,157.72	1.88%	6,157.72	1.91%
8	54 ईसी–श्रृंखला XV (2021–22)	6,024.57	1.84%	-	-
9	टैक्स फ्री बॉण्ड्स (2013–14 श्रृंखला)	6,000.00	1.84%	-	-
10	54 ईसी–श्रृंखला – XIV (2020–21)	5,312.07	1.63%	-	-
11	विदेशी मुद्रा बॉण्ड्स – यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	-	-	5,145.33	1.60%
12	संस्थागत बॉण्ड्स – 182वीं श्रृंखला	-	-	5,063.00	1.57%
13	संस्थागत बॉण्ड्स – 203वीं श्रृंखला	-	-	5,000.00	1.55%
14	विदेशी मुद्रा बॉण्ड्स – यूएस $650 मिलियन बॉण्ड	-	-	4,777.81	1.48%
	जोड़	**80,582.76**	**24.65%**	**64,085.53**	**19.87%**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) महत्वपूर्ण लिखतों/उत्पादों के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण

महत्वपूर्ण लिखतों/उत्पादों का नाम*	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1 ऋण प्रतिभूतियां				
संस्थागत बॉण्ड	1,46,029.60	40.61%	1,73,326.60	48.54%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	30,322.85	8.43%	26,461.71	7.41%
54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉण्ड	25,437.67	7.07%	18,121.59	5.07%
टैक्स फ्री बॉण्ड	11,763.30	3.27%	12,602.97	3.53%
उप- जोड़ (1)	**2,13,553.42**	**59.40%**	**2,30,512.87**	**64.55%**
2 उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
बैंकों से आवधिक ऋण	42,878.32	11.93%	29,938.58	8.38%
विदेशी मुद्रा उधारियां	35,634.60	9.91%	21,024.72	5.89%
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,410.93	0.39%	10,186.52	0.03
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.78%	10,000.00	2.80%
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,800.00	1.89%	5,800.00	1.62%
एफसीएनआर (ख) ऋण	9,854.92	2.74%	5,329.10	1.49%
उप- जोड़ (2)	**1,06,578.77**	**29.64%**	**82,278.92**	**23.04%**
3 अधीनस्थ देयताएँ	6,650.70	1.85%	6,650.70	1.86%
जोड़ (1+2+3)	**3,26,782.89**	**90.89%**	**3,19,442.49**	**89.45%**

**महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष/एकल लिखत/उत्पाद या समूह से जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

(iv) स्टॉक अनुपात

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	13,027.82	3.99%	3.62%	3.17%	20,849.55	6.47%	5.84%	5.20%

**महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष/एकल लिखत/उत्पाद या समूह से जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:

उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

(i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी परिसमापन परिसंपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक चरण तक पहुंच जाना चाहिए।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉरपोरेट बॉण्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वैप बैलेंस के रूप में भारतीय रुपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉरपोरेट बॉण्ड और ऑटो स्वैप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2022 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मदें	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	**89%**
– नकदी एवं नकदी समतुल्य	12%
– जी–सेक और एसडीएल	77%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	**11%**
– कारपोरेट बॉण्ड	11%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
जोड़	**100%**

परिसमापन कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही		31.03.2021 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	**1,719.78**	**1,686.09**	**2,151.50**	**2,120.54**
– एए/एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड	224.56	190.87	206.39	175.43
– जी–सेक बॉण्ड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	1,296.73	1,296.73	483.29	483.29
– बैंक ऑटोस्वैप	198.49	198.49	1,461.82	1,461.82
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	8,279.00	9,520.85	11,720.66	13,478.76
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	848.00	975.20	2,193.98	2,523.08
कुल नकद बहिर्प्रवाह	**9,127.00**	**10,496.05**	**13,914.64**	**16,001.84**
नकदी अंतर्प्रवाह				
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	6,414.00	4,810.50	7,480.10	5,610.08
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	10,223.00	7,667.25	11,807.52	8,855.64
कुल नकदी अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्वाह के 75% तक सीमित)	**16,637.00**	**7,872.04**	**19,287.63**	**11,760.86**
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए (क)		1,686.09		2,120.54
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (ख)		2,624.01		4,240.98
परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)		**64.26%**		**50.00%**
% भिन्नता		**28.51%**		

**औसतन, वित्तीय वर्ष 2021–22 की तिमाही–4 के दौरान दैनिक अवलोकन पर विचार किया गया है।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.3 बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्तीय एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लिखतों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न लिखतों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन–देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन–देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि कारोबार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को कम मरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपये के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर $	9,436.00	7,620.00	1,816.00	6,893.85	3,500.00	3,393.85
भारतीय रुपये के समतुल्य	*71,531.58*	*57,765.01*	*13,766.57*	*50,673.04*	*25,726.65*	*24,946.39*
जापानी येन ¥	58,729.87	20,846.05	37,883.82	21,600.36	20,845.99	754.37
भारतीय रुपये के समतुल्य	*3,654.76*	*1,297.25*	*2,357.51*	*1,433.40*	*1,383.34*	*50.06*
यूरो €	26.32	0.87	25.45	36.85	11.40	25.45
भारतीय रुपये के समतुल्य	*222.82*	*7.37*	*215.45*	*317.30*	*98.12*	*219.18*
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपये के समतुल्य	*403.21*	*403.21*	-	*391.79*	*391.79*	-
जोड़	**75,812.37**	**59,472.84**	**16,339.53**	**52,815.53**	**27,599.90**	**25,215.63**

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन–हेज्ड प्रकटनों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये	515.09	(515.09)	933.39	(933.39)
जापानी येन/भारतीय रुपये	88.21	(88.21)	1.87	(1.87)
यूरो/भारतीय रुपये	8.06	(8.06)	8.20	(8.20)

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी–सेक थील्ड्स/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), टी–बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस–करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 को फ्लोटिंग ब्याज दरों से जुड़ी देनदारियों के लिए कंपनी के समग्र एक्सपोजर को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपये के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपये उधारियां	50,178.32	-	50,178.32	35,738.58	-	35,738.58
अमेरिकी डॉलर $	4,636.00	1,325.00	3,311.00	2,768.85	1,630.00	1,138.85
भारतीय रुपये के समतुल्य	35,144.17	10,044.44	25,099.73	20,352.38	11,981.27	8,371.11
जापानी येन ¥	58,352.72	10,327.16	48,025.56	20,846.14	10,327.14	10,519.00
भारतीय रुपये के समतुल्य	*3,631.29*	*642.66*	*2,988.63*	*1,383.35*	*685.31*	*698.04*
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपये के समतुल्य	*403.21*	*403.21*	-	*391.79*	*391.79*	-
कुल भारतीय रुपये के समतुल्य	**89,356.99**	**11,090.31**	**78,266.68**	**57,866.10**	**13,058.37**	**44,807.73**

ब्याज दर संवेदनशीलता बेमेल को कम करने के लिए कंपनी ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वैप के माध्यम से, 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार ₹11,850.70 करोड़ की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर से जुड़े रातों–रात अनुक्रमित स्वैप के उपयोग के माध्यम से फ्लोटिंग दर उधार में परिवर्तित कर दिया गया है।

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध–स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय–समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री–पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री–पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
रुपे ऋण	3,75,805.76	3,63,580.03

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन–हेज्ड एक्सपोजर पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि लाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(292.84)	292.84	(167.65)	167.65
ब्याज दर स्वैप	(44.34)	44.34	-	-
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,406.11	(1406.11)	1,360.37	(1360.37)

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

52.5 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग–अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर–बैंक ऑफर रेट) और ओवरनाइट एसओएफआर (प्रतिभूति ओवरनाइट वित्तपोषण दर), टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट औसत दर), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट दर औसत) आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2022 तक ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

बेंचमार्क	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	7,201.67	950.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	27,373.94	3,611.00
ओ/एन एसओएफआर	568.55	75.00
टीओएनए	3,631.29	479.02
एसओआरए	403.21	53.19
कुल	**39,178.67**	**5,168.21**

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 की घोषणा की अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो गई और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोजर

जबकि कंपनी की कुछ फ्लोटिंग रेट उधारियां पहले से ही नए बेंचमार्क के अधीन हैं, कुछ उधारियों को संबंधित ब्याज दरों अर्थात् 3 माह यूएसडी एलआईबीओआर और 6 माह यूएसडी एलआईबीओआर की समाप्ति तिथि से पहले चुका दिया जाएगा। तद्नुसार, 31 मार्च, 2022 को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोजर की कुल राशि ₹25,963.93 करोड़ (3.425 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से संबद्ध और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित व्युत्पन्न एक्सपोजर की नोमिनल राशि ₹3,790.36 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन) है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम–रहित दरों (आरएफआर) से प्रतिस्थापित दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) को यूएसडी एलआईबीओआर से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), जेपीवाई एलआईबीओआर को प्रतिस्थापित करेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), जो वैश्विक व्युत्पन्न सौदों को अभिशासित करने वाला वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त वैधानिक निकाय है, सभी लीगेसी संविदाओं को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) लाया गया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत सभी प्रतिपक्षों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न कारोबारों पर विभिन्न एलआईबीओआर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा।

सावधि ऋणों के संबंध में, आरईसी प्रारंभिक चरण में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के साथ सक्रिय संपर्क रूप में रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने जेपीवाई 20,846.12 बिलियन (31 मार्च, 2022 ₹1,297.25 करोड़ के समतुल्य) की राशि के दो जेपीवाई ऋणों के लिए परिवर्तन प्रलेखन पूरा कर लिया है, जिसका बेंचमार्क जेपीवाई एलआईबीओआर से परिवर्तित कर टीओएनए किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान एक एसजीडी ऋण के लिए एसजीडी 72.08 मिलियन (31 मार्च, 2022 को ₹403.21 करोड़ के समतुल्य) की राशि के लिए एक सक्रिय परिवर्तन भी संपन्न हुआ है, बेंचमार्क को 6 माह एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर रेट) से एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज) में परिवर्तित कर दिया गया है। जहां इन ऋणों के लिए ब्याज दर जोखिम को रोका (हेज) गया था, ऐसे व्युत्पन्न में ब्याज दर बेंचमार्क को उपयुक्त रूप से नए बेंचमार्क में परिवर्तित कर दिया गया है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एएस 109 में ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतः प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवाद का प्रावधान है। जबकि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्क पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं बनी है, यह कल्पना की गई है कि अंतर्निहित ऋण की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप के रूप में व्युत्पन्न संविदा और हेज प्रभावशीलता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

52.6 हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज मद के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप के लिए, मूलधन केवल स्वैप और ब्याज दर स्वैप जो कि की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्नों (व्युत्पन्न) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज की गई मदों के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा हेज मदों के समान है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार		कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि	
हेज एवं जोखिम के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं
	नकदी प्रवाह हेज			
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम			
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं			
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 7,045	4,744.05	-
		यूएसडी 20,846.12	102.15	-
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	76.73	-
(ii)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 1,300	22.69	43.78
		जापानी येन 10,327.12	-	1.50
		एसजीडी 72.08	23.86	-
(iii)	केवल मूल स्वैप	यूएसडी 375	-	48.37
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 425	92.42	-

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार		कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि	
हेज एवं जोखिम के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं
	नकदी प्रवाह हेज			
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम			
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं			
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 2,595	1458.96	43.25
		जापानी येन 20,846.12	198.23	-
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	यूएसडी 1,350	-	244.37
		जापानी येन 10,327.12	-	4.06
		एसजीडी 72.08	23.86	-
(iii)	केवल मूल स्वैप	यूएसडी 375	-	121.08
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 260	-	69.74

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/ दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
मई 2022 - जनवरी 2027	1:1	74.30665848	(399.81)	399.81
अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.659080153	(96.08)	96.08
मार्च 2024	1:1	57.523	(74.08)	74.08
मई 2022 - मार्च 2025	1:1	2.99% और 72.94	112.67	(112.67)
अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	0.82	(0.82)
मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(49.08)	49.08
मार्च 2024 - अक्टूबर 2026	1:1	2.23%	130.27	(130.27)

(₹ करोड़ में)

पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/ दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32	(611.68)	611.68
अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(131.87)	131.87
मार्च 2024	1:1	71.94	(93.51)	93.51
दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(174.62)	174.62
मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) लाभ और हानि के विवरण पर नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन मद
31.03.2022 को समाप्त वर्ष				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(377.06)	-	(995.95)	विदेशी मुद्रा अंतरण पर लाभ/हानि
			126.43	वित्तीय लागत
31.03.2021 को समाप्त वर्ष				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(1,065.12)	-	580.30	विदेशी मुद्रा अंतरण पर लाभ/हानि
			179.56	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजेज के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	(165.61)	(226.08)
जोड़ें : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आंतरिक मूल्यों में परिवर्तन	1108.37	(625.61)
जोड़ें : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	111.72	(52.32)
जोड़ें : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	130.27	(1.12)
घटाएं : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	(869.52)	759.86
घटाएं : उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(121.02)	(20.34)
अंतिम शेष	**194.21**	**(165.61)**
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	**41.45**	**(204.75)**
जोड़ें : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(1727.42)	(386.06)
घटाएं: समय मूल्य का परिशोधन	1142.91	715.06
घटाएं : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	147.11	(82.80)
अंतिम शेष	**(395.95)**	**41.45**

(घ) उचित मूल्य हेज

31 मार्च 2022 को, कंपनी के पास ₹11,850.70 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के बकाया ब्याज दर स्वैप करार हैं, जिसमें कंपनी ब्याज की एक नियत दर प्राप्त करती है और कल्पित राशि पर एक परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। ऐसे करारों का उपयोग नियत दर वाली उधारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वैप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और पुनर्निर्धारण तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वैप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र पर हेजिंग लिखतों का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मदें जहां हेजिंग लिखतों का अनावृत	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
– ब्याज दर स्वैप	11,850.70	(111.92)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	(111.92)

** यहां वहन राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र पर हेजिंग मदों का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य हेज	धारित राशि	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मदें जहां हेजिंग लिखतों शामिल हैं	हेज प्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
– अधीनस्थ देयताएं	4,148.36	(128.33)	अधीनस्थ देयताएं	(128.33)
– संस्थागत बॉण्ड	7,881.97	16.41	ऋण प्रतिभूतियां– संस्थागत बॉण्ड	16.41

₹111.92 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में हानि से संबंधित अधीनस्थ देनदारियों और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ ऑफसेट किया गया है।

52.7 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) पर प्रभाव	13.41	(13.41)	21.51	(21.51)
लाभ एवं हानि लेखा (पीएल) पर प्रभाव	2.48	(2.48)	1.18	(1.18)

53 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

53.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	33,239.41	25,035.68
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	563.77	339.60
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	390.25	(64.05)

** आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार श्रेणी–1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।*

53.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में प्रवेश नहीं किया है।

53.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	हेजिंग के लिए व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
	हेजिंग के लिए	59,472.85	27,599.89	33,239.41	25,035.68	4,747.00	4,547.00
(ii)	मार्केट टू मार्केट स्थितियां						
क)	परिसंपत्ति (+)	4,946.40	1,971.62	563.77	339.60	-	-
ख)	देयता (–)	48.37	164.33	173.52	403.65	331.25	278.33
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	5,131.08	4,854.40	490.82	574.96	662.05	632.05
(iv)	अनहेजेड एक्सपोजर	16,339.53	25,215.63	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रेड शामिल हैं*
***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं*
****इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

54 कंपनी पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 के प्रकोप के बाद से, उत्परिवर्ती कोरोना वायरस वेरिएंट की खोज के बाद हमारे देश ने महामारी की दो और लहरों का सामना किया है। इन लहरों के कारण अस्थायी रूप से स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया गया, जिसे बाद में हटा लिया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, भारत में मांग में सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल, चलनिधि पहुंच और आकस्मिक बफर की उपलब्धता के साथ इस संदेह के लिए कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का, इसके सुचार कार्यकरण के आकलन सहित इसके प्रचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह प्रभाव अन्य बातों के अलावा, कोरोनोवायरस के आगे के वेरिएंट की खोज के बारे में अनिश्चित भावी विकासों और इसके प्रसार को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई, चाहे सरकार द्वारा अधिदेशित या अन्यथा, पर निर्भर रहेगा।

55 एक्सपोजर संबंधित प्रकटीकरण

आरबीआई ने दिनांक 12 फरवरी 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित निर्देशों के संदर्भ में दिनांक 17 सितंबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से आरईसी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य एक्सपोजर क्षेत्र, एकल उधारकर्ता के मामले में स्वामित्वाधीन निधि का 25% और उधारकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा उधार और निवेश के लिए कुल मिलाकर एक्सपोजर, स्वामित्वाधीन निधियों का क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में, आरबीआई ने दिनांक 16 जून 2016 के अपने पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.सं.2184/03.10.001/2015–16 के माध्यम से आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश मानदंडों के संकेंद्रण की प्रयोज्यता से छूट दी है। कंपनी ने उपरोक्त छूट के पुनः पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तार हेतु आरबीआई के समक्ष अभ्यावेदन किया है। कंपनी के कारोबार मॉडल और एक सरकारी कंपनी होने के नाते कार्यनीतिक स्थिति को देखते हुए, यह मामला आरबीआई के विचाराधीन है और प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटीज के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर सीमाएं स्वामित्वाधीन निधियों के अधिकतम 150% तक परिवर्तित होती रहती हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और संस्था के मूल्यांकन के अनुसार उधारकर्ताओं की रेटिंग पर आधारित होती है।

निजी क्षेत्र की संस्थाओं के संबंध में, एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं के लिए कंपनी का क्रेडिट एक्सपोजर 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को आरबीआई की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक नहीं था।

55.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021 को शून्य) को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण एक्सपोजर नहीं है ।

55.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	317.78	929.57
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, अग्रिमों को पूर्णतया कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की तरफ से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अनुकूल म्यूचुअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वैकल्पिक निवेश कोष में समस्त एक्सपोजर	-	-
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**317.78**	**929.57**

55.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट -इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम	2,39,602.97	2,28,371.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	62.17%	60.51%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर	3,29,335.41	3,42,453.58
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	61.93%	62.28%
(iii)	**क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर	**8,645.97**	**8,489.02**

56. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय लिखतों की लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय लिखत			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	5,079.87	1,758.79
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9	430.30	552.43
	पर मापित निवेश			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	11	268.26	430.13
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	11	182.07	209.65
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकदी एवं नकदी समतुल्य	6	140.99	1,179.24
	बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	7	2,518.96	2,223.58
	ट्रेड प्राप्य	8	94.55	140.07
	ऋण परिसंपत्तियां	10	3,71,930.54	3,65,261.49
	निवेश	11	1,740.10	1,083.90
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,415.31	24,419.88
	जोड़		**4,06,800.95**	**3,97,259.16**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय लिखत			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	205.64	482.51
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9	347.50	363.80
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	ट्रेड प्राप्य	19	36.48	61.85
	ऋण प्रतिभूतियां	20	2,19,574.61	2,37,269.11
	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	1,06,651.59	85,507.36
	अधीनस्थ देयताएं	22	6,816.47	6,946.89
	अन्य वित्तीय देयताएं	23	25,708.64	26,213.00
	जोड़		**3,59,340.93**	**3,56,844.52**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण–1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण–3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान लिखतों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण–1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	53.52	-	214.74	268.26	430.13	-	-	430.13
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	49.52	-	-	49.52	23.60	-	-	23.60
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
डिबेंचर	-	-	132.55	132.55	-	-	143.06	143.06
प्रेफरेंस शेयर	-	-	-	-	-	-	42.99	42.99
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	5,510.17	-	5,510.17	-	2,311.22	-	2,311.22
एफवीटीपीएल पर देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	553.14	-	553.14	-	846.31	-	846.31

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण 1** - सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों- चरण 2** - बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा निविमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार–चढाव शामिल हैं।

(ग) **यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) की गैर-उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - यूसीएक्स के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के विशिष्ट कारणों से कंपनी द्वारा इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

(घ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की गैर-उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - ईईएसएल के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं है। उचित मूल्य की गणना निवेशिती कंपनी के वित्तीय विवरण के आधार पर की गई है।

(ङ) **अनुद्धृत अधिमान्य शेयरों में निवेश - चरण 3** - रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर–उद्धृत वैकल्पिक परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित एकबारगी समाधान व्यवस्था के अनुसरण में उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आबंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य लिया गया है क्योंकि ऐसी लिखतों में भावी नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी परिवर्तन को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(च) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(छ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

56.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का पुनर्मिलान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्मिलान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	वरीयता शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
ऋण निपटान में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-	-
समायोजन	-	-	(41.95)	-	-	(41.95)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	218.10	218.10
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	-	6.02	21.13	-	-	27.15
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(49.01)	10.31	-	(3.36)	(42.06)
अंतिम शेष	**-**	**-**	**132.55**	**-**	**214.74**	**347.29**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	**-**	**(32.42)**	**12.49**	**-**	**(19.36)**	**(39.29)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	वरीयता शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**1,500.62**	**45.41**	**-**	**-**	**-**	**1,546.03**
ऋण निपटान में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	149.56	-	-	149.56
निपटान	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	6.15	-	6.15
ब्याज आय	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	-	(6.15)	-	(14.83)
अंतिम शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
अवधि के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	**-**	**10.57**	**12.42**	**(6.15)**	**(16.00)**	**0.84**

वर्ष के दौरान गैर–मान्यता प्राप्त उचित मूल्य के माध्यम से अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) पर मापे गए इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.5 देखें

*(i) *लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।*

(ii) एफवीटीपीएल फार्म में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ) ' का हिस्सा है

(iii) एफवीओसीआई फार्म में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'एफवीओसीआई इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन' का हिस्सा है

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए लिखतों के उचित मूल्य जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया है निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी समतुल्य	140.99	140.99	1,179.24	1,179.24
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,518.96	2,518.96	2,223.58	2,223.58
ट्रेड प्राप्य	94.55	94.55	140.07	140.07
ऋण	3,71,930.54	3,72,175.00	3,65,261.49	3,66,843.62
निवेश	1,740.10	1,778.29	1,083.90	1,096.95
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,415.31	24,415.16	24,419.88	24,421.76
जोड़	**4,00,840.45**	**4,01,122.96**	**3,94,308.16**	**3,95,905.22**
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	36.48	36.48	61.85	61.85
ऋण प्रतिभूतियां	2,19,574.61	2,21,167.25	2,37,269.11	2,35,683.50
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,06,651.59	1,07,306.18	85,507.36	85,562.85
अधीनस्थ देयताएं	6,816.47	7,131.25	6,946.89	7,610.21
अन्य वित्तीय देयताएं	25,708.64	25,708.64	26,213.00	26,213.00
जोड़	**3,58,787.79**	**3,61,349.79**	**3,55,998.21**	**3,55,131.41**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय लिखतों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय लिखतों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में लिखतों से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन लिखतों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर शेष, व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को निजी गैर–निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी–सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

पीएसयू बॉण्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉण्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी–सेक बॉण्ड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण निपटान/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

57. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
अवधि के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	**-**	**0.01**
अवधि के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	**-**	**-**
अवधि के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज शामिल नहीं	-	-
अवधि के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	-	0.53
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	-	-

58. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

58.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री एस. के. जी रहाटे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 22 फरवरी, 2022 से प्रभावी
श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 10 फरवरी, 2022 तक
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) 31 अक्टूबर, 2021 तक
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक) 31 जनवरी, 2022 तक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक) 4 फरवरी, 2022 से प्रभावी
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 6 सितंबर, 2021 तक
श्री विशाल कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 15 नवंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. मनोज एम. पांडे	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 15 नवंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

(2) मुख्य धारक कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की सहयोगी कंपनियां

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.10.2021 को निगमित)
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और 4 जून, 2021 को मैसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड (20 अगस्त, 2020 को निगमित और 1 नवंबर, 2021 को मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित)
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई, 2020 को निगमित और 28 दिसंबर, 2021 को मैसर्स इंडिग्रिड आई लिमिटेड (मुख्य सदस्य) को हस्तांतरित)
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और मैसर्स रिन्यू को हस्तांतरित
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और 4 जून, 2021 को मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित)
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (एमसीए पत्र दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से आरओसी से अलग)

(4) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) (31 अगस्त, 2021 तक)

(5) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास
आरईसी उपदान निधि
आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास
आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

(7) वे कंपनियां जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

एनएचपीसी लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)
एसजेवीएन लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)
खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)
पुनात्सांगछु–I, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)
पुनात्सांगछु–II, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)
भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

(8) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते है:

(क) मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	31 जनवरी, 2022 तक निदेशक (वाणिज्य)
श्री राजीव रंजन झा	28 अक्टूबर, 2021 से निदेशक (परियोजनाएं)
श्री तन्मय कुमार	6 सितंबर, 2021 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री विशाल कपूर	7 सितंबर, 2021 से प्रभावी सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री राम चंद्र मिश्रा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सलाहकार भास्कर भट्टाचार्य	23 दिसंबर, 2021 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती उषा संजीव नायर	23 दिसंबर, 2021 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रसन्ना तांत्री	23 दिसंबर, 2021 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

(ग) मुख्य धारक कंपनी की संबद्ध कंपनियां

बिहार मेगा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
चेयूर इंफ्रा लिमिटेड
अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2021 को निगमित)
किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (15.04.2021 को निगमित)
छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (25.01.2022 को निगमित)
नंगलबीबरा–बोंगईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड (09.04.2021 को निगमित और 16.12.2021 को स्थानांतरित)
खावड़ा–भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2021 को निगमित और 18.01.2022 को स्थानांतरित)
कोप्पल–नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.12.2021 को स्थानांतरित)
सीकर–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2021 को स्थानांतरित)
करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.01.2022 को स्थानांतरित)
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)
शोंगटोंग करचम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया के तहत)
कोस्टल आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)
बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने के लिए अनुमोदन के तहत)
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

(ङ) मुख्य धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास
पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007
पीएफसी लिमिटेड अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(च) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

58.2 संबंधित पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	**3,000.49**
एसोसिएट्स		
एसोसिएट्स को ऋण	12.83	13.45
देय	0.01	0.08
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां – धारक कंपनी	19.90	19.90
अन्य वित्तीय देयताएं– भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	1.05	9.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	1.90	4.10

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.16	0.15
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.18	0.28
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.20	1.54
वे कंपनियाँ जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
ऋण प्रतिभूतियां	-	10.00

58.3 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,269.22	1,143.44
निदेशकों के बैठक का शुल्क	0.08	0.10
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	3,000.00
वित्तीय लागत	14.47	0.49
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	18.28	1.42
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	3.28	3.29
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	2.20	-
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	0.38	0.38
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम की पुनर्भुगतान/वसूली	0.10	0.17
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.04	0.05
वित्तीय लागत	0.02	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.05	3.21
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.13	-
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	-
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	112.00	90.00
वे कंपनियाँ जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
वित्तीय लागत	0.35	0.33
लाभांश आय	4.13	27.52

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन आर्म्स लेंथ के आधार पर किये जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती हैं, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पावधि वसूली के आधार पर किया जाता है।

58.5 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.91	3.01
(ii)	रोजगार पश्चात लाभांश	0.14	0.20
	जोड़	**3.05**	**3.21**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग–अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

58.6 उसी सरकार (कंपनियों से संबंधित सरकार) के नियंत्रणाधीन एंटीटियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित एंटीटियों की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन–देन:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटीटियों से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,059.64	2,837.27
ब्याज आय को मान्यता	1,829.69	2,178.00

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	17,854.95	22,649.28
उपचित ब्याज	4.52	7.73

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन–देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12,21.1(i) और 35 देखें।

59 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

कंपनी को कार्यालय भवन, गोदाम, कार्यालय उपस्कर और संबंधित सुविधाओं के लिए पट्टे हैं। प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही–उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही–उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों में पट्टों के लिए कंपनी को उन परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में अपनी मूल स्थिति में परिसंपत्तियों को वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के संविदाओं के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹6.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.92 करोड़) हैं। राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹6.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.95 करोड़) है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	0.05	2.12
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	0.11
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.02)	(2.18)
अंतिम शेष	**0.03**	**0.05**

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
1 वर्ष तक	0.02	0.02
1–5 वर्ष	0.02	0.04
5 वर्ष से अधिक	-	-

60 भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

60.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि के तहत पृथक पंजीकृत न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न का निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा और इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹11.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.96 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

60.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं - नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। हर कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है। उपदान की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	30.43	32.44
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.09	30.25
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं	0.34	2.19

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**32.44**	**36.82**	**30.25**	**35.47**	**2.19**	**1.35**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.79	1.93	-	-	1.79	1.93
ब्याज लागत/आय	2.17	2.28	2.11	2.38	0.06	-0.10
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**3.96**	**4.21**	**2.11**	**2.38**	**1.85**	**1.83**
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.65)	(0.49)	-	-	(0.65)	(0.49)
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.29)	0.58	-	-	(0.29)	0.58
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	(0.18)	(0.33)	0.18	0.33
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(0.94)**	**0.09**	**(0.18)**	**(0.33)**	**(0.76)**	**0.42**
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	2.94	1.42	(2.94)	(1.42)
प्रदत्त हितलाभ	(5.03)	(8.68)	(5.03)	(8.69)	-	0.01
अंतिम शेष	**30.43**	**32.44**	**30.09**	**30.25**	**0.34**	**2.19**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	165.51	151.69
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	164.80	144.06
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं	0.71	7.63

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**151.69**	**136.42**	**144.06**	**140.64**	**7.63**	**(4.22)**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	3.29	2.90	-	-	3.29	2.90
पिछली सेवा लागत	2.50	-	-	-	2.50	-
ब्याज लागत/आय	10.31	8.94	10.07	9.45	0.24	(0.51)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**16.10**	**11.84**	**10.07**	**9.45**	**6.03**	**2.39**
ओसीआई में शामिल						

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
पुन:मापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(4.08)	(5.20)	-	-	(4.08)	(5.20)
– जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	3.75	-	-	-	3.75	-
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	10.58	19.94	-	-	10.59	19.94
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	2.90	1.64	(2.90)	(1.64)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**10.25**	**14.74**	**2.90**	**1.64**	**7.36**	**13.10**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.15	-	0.06	0.08	0.09	(0.08)
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	-	-	7.71	-	(7.72)	-
प्रदत्त हितलाभ	(12.68)	(11.31)	-	(7.75)	(12.68)	(3.56)
अंतिम शेष	**165.51**	**151.69**	**164.80**	**144.06**	**0.71**	**7.63**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
– ईआरएस	4.15	4.13

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आरंभिक शेष	**4.13**	**4.25**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.20
ब्याज लागत/आय	0.26	0.25
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**0.46**	**0.45**
ओसीआई में शामिल		
पुन:मापन हानि (लाभ)		
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.06)	0.02
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.89	0.73
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**0.83**	**0.75**
प्रदत्त हितलाभ	(1.27)	(1.32)
अंतिम शेष	**4.15**	**4.13**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य नियोजन के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

60.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
नकदी एवं नकदी समतुल्य	**0.38**	**0.01**	**0.11**	**1.90**
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
राज्य सरकार की ऋण प्रतिभूतियां			22.58	
कार्पोरेट बॉण्ड्स/डिबेंचर्स	-	-	142.11	142.16
अन्य–बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड्स एवं टी–बिल्स	29.71	30.24	-	-
उप-जोड़ अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**29.71**	**30.24**	**164.69**	**142.16**
जोड़	**30.09**	**30.25**	**164.80**	**144.06**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹14.9 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.14 करोड़) है।

60.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2022 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
पद्धति का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित रिटर्न, यदि वित्तीयपोषित है	7.37%	6.99%	7.37%	6.99%	7.37%	6.99%
भविष्य की वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	17.35	16.03	17.35	16.03	17.35	16.03

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यत: उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शायी गई राशि तक परिभाषित हितलाभ दायित्व प्रभावित होता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	(0.80)	0.85	(0.90)	0.97
– पीआरएमएस	(12.16)	12.66	(11.14)	11.66
– ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	0.19	(0.21)	0.14	(0.13)
– पीआरएमएस	-	-	-	-
– ईआरएस	0.15	(0.14)	0.15	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
– पीआरएमएस	11.68	(10.57)	10.83	(10.44)
चिकित्सा लागत (0.10% संचलन)	-	-	-	-
–पीआरएमएस	16.98	(16.28)	15.56	(14.92)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र चरण पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

60.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एक वर्ष से कम	4.71	7.87	14.02	12.20	1.11	1.19
1 से 5 वर्ष तक	17.61	20.81	83.46	72.60	3.60	3.00
5 वर्ष से अधिक	32.92	31.10	327.63	285.02	4.74	3.19
जोड़	**55.24**	**59.78**	**425.11**	**369.82**	**9.45**	**7.38**

60.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	1.76	3.98	4.35	10.91	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.20 वर्ष है (31.03.2021 को – 12.54 वर्ष)।

60.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

60.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹9.37 करोड़ की व्यय राशि (पिछली अवधि ₹4.55 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाली गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.76 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट कर दिया गया है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को लायॅल्टी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। शून्य की राशि का व्यय (पिछले वर्ष ₹ 0.20 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाला गया है।

61 राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पूर्व में नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रहा है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

62 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार संयोजन पर नीति, शेयरों पर व्यय और उचित मूल्य हेजेज को जोड़ा गया है। इसके अलावा, कुछ लेखा नीतियों में भी अधिक स्पष्टता लाने और कंपनी के अभ्यास के साथ संरेखित करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

63 प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	3,434.36	2,363.33
(ii)	निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	28.72	-
(iii)	अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	6.94	82.61
(iv)	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,394.83	2,401.35

** सुविधा पत्र पर हानि भत्ते के लिए ₹11.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.71 करोड़) शामिल हैं।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

64 कंपनी के प्रचालनों में केवल एक कारोबारिक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित कारोबार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

64.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	38,522.97	34,364.47
(ख)	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	15.23	33.67
(ग)	ट्रेजरी प्रचालनों से आय	235.36	410.12
(घ)	सेवाओं की बिक्री से राजस्व	150.96	163.65
	जोड़	**38,924.52**	**34,971.91**

64.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

64.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के दौरान समूह के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

65 समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों हेतु विचारार्थ

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां- :

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	भारत	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	स्वामित्व हित/समूह द्वारा धारित राशि का वहन	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)*	भारत		
स्वामित्व हित		15.68%	22.18%
धारित राशि **		214.74	257.74

**वर्ष के दौरान, संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईईएसएल के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, इंड–एएस फ्रेमवर्क के तहत 01 सितंबर, 2021 से कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रही।*

** वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा एक लेखा–परीक्षित और प्रमाणित है और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।*

***निवेश की उद्धृत कीमत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।*

ग. संबद्ध कंपनियां

एंटिटी का नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)	भारत	100.00%	100.00%
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीदर कर्नाटक लाइन)	भारत	100.00%	100.00%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एंटिटी का नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में गडग कर्नाटक भाग ए लाइन)*	भारत	-	100.00%
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (पूर्व में सोलर एनर्जी राजस्थान भाग बी लाइन)*	भारत	-	100.00%
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में सोलर एनर्जी राजस्थान भाग सी लाइन)*	भारत	-	100.00%
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन)*	भारत	-	100.00%
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड*	भारत	-	100.00%

*उपरोक्त एसपीवी को वर्ष के दौरान बेच दिया गया है।

टिप्पणी: उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा (संपार्श्विक) रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

66 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

66.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	99.36%	50,985.60	99.23%	43,426.37
अनुषंगी कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.64%	328.59	0.68%	297.99
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	0.59%	257.74
संबद्ध कंपनियां - भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन)	-	-	-	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीदर कर्नाटक लाइन)	-	0.05	-	0.05
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में गडग कर्नाटक भाग ए लाइन)	-	-	-	0.05
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (पूर्व में सोलर एनर्जी राजस्थान भाग बी लाइन)	-	-	-	0.05
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में सोलर एनर्जी राजस्थान भाग सी लाइन)	-	-	-	0.05
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)	-	0.05	-	0.05
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड	-	-	-	0.05
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	**0.00%**	**(0.43)**	**-0.50%**	**(218.77)**
जोड़	**100.00%**	**51,314.10**	**100.00%**	**43,763.93**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	100.10%	10,045.92	99.80%	8,361.78
अनुषंगी कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.53%	53.03	0.31%	25.62
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	0.00%	-
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	(0.12%)	(11.81)	(0.02%)	(1.97)
संबद्ध कंपनियां- भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	**(0.51%)**	**(51.44)**	**(0.09%)**	**(7.19)**
जोड़	**100.00%**	**10,035.70**	**100.00%**	**8,378.24**

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	102.02%	(59.07)	99.73%	456.52
अनुषंगी कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	-	-	-	-
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	(2.02%)	1.17	0.27%	1.24
संबद्ध कंपनियां - भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-	-	-	-
जोड़	**100.00%**	**(57.90)**	**100.00%**	**457.76**

कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	100.09%	9,986.85	99.80%	8,818.30
अनुषंगी कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.53%	53.03	0.29%	25.62
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.00%	-	-	-
संयुक्त उद्यम - भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	(0.11%)	(10.64)	(0.01%)	(0.73)
संबद्ध कंपनियां - भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	(0.52%)	(51.44)	(0.08%)	(7.19)
जोड़	**100.00%**	**9,977.80**	**100.00%**	**8,836.00**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

67 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		30.03.2021 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	140.99	-	1,179.24	-
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	2,453.95	65.01	2,222.36	1.22
(ग)	ट्रेड प्राप्य	94.55	-	140.07	-
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	343.37	5,166.80	258.94	2,052.28
(ङ)	ऋण	39,144.60	3,32,785.94	36,576.91	3,28,684.58
(च)	निवेश	62.11	2,128.33	38.10	1,685.58
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	274.14	24,141.17	280.26	24,139.62
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**42,513.71**	**3,64,287.26**	**40,695.88**	**3,56,563.28**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	191.56	-	168.92
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	3,160.12	-	2,461.03
(ग)	निवेश संपत्ति	-	-	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	-	624.04	-	260.70
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	(0.00)	6.07	-	335.67
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	0.77
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	4.28	-	6.15
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	60.49	8.19	93.83	8.84
(प)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए निवेश लेखांकन	-	-	-	257.74
	कुल-गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**60.49**	**3,994.26**	**93.83**	**3,499.83**
(3)	**बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	**4.38**	**-**	**14.05**	**-**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**42,578.58**	**3,68,281.52**	**40,803.76**	**3,60,063.11**
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	18.89	534.25	73.13	773.18
(ख)	ट्रेड देय				
	(I) ट्रेड देय	-	-	0.01	-
	(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	36.48	-	61.84	-
	(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि				
	(II) अन्य देय				
	(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	-	-	-	-
	(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	-	-
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	29,637.91	1,89,936.70	45,055.83	1,92,213.28
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों ले अलावा)	22,529.92	84,121.67	27,509.52	57,997.84
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	296.95	6,519.52	299.49	6,647.40
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	1,598.01	24,110.63	2,102.37	24,110.63
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)	**54,118.16**	**3,05,222.77**	**75,102.19**	**2,81,742.33**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		30.03.2021 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**				
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	10.25	-	14.40	-
(ख)	प्रावधान	57.60	48.07	71.82	41.87
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	59.63	29.50	97.89	32.36
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**127.48**	**77.57**	**184.11**	**74.23**
(3)	**बिक्री के लिए धारित वर्गीत संपत्तियों से सीधे जुड़े देयताएं**	0.01	-	0.08	-
	कुल देयताएं (1+2+3)	**54,245.65**	**3,05,300.34**	**75,286.39**	**2,81,816.55**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है।

68 इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन–पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखांकन प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

69 कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

70 मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 9, 10, 11, 22.1, 29.1, 48, 51, 52.1.3(एन), 52.1.3 (ओ), 52.1.3 (आर), 52.1.3(एस), 52.1.3 (टी), 52.1.3(यू), 52.2.2, 52.2.4, 52.3, 53, 55, 58, 62, 63, 68, 69, 71, 72 में किए गए हैं।

71 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

तथापि, कंपनी को बोर्ड/समितियों के पदों/गणपूर्ति (कोरम) की अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के संबंध में 30 जून 2021, 30 सितम्बर 2021 और 31 दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए गैर–अनुपालन के लिए ₹75,59,080 (जीएसटी सहित) का कुल अर्थदंड अधिरोपित करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से नोटिस प्राप्त हुए हैं।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।

72 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

73 जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 73 तक टिप्पणियां तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजय चौधरी**	**आर. एस. ढिल्लों**
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-06629871	**डीआईएन-00278074**

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	**कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
फर्म पंजी. सं.: 001135एन	**फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091**
एस. मूर्ति	**अतुल अग्रवाल**
भागीदार	**भागीदार**
सदस्यता सं.: 072290	**सदस्यता सं.: 092656**

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय–कोर–4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 सीआईएनः L40101DL1969GOI005095

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा ग्राही कंपनी और जमा ग्राही कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक ये आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित विवरण)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्षः				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
	(क) डिबेंचर/बॉण्ड्स :				
	– प्रतिभूत	40,597.85	-	35,534.72	-
	– अप्रतिभूत	1,86,643.60	-	2,09,508.98	-
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
	(ग) आवधिक ऋण				
	– वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
	– भारत सरकार से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12	-	10,325.12	-
	– बैंको से अप्रतिभूत ऋण	42,919.86	-	29,953.76	-
	– वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	6,800.00	-	5,800.00	-
	(घ) अंतर – कारपोरेट ऋण और उधारियां	-	-	-	-
	(च) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	-	-
	(छ) अन्य ऋण	-	-	-	-
	– विदेशी मुद्रा उधारियां	35,687.77	-	21,060.17	-
	– एफसीएनआर (बी) ऋण	9,861.13	-	5,335.01	-
	– अल्पावधि ऋण/मांग पर ऋण प्रतिदेय	1,415.58	-	10,201.99	-
	– धारित कंपनी से अप्रतिभूत ऋण	-	-	3,000.49	-
	– फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	0.03	-	0.05	-
	– बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मांग पर प्रतिदेय ऋण				

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	परिसंपत्ति पक्षः		
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्योरा**		
	(क) प्रतिभूत	2,13,512.93	2,47,657.93
	(ख) अप्रतिभूत	1,57,153.67	1,16,554.11
(3)	**निवेश :**		
	चालू निवेश :		
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः इक्विटी	49.52	23.60
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः (क) वरीयता	-	69.08
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	238.76	292.16
	दीर्घावधि निवेश		
	उद्धृत		
	(i) शेयरः इक्विटी	53.52	430.13
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	259.39	259.63
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियां	1,374.51	649.08
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	214.74	257.74
	(ii) म्यूचुअल फंड की यूनिट्स	-	-

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31-03-2022 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित पक्षकार के अलावा	2,13,512.93	1,57,153.67
जोड़	**2,13,512.93**	**1,57,153.67**
31-03-2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित पक्षकार के अलावा	2,47,657.93	1,16,554.11
जोड़	**2,47,657.93**	**1,16,554.11**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) समान समूह की कंपनियां	-	-	257.74	257.74
2. संबंधित पक्षकार के अलावा	2,190.44	2,190.44	1,723.68	1,723.68
जोड़	**2,190.44**	**2,190.44**	**1,981.42**	**1,981.42**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i) सकल जमा - इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	17,159.89	18,256.93
(ii) निवल जमा - इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	5,594.16	6,465.62
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	-	349.28

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135एन	फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091
एस. मूर्ति	अतुल अग्रवाल
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.: 072290	सदस्यता सं.: 092656

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

प्रपत्र एओसी - 1

वर्ष 2021-22 के लिए अनुषंगी कंपनियों/संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	(I)
1	**अनुषंगी कंपनी का नाम**	**आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)**
2	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न है	लागू नहीं
3	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
4	शेयर पूंजी	0.09
5	आरक्षित एवं अधिशेष	328.50
6	कुल परिसंपत्तियां	518.61
7	कुल देयताएं	190.02
8	निवेश	91.52
9	टर्नओवर	177.20
10	कराधान से पूर्व लाभ/(हानि)	68.88
11	कराधान हेतु प्रावधान	15.85
12	कराधान पश्चात लाभ/(हानि)	53.03
13	प्रस्तावित लाभांश	8.91
14	शेयरधारिता का %	100.00%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं- शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है- शून्य

भाग ख: संबद्ध कंपनी एवं संयुक्त उद्यम

संबद्ध कंपनियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	संबद्ध कंपनियों का नाम	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड*	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड*	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड*	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन – पत्र की तिथि	31-मार्च-22	31-मार्च-22	31-मार्च-22	31-मार्च-22	31-मार्च-22	31-मार्च-22	31-मार्च-22	31-मार्च-22
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर								
	संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	धारण की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण			टिप्पणी 1 देखें					
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	0.07	(2.15)	(2.10)	(0.26)	(1.92)	(1.87)	(1.62)	(0.10)
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(0.01)	-	-	(0.31)	-	-	(0.80)	(0.20)
i.	समेकन में विचारा गया**	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	(0.01)	-	-	(0.31)	-	-	(0.80)	(0.20)

** संबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र इंड–एएस के आधार पर तैयार की गई है।*

 # संबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रबंधन प्रमाणित तुलन–पत्र इंड–एएस के आधार पर तैयार की गई है।

***संबद्ध कंपनियों (एसोसिएट्स) को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य बिक्री (बिक्री के लिए काम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।*

टिप्पणी: 1. समूह के पास 100% शेयर पूंजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और समूह के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिकता नहीं है, अतः इन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

टिप्पणी: 2. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पांच सहयोगियों का स्थानांतरण किया गया जिनका विवरण इस प्रकार है:

एसपीवी का नाम	बिक्री की तिथि
फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	04.06.2021
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	04.06.2021
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	01.11.2021
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.12.2021
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.03.2022

संयुक्त उद्यम का विवरण

वर्ष के दौरान, संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईईसीएल के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार 01 सितंबर, 2021 से कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी नहीं रही।

(1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं - शून्य

(2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान कारोबार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित सहयोगियों को बेचा गया है:

अनुषंगी कंपनियों का नाम	बिक्री की तिथि
फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	04.06.2021
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	04.06.2021
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	01.11.2021
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.12.2021
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.03.2022

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजय चौधरी	आर. एस. ढिल्लों
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-06629871	डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी	कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135एन	फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091
एस. मूर्ति	अतुल अग्रवाल
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.: 072290	सदस्यता सं.: 092656

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

आरईसी लिमिटेड के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके पश्चात "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित) (धारक कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित) कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संलग्न किया है जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणों (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणों और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणों और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 52.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा सुविधा पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

2 हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू संस्था के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता -** (लेखांकन नीति सं. 3.14 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 52.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/ रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** क) भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ख) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। ग) मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए वसूलियों का सत्यापन किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। चूंकि कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए अर्थात् कुल परिसंपत्ति के 90.62%, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में समझा गया है।	घ) ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन में हानि के आधार पर मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली वसूलियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। ङ) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। च) हम, बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर विश्वास करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भरता को देखते हुए इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है। छ) इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को बढ़ाता/घटाता है। प्रबंधन रूप में हमने इस तरह के बदलावों के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। ज) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुसरण में आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान की राशि के साथ ईसीएल की तुलना।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं. 3.13 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं. 9 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रुपये नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखतों' के अनुसार हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के मार्क को नकदी प्रवाह हेजेज के लिए अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी गई है। वित्तीय विवरणों के महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।** क) जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन–देनों का उद्देश्य अध्ययन करना और देखना कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक न हो। ख) भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन ग) व्युत्पन्न लेन–देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। घ) वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। ङ) 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार से बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों का ब्योरा प्राप्त करना। च) ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। छ) हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की हैं जिनके पास इस तरह के वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंध किए गए हैं तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। ज) इसके अतिरिक्त, नकदी प्रवाह हेजेज के लिए हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि मार्क के लेखांकन को सत्यापित किया है। प) यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड), जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषांगी कंपनी है, के वित्तीय विवरण पर संघटक लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 11.05.2022 की उनकी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा की राय के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले संसूचित किए गए और हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**क्रेडिट हानि के जोखिम को देखते हुए प्राप्य लेखा का मूल्यांकन** (टिप्पणी संख्या 52.1.5 "वित्तीय लिखत" और टिप्पणी संख्या 8 "व्यापार प्राप्य" देखें) लेखा प्राप्य, 31 मार्च, 2022 तक के कंपनी के वित्तीय विवरणों में एक महत्वपूर्ण मद है और प्राप्य पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पूर्वानुमान एक ऐसा क्षेत्र है, जो प्रबंधन के निर्णय से प्रभावित होता है। कंपनी क्रेडिट जोखिम, परियोजना की स्थिति, विगत वृत्तांत, ग्राहक के साथ नवीनतम चर्चा/पत्राचार के आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। वित्तीय विवरणों के लिए इन प्राप्य के सापेक्षिक महत्व को देखते हुए और प्राप्य राशियों की वसूली का आकलन करने में शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति और सीमा को देखते हुए, हमने इसे एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रिया** हमारी लेखापरीक्षा में प्राप्य राशियों के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया को शामिल किया गया: • कंपनी की लेखांकन नीति को समझा और उसका मूल्यांकन किया। • हमने अनुमानित क्रेडिट हानि के निर्धारण के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • प्राप्य राशियों की संग्रहणीयता की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन से पूछताछ की। • महत्वपूर्ण शेष राशियों के लिए, प्रबंधन के साथ प्रावधान के आधार के बारे में चर्चा की गई थी। ग्राहक के क्रेडिट जोखिम, नकदी संग्रह, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के सापेक्ष प्रदर्शन और समय–समय पर क्रेडिट हानि शुल्क के स्तर पर विचार करके अपेक्षित क्रेडिट हानियों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई जानकारी का आकलन किया और चुनौती दी गई।
2.	**इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" को अपनाने के मद्देनजर राजस्व और अन्य संबंधित शेष की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता** नए राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों का अभिचिह्नन, अभिचिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में स्वीकृत राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 3.4 और 64.1 देखें	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रिया** हमने नए राजस्व लेखा मानक को अपनाने के प्रभाव के अभिनिर्धारण के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं: • नए राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन को समझना। • चालू और नई संविदाओं का एक नमूना चुना, और विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के अभिचिह्न और लेन–देन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में साक्ष्य की जांच और प्रेक्षण, पुनः प्रदर्शन और निरीक्षण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया। • चल रही परियोजनाओं के संबंध में निष्पत्ति चरण और राजस्व के संबंध में, हमने कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि हमारे पास वह तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। • चालू और नई संविदाओं का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया: • इन संविदाओं में अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ना, विश्लेषण करना और अभिचिह्नित करना। • कंपनी द्वारा अभिचिह्नित और लेखबद्ध किए गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना की गई। • राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय विचार के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचारण सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए संविदाओं की शर्तों पर विचार किया। • पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संबंध में परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का उपयोग करके अनर्जित राजस्व के संबंध में परिकलन की नमूना–जांच की गई। • नियत मूल्य संविदाओं से संबंधित नमूनों के संबंध में, लेखबद्ध किए गए राजस्व के परिकलन के लिए प्रयुक्त प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को संविदा की शर्तों और कंपनी के परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई कार्य की स्थिति के साथ सत्यापित किया गया था। • प्रकार और सेवा पेशकशों के आधार पर अलग किए गए राजस्व नमूनों का मूल संविदाओं में निर्दिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के साथ परीक्षण किया गया। • प्रकार और सेवा पेशकशों के आधार पर प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल और प्रबंधन अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

धारक कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित ("भारतीय लेखांकन मानक") कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के निदेशक बोर्ड, जो इस समूह और जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में उल्लेख किए गए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इस समूह में शामिल किए गए कंपनी के निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी कंपनी के निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग–अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।

- खुलासों सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह में इन कंपनियों की वित्तीय सूचना अथवा व्यापार संबंधी क्रियाकलाप के बारे में सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गईं इस प्रकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गईं अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिचिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई धारक कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ–साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण खामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं, के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक प्रभाव डालने की आशा होगी।

अन्य मामले

हमने अनुषंगी कंपनियों तथा जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 के अनुसार ₹ 518.61 करोड़ (31 मार्च 2021 के अनुसार ₹ 662.79 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 177.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹184.86 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ –24.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ –0.93 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में, ₹ 53.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.62 करोड़) तथा कुल व्यापक आय ₹ 53.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.62 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (II) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों /वित्तीय जानकारी और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम लागू सीमा तक रिपार्ट करते है कि:

   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों को पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में रखा गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण और इक्विटी में समेकित परिवर्तन समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

   (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुलग्नक-क"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा

(ज) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों के रूप में धारक/अनुषंगी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक इंड–एएस वित्तीय विवरणों कि रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर:

(i) समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 47 के संदर्भ में;

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमे कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(iv) (क) समूह के प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, समूह (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;

(ख) समूह के प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषक पक्षकार") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि समूह, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 (ड) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपबंधित अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(v) इस रिपोर्ट की तारीख तक समूह द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभांश (अंतरिम और अंतिम) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के अनुच्छेद 3 के खंड (xxi) में निर्दिष्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले, मामलों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित इसकी अनुषंगी कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, ऐसी रिपोर्टों में कोई शर्तें या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं.: 072290
यूडीआईएन: 22072290एआईवाईजेएससी9493

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम: भागीदार
सदस्य सं.: 092656
यूडीआईएन: 22092656एआईवाईएचएफजेड4536

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

आरईसी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों जो कि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों जो कि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग–निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग–निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है,। इन मानकों और मार्ग–दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित अनुषंगी कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी परिसंपत्तियों के लेन–देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) समूह की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारे राय में, धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2022 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर है।

इसके अतिरिक्त, हमने समूह के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए प्रकटीकरण पर विचार किया है, और उपरोक्त प्रकटीकरण समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परिचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम: भागीदार
सदस्य सं.: 072290
यूडीआईएन: 22072290एआईवाईजेएससी9493

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम: भागीदार
सदस्य सं.: 092656
यूडीआईएन: 22092656एआईवाईएचएफजेड4536

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 मई 2022

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने आरईसी लिमिटेड, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड तथा बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुबंध में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से
(दीपक कपूर)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक (एनर्जी),
दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई 2022

अनुबंध

<u>आरईसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी</u>

सहयोगी कंपनियां

1. चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड
7. राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

आरईसी के कार्यालयों का विवरण

पंजीकृत कार्यालय	कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 ✆ +91-11-4309 1500 / 1501 ✉ contactus@recl.in		
कारपोरेट कार्यालय	प्लॉट नंबर आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 ✆ +91-124-444 1300 ✉ contactus@recl.in		
प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग आरईसीआईपीएमटी कैंपस, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली, अरामघर चौराहे के पास, हैदराबाद – 500052 ✆ +91-40-2988 5851 / 5852; +91-40-2955 5901 ✉ recipmt@recl.in		
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) **पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश**	बे नं. 7–8,सेक्टर–2, पंचकूला – 134112 ✆ +91-172-2563 863 / 864 ✆ +91-172-2580 476 ✉ popanchkula@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **मध्य प्रदेश**	हाल नं. 3, पश्चिमी ब्लॉक, द्वितीय तल, मेट्रो वाक, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016 ✆ +91-755-2460 006 ✉ recbhopal@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व) **पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	आई बी–186, सेक्टर–III साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700106 ✆ +91-33-2335 6989 / 6994 / 6998 ✉ zmkolkata@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व)* **असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश**	श्रद्धा, एम. जी. पथ, जी. एस. रोड क्रॉसिंग सोहम/एसबीआई प्वाइंट, क्रिश्चियन बस्ती गुवाहटी – 781005 ✆ +91-361-2343 713 ✉ poguwahati@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) **महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव**	51–बी, मित्तल टॉवर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021 ✆ +91-22-2283 0985 / 3068 / 3055 ✉ zmmumbai@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **छत्तीसगढ़**	एफ–6 एवं एफ–7, ब्लॉक बी–1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कांप्लेक्स, पंचपेडी नाका, रायपुर – 492001 ✆ +91-771-2241 055 ✉ recraipur@recl.in
राज्य कार्यालय **हिमाचल प्रदेश**	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज–II, प्रथम तल, द रिज, शिमला – 171001 ✆ +91-177-2653 411 ✉ poshimla@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **झारखंड**	101 एवं 102, ओम श्री इंक्लेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड हिनू, रांची – 834002 ✆ +91-651-2253 123 ✉ poranchi@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय **जम्मू और कश्मीर, लद्दाख**	157–ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू – 180004 ✆ +91-191-2450 800 ✉ pojammu@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **ओडिशा**	दीनदयाल भवन, 5वां तल, अशोक नगर जनपथ, भुवनेश्वर – 751009 ✆ +91-674-2393 206 ✆ +91-674-2536 649 ✉ pobhubaneswar@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय **उत्तर प्रदेश**	19/8 इंदिरा नगर एक्सटेंशन रिंग रोड, लखनऊ – 226016 ✆ +91-522-271 6324 / 7376 ✆ +91-522-407 4944 ✉ zmlucknow@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **कर्नाटक**	1/5, हलासूरू रोड, बंगलुरु – 560042 ✆ +91-80-2559 8244 ✆ +91-80-2555 0240 ✉ pobangalore@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय **उत्तराखंड**	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून – 248001 ✆ +91-135-2650 766/799 ✉ sodehradun@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **तेलंगाना**	आरईसीआईपीएमटी कैंपस, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली अरमघर क्रॉस रोड के पास हैदराबाद – 500052 ✆ +91-40-2980 5034 / 4520 / 6745 ✆ +91-40-2988 6745 ✉ zmhyderabad@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय **बिहार**	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक– सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना – 800001 ✆ +91-612-222 4596 / 1131 ✉ popatna@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **आंध्र प्रदेश**	54–15–13, बीएसआर हिल व्यू, द्वितीय तल श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा – 520008 ✆ +91-866-2973 405 ✉ recro-vijay@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय **राजस्थान**	जे–4–ए झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर – 302004 ✆ +91-141-270 7840 / 0161 ✉ pojaipur@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **केरल, लक्षद्वीप**	ओ–5, चतुर्थ तल, सफालयम, कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन, पलायम, तिरूवनंतपुरम – 695034 ✆ +91-471-2328 662 ✉ potrivandrum@recl.in
राज्य कार्यालय ***गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव***	प्लॉट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्म ज्योति आश्रम रोड सुभानपुरा, वड़ोदरा – 390023 ✆ +91-265-2397 487 ✉ povadodara@recl.in	*क्षेत्रीय कार्यालय* **तमिलनाडु, पुडुचेरी**	12 एवं 13, टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, 180 लूज चर्च रोड, मयलापुर, चेन्नई – 600004 ✆ +91-44-2467 2376 ✆ +91-44-2498 7960 ✉ pochennai@recl.in

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, सेक्टर–29, गुरूग्राम, हरियाणा–122001

www.recindia.nic.in | +91-124-444 1300 | contactus@recl.in | हमें फॉलो करें: @reclindia